लोक सभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

सप्तमाला, खण्ड 48, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 46, सोमवार 30 अप्रैल, 1984/10 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 864, 868, 869, 871, 874, 878 और 882	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—188
तारांकित प्रश्न संख्या : 865 से 867, 870, 872, 873, 875 से 877 879 से 881 और 883	21—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9257 से 9304, 9306 से 9378, 9380 से 9384 और 9386 से 9415	35—188
सभा पटल पर रखे गए पत्र	188—193
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	193
पहली से अड़तीसवीं और तेतालीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	193—194
52वां, 53वां, 55वां और 56वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	194 -- 195
196वां, 201वां 204वां से 206वां 210वां से 217वां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	196
76वां और 84वां प्रतिवेदन तथा बैठकों के कार्यवाही-सारांश	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	196—200
88वां, 91वां, 95वां, 96वां और 97वां प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश	111--112

*किसी नाम पर अंकित †चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 200—213

जम्मू तथा कश्मीर राज्य में उग्रवादी तत्वों को आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होने, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है का समाचार

श्री रामविलास पासवान 200
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 204
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी 212

समिति के लिए निर्वाचन 214—215

नारियल जटा बोर्ड
विधेयक—पुरःस्थापित

पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 215

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 215—216

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक 216

संघ उत्पाद-शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक 216—217

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक 217

नियम 377 के अधीन मामले 217—221

(एक) नये पदों के सृजन तथा रिक्त पदों को भरने के संबंध में लगे हुए प्रतिबंध को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ढीला करने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर 217

(दो) बिहार के कुछ ग्रामीण डाकघरों में डाक सामग्री की अनुपलब्धता

श्रीमती कृष्णा शाही 218

(तीन) यमुना-गंगा रेलगाड़ी को मथुरा से बढ़ाकर दिल्ली तक करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह 218

(चार) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार, रोपड़-फिरोजपुर तथा हरिका के हैडवर्क्स का प्रभार भाखड़ा-व्यास प्रबंध बोर्ड को स्थानान्तरित करने के लिए पंजाब सरकार को निदेश देने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 218

(पांच) उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर 219

(छः) बिहार में सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई पर लगे प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता

प्रो० अजित कमार मेहता 219

(सात) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को एक स्वतन्त्र निर्गम रूप देने तथा एक अलग भारतीय अभ्रक उत्पादन निगम बनाने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 220

(आठ) गांधी नामक फिल्म को भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में 'डब' करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० करियन 220

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 221—257

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 221

श्री राम प्यारे पनिका 224

श्री हरिकेश बहादुर 225

श्री गिरधारी लाल व्यास 226

श्री राजेश कुमार सिंह 228

श्री बनारसी दास 229

श्री रामावतार शास्त्री 232

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 233

श्री के० मायातेवर 234

श्री मूल चन्द डागा 238

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 240

श्री अब्दुल रशीद काबुली 243

श्री भागवत झा आजाद 246

खंड 2 और 1

पास करने का प्रस्ताव

श्री भागवत झा आजाद 256

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 257—269

विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकट सुब्बैया 257

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 259

श्री राजेश कुमार सिंह 261

श्री गिरधारी लाल व्यास 262

श्री रामलाल राही 263

खंड 2 से 4 और 1
पास करने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकट सुब्बैया 268

कार्य मंत्रणा समिति 269

62 वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत

आधे घंटे की चर्चा 269 —275

भारतीयों के प्रवेश पर ब्रिटेन द्वारा लगाई गई पाबन्दियां

श्री बृज मोहन महन्ती 269

श्री पी० वी० नरसिंह राव 271

श्री हरीकेश बहादुर 272

प्रो० अजित कुमार मेहता 272

लोक सभा

सोमवार, 30 अप्रैल, 1984/10 वैशाख, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सहकारी ऋण संस्थानों का सहयोग

*864. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी ऋण संस्थान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) यह सच है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के लिए सहकारी क्षेत्र से मिल रही आवधिक ऋणों की धन-राशि ज्यादा उत्साहजनक नहीं है ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहकारी ऋण संस्थाओं का सहयोग कम होने के मुख्य कारण हैं—ऋणों की मंजूरी के लिए जमानत के कठोर मापदण्ड और विशेषत: भूमि विकास बैंकों के मामले में, भूमि की ज़मानत पर जोर, शेयर पूंजी में योगदान की शर्त और फसल-ऋणों की बकायेदारी के कारण आवधिक ऋणों को लेने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कुछ लाभभोगियों का अपात्र हो जाना ।

(ग) इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों और कृषि मंत्रालय को लिखा है कि वे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी ऋणों को बढ़ाने के उपाय करें । कृषि मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य सरकारों को एक माडल विधेयक परिचालित किया है, जिसमें राज्यों के अधि-नियमों में अपेक्षित संशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं ताकि भूमि विकास बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दे सकें । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास

बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सहकारी बैंकों द्वारा बहुत कम सहयोग दिए जाने के कारणों की जांच करने के लिए तथा उनके ऋणों को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने हेतु एक कार्य दल की स्थापना की है ।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सहकारी संस्थाओं के सहयोग कम होने का एक मुख्य कारण है ऋणों की मंजूरी के लिये जमानत के कठोर मापदण्ड ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि---

(क) क्या सरकार विशेष रूप से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ इन मापदण्डों में कोई परिवर्तन करने पर विचार करेगी ; और

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान नहीं दे रही है ?

मान लो कोई एजेंट विशेष है। यदि उसे किसी ऐसे स्थान पर तैनात किया जाता है जिस स्थान पर तैनाती को दण्ड के रूप में माना जाता है तो वह अपने कार्य में रुचि नहीं लेगा और वह यह चाहेगा कि उसका स्थानान्तरण जल्दी से जल्दी जिला मुख्यालयों अथवा प्रभागीय मुख्यालयों में हो जाये। अतः मेरा ख्याल है कि सहकारी संस्थायें समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अधिक उत्तरदायी हैं और उनका अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करती हैं । इसलिये, मेरा ख्याल है कि यह कहीं अधिक अच्छा होगा यदि राष्ट्रीयकृत बैंकों की उस धनराशि को, जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ऋणों के लिए निर्धारित की गई है, राज्यों की सर्वोच्च सहकारी समितियों को सौंप दिया जाये ताकि वे इसे अपने ताने-बाने के माध्यम से वितरित कर सकें और जब इस धनराशि को सर्वोच्च सहकारी संस्थाओं को सौंपा जाये, तो सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इसकी गारंटी दी जानी चाहिये । इससे निश्चय ही एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धन राशि प्राप्त करने वालों को विभिन्न स्थानों पर जाने अथवा बैंक-बैंक भटकने की समस्या से छुटकारा मिल जायेगा और इस प्रकार उन्हें ऋण की स्वीकृति भी शीघ्रता से हो जाएगी । इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऊपरी खर्च में भी कमी आयेगी और इससे ऋण प्रदान करने वाली संस्थायें भी कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगी। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई धनराशि राज्य के मुख्यालयों में सर्वोच्च सहकारी संस्थाओं को देने का प्रस्ताव, जिसकी गारंटी राज्य सरकार को देनी होगी, सरकार के विचाराधीन है । यदि ऐसा है तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा और यदि ऐसा नहीं है तो इस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार इस पर शीघ्रता से विचार करेगी ?

श्री हरिनाथ मिश्र : जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य तथा उनके माध्यम से सारे सदन को सूचित करता हूं...

अध्यक्ष महोदय : उनके माध्यम से नहीं ।

श्री हरिनाथ मिश्र : आपके माध्यम से, सारे सदन को...

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह भाती उन्हें प्रत्यायोजित नहीं की है ।

श्री हरिनाथ मिश्र :...वाणिज्यिक बैंकों के नियम असंतोषजनक नहीं है ।

श्री माधवराव सिंधिया : आप मुझे आंकड़े दीजिए ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं । जहां तक छठी योजना का सम्बन्ध है, ये आंकड़े इस प्रकार हैं :—

राज्य सहायता : 150 करोड़ रुपये

ऋण प्रदान करने का लक्ष्य : 3000 करोड़ रुपए (फरवरी 1984 तक)

रिपोर्टों के अनुसार यह पता चलता है कि 2030 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये भी जा चुके हैं और हम आशा करते हैं कि जब विभिन्न राज्यों से रिपोर्टें मिल जायेंगी तो उपलब्धि के ये आंकड़े मार्च 1984 के अंत तक की अवधि के लिये 2250 करोड़ रुपये होंगे । आशा है कि चालू योजना के अंतिम वर्ष के दौरान शेष कमी भी पूरी कर दी जायेगी और 3000 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा (**व्यवधान**)

श्री माधवराव सिंधिया : मेरे उस सुझाव के बारे में आपका क्या विचार है जिसमें मैंने कहा है कि इस धनराशि को सर्वोच्च सहकारी समितियों को सौंप दिया जाये जो कमजोर वर्गों का कहीं अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं ?

श्री हरिनाथ मिश्र : जहां तक सर्वोच्च सहकारी बैंकों का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को बता ही चुका हूं कि उनका कार्य बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। जहां तक उनके कार्य निष्पादन में सुधार का सम्बन्ध है मैं सदन को बता सकता हूं कि इस मामले पर राज्य सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है ।

श्री माधवराव सिंधिया : सर, मेरा अपैक्स इन्स्टीट्यूशन्स का जो सुझाव था, उसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया । आपके जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, क्या आप उनको सहयोग देने के लिये कहेंगे ।

(**व्यवधान**)

यदि ऐसा हो जायेगा तो हम एक कदम तो आगे बढ़ेंगे । आप इस सुझाव से भयभीत क्यों हैं ? आप यह क्यों नहीं कहते कि आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं अकेला ही अभी, इस बात को नहीं कह सकता । एकाएक वाणिज्यिक बैंकों को सर्वोच्च सहकारी बैंकों का इन्चार्ज कैसे बनाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह कहें भी कि आप इस पर विचार करेंगे तो भी इसका आशय पूर्ण रूप से 'हां' नहीं होगा । कम से कम माननीय सदस्य तो संतुष्ट हो ही जायेंगे ।

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा ।

श्री माधवराव सिंधिया : आप इस पर कब तक निर्णय कर लेंगे ?

श्री हरिनाथ मिश्र : इस पर समुचित रूप से विचार कर लेने के बाद जो कुछ जरूरी होगा, किया जायेगा ।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये अलग से धनराशि का निर्धारण करने के लिये अपैक्स निकायों को कोई निर्देश जारी किये हैं जैसा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में किया गया था । यदि नहीं तो क्यों ? क्या आप इस प्रस्ताव पर एक निश्चित अवधि सीमा में विचार करेंगे और इस पर निर्णय करेंगे ।

दूसरे, जब कोई कृषक या कमजोर वर्ग का सदस्य अपना ऋण वापस करने के लिये जाता है तो सहकारी संस्थानों में भी कुछ गड़बड़ी होती है । कभी कभी तो सम्बन्धित कर्मचारी उसे झूठी रसीद दे देते हैं और कुछ वर्षों बाद यह पता चलता है कि उसके नाम में अभी तक भी बैंक का ऋण बकाया पड़ा है । इस धोखाधड़ी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : जहां तक माननीय सदस्य की मुख्य धारणा का सम्बन्ध है, मैं आपके माध्यम से उन्हें यह बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेशानुसार ; राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने जमानत के मापदण्डों, सहकारी समितियों आदि तकनीकी एवं पर्यवेक्षक कर्मचारियों की अपर्याप्तता जैसी बाधाओं को दूर करने के लिये प्रशासनिक तथा कानूनी उपायों की सिफारिश करने के लिये और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करने में सहकारी समितियों के अधिकाधिक सहयोग के वास्ते अन्य सम्बन्धित उपायों की सिफारिश करने के लिये मार्च 1981 में एक कार्यकारी दल का गठन किया है । इस कार्यकारी दल में नाबार्ड के महाप्रबंधक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सहकारी समितियों और भूमि विकास बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बहुत स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उन्हें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सहकारी ऋण संस्थाओं का सहयोग नहीं मिल पाया है ।

क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान सरकार ने गरीबी उन्मूलन उपायों को, चाहे वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम हों या काम के लिए अनाज के या अंत्योदय योजनायें हों, कम प्राथमिकता दी है । इसके परिणामस्वरूप, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम बहुत हद तक पिछड़ रहे हैं । क्या मंत्री महोदय इस बात को सुनिश्चित कराने के लिए वित्त मंत्रालय से बातचीत करेंगे क्योंकि अनेकों बैंकों के ऋणों पर रोक लगा दी गई है । ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण: जमा का अनुपात 60% तक

नहीं पहुंच पाया है । नकद रिजर्व अनुपात बढ़ाके, वृद्धिगत जमा को रोकने आदि जैसे कुछ विभिन्न उपायों के बावजूद बैंक 60 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहे हैं । क्या वह वित्त मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करेंगे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा इसी प्रकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित ऋणों की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाये ?

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय मैंने अभी अभी सदन में आपके माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है । मैंने शुरू में ही सदन को बताया है कि छठी योजना का लक्ष्य 3000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था और यह सम्भावना है कि योजना अवधि के अन्त तक इस लक्ष्य की उपलब्धि इससे भी ज्यादा ही रहेगी । सदस्य महोदय ने वित्त मंत्रालय, योजना आयोग आदि से बातचीत करने का सुझाव दिया है । इस बारे में मैं सदन को सूचित करता हूं कि कार्यकारी दल ने इस मुद्दे की जानकारी प्राप्त कर ली है और वह सभी सम्बन्धित प्रश्नों के प्रति सतर्क हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है । मैंने पूछा है कि क्या काम के लिये अनाज कार्यक्रम और अनत्योदय कार्यक्रमों जैसे अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, धनराशि की कमी के कारण पिछड़ रहे हैं । उन्होंने इसमें से किसी बात का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह सच है कि काम के लिए अनाज योजना अब जारी नहीं है । यह सच नहीं है कि परियोजनायें धनराशि की कमी के कारण पिछड़ रही हैं । **(व्यवधान)**

पशुओं के लिए सस्ते आहार का उत्पादन

*868. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों में पशुओं के लिए सस्ते आहार का उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं और किन स्थानों में ऐसे अन्य कारखाने स्थापित करने की योजना है ; और

(ख) पशु आहार बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों को पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कोई पशु आहार कारखाना नहीं चला रही है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने पशु आहार बनाने वाले कारखानों की स्थापना की है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये कारखाने हरियाणा में जींद, हिमाचल प्रदेश में परवानू और जाछ, महाराष्ट्र में बम्बई, पुणे, यावतमल और नागपुर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, बहरामपुर और सम्बलपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मुरादाबाद, लखनऊ और हापुड़, कर्नाटक में बंगलौर और बेलगांव में हैं । राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में रोबर्टसगंज और उड़ीसा में राऊरकेला में पशु आहार बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

(ख) पशु आहार उत्पादन कृषि-उद्योग निगम जैसे सम्बन्धित राज्य संगठनों के कार्यकलापों में से एक है । पशु आहार बनाने वाले संयंत्रों के लाभ और हानि के लेखा परीक्षित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, ऐसे संयंत्रों में लाभ तथा हानि का एक विवरण जोकि राज्य सरकारों द्वारा भेजा गया है, सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के पशु आहार बनाने वाले संयंत्रों के लाभ तथा हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	पशु आहार बनाने वाले संयंत्र को चलाने वाले राज्य और संगठन का नाम	वर्ष	लाभ (+) तथा (—) (लाख रुपए में)
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम	1980-81	+ 13.67
		1981-82	+ 5.57
		1982-83	— 3.00 (अस्थायी)
2.	उड़ीसा कृषि उद्योग निगम, भुवनेश्वर	1980-81	—
		1981-82	—
		1982-83	+ 2.66
3.	उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम, लखनऊ	1980-81	+ 1.66
		1981-82	+ 1.37
		1982-83	+ 2.29
4.	उत्तर प्रदेश पशु पालन विभाग, लखनऊ	ये संयंत्र न लाभ न हानि के आधार पर चलाये जाते हैं।	
5.	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम, शिमला	1980-81	+ 8.54
		1981-82	+ 8.27
		1982-83	+ 4.05
6.	महाराष्ट्र कृषि उद्योग निगम; बम्बई	1980-81	—
		1981-82	—
		1982-83	+ 80.50
7.	कर्नाटक कृषि निगम उत्पाद लि०, बंगलौर ।	1980-81	—
		1981-82	—
		1982-83	+ 9.00

कृषि-उद्योग निगम की सहायक कम्पनी
-उपलब्ध नहीं

श्री दया राम शाक्य : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि पशु आहार का उत्पादन केवल छः राज्यों में हो रहा है और उन राज्यों में भी उत्पादन थोड़ा मात्रा में हो रहा है। यह देखते हुए कि पशु आहार सस्ता पड़ता है, वह पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है और वर्तमान कारखानों के द्वारा देश की आवश्यकता की पूर्ति होना सम्भव नहीं है, क्या केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में पशु आहार के उत्पादन के लिए कोई कारखाने स्थापित करने पर विचार करेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेम्बर साहब ने जो कहा है, वह सही नहीं है, क्योंकि इस समय 18 प्लांट स्टेट पब्लिक सैक्टर में हैं और 63 प्लांट कोआपरेटिव सैक्टर में हैं। कोआपरेटिव सैक्टर में डेयरी स्कीम्ज के अंतर्गत ये प्लांट लगाये जाते हैं। अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐसे प्लाँट नहीं लगाना चाहती है।

श्री दयाराम शाक्य : केन्द्रीय सरकार पशु आहार के कारखाने स्थापित करने में असमर्थता प्रकट कर रही है। वर्तमान उत्पादन से देश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। निजी क्षेत्र में कई लोग ये कारखाने लगाने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोगों ने प्रारम्भ भी किए हैं। जब केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में ये कारखाने लगाने में असमर्थ है, तो क्या वह आर्थिक सहयोग और अनुदान देकर हर राज्य में पशु आहार के उत्पादन को प्रोत्साहन देगी, ताकि पशु आहार अधिक मात्रा में उत्पन्न हो सके, जिससे अच्छे पशुओं की संख्या और दूध की मात्रा में वृद्धि हो सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : पशुओं की नस्ल को सुधारने और मिल्क की पैदावार को बढ़ाने के काम को गवर्नमेंट आपरेशन फ्लैड और कई अन्य प्रोग्राम्ज के माध्यम से कर रही हैं। कोआपरेटिव सैक्टर में भी यह काम आगे बढ़ रहा है। उसमें हर स्टेट में एक कैटल फीड का प्लांट लगाने का विचार है। इस समय गवर्नमेंट आफ इंडिया का मंशा ऐसा प्लांट लगाने का नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पशुओं के आहार के उत्पादन के लिए जो कारखाने चल रहे हैं, उनके बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या लाभ कमाना उन कारखानों की सफलता की कसौटी है या यह देखा जाता है कि वे किस मात्रा तक मांग को पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश में कारखाने नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चल रहे हैं। इस कसौटी को अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ? महाराष्ट्र के कारखाने ने 80.50 लाख रुपया कमाया है। क्या इन कारखानों का उद्देश्य रुपया कमाना है या किसान के लिए उपयोगी चारा उपलब्ध कराना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : लोस तो कोई कारखाना नहीं कर सकता। खासतौर से जो पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं, उनके द्वारा ज्यादा मुनाफा नहीं लिया जाता है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान न हो। लेकिन कारखाने को चलाने के लिए, और उसको घाटा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्राइस फिक्स की जाती हैं। लेकिन अभी तो ज्यादा कोआपरेटिव सोसायटीज के अन्तर्गत ही हैं और जिनमें से एक कोआपरेटिव सोसाइटी खुद फार्मर्स की है और इस प्रकार जो भी मुनाफा आता है वह फार्मर्स के पास ही जाता है। अतः इसमें मुनाफा कमाने की कोई बात नहीं है।

सघन मत्स्य पालन में सफलता

*869. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बो० वी० देसाई :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय मत्स्य वैज्ञानिकों ने सघन मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी में भारी सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह प्रौद्योगिकी किस सीमा तक मत्स्य पालन में सहायक होगी और इसका उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक वक्तव्य सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

वक्तव्य

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी वैज्ञानिकों ने जल निकास वाले और बिना जल निकास वाले तालाबों; धान उगाने वाले निचले क्षेत्रों में झींगा और मछलीपालन; समाकलित मछलीपालन प्रणालियों; भील्स में पेन कल्चर; टंकियों में पिंजरा संवर्धन; मागुर, सिंधी और मुर्रेल मछलियों के लिए हवा में सांस लेने वाला मछलीपालन तथा छाड़ों (ऑक्स-बो लेक्स) और जलाशयों से सम्बद्ध सघन मछलीपालन में भारी सफलता प्राप्त की है ।

केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के अपने फार्मों तथा राज्य के अपने फार्मों पर विभिन्न सस्य-जलवायुवीय स्थितियों के अन्तर्गत मिश्रित मछलीपालन में 3 से 11 टन प्रति हैक्टर प्रति वर्ष की उत्पादन दर प्राप्त की गयी । बड़े जलाशयों (2 हैक्टर और इससे बड़े) में 4 टन प्रति हैक्टर प्रति वर्ष; सूअर तथा मछलीपालन में 6 से 7 टन प्रति हैक्टर प्रति वर्ष; बत्तख तथा मछलीपालन में 3.5 से 4 टन प्रति हैक्टर प्रति वर्ष; धान तथा मछलीपालन में 5.5 टन धान और 700 कि०ग्रा० मछली प्रति हैक्टर प्रति 10 माह; एक वर्ष में दो फसलें लेने की क्षमता के साथ पेन कल्चर में 4 टन मछली प्रति हैक्टर प्रति 6 माह; पिंजरा संवर्धन में 40 कि० ग्रा०/10.5 × 10.5 वर्ग मीटर/6 माह (50 वर्ग मीटर में एक टन से अधिक मछलियां); उपचारित मलजल आहार वाले मछली तालाबों में बड़े झींगों का 500 कि०ग्रा०/हैक्टर/8 माह; व्यवस्थित छाड़ों में लगभग 1 टन प्रति हैक्टर प्रति वर्ष; सुव्यवस्थित बड़े जलाशयों में 50 से 80 कि०ग्रा० मछली प्रति हैक्टर प्रति वर्ष; मागुर का 7.8 टन/हैक्टर/5माह; सिंधी का 7 टन/हैक्टर/5

माह की दर से मछली उत्पादन प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने गैर-मौसम के दौरान भारतीय और विदेशी कार्प मछलियों के प्रजनन तथा उपराऊं जलाशयों में भारतीय कार्प मछलियों के प्रजनन में सफलता मिली है। महासीर प्रजनन और जीरा उत्पादन में भी सफलता प्राप्त की गई है।

(ग) केन्द्रीय अन्त: स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित कार्प वहुसंवर्धन प्रौद्योगिकी को 20 हैक्टर तक आकार के छोटे और बड़े तालाबों तथा टंकियों में अनुमानित 10 लाख 60 हजार हैक्टर जल क्षेत्र में अपनाया जा सकता है तथा मछली पालक स्तर तक 3 टन प्रति हैक्टर की औसत उपज आसानी से ली जा सकती है।

संस्थान द्वारा विकसित बहुत-सी प्रौद्योगिकियों को इस समय एफ. एफ. डी. ए. एस., आई. आर. डी. पी., ट्राइसेम आदि के माध्यम से राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी प्रायोजना और केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से सघन मछली पालन की आकस्मिक मांगों को पूरा करने के लिए क्वालिटी जीरे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली जीरा फार्मों में कार्प हैचरियों और संवर्धी क्षेत्र का विकास भी किया जाता है।

अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सघन मछली पालन प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुँचाने के लिए 129 मछली पालक विकास एजेन्सियों की स्थापना की गई है। अब तक ये एजेन्सियाँ 52,641 हैक्टर क्षेत्र को मछली पालन के अन्तर्गत ला चुकी हैं, जिनसे 681 कि०ग्रा० प्रति हैक्टर का औसत उत्पादन मिल रहा है। इन एजेन्सियों ने सघन मछली पालन में 42,475 मछली पालकों को प्रशिक्षित किया है।

श्री बी० वी० देसाई : अध्यक्ष महोदय, मैं शाकाहारी हूं इसलिए मछली के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं रखता। यदि पी. एम. सईद साहब यहाँ पर उपस्थित रहे होते तो अधिक अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से शाकाहारी भी मछली खाते हैं।

श्री बी० वी० देसाई : मछली को जल तरोई भी कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से जो छोटे फार्मर्स हैं जो लीज पर पाण्ड्स लेकर फिश फार्मिंग करते हैं वे जब बैंकों के पास या दूसरी जगह लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनसे सिक्योरिटी मांगी जाती है। पांच हजार तक के लोन के लिए सिक्योरिटी की मांग नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले में क्या माननीय मंत्री जी जानकारी देंगे कि जो ऐसे फार्मर्स हैं, जिनके पास सुविधा नही है सिक्योरिटी देने की, और जो पाण्ड्स लीज पर लेकर फिशिंग करना चाहेंगे, उनको बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जाएगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : फिश फार्मर्स डेवलपमेण्ट एजेंसीज जहां-जहां पर हैं वहां बैंकों से लोन दिलवाने का प्राविजन है और फिशरमेन को लोन दिलवाते भी हैं।

मछुओं के कल्याण के लिए विदेशी सहायता

*871. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को मछुओं की दशा सुधारने और मछली उत्पादन के विकास के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) सरकार ने इस सहायता का किस प्रकार उपयोग किया है और तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मात्स्यकी क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त बहुपक्षीय सहायता की राशि और इसके उपयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. **विश्व बैंक परियोजनाएँ**

(1) **समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना, आंध्र प्रदेश**

अक्तूबर, 1978 में इस परियोजना के प्रारम्भ से फरवरी, 1984 तक लगभग 80 लाख अमरीकी डालर का विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) ऋण प्राप्त हुआ है । गत तीन वर्षों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

1981-82	27.1 लाख अमरीकी डालर
1982-83	18.8 लाख अमरीकी डालर
1983-84 (29-2-84 तक)	9.9 लाख अमरीकी डालर

विशाखापतनम स्थित मत्स्यन बन्दरगाह का लगभग 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा काकीनादा और निजामापतनम का 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है । दस पहुंच मार्ग तैयार हो चुके हैं और 12 निर्माणाधीन हैं । 117 पंजीकृत मत्स्यन जलयान किसानों में वितरित किए गए हैं । दो लकड़ी के हुल शिम्प ट्रालरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(2) **समेकित समुद्री मात्स्यकी परियोजना, गुजरात**

यह परियोजना जुलाई 1977 में आरम्भ की गई थी और जनवरी, 1984 तक विश्व बैंक ऋण के रूप में लगभग 140 लाख अमरीकी डालर की धनराशि प्राप्त हो चुकी है । तथापि, गत 3 वर्षों के लिए आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

1981-82	38.5 लाख अमरीकी डालर
1982-83	18.9 लाख अमरीकी डालर
1983-84 (29-2-1984 तक)	6.0 लाख अमरीकी डालर

वेरावल और मंग्रोल स्थित मत्स्यन बन्दरगाहों का लगभग 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 137 पंजीकृत मत्स्यन जलयान तथा 428 आउट बोर्ड मोटरें मछुआरों को वितरित किये जा चुके हैं। तीन अपवारित ट्रक खरीदे गये हैं। जाल बनाने वाली दो मशीनें भी अधिष्ठापित की गयी हैं।

(3) **समेकित अंतर्देशीय मात्स्यकी परियोजना**

विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) से वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84 के दौरान प्राप्त ऋण क्रमशः लगभग 4.6 लाख अमरीकी डालर, 8.2 लाख अमरीकी डालर तथा 10.2 लाख अमरीकी डालर था। प्राप्त की गयी सहायता की राशि का उपयोग केन्द्रीय सरकार तथा परियोजना राज्यों द्वारा किया गया। राज्यों ने यह सहायता मछली तालाब के लिए ऋण पर हैचरियों, सम्पर्क सड़कों के निर्माण, इन्क्रीमेन्टल कर्मचारियों ; 82 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के अन्तर्गत वाहनों, तथा विस्तार कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने पर प्रयोग की है। भारत सरकार ने यह धनराशि अखिल भारतीय अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन सर्वेक्षण, राजस्थान में जलाशय मात्स्यकी सम्बन्धी मार्गदर्शी परियोजना जैसी परियोजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता घटकों तथा परामर्शदायी सेवाओं संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए प्रयोग की है।

2. **खाद्य एवं कृषि संगठन/तकनीकी सहयोग कार्यक्रम परियोजनाएँ**

(1) **फेर्रो सीमेण्ट नौकाओं का निर्माण**

यह परियोजना हाल ही में शुरू हुई है। नवम्बर, 1983 से 7000 अमरीकी डालर की राशि खर्च किए जाने का अनुमान है। यह धनराशि मुख्य रूप से प्रारम्भिक परामर्शदायी और प्राथमिक व्यवस्थाओं पर खर्च की गयी है।

(2) **कोर्ट नोजल का निर्धारण**

लगभग 1 लाख अमरीकी डालर प्राप्त किए जाने तथा इसे 1981 से 1983 तक खर्च किए जाने की जानकारी दी गयी है। विभिन्न प्रकार के मत्स्यन ट्रालरों पर कोर्ट नौज़लों के साथ सफल प्रयोग किए गए थे जिससे पता चला कि 32 प्रतिशत से अधिक की दर से ईंधन की बचत हुई है तथा कपलान प्रकार के प्रोपेल्लर के साथ 35.4 प्रतिशत का अतिरिक्त बोल्लार्ड पुल तथा परम्परागत प्रोपेल्लर के साथ 24.4 का अतिरिक्त बोल्लार्ड पुल पैदा हुआ। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में कोर्ट नौज़लों को अधिष्ठापित करने के लिए ट्रालरों के उपयुक्त नमूनों का मूल्यांकन करने तथा सार्वजनिक तथा प्राइवेट नौकाओं द्वारा यंत्र के प्रयोग का प्रचार करने की इसमें व्यवस्था है।

3. **कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय धनराशि**

सुन्दरवन विकास परियोजना

वर्ष 1981-82 के दौरान प्रारंभ की गयी परियोजना हेतु मात्स्यकी घटकों के लिए कुल सहायता 92 लाख रुपए होगी। यह परियोजना 5 वर्षों की अवधि में लागू की जायेगी। इस परियोजना में झींगा और मछली पालन के लिए दो खारे पानी वाले मत्स्य फार्मों का निर्माण और विकास शामिल है। सहायता का प्रयोग तकनीकी पर्यवेक्षण, परिसंस्करण और विपणन सुविधायें प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। मात्स्यकी घटकों के लिए पृथक रूप से इस परियोजना के तहत कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि से प्राप्त सहायता की राशि के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी, आज मन्त्री जी मछुवे के जाल में फंस गए है। जो प्रश्न पूछा गया था उसमें मछुओं की दशा सुधारने के बारे में भी जानकारी चाही गई थी। जो विदेशी धन या सहायता आई है उसका तजकिरा तो मन्त्री महोदय ने किया है कि किस तरह से उसका प्रयोग किया गया लेकिन मछुओं की दशा सुधारने के लिए इस विदेशी सहायता का किस प्रकार से प्रयोग किया गया और उससे किस सीमा तक मछुओं का हित हुआ है क्या इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया ? उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हालत सुधारने के लिए आपने किस सीमा तक विदेशी सहायता का प्रयोग किया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य का जो सवाल था वह फारेन एड के बारे में था और मैंने उसका जवाब दिया है। अब वे इसके माध्यम से इस बात को जानना चाहते हैं कि कैसे उनकी हालत सुधरती है तो जो डेवलपमेंट होता है एकुआ कल्चर का उससे फिश की प्रोडक्शन बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ने से उनकी आमदनी बढ़ती है। इस योजना के अन्तर्गत उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी बोट्स को मेकेनाइज और माडर्नाईज करने का भी प्रोग्राम है। बोट्स मेकेनाइज करने से प्रोडक्शन बढ़ती है, कैच ज्यादा होता है जिससे आमदनी बढ़ती है और आमदनी होने से उनकी माली हालत सुधरती है जिससे कि उनके बच्चों की शिक्षा और घर की हालत भी बेहतर होती है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सारा कुछ बता दिया, फिर भी संतोष नहीं हुआ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : अध्यक्ष जी, जो विदेशी सहायता मछली उत्पादन या मछुओं के लिए आई, उसका अधिकांश प्रयोग आपने समुद्र मछली उत्पादन और मछुओं के संबंध में किया। जो देशी मछली है, उसके लिए भी क्या आपने विदेशी संगठनों से मिली हुई सुविधा का प्रयोग किया है ? यदि किया है, तो किस सीमा तक किया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं। पांच राज्यों में इनलैंड फिशरीज में प्रयोग किया गया है, जिनमें माननीय सदस्य का भी स्टेट आ जाता है। बिहार,

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और वैस्ट बंगाल—इन पाँचों राज्यों में टैंक और पाउण्ड्स को डवेलप करने के लिए, इन्लैंड फिशरीज को डवेलप करने के लिए मदद दी गई है। इसके माध्यम से हमने तकरीबन तीस हजार किसानों को ट्रेनिंग दी है। प्रोडक्शन बढ़ने से हालत ऐसी है कि—हम चीन के बाद मछली उत्पादन के दूसरे नम्बर पर हैं। राष्ट्रमंडल देशों में नम्बर एक पर हम हैं। इनलैंड फिशरीज में चाइना के बाद हमारा नम्बर आता है, लेकिन कामन वैल्थ कन्ट्रीज में हमारा नम्बर पहला है। 1970—80 में हमारा ग्रोथ रेट 31 परसेंट है, जबकि वर्ल्ड ग्रोथ रेट 13.4 प्रतिशत है। इससे मालूम होता है कि काफी काम हुआ है, लेकिन माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य देशी मछली का सवाल कर रहे थे, है तो समुद्री भी देशी मछली, विदेशी वह भी नहीं है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए नई ग्रामीण प्रौद्योगिकी अपनाना

*874 **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय निकट भविष्य में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए नई ग्रामीण प्रोद्योगिकी अपनाने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निगम से परामर्श करने पर विचार कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने इन्हें उस बारे में कोई प्रस्ताव/उद्देश्य निश्चित किए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालयके राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) से (ग) : ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोद्योगिकी के विकास तथा प्रचार व प्रसार के प्रमुख उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में गठन किया गया है, का खादी तथा ग्रामोद्योग और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम से निकट का सम्पर्क है. ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकियों को गहन रुप से बढ़ावा देने में शामिल किया जा सके।

कार्यक्रमों का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

श्री भानु प्रताप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपको मालूम है, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आई० आर० डी० कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम हमारी प्रधान मंत्री जी ने निर्धारित किया है। यही वह कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत गरीबों को मदद दी जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन सरकार की ओर से सुलभ कराए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आई० आर० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसको के० बी० आई० सी० भी कहते हैं और राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, जिसको एन० आर० डी० सी० कहते हैं, इनके माध्यम से विगत चार वर्षों में कितनी योजनायें स्वीकृत करवाई हैं? क्या इसकी जानकारी आपके

पास हैं ? इन दोनों संस्थानों का आई. आर. डी. के कार्यक्रम को प्रभावित तरीके से कार्यान्वित करने में क्या योगदान रहा है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले बताया कि जवाब देही काउन्सिल फार एडवांसमेंट आफ रूरल टैक्नालोजी की है। कुछ ही महीने पूर्व पहले बैलगाड़ी की गति से नहीं चल रहा था, अब फरवरी के अन्त में डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई है, एक उच्चाधिकारी समिति की सिफारिश पर। वह इस संबंध में संलग्न हैं कि इन दोनों संस्थाओं को इसमें लाया जाए। ग्रामीण अंचल में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें कितनी जवाबदेही है, क्या काम उसको दिया जाएगा, इस संबंध में अभी कोई विवरण तैयार नहीं हो पाया है।

श्री भानु प्रताप शर्मा : माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि हाल ही में उनके विभाग ने "कार्ट" का गठन किया है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के माध्यम से क्या इन योजनाओं को, हर प्रान्त में नई रूरल टैकनालाजी अपनाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए जायेंगे ?

श्री हरिनाथ मिश्र : अवश्य ही हमारा प्रयास होगा कि "कार्ट" के सहयोग से जहां तक हो सके सभी प्रान्तों में हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथों में लेंगे और जिन संस्थाओं का माननीय सदस्य ने नाम लिया था, उनको एवं अन्य इस तरह की जितनी संस्थायें हैं, उनका सहयोग प्राप्त करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : आपको याद होगा कि 1984-85 का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन में घाटा 35851 के अधीन ग्रामीण विकास के लिये किसी राशि का प्रावधान नहीं किया था। अब एक विशेष कोष की स्थापना की गई है जिसे प्रधान मंत्री की ग्रामीण विकास कोष कहा जाता है और जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष के रूप में गठित किया गया है। पिछले दो माह के दौरान, इस कोष में एक भी पैसा जमा नहीं हुआ है। आपने अन्य स्वैच्छिक निकायों को भी 8. ग ग के अधीन अस्वीकृत कर दिया है और आपने प्रधान मंत्री के नाम से एक नया कोष स्थापित किया है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष कहा जाता है और जिसका प्रशासन आपके मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ; और माननीय सदस्य उस बोर्ड या समिति के एक सदस्य हैं। पिछले दो माह के दौरान उसमें एक पैसा भी जमा नहीं किया गया है। इस तरह से ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भारी धक्का लग रहा है।

अब इस ग्रामीण विकास सम्बन्धी गतिविधि के बारे में ज़ीवन में कई प्रश्न हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से 29 फरवरी के बाद सृजित ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थिति के बारे में ज़ान सकता हूं ? इस बारे में कितना सहयोग प्राप्त हुआ है; और आपने कौन-कौन सी परियोजनाओं को हाथ में लिया है ? दूसरे, क्या यह सच नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई राज-सहायता बैंक द्वारा अनुमोदित किसी परियोजना की आर्थिक क्षमता के साथ जुड़ी है ; और जब तक बैंक इस विशेष योजना को अनुमोदित नहीं कर देता है तब तक बैंक द्वारा और फिर सरकार द्वारा भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

मंत्री महोदय द्वारा अभी यह बताया गया है कि बैंकों द्वारा 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध

कराए जाने हैं। सरकार द्वारा राज सहायता के रूप में 1500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने हैं ; लेकिन राजसहायता तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है जब तक बैंक परियोजना को अनुमोदित नहीं करते हैं ; और बैंक परियोजनाओं को अनुमोदित नहीं करते हैं। इसलिए राजसहायता की धनराशि भी समाप्त हो जाती है। और कोई दो वर्ष पहले इस विशेष मुद्दे की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की गई थी। हमने इस विषय पर सदन को भी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा गया था कि राजसहायता की धनराशि किसानों को इसलिए उपलब्ध नहीं कराई जाती है क्योंकि बैंक योजनाओं को अनुमोदित नहीं करते हैं। जब तक वे योजनाओं को अनुमोदित नहीं करते हैं तब तक धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए राजसहायता भी उपलब्ध नहीं होती है।

मैं इन दो विषयों के बारे में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि मैं सभापति हूं। वास्तव में, स्वयं प्रधान मंत्री इस निधि की सभापति हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप एक सदस्य हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं जानता हूं कि आप सभापति (चेयरमैन) नहीं हैं बल्कि प्रधानमन्त्री सभापति हैं। प्रधानमन्त्री के निधि की सभापति (चेयरमैन) होने के नाते यह और भी दुःखदायी है कि पिछले 2 महीनों में एक पाई भी इस निधि में जमा नहीं की गई है।

श्री हरिनाथ मिश्र : यह उन लोगों के लिए है जो मेरे लिए नहीं बल्कि जवाब में योगदान दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी सही जानकारी तथा सूचना के अनुसार 10,000 रुपये का एक चैक प्राप्त हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : मेरे प्रश्न के भाग (ख) का क्या हुआ ? यह कैसा हास्यास्पद लगता है कि पिछले 2 महीनों के दौरान ग्रामीण विकास निधि, जिसकी सभापति प्रधानमन्त्री हैं, केवल 10,000 रुपये ही प्राप्त हुए हैं ? क्या इसका सरकार की ईमानदारी पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है ? (**व्यवधान**)

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं यह कैसे कह सकता हूं कि लोग, व्यापारी लोग क्यों अंशदान नहीं कर रहे हैं ? उनके अपने कारण हो सकते हैं। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री सतीश अग्रवाल : मेरे प्रश्न के भाग (ख) अर्थात्, राजसहायता के बारे में, जो तब तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जब तक कि बैंक कमजोर-वर्गों के लिए योजनाओं को स्वीकृत नहीं कर देते हैं, का क्या हुआ ? इसलिए इतना अधिक धन बिना उपयोग किए रह जाता है—3,000 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा तथा 1500 करोड़ रुपये राजसहायता के रूप में सरकार से। इसलिए इस राजसहायता के बारे में मेरे प्रश्न के इस भाग का क्या हुआ ?

श्री हरिनाथ मिश्र : जहां तक राजसहायता से सम्बन्धित भाग का सम्बन्ध है केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें राजसहायता के भाग को पूरा करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : बैंकों की असफलता का क्या हुआ ?

श्री हरिनाथ मिश्र : जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था। जहाँ तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है वाणिज्यिक बैंक एक बड़े रूप में सामने आए हैं। **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपके माध्यम से बाद में एक प्रश्न रखूंगा।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाएं

*878. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत भावी योजना तैयार कर ली है ;

(ख) कार्यक्रम में (राज्यवार) रोजगार के कितने श्रम दिवस रखने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने धन को विभिन्न विभागों में लगा दिया है जो कि श्रम प्रधान नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारें योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए एक 'शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स' तैयार करेंगी। इसके अतिरिक्त, "शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स" के आधार पर वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार की जा सकती है, हालाँकि, निर्देशों के अनुसार 1983-84 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 से शुरू हुआ है, केन्द्रीय संस्वीकृति समिति द्वारा 17-11-83 को हुई अपनी पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 तथा 1984-85 के लिए आवंटनों हेतु वार्षिक योजना को तैयार किए जाने पर जोर दिए बिना राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं पर विचार किया जाए।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 मिलियन श्रम-दिवसों के रोजगार के सृजित किए जाने की आशा है। तथापि रोजगार के सम्भावित श्रम-दिवसों के सृजन के बारे में राज्य-वार स्थिति को बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह कार्यक्रम हाल ही में शुरू हुआ है तथा छठी योजना के लिए प्रत्येक राज्य को किए जाने वाले सम्पूर्ण आवंटनों के अन्तर्गत परियोजनाएँ अभी प्राप्त होनी हैं।

(ग) व (घ) : कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु ज़ारी किए गए निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को यह छूट है कि वे राज्य में विभिन्न कार्य परियोजनाओं को निष्पादित करने हेतु तकनीकी विभागों सहित किन्हीं भी कार्यान्वित एजेन्सियों को निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अलावा, निर्देशों में यह व्यवस्था है कि किसी परियोजना में मजदूरी घटक मजदूरी लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय संस्वीकृति समिति परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय विशेष रूप से यह जांच करती है कि प्रस्तुत की गयी परियोजनाएं इन शर्तों की पुष्टि करती हैं अथवा नहीं। इस बात को देखते हुए, यह आशा की जाती है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के निर्देशों के अनुरूप ही रोजगार के सृजन का उद्देश्य पूरा किया जाएगा।

श्री अनादिचरण दास : ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम सरकार का एक सर्वोत्तम कार्यक्रम है। इस कर्यक्रम के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(एक) ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार अवसरों में सुधार करना तथा उनका विस्तार करना जिससे वर्ष में 100 दिन तक प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने की गारंटी प्रदान करना।

(दो) ग्रामीण मूल संरचना संबंधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना।

इसलिए, मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने बताया है कि चूंकि यह कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया है अतः संभावित श्रमदिवसों के सृजन के बारे में राज्यवार स्थिति बताना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप निधियों का कैसे वितरण कर सकते हैं क्योंकि इस वर्ष सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है; जब तक आप विभिन्न राज्यों से परियोजनाओं के शेल्फ प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आप धन का वितरण कैसे कर सकते हैं ? वे कौन से मानदण्ड हैं और आधार क्या हैं जिन पर आपका विचार इस धन को वितरण करने का है ? क्या आप इस बात को सदन के समक्ष स्पष्ट कर सकते हैं ?

श्री हरिनाथ मिश्र : जहां तक श्रमदिवसों को सृजित करने का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही यह जबाव दिया है कि स्वीकृति देने वाली हमारी केन्द्रीय समिति यह सुनिश्चित करती है कि परियोजना के 50 प्रतिशत में मज़दूरी सम्बन्धी तत्व शामिल हों तथा 50 प्रतिशत में सामग्री तत्व शामिल हों। सामग्री तत्व पर बल दिया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब परियोजनाएं पूरी हों उस समय वे अस्थायी नहीं होनी चाहिए बल्कि न्यूनाधिक स्थायी किस्म की होंनी चाहिए। हम मजदूरी तत्व पर इसलिए बल देते हैं क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर—जहां तक भूमिहीन लोगों का सम्बन्ध है, में रोजगार उत्पन्न करने का है।

श्री अनादिचरण दास : मेरा प्रश्न तो अलग था, जवाब अलग आया है।

भाग (ग) में मेरा प्रश्न यह था, "क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपनी निधियों को विभिन्न विभागों में लगा दिया है जो श्रम-प्रधान नहीं हैं, और आपने नकारात्मक उत्तर दिया

है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप का विचार इस मामले की जांच करने तथा यह पता लगाने का है कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने पहले ही अपनी निधियों को कतिपय ऐसी योजनाओं में लगा दिया है जो वास्तव में श्रम प्रधान योजनाएं नहीं हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खण्ड ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के शेल्फ के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन आपने अब इस समय निधियां राज्य सरकारों को दे दी हैं और उन्होंने इस परियोजनाओं की उस शेल्फ के बारे में एक विवरण प्रस्तुत करना है। राज्य सरकारों को इस कार्य में पंचायत समितियों को शामिल करना है और इस समय इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए गांव एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्या सरकार का विचार खण्डों को भी शामिल करके इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : यह सच है कि राज्य सरकारों को अपने स्वयं के एजेन्ट चुनने के लिए मुक्त छोड़ दिया गया है। लेकिन साथ-साथ यह भी सच है कि जहां तक एन आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और ऐसे अन्य कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, किसी भी ठेकेदार की सेवा का उपयोग नहीं किया गया है वस्तुतः यह देखना राज्य सरकारों का काम है कि हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाता है। जब हम विभिन्न सरकारों से प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति देते हैं तब हम इसके लिए शर्त लगा देते हैं कि प्रत्येक छः महीने में कार्यान्वयन/निधियों के उपयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अगली किश्त दी जाएगी।

डा० कृपासिन्धु भोई : मंत्री महोदय ने सदन का ध्यान वास्तविक कार्यक्रम अर्थात आर० एल० ई० जी० पी० से हटा दिया है इस कार्यक्रम की परिकल्पना 15 अगस्त, 1983 को की गई थी। लेकिन वास्तव में पिछले वर्ष एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया था और पिछले वर्ष इस योजना के लिए निर्धारित 600 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण धनराशि केवल इस वर्ष खर्च की जाएगी। मेरे माननीय मित्र ने स्पष्टतया एक प्रश्न पूछा है कि क्या यह योजना खण्ड स्तर की एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी बिहार में, जो कि मंत्री महोदय का अपना राज्य है, यह योजना खण्ड स्तर की एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और सभी खण्डों में यह सुविधा सृजित की जाएगी। लेकिन जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि ग्रामीण इंजीनियरी संगठन, जो कार्यक्रम एजेन्सी होनी चाहिए, को उड़ीसा में समाप्त कर दिया गया है। क्या वे सरकार को एक दूसरा विभाग सृजित करने के अनुदेश देंगे वहां पहले ही मौजूद था, ताकि सभी खण्डों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके, क्योंकि वे ग्रामीण कामगारों के लिए 30 करोड़ श्रमदिवस सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं ? क्या मंत्री महोदय राज्य सरकार को यह अनुदेश देंगे कि इस कार्यक्रम को खण्ड स्तर की एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाए जो ग्रामीण गरीब लोगों के लिए आवश्यक है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : प्रासंगिक रूप से पूरक प्रश्न के सुनने के बाद मैंने यह पाया है कि मैं किसी प्रकार के पक्षपात का अपराधी रहा हूं। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि केवल कुछ राज्य मुख्य रूप से परियोजनाओं को प्रस्तुत करने में पिछड़ रहे हैं यह कार्य पहले उत्तर प्रदेश ने

किया और बिहार ने इसका अनुकरण किया। व्यक्तिगत रूप से उड़ीसा राज्य के लिए मैं बिना जानकारी प्राप्त किए यह नहीं कहूंगा कि स्थिति क्या है।

राजस्थान को जल के हिस्से से वंचित करके गांधी सागर बांध के अन्तर्गत बांधों का निर्माण

*882 **श्री बुद्धिचन्द्र जैन : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार को गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से उसके जल के हिस्से से वंचित करके गांधी सागर बांध के अधीनस्थ भूमि पर अनेक छोटे-छोटे बांध निर्मित किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

(ख) क्या केन्द्र ने इस संबंध में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की और दोनों राज्यों के अधिकारियों की कोई बैठक बुलाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुई बातचीत में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) मध्यप्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के गांधीसागर बांध के प्रति-ग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले सात जिलों के स्थानीय क्षेत्रों के लिए सिंचाई लाभों की व्यवस्था करने के लिए कुछ मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है/आयोजना की जा रही है।

राजस्थान सरकार केन्द्र से अभिवेदन करती है कि मध्य प्रदेश द्वारा ऊपरी भागों में इन लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण से गांधीसागर में जलप्रवाहों में कमी हो जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश द्वारा भेजी गई सूचना से यह देखा गया है कि गांधीसागर में चम्बल नदी के 75% विश्वसनीय 3.964 मि० ए० फु० प्रवाह के प्रति अब तक निर्मित परियोजनाओं से लगभग 0.125 मि०ए०फु० की कमी हुई है जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त चम्बल परियोजना में 3.20 मि० ए० फु० जल के उपयोग की परिकल्पना की गई हैं। ये कमियां कुल प्रवाहों का लग-भग 3% है।

केन्द्र ने मुख्य मंत्री स्तर की कोई बैठक आयोजित नहीं की है। तथापि, इस मामले को हल करने के लिए केन्द्र द्वारा 4 जून, 1983 और 7 जनवरी, 84 को अधिकारी स्तर की दो बैठकें आयोजित की थीं।

इन बैठकों में सामान्य मतैक्य होने के परिणामस्वरूप दोनों राज्य चम्बल बेसिन के जल-

विज्ञान/जल उपलब्धता का केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। राज्य सरकारें अपनी-अपनी सीमाओं में विभिन्न प्रयोजनों के लिए कोटा तक चम्बल से लिए गए जल के आंकड़ों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए भी सहमत हो गई हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, गांधी सागर बांध के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच उससे होने वाले फायदों को बराबर बराबर बांटने का फैसला हुआ है। मध्यप्रदेश द्वारा सैकड़ों डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इनको रोकने के लिए कि आगे वे और डैम न बनाएं, क्या कोई निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया है, ताकि राजस्थान के साथ अन्याय न हो।

श्री रामनिवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्यप्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है जिसके अंतर्गत आधे आधे पानी का बंटवारा और अन्य फायदों का बंटवारा होना निश्चित हुआ है। राजस्थान सरकार ने मार्च 1980 में एक प्रतिवेदन भेजा था। जिसमें यह था कि मध्यप्रदेश ने अपने क्षेत्र में कुछ सिंचाई योजनाएं, लघु योजनाएं और लघु-मध्यम योजनाएं बनाई हैं जिनकी वजह से गांधी सागर में पानी आना कम हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि उन्होंने योजनाएं अवश्य बनाई हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतना कम है कि गांधी सागर बांध पर उसका विशेष असर नहीं पड़ेगा। इन दोनों राज्यों के आपस के मतभेदों को मिटाने के लिये केन्द्रीय सरकार कोशिश कर रही है कि आपस में विचार-विमर्श करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि दो मीटिंगें केन्द्रीय स्तर पर हो चुकी हैं और दोनों राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि सारी चीज का सर्वेक्षण कराया जाये और उसके बाद कुछ नतीजे निकलेंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैंने प्रश्न में यह पूछा है कि मध्य प्रदेश सरकार को अभी तो आपने रोक दिया है, लेकिन वह अभी भी डैम की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उससे राजस्थान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह जो बन्ध बने हैं, उन्हें तो रोक दिया जाये कि भविष्य में न बनें, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने बगैर आज्ञा के, उनकी सहमति के बिना कई ऐसे कार्य किये हैं जो योजना के अन्तर्गत नहीं हैं। इस बात को विवाद का विषय न बनाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि दोनों राज्य सरकारें आपस में विचार-विमर्श कर रही हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि कुछ सही नतीजे पर हम पहुंचेंगे।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : मैं यह जानना चाहती हूं कि चम्बल परियोजना के द्वारा मध्यप्रदेश को जो बिजली और पानी मिलना चाहिये था, वह पर्याप्त मात्रा में आज भी नहीं दिया जा रहा है और जो बंटवारे की हमारी शर्तें तय थीं, उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : गांधी सागर में अपर्याप्त पानी होने के कारण कुछ समस्याएं दोनों राज्यों के लिये अवश्य हो रही हैं, उन्हीं का निराकरण करने के लिए हम सक्रिय हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : पिछले 4,5 सालों से गांधी सागर में बराबर पानी नहीं आ रहा है। यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें 3 पावर स्टेशन बने हैं। ऐसी कोई योजना होनी चाहिये जिससे गांधी सागर को पर्याप्त पानी मिले। क्या नर्बदा का पानी क्षिप्रा के माध्यम से चंबल को सप्लाई करने के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार बनायेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : अगर सम्बन्धित राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाकर प्रेषित करें तो उन पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री दीनबन्धु वर्मा : जब गांधी सागर बांध बन रहा था तो दोनों सरकारों के बीच इस बात का एग्रीमैंट हुआ था कि हम मिलकर डैम बनायेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने किन्हीं कारणों से उनके कैसमैंट एरिया में डैम बनाया। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि वह मध्य प्रदेश सरकार को इस बात के लिए बाध्य करें कि वह भविष्य में किसी भी प्रकार का डैम कैशमैंट एरिया में न बनायें ताकि जो प्रौबलम राजस्थान सरकार को आ रही हैं, वह न आ सकें ?

श्री राम निवास मिर्धा : भारत सरकार की नीति किसी राज्य को बाध्य करने की नहीं है, बल्कि दोनों को साथ बैठाकर कुछ नतीजे निकालने की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवार

*865. **श्री अमर सिंह राठवा** :

श्री ए० के० राय :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कितने परिवार सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना से प्रभावित हुए हैं और इस परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के लिये उनको भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात के किसानों को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों को दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि की तुलता में अत्यंत कम है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार उनकी मांग की पुनरीक्षा करने और उन्हें अन्य राज्यों के बराबर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर विचार करेगी ; और

(घ) उक्त परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार आदि देने सम्बन्धी अन्य क्या सुविधाएं दी जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण से प्रभावित हुए परिवारों की राज्य-वार संख्या निम्न प्रकार है :—

गुजरात	1900 परिवार
महाराष्ट्र	1358 परिवार
मध्य प्रदेश	7500 परिवार

गुजरात ने सूचित किया है कि बांध और डाइकों के लिए उनके द्वारा 709 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई है । भूमि के लिए दिए गए मुआवजे का ब्यौरा केन्द्र में उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि का अधिग्रहण अभी किया जाना है ।

अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए मुआवजा, सम्बन्धित राज्य के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, दिया जाना होता है । अतः, प्रश्न के भाग (ग) में जिस तरह का सुझाव दिया गया है, भारत सरकार द्वारा उस तरह से हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने अपने पंचाट में, प्रभावित हुए व्यक्तियों को दी जाने वाली पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाओं के सोपान और मात्रा का विस्तृत रूप से विशेष उल्लेख किया गया है। ये **विवरण**-1 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदिवासी कल्याण विभाग ने सिंचाई, औद्योगिक तथा खनन परियोजनाओं के अवस्थापन तथा साथ ही अन्य विकास कार्यों के कारण विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास हेतु विशेष रियायतों और सुविधाओं के लिए कुछ मार्गनिर्देश जारी किए हैं और ये राज्यों को परिचालित किए हैं। मार्गनिर्देशों की मुख्य बातें **विवरण**-2 में दी गई हैं।

विवरण-1

नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा अपने पंचाट में दिए गए निदेश के अनुसार, प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं

गुजरात, प्रत्येक क्रमिक चरण से पूर्व जल-प्लावन से एक वर्ष पहले, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए जो गुजरात में, बसने के इच्छुक हैं, कृषियोग्य भूमि तथा आवास स्थल के लिए भूमि का अधिग्रहण करेगा और उन्हें उपलब्ध कराएगा । गुजरात विस्थापितों को अपने क्षेत्र में पुनः बसाने के लिए पहले प्रस्ताव करेगा ।

गुजरात विस्थापित व्यक्तियों को निम्नलिखित सुविधा भी प्रदान करेगा :—

(क) फिर से बसाने के लिये अनुदान (पुनर्वास अनुदान)—गुजरात प्रत्येक कुटुम्ब को 750 रुपये की राशि जिसमें परिवहन प्रभार भी सम्मिलित है, पुनर्वास अनुदान के रूप में देगा।

(ख) सहावता अनुदान—इसके अतिरिक्त, गुजरात निम्नलिखित मापमान के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब को सहायता अनुदान देगा :—

जहां कुल प्राप्त प्रतिकर	सहायता अनुदान
2000 रुपये से ऊपर है	कुछ नहीं
2000 रुपये और 500 रुपये के बीच है	500 रुपये जिसमें से उतनी रकम घटा दी जाएगी जो 500 रुपये से ऊपर के प्रतिकर के एक तिहाई भाग के बराबर है।
500 रुपये से कम है	500 रुपये

(ग) **नागरिक सुख-सुविधाएं** :

1. 100 कुटुम्बों के लिए, एक प्राथमिक विद्यालय (3 कमरे वाला)
2. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए. एक पंचायत घर
3. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए एक औषधालय
4. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए एक बीज भंडार
5. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए एक बाल उद्यान
6. प्रत्येक 500 कुटुम्बों के लिए एक ग्राम पोखर
7. प्रत्येक 50 कुटुम्बों के लिए नाली सहित एक पेयजल कुंआ
8. प्रत्येक कालोनी समुचित स्तर की सड़कों द्वारा मुख्य सड़क से जुड़ी होनी चाहिए
9. प्रत्येक 50 कुटुम्बों के लिए एक चबूतरा
10. प्रत्येक निर्वासित कुटुम्ब एक मकान की जगह अथात् 60 फुट × 90 फुट माप का एक भूखण्ड निःशुल्क पाने का हकदार होगा और उसे वह आबंटित किया जाएगा। इसके अलावा, गुजरात, नागरिक सुख-सुविधाओं के लिये सड़कों, सरकारी भवनों, खुले स्थानों आदि के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र की व्यवस्था करेगा।
11. गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पुनर्वास के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं करेगा :—

(क) पुनर्वास 750 रुपये प्रति कुटुम्ब

(ख) सहायता अनुदान	500 रुपये प्रति कुटुम्ब
(ग) प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए भू-अर्जन जो प्रति 6 कुटुम्ब को एक एकड़ की दर से किया जाएगा	1500 रुपये प्रति एकड़
(घ) नागरिक सुविधाएं :	
(1) 100 कुटुम्बों पर एक प्राथमिक विद्यालय	प्रति विद्यालय 30,000 रु०
(2) 500 कुटुम्बों पर एक सामुदायिक हाल एवं पंचायत भवन	प्रति भवन 20,000 रु०
(3) 500 कुटुम्बों पर एक चिकित्सालय	प्रति चिकित्सालय 25000 रु०
(4) 500 कुटुम्बों पर एक बीज भंडार	प्रति भंडार 10,000 रु०
(5) 500 कुटुम्बों पर एक बाल उद्यान	प्रति उद्यान 6000 रु०
(6) 50 कुटुम्बों पर नाली सहित एक कुंआ	प्रति कुंआ 10,000 रु०
(7) 500 कुटुम्बों पर एक तालाव	प्रति तालाब 20,000 रु०
(8) 50 कुटुम्बों पर एक छायादार चबूतरा	प्रति चबूतरा 1,500 रु०
(9) 100 कुटुम्बों पर एक धार्मिक पूआ-स्थल	प्रति पूजास्थल 1,000 रु०
(10) प्रति नई आबादी के लिये 3 कि० मी० के हिसाब से पहुंच मार्गों और संपर्क मार्गों का निर्माण	प्रति कि० मी० 30,000 रु०
(11) विद्युत वितरण लाइनें और गलियों में रोशनी, प्रति 100 कुटुम्ब 2 कि० मी०	प्रति कि० मी० 11,000 रु०
(12) जलप्लावन के अधीन आने वाले प्रत्येक नगरीय कस्बे के लिये सामाजिक सुविधाएं जैसे, जल-प्रदाय और सफाई सुविधाओं का अभिन्यास और समतलन आदि	प्रति कस्वा 5,00,000 रु०

वास्तविक पुनर्वास के समय प्रचलित मूल्यों के अनुसार, उपर्युक्त मूल्यों में परिवर्तन किया जा सकता है।

विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास देने में गुजरात के असफल होने की दशा में, या विस्थापित व्यक्ति, गुजरात द्वारा प्रदान किये गये क्षेत्र में बसना न चाहते हों तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार, पुनर्वास, नागरिक सुविधाओं आदि की व्यवस्था करेंगे। ऐसी दशा में गुजरात ऐसे सभी व्यय, लागत आदि देने के लिये उत्तरदायी होगा जो उस दशा में गुजरात ऐसे सभी व्ययों, लागतों आदि के संदय के लिये उत्तरदायी होगा जो विस्थापित व्यक्तियों के लिये पुनर्वास और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हों, इसके अंतर्गत, विस्थापित व्यक्तियों को खेती करने या आवास के लिये आबंटित भूमि के अधिग्रहण के लिये की गई कार्यवाही का खर्च और भूमि-अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार दिये गये प्रतिकर की रकम है।

कृषि भूमि का आबंटन : ऐसा प्रत्येक विस्थापित कुटुम्ब, जिसकी 25 प्रतिशत से अधिक भू-धृति अर्जित कर ली जाती है, सम्बद्ध राज्य में विहित अधिक भूमि सीमा और प्रति कुटुम्ब कम से कम 2 हैक्टेयर (5 एकड़) की सीमा के अधीन रहते हुये, अर्जित भूमि के बराबर सिंचित भूमि आबंटित किए जाने का हकदार होगा और सिंचाई की सुविधाएं उस राज्य द्वारा दी जाएंगी जिसके राज्य-क्षेत्र के भीतर आबंटित क्षेत्र स्थित है। यह भूमि विस्थापित कुटुम्ब को, यदि वह चाहे तो, अन्तरित कर दी जाएगी। उसके लिए प्रभावित कीमत वह होगी जो गुजरात और सम्बद्ध राज्य के बीच तय की जाएगी। भूमि के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत में से, विस्थापित कुटुम्ब को अर्जित भूमि के प्रतिकर के रूप में उसे दी जाने वाली रकम का 50 प्रतिशत, संदाय की आरम्भिक किस्त के रूप में, मुजरे कर लिया जाएगा। आबंटित भूमि की अतिशेष रकम आबंटिती से 20 वार्षिक किस्तों में ब्याज रहित रूप में, वसूल की जाएगी। यदि भूमि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में आबंटित की जाती है और गुजरात उसके लिए भुगतान कर देता है तो आवंटित भूमि के लिए वसूलियां गुजरात के खाते में जमा की जाएंगी।

विवरण-2

विकास योजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास के लिए विशेष छूट तथा सुविधाओं हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों की मुख्य बातें

विस्थापित आदिवासियों के सफल पुनर्वास के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाए :—

(1) किसी भी हालत में भूमि के लिए पूरे मुआवजे का भुगतान किये बिना आदिवासियों को बेदखल न किया जाये।

(2) विभिन्न सुरक्षात्मक कानूनों के संचालन को ध्यान में रखते हुये, भूमि में खुला लेन-देन बहुत नहीं है तथा किसी भी स्थिति में, इसके बाजार भाव अथवा इसकी क्षमता का सूचक नहीं है। अतः अपेक्षित भूमि के लिये आदिवासियों को मुआवजे की संतोष-

जनक राशि प्रदान करने के लिये एक नये फार्मूले को तैयार करने की आवश्यकता है। अन्य बातों के साथ-साथ यह पूंजीगत आय मूल्य पर आधारित हो सकती है। मुआवजे की राशि को बैंकों में विशेषकर दीर्घावधिक डिपाजिट में जमा कराई जा सकती है ताकि आदिवासी परिवार इस राशि से न्यूनतम आय प्राप्त कर सकें। यदि आदिवासी परिवार मुआवजे की राशि से कहीं और भूमि खरीदने की अभिरुचि दर्शाता है, तो उसे प्रशासन द्वारा ऐसा करने के लिये सहायता दी जानी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इस विकल्प से उसकी आय का सतत साधन बन जायेगा।

(3) अधिग्रहण के लिये आपात उपायों को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त "सार्वजनिक प्रयोजन" की समुचित व्याख्या की जानी चाहिये और भूमि के अत्यधिक अधिग्रहण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिएं।

(4) आदिवासियों के पुनर्वास का सबसे कारगर उपाय जीवन निर्वाह के साधन के रूप में उनको भूमि उपलब्ध कराना है। यदि आदिवासी परिवार को हुई भूमि की क्षति को वैकल्पिक भूमि द्वारा पूर्णतया पूरा नहीं किया जा सकता, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कुछ भूमि अवश्य दी जाये ताकि परिवार का अपने परम्परागत व्यवसाय से पूर्ण रूप से उन्मूलन न हो।

(5) राज्य सरकारें महाराष्ट्र कानून की तरह कानून बना सकती हैं जिसमें सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के कारण विस्थापित परिवार को परियोजना के कमान क्षेत्र में भूमि प्रदान करने की व्यवस्था है।

(6) स्थानीय समुदायों के वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक रूपरेखा, परिप्रेक्ष्य विकास तथा उनकी विद्यमान निपुणता और स्थिति के मान विज्ञान और समावेशन क्षमता को ध्यान में रखते हुये उनके व्यवस्थापन की परियोजना रिपोर्ट काफी पहले से तैयार की जानी चाहिये।

(7) जहां तक संभव हो विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि समुदाय के रूप में किया जाना चाहिये। संवेदनशील अधिकारियों द्वारा जिन्हें विशेष रूप से यह कार्य सौंपा जाये, अग्रिम आयोजना की जानी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में अतिरिक्त वित्तीय व्यय की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(8) यदि भूमि नहीं दी जा सकती तो आदिवासी परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार पर लगाया जाना चाहिये जिससे कि परिवार उन दबावों से बच सके जिससे इसका उन्मूलन हो सकता है। इसको सुनिश्चित करने के लिये परिवारों के सदस्यों को पहले तो परियोजना में काम पर लगाया जाये और यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित

प्रशिक्षण के लिये भेजा जाये। परिस्थितियों में यथोपेक्षित आवश्यक शैक्षणिक ज्ञान का प्रबंध भी किया जाना चाहिये। यदि सभी विस्थापित परिवारों को परियोजना में नहीं लगाया जा सकता तो अन्य साथ की परियोजनाओं तथा राज्य सरकारों में उनके लिये रोजगार ढूंढने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये।

(9) वित्तीय सहायता में मदद तथा प्राप्त करना, विपणन निर्गमों, कच्चे माल की आपूर्ति आदि के अनुसरण सहित उद्यम निपुणताओं के प्रशिक्षण का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये।

(10) ऐसे नव-स्थापित पुनर्वास केन्द्रों के लिये सुरक्षित आपूर्ति स्कीम से पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

(11) जिन विस्थापित परिवारों के मकानों का भी अधिग्रहण किया गया हो, ऐसे परिवारों के लिये निःशुल्क गृह स्थलों की व्यवस्था किसी भी पुनर्वास स्कीम का एक अंग होनी चाहिये। सामुदायिक प्रयोजनों के लिये पर्याप्त जगह सहित प्रत्येक परिवार को विधिवत् विकसित आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

(12) कम से कम एक प्राथमिक स्कूल भवन, एक ग्राम चावदी अथवा चौपाल, चिकित्सा केन्द्र आदि की व्यवस्था आवश्यक है।

दूध के उत्पादन में लगी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

*866. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में दूध और दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में लगी सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रबंध भारतीय ही करते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समय दूध और दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में लगी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिकों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इन कम्पनियों को "आपरेशन फ्लड" के कारण कोई नुकसान हो रहा है और वे अपना खूब प्रचार कर रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) भारत में विदेशी भागीदारी वाली निम्नलिखित कम्पनियां दुग्ध उत्पादों / माल्टयुक्त आहारों के विनिर्माण में कार्यरत हैं :

(1) मैसर्स एच० एम० एम० लिमिटेड,

(2) मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इण्डिया) लिमिटेड,

(3) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड,

(4) मैसर्स हिन्दुस्तान कोकोआ प्राडक्टस लिमिटेड
(इसका नाम पहले कैडबरीज इण्डिया लिमिटेड था)

(5) मैसर्स फूड स्पेसलिटीज लिमिटेड।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड को छोड़कर अन्य सभी 4 कम्पनियों में 40 प्रतिशत विदेशी भागीदारी है। मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में विदेशी भागीदारी 51 प्रतिशत है। ये सभी कम्पनियां पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं तथा इनका प्रबन्ध निदेशक मण्डल द्वारा जिसमें भारतीय एवं विदेशी भी शामिल होते हैं, किया जा रहा है।

(ग) कम्पनियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तथा सरकार को कथित प्रचार के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

1976 में पंजीकरण करने वाले व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन

*867. **श्री अनवार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के उन व्यक्तियों को अभी कुछ मकानों का आवंटन करना है जिन्होंने 1976 में अपना पंजीकरण कराया था और धरोहर राशि के रूप में 4500 रुपए की राशि जमा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या 1976 में नयी पंजीकरण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हुये व्यक्तियों के लिए शालीमार बाग-बी में बने कुछ फ्लैटों का ड्रा 24 मार्च, 1982 (दिवाली-81 का ड्रा) को निकाला गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन फ्लैटों के विशिष्ट आवंटन के लिए भी ड्रा निकाल लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो दो वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ऐसा न करने के क्या कारण हैं और उक्त विशिष्ट आवंटन ड्रा० कब तक निकाले जाने की सम्भावना है तथा उन फ्लैटों की लागत तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) निर्माण में कुछ बिलम्ब के कारण, विशिष्ट लाटरी नहीं निकाली जा सकी। अब ये फ्लैट पूर्ण होने की अन्तिम अवस्था में हैं। लाटरी शीघ्र ही निकाली जाएगी और फ्लैटों की वास्तविक लागत का हिसाब फ्लैटों के बन जाने पर ही लगाया जाएगा।

पुष्प विकास बोर्ड

*870. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुष्प विकास बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत में पुष्पोत्पादन का विकास अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। वर्तमान स्तर पर राष्ट्रीय पुष्पोत्पादन बोर्ड पुष्पोत्पादन की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है।

शुद्ध जल पाने वाले गांवों का निरीक्षण करने वाला दल

*872. **श्री छीतु भाई गामित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह पता करने के लिए किसी दल का गठन किया है या कोई दल भेजा है कि गांवों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेय जल संबंधी योजना के अन्तर्गत शुद्ध पेय जल उपलब्ध होता है या नहीं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निरीक्षण दलों का गठन करने का है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (चौ बूटा सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने उन समस्याग्रस्त ग्रामों के प्रबोधन तथा निरीक्षण के लिए किसी विशेष निरीक्षण दल का गठन नहीं किया है जहां पेय जल सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन और इस मन्त्रालय के अधिकारीगण जब कभी भी सम्भव होता है, ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं।

छठी योजना के दौरान छोटे किसानों को राज सहायता

*873. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रभावी आयोजना तथा विभिन्न एजेंसियों में समन्वय की कमी के कारण छोटे किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई सहायता नहीं मिली है ;

(ख) छठी योजना के दौरान छोटे किसानों को ऋण तथा राज सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध होने की संभावना है ; और

(ग) छोटे किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष योजनाएं हैं ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)। (क) जी नहीं। कुछ राज्यों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि छोटे किसानों के खेतों पर आधुनिक आदानों के उपयोग तथा उनकी उत्पादकता की तुलना बड़े किसानों के आधुनिक आदानों के उपयोग तथा उनकी उत्पादकता से की जा सकती है।

(ख) छठी योजना के 5415 करोड़ रुपये के कृषि ऋण के लक्ष्य का पचास प्रतिशत भाग समाज के कमजोर वर्गों को, जिसमें छोटे किसान भी शामिल हैं, मिलने की आशा है। 1983-84 में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता देने से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय शेयर के रूप में 85 करोड़ रुपये की अनुदान राशि निर्मुक्त की है। समेकित ग्रामीण विकास पद्धति के अन्तर्गत अपेक्षित विभिन्न अवयवों पर अनुदान राशि को उपयोग करने के लिए बराबर ऋण का प्रबन्ध राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहकारी संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जाना था।

(ग) छोटे किसानों को सहायता देने के लिए विशेष योजनाएं निम्नलिखित हैं :

(1) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना ;

(2) सिंचाई प्रयोजन के लिए फव्वारों, डिप पद्धति, सोलर पम्पों, पवन चक्कियों, हाईड्रामों, वाटर टरबाइनों, मानव तथा पशु प्रचालित पम्पों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।

(3) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम।

(4) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

1983 में विदेश भेजे गये कुश्ती दल का खेल प्रदर्शन

*875. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेसलिंग फैडरेशन आफ इंडिया ने 1983 में कितने दलों को विदेश भेजा था और उनका खेल प्रदर्शन कैसा रहा ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया के शासकीय रिसीवर को मान्यता दे रही है और उससे सहयोग कर रही है ; और

(ग) राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो दिल्ली में होनी थी, को अचानक रोक देने के कारण क्या हैं जबकि उसकी तैयारियां नवम्बर, 1983 से चल रही थी ?

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (ग) विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वर्ष 1983 के दौरान भारतीय कुश्ती संघ द्वारा चार कुश्ती टीमें भेजी गई थी। टीम जिसने मिसौला (यू० एस० ए०) में विश्व स्कूल बाल समारोह (एफ० आई० एल० ए० कैडेट फैस्टिवल) में भाग लिया था, उसने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। टीम प्रतियोगिता में 13-14 वर्ष की आयु-वर्ग की टीम ने द्वितीय स्थान और 15-16 वर्ष आयु-वर्ग की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एक अन्य टीम ने ओक लान (यू० एस० ए०) में जूनियर विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में एक कांस्य पदक जीता। टीम जिसने तेहरान में तीसरे एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया था उसने 1 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक जीते और उसने टीम प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। टीम जिसने यूलान वेटर (मंगोलिया) में अन्तर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया था से संबंधित खेल प्रदर्शन रिपोर्ट भारतीय कुश्ती संघ से प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार स्वभावतः भारतीय कुश्ती संघ के लिए आफीशियल रिसीवर की नियुक्ति के न्यायालय आदेश का आदर करती है। यद्यपि प्रश्नास्पद प्रतियोगिता आयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार को आफीशियल रिसीवर से प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि अब आफीशियल रिसीवर ने सूचित किया है कि भारतीय कुश्ती संघ की ऐसी प्रतियोतिता आयोजन की योजना थी किन्तु यह आयोजित नहीं की गई थी, क्योंकि भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगिता मान्यता प्राप्त नहीं थी।

उत्तर प्रदेश में स्वःनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राईसेम)

*876. **श्री हरीश रावत :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण युवकों के लिए प्रायोजित स्वः नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अंतर्गत 1983-84 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को उत्तर प्रदेश में प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1983-84 के दौरान कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसके आरंभ से लेकर अब तक प्रशिक्षण पाने वाले कितने युवक अपने स्वयं के उद्यम चला रहे हैं ; और

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना (ट्राईसेम) के अंतर्गत प्रति खण्ड औसतन 40 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने का वार्षिक लक्ष्य है। 1983-84 हेतु उत्तर प्रदेश के लिए 35040 ग्रामीण युवकों का लक्ष्य है। वर्ष 1983-84 के दौरान; फरवरी, 1984 तक ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना (ट्राईसेम) के अंतर्गत 31,448 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। फरवरी, 1984 तक प्रशिक्षण पर 156.85 लाख रुपये की धनराशि के व्यय होने की सूचना मिली है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के अंतर्गत इसके आरम्भ से लेकर फरवरी, 1984 तक 59,946 युवकों के स्व-नियोजित होने की सूचना मिली है।

(घ) उत्तर प्रदेश में 'ट्राईसेम' के अंतर्गत वर्ष 1984-85 के लिए 35,040 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था करने हेतु उड़ीसा को वित्तीय सहायता

*877. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था करने के लिए उड़ीसा को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत धनराशि वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या समस्त मांग को पूरा करने के लिए इस सम्बन्ध में कोई नयी नीति बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) आवास राज्य का

विषय होने के कारण, सभी आवास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। योजना के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों एवं समेकित अनुदानों के रूप में दी जा रही है। तथापि, ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में है और केन्द्रीय सरकार इस योजना का प्रबोधन कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठेगा।

उत्तर प्रदेश को खाद्य तेल का आवंटन

*879. **श्री रामअवध** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की खाद्य तेल की पृथक-पृथक कितनी मांग थी; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य को कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आवंटन किया गया और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) तेल वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान उत्तर प्रदेश की मांग, तेलवार आवंटन तथा उठाई गई मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मात्रा मी० टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर तक)	राज्य सरकार द्वारा की गई मांग	आवंटन		उठाई गयी मात्रा	
		ताड़ का तेल	रेपसीड तेल	ताड़ का तेल	रेपसीड तेल
1981-82	42,000	19,350	10,056	12,565	9,351
1982-83	42,000	20,790	8.830	20,790	6,686

नार्थ अंडमान प्रोजेक्ट आफ फारेस्ट डेवलेपमेंट एण्ड प्लांटेशन कारपोरेशन

*880. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि मंत्री** लिटिल अण्डमान में प्लाई वुड फैक्टरी के बारे में 19 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4276 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की नार्थ अण्डमान प्रोजेक्ट आफ फारेस्ट डिवलपमेंट एण्ड प्लांटेशन कारपोरेशन की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) सरकार उत्तरी अन्दमान परियोजना से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

तालाब मछली बीमा योजना

*881. **श्री के० प्रधानी** :

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन में लगे कई हजार मछली उत्पादकों और मछुवारों के लाभ के लिए उनके तालाबों और सरोवरों में मछली के अंडों और मछली की पूर्ण हानि की भरपाई करने के लिए तालाब मछली बीमा योजना शुरू कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब शुरू किए जाने की सम्भावना है, और

(ग) इस योजना को किस एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) इस समय सरकार तालाबों तथा सरोवरों में मछली तथा मछली के अण्डों को हानि की भरपाई हेतु बीमें की व्यवस्था के लिए मछुवारों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार के बीमें की व्यवस्था कुछ सामान्य बीमा कम्पनियों से प्राप्त हो सकती है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजसहायता की धनराशि

*883. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के विभिन्न विभाग समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जाने वाली राजसहायता की राशि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय बैंकों को समय पर उपलब्ध नहीं कराते हैं और इसके परिणामस्वरूप इसके लाभार्थी इस कार्यक्रम का यथा समय लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या का अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ;

(घ) क्या विभिन्न बैंकों को राजसहायता की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय और सीधे सम्पर्क वाली एजेंसी की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) पहले कुछ शिकायतें मिली थीं कि बैंकों को आर्थिक सहायता की राशि समय पर नहीं दी जाती है और अग्रिम आर्थिक सहायता की राशियां बहुत समय तक वाणिज्यिक बैंकों में समायोजित किए बिना रह जाती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, अब सभी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से कहा गया है कि वे बैंक की प्रमुख शाखा में बचत बैंक खाता खोलें और बैंक को प्राधिकृत करें कि वह ऋणों के वितरण के वितरण के समय देय आर्थिक सहायता को बचत बैंक खाते में सामायोजित करें। शुरू में ये हिदायतें फरवरी, 1982 में जारी की गई थीं और बाद में इन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए फिर जारी किया गया था कि आर्थिक सहायता के दिए जाने में किसी प्रकार की देरी न हो।

(घ) व (ङ) इस समय, एक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पहले से ही है, जो भाग (क), (ख) व (ग) के उत्तर में वर्णित ढंग से बैंकों को आर्थिक सहायता देती है। किसी अन्य एजेंसी की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

अमूल दूध की बिक्री

9257. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व में सामान्य मापदंडों के विरुद्ध अमूल मिल्क कारपोरेशन पिछले 30 वर्षों से अपने उत्पादों का गैर-सरकारी विदेशी स्वामित्व वाले वितरकों के माध्यम से और हाल ही में बम्बई में गैर सरकारी व्यापारियों के माध्यम से अत्यधिक दामों पर विपणन करता रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमूल के गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा कच्चा दूध 6-7 रुपये प्रति लिटर की दर से बेचा जा रहा है जिसके लिए किसानों को 3 रुपये प्रति लिटर से भी कम दाम मिलता है ;

(ग) क्या अमूल और इन्दौर डेरियों द्वारा बम्बई में "टेटरा" मिल्क 6-20 रु० प्रति लिटर की दर से बेचा जा रहा है जबकि परियोजना प्रस्तावों में सरकार द्वारा इसकी कीमत 4-20 रु० प्रति लिटर निर्धारित की गई थी; और

(घ) क्या अमूल एन० डी० डी० बी० की सहायता से "फील्ड ट्रायल" के बहाने से निमित रूप से हाइड्रोजन पेराआक्साइड मिला रहा है, जो शिशुओं, गलगण्ड के मामलों के लिए हानिकारक

है और अवैध भी है और यदि हां, तो कौन-सी कानूनी कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अमूल द्वारा किसी गैर-सरकारी वितरक के माध्यम से कच्चे दूध का विपणन कभी नहीं किया गया। अमूल ने अपने दुग्ध उत्पादों के विपणन हेतु वोल्टास और स्पेंसर जैसी कम्पनियों का उपयोग किया है। उन्होंने पहले ही स्पेंसर से सम्बन्ध तोड़ दिया है और वोल्टास को संविदा समाप्ति के लिए नोटिस दे दिया है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने, जो अपने सारे सदस्य गुजरात सहकारी डेरियों के उत्पादों का विपणन करता है, अब सारे देश में गोदामों और शाखाओं का अपना तन्त्र स्थापित कर लिया है और बहुत जल्दी ही सभी प्रकार के अपने दुग्ध उत्पादों का सीधे ही वितरण शुरू कर देगा।

(ख) अमूल डेरी बम्बई में किसी प्रकार का कच्चा दूध विक्रय नहीं करती।

(ग) भारत सरकार टैट्रापाक में बिक्री हेतु दूध के लिए किसी मूल्य की स्वीकृति नहीं देती। सम्बन्धि राज्य डेरी महासंघ ही मूल्य निर्धारित करते हैं।

(घ) जी नहीं।

बम्बई में टेट्रापाक परियोजना

9258. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **कषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेट्रापाक परियोजना बम्बई में पूरी तरह असफल रही है ;

(ख) क्या एल. डी. पी. ई. तथा कागज का आयात किया जाना है ;

(ग) क्या सरकार, फिनलैंड की ऐसी मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद जिनके लिए कागज की जरूरत नहीं होती, दुर्लभ कागज की आवश्यकता वाली टेट्रा-परियोजना शुरू करने के कारण बतायेगी ; और

(घ) क्या टेट्रापाक परियोजना में 10 लाख लीटर दूध की प्रतिदिन की अधिष्ठापित क्षमता होगी जबकि सभी महानगरों में दूध की कमी के मौसम में दूध की कुल खरीद लगभग 10 लाख लीटर प्रतिदिन है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं। परियोजना के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही।

(ख) जी नहीं।

(ग) फिनलैण्ड मशीनों से पोलेथिन थैलियों में दोषरहित दूध की पैकिंग का देश में अभी परीक्षण किया जाना है।

(घ) टेट्रापाक दूध की पैकिंग दुग्ध क्षेत्रों के पास स्थित डेरियों द्वारा की जायेगी। ऐसी चार डेरियाँ, जिनकी प्रत्येक की प्रति दिन एक लाख लीटर दूध पैक करने की क्षमता है, सूरत, इन्दौर, जयपुर और संगम (आंध्र प्रदेश) में स्थापित की गयी हैं। महा नगरीय डेरियों द्वारा की जाने वाली खरीद का टेट्रापाक दूध की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में विधि सहायकों की भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया

9259. **श्री भोखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में वर्ष 1979 में विधि-सहायक की भर्ती हेतु अपनाई गई प्रक्रिया संबंधी मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) इस समय विधि सहायक के कितने पद खाली पड़े हैं ;

(ग) क्या प्राधिकरण ने विधि-सहायक के पद पर भर्ती की पिछली प्रक्रिया में परिवर्तन किया है ;

(घ) यदि हां, तो प्राधिकरण इस परिवर्तन प्रक्रिया द्वारा वरिष्ठतम विधि स्नातक कर्मचारियों को इस पद से क्यों वंचित कर रहा है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 1979 में उनके मुख्य कानूनी सलाहकार की अध्यक्षता में जांच समिति द्वारा विधि स्नातकों की जाँच के बाद तैयार की गई सूची के आधार पर विधि सहायकों के पदों पर नियुक्तियां की गई थीं।

(ख) तीन।

(ग) विस्तृत चुनाव की दृष्टि से रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र विभागीय उम्मीदवारों के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोजगार कार्यालय से भी प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पात्र विभागीय उम्मीदवारों को भी विधि सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को भरा जाना

9260. **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम विभाग में जनवरी, 1980 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे को नहीं रखा गया है ;

(ख) वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 में कितने पद खाली थे अथवा भरने के लिए बनाए गए थे और उनमें से कितने पदों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किया गया ;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदावारों से कितने आरक्षित पदों को भरा गया है ; और

(घ) यदि सभी आरक्षित पदों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों से नहीं भरा गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम में भर्ती, पदोन्नति आदि के बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों को सुरक्षित करने के लिए विहित कार्यविधि का अनुसरण किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) 1980 से 1983 के वर्षों के दौरान सृजित किए गए पदों की संख्या नीचे दी जाती है :—

1980	564
1981	500
1982	291
1983	2299

रिक्त पदों के विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं । आरक्षित किए गए और भरे गए पदों को संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

(घ) उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने जैसे कारणों से आरक्षित पदों को भरना हमेशा सम्भव नहीं हुआ है । तथापि, विहित अनुदेशों के अनुसार पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं ।

विवरण

आरक्षित/भरे गए पदों के ब्यौरे

सभी श्रेणियों के लिए

सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद

वर्ष	के लिए आरक्षित पद		द्वारा भरे गए पद	
	अ० जा०	अ० ज० जा०	अ० जा०	अ० ज० जा०
1980	160	265	60	10
1981	48	25	41	8
1982	93	126	80	29
1983	94	54	141	34

पदोन्नति द्वारा भरे गए पद

1980	276	162	461	100
1981	165	119	240	90
1982	194	60	174	146
1983	524	248	747	250

नोट : पिछली बची रिक्तियों को भरने के कारण आरक्षित पदों की तुलना में अधिक पद भरे गए थे।

उर्वरकों के मूल्यों पर राजसहायता का प्रभाव

9261. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों, छोटे और सीमान्त किसानों तथा विभिन्न राज्य सरकारों को दी जाने वाली राज-सहायता का हिसाब लगाया है और उर्वरकों के मूल्यों पर इसके प्रभाव का आक्कलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजसहायता के घटक को युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि इस संबंध में सभी कदाचारों को समाप्त किया जा सके तथा बिक्री और वितरण के लिए उचित और संगत मूल्य तन्त्र की स्थापना की जाए ताकि कृषि उत्पादन और किसानों के लाभ को बढ़ाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार द्वारा किसानों के लिए उर्वरकों की निर्धारित कीमतों में केन्द्र द्वारा/राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी राजसहायता को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

(ख) ठीक और उचित मूल्यों पर किसानों को उर्वरकों उपलब्धि को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिकतर उर्वरकों के अधिकतम विक्रय मूल्य आवश्यक जिस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत संवैधानिक रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करना उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नयी दिल्ली नगर पालिका के झाल गृहों में रहने वाले बच्चे

9262. **श्री बज मोहन महन्ती** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह कल्याण केन्द्र ने अभी हाल ही में निर्णय किया है कि राजधानी में विभिन्न

स्थानों पर इसके बाल गृहों में दिन के समय में रहने वाले बच्चों की आयु 7 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी जाए ;

(ख) क्या यह सुविधा नयी दिल्ली नगर पालिका के बाल गृहों में ठहरने वाले बच्चों को भी दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जैसा कि नयी दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि अपने शिशु केन्द्रों में यह सुविधा देना उनके लिए सम्भव नहीं है क्योंकि 7 वर्ष तक की आयु के बच्चों से उनके शिशु केन्द्रों की क्षमता पहले ही पूर्ण है । उन्होंने आगे यह भी बताया है कि नयी दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में भूमि/आवास की अनुपलब्धता के कारण अपने शिशु केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाना, नये शिशु केन्द्र खोलना उनके लिए सम्भव नहीं है ।

विकलांगों को माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इन्डिया) का "स्टाकिस्ट" नियुक्त करना

9263. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में विकलांग व्यक्तियों को स्टाकिस्टों के रूप में नियुक्त करने में सहायता देने के लिए उन्हें अपना सहयोग दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो विकलांगों के अलावा अन्य व्यक्तियों को स्टाकिस्टों के रूप में नियुक्त करने के लिए माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के फ्रूट जूस डिवीजन द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ;

(ग) दिल्ली में नियुक्त किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या विकलांग बच्चों और अवयस्कों को भी अपने स्कूल के समय के अतिरिक्त समय में फ्रूट जूस ड्रिंक, डबलरोटी आदि अन्य उत्पादों की सप्लाई करके अपनी आजीविका कमाने योग्य बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) स्टाकिस्टों/थोक विक्रेताओं की नियुक्ति माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया), लि०

द्वारा स्वयं की जाती है । कम्पनी ने इस संबंध में विकलांग व्यक्तियों को अभी तक कोई तरजीह नहीं दी है।

(ख) कम्पनी द्वारा अपने फल के पेयों के लिए स्टाकिस्टों/थोक विक्रेताओं की नियुक्ति करने के लिए अपनायी गई प्रमुख कसौटी निम्न प्रकार है :—

(1) वित्तीय सुदृढ़ता ।

(2) साफ्ट ड्रिंक्स के वितरण का अनुभव ।

(3) अच्छे विपणन जाल, पर्याप्त भण्डारण स्थान और वितरण के लिए परिवहन प्रबंध जैसी अपेक्षित सुविधाओं का होना ।

कम्पनी विकलांगों के बारे में भी इसी कसौटी को लागू करती है ।

(ग) कम्पनी ने इस समय अपने फल के पेयों के लिए दिल्ली में एक विकलांग व्यक्ति को थोक विक्रेता नियुक्त किया है ।

(घ) और (ङ) जी नहीं ।

पीतमपुरा में खेल के मैदान के स्थान पर सेप्टिक टैंक का निर्माण

9264. **श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डी-उत्तरी पीतमपुरा में खेल के मैदान/पार्क की व्यवस्था को रद्द कर दिया है और सीवर का पानी जमा करने के लिए एक खुले सेप्टिक टैंक का निर्माण आरम्भ कर दिया है;

(ख) इस परिवर्तन के कारण क्या हैं और क्या यह निर्णय लेते समय गन्दे पानी के इस खुले टैंक का स्थानीय निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया गया है और क्या निवासियों का भी परामर्श लिया गया था;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण निवासियों के स्वास्थ्य और रिहायशी कालोनी, जिसका नीलामी के समय दिखाए गए मानचित्र के अनुसार विकास किया गया था, के वातावरण को होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति देगी;

(घ) क्या निवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से निर्माण रोकने और इसे किसी दूर के स्थान पर ले जाने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) पश्चिमी यमुना नहर वितरिका के नजदीक तथा जिला हरित क्षेत्र के समीपस्थ खेल के मैदान के लिए उद्दिष्ट भूमि का उपयोग दिल्ली विकास प्राधिकरण से मल निर्यास के लिए अस्थायी उपाय के रूप में आक्सीकरण तालाब के निर्माण में किया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आस-पास के क्षेत्र का पर्यावरणीय तथा निवासियों के स्वास्थ्य के पहलुओं को ध्यान में रखकर इस आक्सीकरण तालाब के स्थान निर्धारण का निर्णय लिया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) : आक्सीकरण तालाब पूर्ण हो गया है और शीघ्र ही चालू हो जायगा। तथापि, यह एक अस्थायी उपाय है।

खेलों के विकास का प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारियों की विदेश यात्रा

9265. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान खेलों के विकास और उनके प्रबन्ध के संबंध में प्रशिक्षण अथवा अन्य आवश्यक मार्गनिर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा कुछ प्रशिक्षकों की विदेश यात्रा की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनकी यात्राओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मत्स्य पालन के लिए गंगा में जल-गड्ढों का अध्ययन

9266. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी के विस्तृत जल मार्गों में विद्यमान जल गड्ढों जैसी बहुत-सी छोटे आकार की झीलों और गांवों में उपलब्ध जोहड़ों के संबंध में कोई अध्ययन किया है; यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में अब तक मत्स्य पालन के आधुनिक तरीकों का विकास नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार के सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास के लिए कोई परियोजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गंगा बेसिन में नदियों के बदलते बहाव के कारण बने बड़े और छोटे आकार के जलाशयों का पारिस्थितिकी संबंधी अध्ययन विभिन्न अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। इन जलाशयों और गांव के तालाबों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आधुनिक वैज्ञानिक जलकृषि के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मात्स्यकी विकास की योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा स्विटजरलैण्ड की सहायता से डेरी विकास परियोजना प्रतिवेदन

9267. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा उड़ीसा में गंजम, सुन्दरगढ़ और संबलपुर जिलों के लिए स्विटजरलैण्ड की सहायता से डेरी विकास परियोजना, प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना को मंजूरी देने तथा 20 सूत्री-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था तथा मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने स्वीश विकास निगम की सहायता से गंजम, सुन्दरगढ़ तथा सम्बलपुर जिलों में डेरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 774.17 लाख रुपए की निवेश वाली एक व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार की थी। प्रारम्भ में परियोजना को केवल गंजम जिले में ही क्रियान्वित करना उचित समझा गया था। राज्य सरकार ने गंजम जिले में डेरी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गयी 409.40 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली उप-परियोजना का ब्यौरा पेश किया हैं। इस मामले को राज्य सरकार के पास वापस भेजा गया है जिसमें योजना आयोग द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

योजनाओं तथा कार्यक्रमों को समग्र बनाने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किए गए उपाय

9268. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में योजनाओं और कार्यक्रमों को एक एजेंसी अर्थात् जिला ग्रामीण विकास

एजेंसियों के अन्तर्गत लाने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या "समेकित" शब्द का तात्पर्य प्रत्येक खण्ड विशेषरूप से आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में विभिन्न विकासीय कार्यक्रमों को एक एजेंसी के अन्तर्गत लाना है, तो अब तक कार्यान्वयन के लिए किस प्रकार का समेकन किया गया है ;

(ग) यदि ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों को समेकित करना है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अपनाए गए "समेकित" शब्द के माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाने में क्या कठिनाइयों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां मुख्यतः केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए है । इसे उड़ीसा में पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है । जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम में भी समन्वय है । इस तरह सभी कार्यक्रमों को समेकित करना सम्भव नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य और दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित वर्ग के लाभभोगियों को सभी सेवाएं एक एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें अलग-अलग एजेन्सियों के पास न जाना पड़े । इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास खण्डों में कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों को समेकित किया जाए ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता फार्मूला

9269. **श्री भीखाभाई** क्या : **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोहरा मंहगाई भत्ता फार्मूला अपना लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस फार्मूला को अपनाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के मंहगाई भत्ता फार्मूले के लिए आन्दोलन किया जा रहा है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एस० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकार की स्वीकृति से श्रेणी iii और iv के कर्मचारियों के लिए साथ-साथ औद्योगिक मंहगाई भत्ता निर्धारित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक वेतन समिति नियुक्त की गई है । इन कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर महंगाई भत्ता अदा किया जा रहा था । श्रेणी—I और श्रेणी—II के कार्यकारियों के

लिए औद्योगिक महंगाई भत्ते को अपनाने विषयक प्रश्न के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ निकाय वेतन में वृद्धि होने तक केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते के आधार पर महंगाई भत्ते की किश्तों के लिए मांग कर रहे हैं।

धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव

9270. **श्री के० प्रधानी :**

श्री के० ए० स्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान उत्पादक राज्यों ने 1984-85 के सत्र के लिए धान के समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच सरकार ने इस बारे में कृषि मूल्य आयोग से परामर्श कर लिया है ;

(ग) इस मामले में आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो वह क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार धान की बुवाई से पहले ही अपना निर्णय घोषित कर देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मूल्य आयोग के साथ विचार-विमर्श करते समय धान उगाने वाले अधिकांश राज्यों ने सुझाव दिया कि 1984-85 मौसम के लिए धान का अधि-प्राप्ति मूल्य 1983-84 मौसम के लिए निर्धारित किए गए मूल्य स्तर की तुलना में ऊंचे हों।

(ख) से (ङ) कृषि मूल्य आयोग 1984-85 मौसम के लिए धान संबंधी मूल्य नीति पर अपनी राय तैयार कर रहा है और उसने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार राज्य सरकारों, संबंधित आर्थिक मन्त्रालयों तथा योजना आयोग से परामर्श करेगी और इस संबंध में यथा शीघ्र निर्णय करेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की संख्या

9271. **श्री मनोरंजन भगत :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियरों, (सिविल और इलेक्ट्रिकल),

सुपरिनटेंडिंग इंजीनियरों, एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों, असिस्टेंट इंजीनियरों और जूनियर इंजीनियरों की वर्तमान संख्या (कार्यरत और स्वीकृत अलग-अलग) कितनी है ;

(ख) क्या श्रेणी एक, दो और तीन इंजीनियरों के संवर्ग की वर्तमान संख्या की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने ई० ए० से ए० सी० के पदों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों और ई० ए० से सी० ई० के पदों को सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों में से भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ; और

(घ) यदि हां, तो जूनियर इंजीनियरों के असिस्टेंड इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति में अवरोध को किस प्रकार दूर किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) विभिन्न ग्रेडों की वर्तमान संख्या इस प्रकार है :

	स्वीकृत संख्या	कार्यरत
मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर-I)	8	7
मुख्य इंजीनियर (सिविल) (स्तर-II)	8	8
अधीक्षक इंजीनियर (सिविल)	65	63
कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	356	323
सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	123	67
सहायक इंजिनियर (सिविल)	1164	1193
कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	4185	3899
मुख्य इंजीनियर (विद्युत) (स्तर-I)	1	1
मुख्य इंजीनियर (विद्युत) (स्तर-II)	1	1
अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत)	18	18
कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत)	98	98
सहायक कार्यपाल इंजीनियर (विद्युत)	32	22
सहायक इंजीनियर (विद्युत)	404	398
कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत)	1625	1603

(ख) समूह "क" सेवाओं के बारे में संवर्ग समीक्षा का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है चूंकि यह केवल विचाराधीन स्तर पर है, इसलिए ब्यौरे नहीं बताए जा सकते हैं। समूह "ख" के संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव अभी नहीं बनाए गए हैं।

जहां तक समूह "ग" का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा अगस्त, 1982 में गठित विशेष समिति ने संवर्ग समीक्षा की है किन्तु चतुर्थ वेतन आयोग के गठन को मद्देनजर रखते हुए उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) समूह 'ख' सेवाओं के संवर्ग समीक्षा में इसका ध्यान रखा जाएगा । फिलहाल, सहायक इंजीनियर के पद पर कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति सहायक इंजीनियरों के पद के लिए भर्ती नियमों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है ।

नयी दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में क्लोरीन रहित पानी की सप्लाई

9272. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा नयी दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों को 52 नलकूपों के क्लोरीन रहित पानी को जल प्रदाय संस्थान के संसाधित जल के साथ मिलाकर सप्लाई किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्लोरीन रहित जल जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, की सप्लाई रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजना के लिए धनराशि की कमी

9273. **श्री सनत कुमार मंडल** : **क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु, बजट प्रावधान बढ़ाने में इस राज्य सरकार की असमर्थता की स्थिति में भी मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में केन्द्र की जिम्मेदारी कम किये जाने के कारण पश्चिम बंगाल अपने सिंचाई योजना लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के प्रति केन्द्र की इस उदासीनता के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वह पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधा पैदा करने के लक्ष्य से बनाई गई लघु किसानों की विकास एजेंसी परियोजनाओं हेतु धनराशि उपलब्ध करायेंगे ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई एक

राज्य विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में होती है और वह किसी परियोजना या विकास के सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं होती। 1984-85 के लिए पश्चिम बंगाल की वार्षिक योजना पर कार्यकारी दल के विचार-विमर्शों के अनुसार छठी योजना के दौरान सिंचाई सेक्टर के लिए 390.50 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के प्रति प्रत्याशित परिव्यय लगभग 240 करोड़ रुपए हैं तथा राज्य के लिए कुल मिलाकर अनुमोदित योजना परिव्यय 3,500 करोड़ रुपये है।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु छोटे किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए संचालित स्कीम के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति ब्लाक आबंटन 5 लाख रुपए होगा जिसमें से 3.50 लाख रुपये एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के पैटर्न पर सबसिडी सहित लघु सिंचाई स्कीमों के लिये उपलब्ध होंगे। यह राशि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आधी-आधी वहन किये जाने का प्रस्ताव है।

वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि

9274. **श्री रामलाल राही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वनस्पति के मूल्य फिर बढ़ना शुरू हो गये हैं ;

(ख) क्या वनस्पति (डालडा) के एक टीन का वर्तमान मूल्य 200 रु० है जबकि इसके वितरक स्टाकिस्ट इसके विक्रेताओं से प्रति टीन 242 रुपये लेते हैं और फिर विक्रेता उसे खुले बाजार में उक्त मूल्य से 7 रुपये अधिक पर बेच रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण के अनुसार 16.5 कि० ग्रा० के वनस्पति घी के एक टीन का कारखाना मूल्य 217/-रु० नियत किया गया है। हाल तक, कुल मिलाकर इन मूल्यों का सभी स्तरों पर, अर्थात विनिर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता द्वारा, पालन किया जा रहा था। तथापि, हाल ही में देश के कुछ भागों में ऊंचे थोक तथा खुदरा मूल्यों पर वनस्पति घी के बेचे जाने की रिपोर्टें मिली हैं। राज्य सरकार के प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मूल्य स्थिति पर निगरानी रखें। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वनस्पति घी सुलभ कराने के लिये विनिर्माताओं को उनकी एसोसिएशनों के माध्यम से सलाह दी गई है कि यदि वे चाहें, तो अपने उत्पाद का एक निश्चित प्रतिशत स्वीकृत मूल्य पर राज्य सरकारों को अपने नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिये सप्लाई करें।

नयी पद्धति पंजीकरण योजना, 1979 के बारे में संसद सदस्यों से शिकायतें

9275. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को नयी पद्धति पंजीकरण योजना, 1979 के बारे में संसद सदस्यों और अप्रैल, 1984 के दौरान पंजीकरण कराने वालों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) संसद सदस्यों तथा अप्रैल, 1984 में पंजीकृत व्यक्तियों से नयी पद्धति पंजीकरण योजना, 1979 के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, योजना के पंजीकृत व्यक्तियों से समय-समय पर विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं/स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं ।

मार्च/अप्रैल, 1984 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के लिए निश्चित किए गए मूल्य

9276. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हुडको योजना 1979 के अन्तर्गत मार्च-अप्रैल, 1984 के दौरान आबंटित किए गए जनता, निम्न आय वर्ग (एल आई जी) और मध्यम आय वर्ग (एम आई जी) के आवासीय फ्लैटों के प्रत्येक श्रेणी के लिये क्या मूल्य निश्चित किये गये हैं और रोहिणी तथा प्रीतमपुरा में आबंटित आवासीय फ्लैटों की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त आवासीय फ्लैटों की प्रत्येक श्रेणी के लिये किराया खरीद मूल्य और नकद भुगतान मूल्य क्या है ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ली गई अग्रिम धनराशि का पूरा ब्यौरा क्या है और इन किश्तों की संख्या कितनी है तथा उन पर कितना ब्याज लिया गया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के रिहायशी फ्लैटों जिनके लिये हुडको योजना, 1979 के तहत 15-3-84 को लाटरी

निकाली गई थी, के विक्रय की अन्तिम कीमत का हिसाब उनके पूर्ण होने पर ही लगाया जायेगा। इस लाटरी के आधार पर रोहिणी और पीतमपुरा में कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(ग) मार्च, 1984 की लाटरी में सम्मिलित जनता फ्लैटों की दो योजनाओं, जिनके लिए अन्तिम कीमत निर्धारित की गई है, के लागत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

योजना का नाम	कुल निर्माण	किराया खरीद के मामले में प्रारम्भिक राशि	किस्तों में वसूल की जाने वाली शेष राशि	किस्तों की संख्या	किस्तों की राशि और किश्तों में सम्मिलित ब्याज
941 जनता रिहायशी एकक पाकेट-एम दिलशाद गार्डन उप-शीर्ष 427 जनता	22,800 रुपये से 33,000 रुपये तक	3,270 रुपये से 13,520 रुपये तक	19,500 रुपये	240	175.45 8 प्रतिशत
922 (851-+71) जनता रिहायशी एकक दिलशाद गार्डन (पाकेट एल और एच)	25,100 रुपये से 30,000 रुपये तक	5,668 रुपये से 10,618 रुपये तक	19,400 रुपये	240	174.55 रुपये 8 प्रतिशत

नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

9277. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये नई दिल्ली में आवासों का अभाव है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 में पृथक पूल रखने वाले विभागों को दिए गए मकानों सहित श्रेणी "क" "ख" "ग" और "घ" के वर्ष-वार कितने क्वार्टर बनाये और आबंटित किये गये ;

(ग) इस समय टाइप-वार ऐसे कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं जिनके विषय में पृथक पूल रखने वाले विभागों सहित वर्ष 1974-85 में आबंटित करने का विचार किया गया है ; और

(घ) सरकार विशेषकर पृथक पूल रखने वाले विभागों/मंत्रालयों ने अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न टाइप क्वार्टरों का निर्माण बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम के नारायणा, नई दिल्ली स्थित गोदाम में शिकायत की पुस्तक उपलब्ध न होना

9278. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के नारायणा स्थित गोदामों में राशन डीलरों को शिकायतें दर्ज कराने के लिए शिकायत पुस्तक उपलब्ध नहीं की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायत पुस्तक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का विचार क्या कदम उठाने का है ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बार अचानक जांच पड़ताल की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी, विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1982, 1983 और 1984 के वर्षों के दौरान दिल्ली में स्थित जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा खाद्य भण्डारण डिपो, नारायणा में 25 अचानक छापे मारे गए थे । वर्षवार विवरण नीचे दिए जाते हैं :—

वर्ष	अचानक मारे गए छापों की संख्या
1982	3
1983	19
1984	3

अचानक मारे गए इन छापों के दौरान प्लेटफार्मों पर खाद्यान्नों के बिखराव, रेल-शीर्ष पर गेहूं के बिना हिसाब-किताब के अधिक बोरे पाये जाने, पहरा निगरानी स्टाफ की अनुपस्थिति, स्टाफ के देर से आने, रोशनी की अपर्याप्त व्यवस्था होने आदि जैसी बातों को देखा गया था ।

वन और बागान विकास निगम (फारेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह द्वारा "प्लाई लाग" की बिक्री

9279. **श्री टी० एस० नेगी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम द्वारा वर्ष 1983 के दौरान निलामी द्वारा प्लाई लट्ठों की बिक्री में पोर्टब्लेयर/हट वे/मायाबन्दर बन्दरगाहों पर क्या एफ० ओ० वी० औसत दर प्राप्त की गई ;

(ख) अन्डमान में प्लाईवुड फैक्टरियों द्वारा खरीदे गये प्लाई लट्ठों का प्रतिशत क्या है जिससे उन्होंने वर्ष 1983 में वन विभागों से खरीदा था ; और

(ग) सरकार सप्लाई किए गए प्लाई लट्ठों के लिए इन प्लाइवुड फैक्टरियों से क्या कीमत ले रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष, 1983 के दौरान नीलामी द्वारा प्लाई लट्ठों की बिक्री के लिए प्राप्त प्रति घन मीटर औसत दरें निम्नलिखित हैं ;—

गुरजन	1899/- रुपये
बादाम	1354/- रुपए
सफेद चुगलम	1452/- रुपए
लाल धूप	792/- रुपए

(ख) अन्दमान में प्लाईवुड फैक्टरियों द्वारा प्राप्त किए गए प्लाई लट्ठों, जो उन्होंने वर्ष 1982-83 के दौरान वन विभाग से खरीदे थे, की प्रतिशतता 17.89 है ।

(ग) 1035 रुपए प्रति घन मीटर ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निकोबार जिले में किया गया सर्वेक्षण

9280. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निकोबार जिले में आदिवासियों के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भूमिहीन आदिवासियों और 5 एकड़ से कम भूमि वाले आदिवासियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन में से कितने लोगों को उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है ; और

(घ) यदि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ; तो इस कार्यक्रम को निकोबार जिले के आदिवासी क्षेत्रों में कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामिण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निकोबार जिले आदि में सर्वेक्षण किए जाने के बारे में अन्डेमान और निकोबार द्वीप समूह के केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन से विशिष्ट सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अधिक उपज देने वाले इलायची के पौधों के सम्बन्ध में अनुसंधान

9281. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेन्ट्रल प्लांटेशन क्राप रिसर्च इन्सटीच्यूट की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अपने अनुसंधान कार्यों के माध्यम से (संस्थान ने) अधिक उपज देने वाले इलायची के किसी पौधे की खोज की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो अधिक उपज देने वाली किसी ऐसी किस्म का पता न लगाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सी० पी० सी० आर० आई० की मुख्य गतिविधिया ये हैं :

(i) चुनी हई बागानी फसलों की आनुवंशिक क्षमता में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में सेवा करना तथा इन फसलों के विभिन्न पहलुओं पर मूल तथा व्यवहारिक अनुसंधान चलाना ;

(ii) इन फसलों पर किये जा रहे अनुसंधान को समन्वित करना ;

(iii) इन फसलों से सम्बन्धित सभी मामलों पर सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना ; तथा

(iv) प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) सी० पी० सी० आर० आई० के अप्पानगला केन्द्र दो अधिक उपज देने वाली यानी ए० पी० जी०-7 तथा ए० पी० जी०-8 किस्मों का पता लगाया है जो कि मूल्यांकन के अन्तिम चरन में है। ए० पी० जी०-7 में मध्यम कैनोपी तथा ठोस शाखीय प्रोस्टेट पुष्प गुच्छ होते हैं जो कि अधिक सघन रोपाई के लिए उपयुक्त है (5000 पौधे/हैक्टर) सूखी इलायची की उपज क्षमता करीब 500 से 600 कि०ग्रा० प्रति हैक्टर है । ए० पी० जी०-8 में भी मध्यम कैनोपी है जिसमें

अधिक आवश्यक तेल की मात्रा 7.6% है। उपज क्षमता करीब 300 से 500 कि० ग्रा० सूखी इलायची प्रति हैक्टर है।

इनके अतिरिक्त विकसित की गई कुछ संकर किस्मों की उत्पादन क्षमता 700 कि०ग्रा० सूखा केप्सूल प्रति हैक्टर होने का अनुमान है। (1.5 कि०ग्रा० नमी वाला प्रति पौधा) तथा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। 13 पौधे "कट्टे" विषाणु सहिष्णु हैं जिनके बीज को रसायन मूटाजन से उपचारित करने के बाद एक पत्ति से अलग किया गया। इन पौधों का गोलकृमि प्रति रोधिता उपज के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी मकानों में सहभागिता

9282. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने संबंधी आबंटियों के साथ (पत्नी/पति) सरकारी मकानों में रहते हैं, वे मकान किराया भत्ता पाने के हकदार नहीं, परन्तु उसकी मृत्यु/सेवा निवृत्ति पर वे प्राथमिकता के आधार पर सरकारी मकान पाने के हकदार हैं ;

(ख) क्या अर्धसरकारी या स्वायत निकाय के जो कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अपने संबंधी आबंटी (पत्नी/पति) के साथ रहते हैं, वे भी मकान किराया भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं परन्तु क्या उसकी मृत्यु/सेवानिवृति पर वे भी प्राथमिकता के आधार पर सरकारी मकान पाने के हकदार हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या आदेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव और भाग (ख) में उल्लिखित को मकान किराया भत्ता न देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है किसी सरकारी कर्मचारी को मकान भत्ता अनुमेय नहीं है, यदि

(1) वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सरकारी वास में रह रहा हो, जिसे बिना किराया आधार पर मकान मिला हो, या

(2) वह अपने माता-पिता/पुत्र-पुत्री को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक स्वायत्त उपक्रम या अर्धसरकारी संगठन जैसे कि नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा आबंटित मकान में रह रहा/रही हो ; या

(3) उन मामलों में जहां उसकी पत्नी/उसे पति को केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध सरकारी संगठन जैसे कि नगर-पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा एक ही स्थान पर

आवास आबंटित किया गया हो चाहे वे उसे आवास में या उसके द्वारा किराये पर लिये गये आवास में अलग से रह रहा/रही हो।

सेवा निवृत्त या मृत आबंटी कर्मचारी का केवल पुत्र या अविवाहित पुत्री या पति-पत्नी सामान्य पूल से तदर्थ आबंटन/नियमितीकरण के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कतिपय पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

(ख) तथा (घ) अर्धसरकारी या स्वायत्त निकायों के कर्मचारी सामान्य पूल वास के लिए पात्र नहीं है और इसलिए वे भाग (क) के उत्तर में बतायी गई रिआयतों के लिए पात्र नहीं है। यद्यपि वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।

अर्धसरकारी तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान संबंधित संगठनों के सेवा नियमों/उप-नियमों से प्रशासित किया जाता है जिन्हें संबंधित मंत्रालय/विभाग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशुपालन परियोजना

9283. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु पालन परियोजना के बारे में 6 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जबलपुर पशु पालन परियोजना के वर्ष 1981-82 से 11 लाख रुपये प्रति वर्ष दिए जाने का क्या औचित्य है जब कि 9 लाख से भी अधिक रुपये इस परियोजना से वार्षिक अर्जित किए गए हैं; यद्यपि इससे पहले ही कम धनराशि अर्जित किए जाने के बावजूद भी कम धनराशि जारी की गई थी और अनावर्ती राशि मंजूर की गई थी ;

(ख) जब डी० डी० जी० ए० एस० और ए० डी० जी० (ए० पी० एण्ड बी०) ने प्रत्येक ने 1 अप्रैल, 1983 और 1984 को इसका दौरा किया आयुवार लिंगवार मादा पशु और आनुवंशिकी वार पशुओं की कितनी संख्या थी और इनमें इस अवधि में कितने पशु कम थे और अवधि वार मरने वाले पशुओं की संख्या कितनी थी ; और

(ग) वर्ष 1980 से दूध देने वाली गायों की आनुवंशिकी वार संख्या कितनी थी और उसकी तुलना में प्रत्येक ने एक वर्ष में कितना दूध दिया और दूध में कोई गिरावट आई तो उसके क्या कारण हैं ; और इसकी तुलना में सन्तोषजनक कार्यनिष्पान का निर्णय करने के मानदण्ड क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1981-82 और उसके बाद कुल व्यय की स्वीकृति राशि में से प्रवेक्षित आय को घटाकर तथा भा० कृ० अ० प० के शेयर के आधार पर प्रति वर्ष निधियां दी जाती रही थीं। वर्ष 1982-83 से आगे व्यय की अनावर्ती मदों को शामिल करने के कारण इसकी निधियों में वृद्धि की गयी।

(ख) दिनांक 1-4-1983, 15-2-84, 20-3-1984 और 1-4-1984 को मादा पशुओं की आनुवंशिक वर्गवार, आयुवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-8312/84] उप महानिदेशक (पशुबिज्ञान) ने फरवरी, 1984 में तथा सहायक महानिदेशक (ए० पी० एण्ड बी०) ने मार्च, 1984 में इसका भ्रमण किया था। अर्ध-संकर नस्लों की संख्या मे इसलिए कमी आई थी कि ये बूढ़ी और जब भी आवश्यक समझा गया, इनकी छँटाई की जाती रही ; इनकी अवधि-**वार मृत** संख्या को **अनुबंध-II** में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-8312/84]

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में दुधारू गायों की आनुवंशिक वर्ग-वार सख्या तथा दुग्ध उत्पादन को **अनुबंध-III** में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-8312/84] दूध का उत्पादन दुधारू पशुओं की संख्या पर निर्भर करता है तथा उनकी उत्पादकता आहार और चारा आदि सहित जलवायवीय तथा अन्य कारकों पर निर्भर करती है तथा इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इनकी कार्यक्षमता को आंकने के लिए विभिन्न आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों तथा अन्य प्लान परियोजनाओं का व्यय

9284. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **कृषि मंत्री** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानों तथा अन्य प्लान परियोजनाओं के व्यय के बारे में 16 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान संस्थानों द्वारा छठी योजना में स्वीकृत धनराशि का 60 प्रतिशत से अधिक भाग 1982-83 तक खर्च कर देने के क्या कारण हैं जबकि इसकी स्वीकृति ही अप्रैल, 82 में 24 मार्च, 1983 तक जारी की गई थी तथा सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि आयोजन और धनराशि के उपयोग में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सरकारी नीति का पालन करे ;

(ख) अनुसंधान संस्थानों का योजना खर्चा परिव्यय से 20 से 41 प्रतिशत तक बढ़ने के क्या कारण हैं जबकि अन्य के संबंध में खर्चा केवल 5 से 14 प्रतिशत तक ही बढ़ता है ;

(ग) कई संस्थानों के लिए 1984-85 का योजना बजट 1983-84 के संशोधित अनुमानों से काफी अधिक बढ़ जाने का कार्यक्रम-वार औचित्य क्या है जबकि समेकित परियोजनाओं के लिए दोनों बराबर हैं ; और

(घ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा धन-राशि का उपयोग किस प्रकार उचित समझती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ संस्थानों द्वारा, योजना परिव्यय की मंजूरी जारी किए जाने से पूर्व किया गया व्यय अधिक-तर मामलों में पहले से चले आ रहे कार्यों तथा उपकरण मदों पर था जिसकी मंजूरी पांचवीं योजना

तथा पहले की छठी योजना (1978-83) के दौरान दी जा चुकी थी तथा ऐसे पदों के वेतनों पर था जो गैर-योजना के अंतर्गत नहीं आते। दी गई मंजूरी में पहले किया जा चुका वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक संस्थान की ई. एफ. सी. विवरणिका में दिए गए तकनीकी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित परिव्यय शामिल है। मंजूरी जारी करने से पूर्व किए गए व्यय पर ई. एफ. सी./पी. आई. सी. ने प्रत्येक संस्थान की ई. एफ. सी. विवरणिका की स्वीकृति के लिए जांच-पड़ताल करते समय विधिवत विचार किया था।

(ख) तथा (ग) अनुसंधान संस्थानों के मामले में अधिकतर व्यय बुनियादी ढांचे के विकास पर हुआ है, जिसमें भवनों का निर्माण तथा उपकरण व भूमि क्रय शामिल है, जिसके लिए अनुमानों का प्रावधान योजना प्रस्तावों में साधारणतया तदर्थ आधार पर किया जाता है। इसलिए, इन संस्थानों में फालतू व्यय मुख्यतः मूल अनुमानित लागत की तुलना में इन मदों के अंतर्गत हुई भारी लागत वृद्धि के कारण हुआ है। इस फालतू व्यय की मुख्यालय में मद-वार गहराई से जांच की जाती है तथा उसके बाद अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी जाती है। दूसरी ओर, हमारे पिछले उत्तर में जो स्कीमें सूचीबद्ध की गई थीं जिनमें फालतू योजना व्यय कम दिखाया गया था, वे अधिकतर अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएँ जिनमें किया गया प्रावधान मुख्यतः कर्मचारियों तथा आवर्ती लागत के लिए है तथा उसमें गैर-आवर्ती मदों के लिए राशि नाममात्र है। इस प्रकार, इन मामलों में लागत वृद्धि इतनी अधिक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, संस्थानों का 1984-85 का योजना बजट 1983-84 के संशोधित अनुमानों से अधिक है, जबकि अधिकतर समन्वित परियोजनाओं के मामले में ऐसी बात नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बकरा अनुसंधान योजनाओं से सम्बद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक

9285. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **कृषि मंत्री** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बकरा अनुसंधान योजनाओं से सम्बद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों के बारे में 16 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7690 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों बकरा योजनाओं को साथ-साथ क्रियान्वित होने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा स्वीकृति और योजना के शुरू होने के समय के बीच नियमों में कितना अन्तराल अनुमत है तथा क्या दूसरी योजना के लिए शुरू होने से पहले, पांच वर्ष से अधिक के इस अन्तराल को मंजूरी दे दी गई थी, यदि नहीं तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब ;

(ख) क्या पहली योजना के ही पशुओं का दूसरी योजना में प्रयोग किया गया था अथवा प्रत्येक योजना नए सिरे से प्रारम्भ की गई थी, यदि हां, तो जुलाई, 1979 के बाद जब पहली योजना समाप्त हुई थी, तथा दिसम्बर, 1980 से जब दूसरी योजना शुरू हुई थी, इन्हें कहां और क्यों रखा गया था और सम्बद्ध धनराशि क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी जांच कराने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का है, यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं श्रीमान्, "स्टडीज आन द कम्बाइनिंग एबिलिटी ऑफ डिजायरेबल करैक्टर्स ऑफ इम्पोर्टेण्ट गोट ब्रीड्स फॉर मीट एण्ड मिल्क सैपरैटली एण्ड इन कम्बाइनेशन" शीर्षक से एफ जी-इन-510 स्कीम 3-12-1973 से स्वीकृत की गई थी और 1-7-1974 से 5 वर्ष की अवधि के लिए रुपये 14,67,871/- की कुल लागत से प्रारम्भ की गई थी। दूसरी स्कीम "स्टडीज आन द कम्बाइनिंग एबिलिटी ऑफ डिजायरेबल करैक्टर ऑफ थ्री इम्पार्टेण्ट गोट ब्रीड्स फॉर मीट सैपरैटली एण्ड इन कम्बाइनेशन" शीर्षक से एफ जी-इन-582 दिनांक 9-5-1975 के स्थान पर 9-5-1979 को स्वीकृत हुई थी तथा 24-12-1980 से 5 वर्ष की अवधि के लिए रुपये 22,30,000/- की कुल लागत से प्रारम्भ की गई थी। स्वीकृति की तिथि और प्रारम्भ होने के समय में यह अन्तर लगभग 1½ वर्ष का होता है जो अपरिहार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञेय है।

(ख) पशुओं को बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम में स्थांतरित किया गया और फिर वापस आर. बी. एस. महाविद्यालय, बिचपुरी, आगरा में किया गया अत: वे ही पशु दूसरी स्कीम में भी प्रयुक्त किए गए थे। संस्थान (आर. बी. एस. महाविद्यालय, आगरा) के पास पशुओं को रखने और संभालने के लिए निधि नहीं थी। एफ. ई. आर. आर. ओ. के निदेशक और आर. बी. एस. महाविद्यालय, आगरा के पशुपालन के डेरी विभाग के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर (प्रायोजना के पी. आई.) ने पशुओं के स्थानांतरण के प्रस्ताव पर सहमति दी। इन पशुओं को मखदूम फार्म में बकरी अनुसंधान संस्थान में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार रखा गया। दूसरी स्कीम में 29 फरवरी, 1984 तक रु० 75,223,50 व्यय हुआ है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए आयातित पशु

9286. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान के लिए पशुओं का आयात करने के बारे में 16 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रयोजन हेतु आयात किए जाने वाले पशुओं का लिंग, आयु तथा अन्य विशिष्टताओं का ब्यौरा क्या है तथा इनका आयात मुख्यत: अमरीका से ही करने के क्या कारण हैं जबकि पहले इन्हीं किस्मों के पशु यूरोप से मंगाए जाते थे ;

(ख) पशुओं के झुण्ड में से पशुओं का चुनाव करने के लिए गठित क्रय-दल का ब्यौरा क्या है तथा इस दल में प्रत्येक सदस्य को किस आधार पर शामिल किया जाता है तथा विशेष रूप में उन पशुओं के साथ उनकी सहबद्धता की अवधि का ब्यौरा क्या है और सम्बद्धत: कहां/कब और किस स्तर पर होती है ;

(ग) चुने गये अनुमोदित सप्लाईकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद में इस अधिकारी संबंधी ब्यौरा क्या है जो शोध कार्यों की संवीक्षा करता है और इसमें ऊपर। विशिष्ट भूमिका क्या है और कब से वह उक्त कार्य कर रहा है ; और

(घ) क्या सरकार राज्यवार कृषक पशु उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए इस प्रकार के मंहगे पशुओं का बड़े पैमाने पर आयात को व्यवहार्य समझती है ; यदि नहीं, तो इस प्रकार के विदेशी पशुओं से अनुसंधान कार्य करने का क्या औचित्य है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आयात किए जाने वाले प्रस्तावित पशुओं के लिंग, आयु तथा अन्य विशिष्टियों के संदर्भ में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से सभी आवश्यकताएं प्राप्त करना संभव हो सकेगा विशेषकर सं० रा० अ० के दक्षिणी और केन्द्रीय राज्यों से जहां की जलवायवीय परिस्थितियां भारत के उन प्रदेशों से काफी मिलती-जुलती हैं जिनमें इन पशुओं को उपयोग में लाये जाने की संभावना है।

(ख) क्रय दल को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सं० रा० अ०, फ्रांस और ब्रिटेन की पंजीकृत प्रजनक समितियों से आवश्यक सूचनाएं, दर आदि प्राप्त करने के लिए इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों के माध्यम से पूछताछ की है।

सम्बन्धित अनुसंधान वैज्ञानिक (भेड़ और ऊन) द्वारा परिषद् में 1981 से किया जा रहा है।

(घ) भा० कृ० अ० प० ने पशु प्रजनन पर कई बड़ी प्रायोजनाएं प्रारंभ की हैं जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना में भेड़ प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना और बकरी प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना जो अभी जारी हैं। उपर्युक्त दोनों प्रायोजनाओं में ऐसे आवश्यक घटक हैं जिनसे बढ़िया विदेशी नस्लों से विदेशी वंशक्रमों का पता लगाया जा सकता है और इसलिए समय-समय पर इन प्रायोजनाओं पर हुई कार्यगोष्ठियों तथा समीक्षा समितियों में इन पशुओं के आयात करने पर जोर दिया जाता रहा है।

अंगोरा और व्हाइट कैलीफोर्निया खरगोशों की क्रमशः ऊन उत्पादन और किस्म तथा मांस और फर चर्म विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त नस्लों के खरगोशों की जो भी संख्या आयात की जायेगी उसे केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, गारसा के फर और पशु प्रजनन विभाग के अनुसंधान कार्यकलापों को सुदृढ़ करने में उपयोग किया जाएगा। खरगोशों के मामले में राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों और निजी किसानों को जनन द्रव्य और प्रौद्योगिकी पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

विवरण

प्रस्तावित आयात किए जाने वाले पशुओं का विवरण

प्रकार	नस्ल	संख्या	लिंग	उम्र और विशिष्टता†
भेड़	डोरसैट	70	नर	
	सफोक	30	नर	
	रेम्बुले	51	नर	
बकरी	सन्नान	31	नर	
	ऐग्लो नुबियन	73	नर	
	एल्पाइन	21	नर	
खरगोश	व्हाइट कैलिफार्निया	10	नर	
	अंगोरा	40	मादा	
		10	नर	
		40	मादा	

†भेड़ों की उम्र और विशिष्टता

डोरसैट डाउन

मेढ़ों में कम से कम औसत झुण्ड पर एक मानक अन्तर पर शरीर भार होना चाहिए जिसमें न्यूनतम शरीर भार 100 कि० ग्रा० और अधिक हो। इनमें टाइप के प्रति सत्यता हो जिसमें मांस की अच्छी संरचना व उम्र 1½ वर्ष से 3 वर्ष के मध्य हो। आगे वे जितना भी संभव हो सके शुद्ध नस्लों के झुण्डों से और अधिक से अधिक संभव प्रजनक सांड़ों की संतति होने चाहिए। उनमें उत्कृष्ट कामोत्तेजना व उत्कृष्ट वीर्य किस्म होनी चाहिए।

सफोक भेड़

मेढ़ों में कम से कम औसत झुण्ड पर एक मानक अन्तर पर शरीर भार होना चाहिए जिसमें न्यूनतम शरीर भार 130 कि० ग्रा० और अधिक हो। इनमें टाइप के प्रति सत्यता हो जिसमें मांस की अच्छी संरचना व उम्र 1½ प्रतिशत से 3 वर्ष के मध्य हो। आगे वे जितना भी संभव हो सके अधिक से अधिक प्रजनक सांडों की संतित होने चाहिए। उनमें उत्कृष्ट कामोत्तेजना व उत्कृष्ट वीर्य किस्म होनी चाहिए।

रेम्बुले भेड़

मेढ़ें छोटी उम्र के अच्छे स्वास्थ्य वाले सांड मेढ़े होने चाहिए वरीयत: दो दांत वाले (1½—3 वर्ष), उत्कृष्ट कामोत्तेजना व उत्कृष्ट वीर्य किस्म होनी चाहिए। शरीर भार 80 कि० ग्रा० वार्षिक ऊन कतरन 6 कि० ग्रा०, ऊन की लम्बाई 3-4 इंच (12 महीने में) और ऊन की किस्म 64 एस और ऊपर होनी चाहिए।

बकरियों के लिए विशिष्टता

6 से 9 महीनों की उम्र के बकरेट जिनकी मादाओं का प्रथम दुग्धकाल के 300 दिन में 700 कि० ग्रा० दुग्ध उत्पादन से कम न हो। फिर भी, 9 से 12 महीनों की उम्र की वाले नरों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

खरगोशों के लिए विशिष्टता

पशुओं की उम्र 4-5 महीने होनी चाहिए तथा नौ भार 2-5 से 3-00 कि० ग्रा० तक, लिटर का आकार 6 जन्मे व 4 पाले हुए, वयस्क ऊन उत्पादन 800-1000 ग्राम तथा प्रतिशत गार्ड केश 2-5 प्रतिशत।

कैलीफार्निया व्हाइट

पशुओं की उम्र 5-6 महीने होनी चाहिए और नौ भार 3-00 से 3-5 कि० ग्रा० लिटर आकार 8 जन्मे और 6 पाले हुए, वयस्क ऊन उत्पादन और प्रतिशत गार्ड केश नस्ल के लक्षणों के अनुरूप सही होने चाहिए।

आपरेशन फ्लड 1 और 2 की उपलब्धियां

9287. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत डेरी खोलने संबंधी कार्य को आत्म निर्भर हो जाना था और यदि हां, तो उसकी वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत डेरी परियोजना को पूर्णत: आत्म निर्भर हो जाना चाहिए था (आपरेशन फ्लड प्रस्ताव-जून, 1977) और यदि हां, तो उसकी वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियों की तुलना में आपरेशन फ्लड-1 और 2 का कोई गहन मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम का एक उद्देश्य लगभग 100 लाख ग्रामीण दूध उत्पादक परिवारों

को एक व्यवहार्य आत्मनिर्भर डेरी उद्योग का निर्माण करने में सक्षम बनाना है। इस परियोजना को एक ही समय सभी राज्यों में कार्यान्वयन हेतु हाथ में नहीं लिया जा सका, क्योंकि इस परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित आवश्यक अवसंरचना की कमी है। इस परियोजना को और आगे बढ़ाने की संभावना है।

(ग) आपरेशन फ्लड 1 परियोजना ने सोचे गये सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। समय-समय पर विश्व खाद्य कार्यक्रम अंत: एजेंसी मूल्यांकन मिशन द्वारा भी इसका मूल्यांकन किया गया है। आपरेशन फ्लड 2 परियोजना के विशेष उद्देश्यों और इसकी उपलब्धियों के मूल्यांकन के संबंध में भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

देश में गैर-कानूनी चावल मिलें

9288. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-कानूनी रूप से चल रही चावल मिलों की संख्या का अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन शक्तियां प्रदत्त करने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें चावल मिलें स्थापित करने के लिए परमिट प्रदान करने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

केरल की छोटी चावल मिलों के मालिकों की ओर से अभ्यावेदन

9289. **श्री वी० एम० विजयराघवन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल की छोटी चावल मिलों के मालिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने चावल मिलों को आधुनिक बनाने की योजना से छूट देने का अनुरोध किया है और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनको अपनी मिलों को आधुनिक बनाने से छूट देने पर विचार करेगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में वर्तमान नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था

9290. **श्री जी० भूपति** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना नियंत्रण आदेश की उद्घोषणा 1966 से पहले केन्द्र सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या प्रणाली अथवा व्यवस्था अपनायी जाती थी ;

(ख) गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 किन परिस्थितियों में जारी किया गया था और इस बारे में एक व्यापक कानून न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्यों को पुनः अधिकार देने पर विचार करेगी; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार 1950-51 मौसम तथा उसके बाद से चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के अखिल भारत न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती चली आ रही है। इससे पूर्व, ये मूल्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते थे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ में आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 के अधीन मूल्य निर्धारित किए जाते थे। यह अधिनियम 1955 में निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 से प्राप्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन ये मूल्य निर्धारित करने शुरू किए गए थे। बाद में 1955 के आदेश का स्थान 1966 के विस्तृत आदेश ने ले लिया था, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि इसे और अधिक व्यापक बनाया जा सके।

(ग) निम्नलिखित कारणों से राज्य सरकारों को गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की शक्ति वापस देना वांछनीय नहीं होगा :—

(1) चीनी साधारण जनता द्वारा प्रत्येक की खपत की आवश्यक वस्तु है और इसलिए यह आवश्यक है कि यह उपभोक्ता के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध होनी चाहिए। वर्तमान प्रणाली के अधीन, लेवी चीनी (उत्पादित चीनी का 65 प्रतिशत) भारत भर में समान मूल्य पर वितरित की जाती है। समान मूल्य प्रणाली संघीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आधार पर नियन्त्रित की जाती है और चलायी जाती है।

(2) ऊपर उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, गन्ने के मूल्य भी केन्द्रीय आधार पर और समान विधि से निर्धारित करना आवश्यक है।

(3) गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गई

विधि में एकरूपता नहीं थी और उसमें अधिकांशतः स्पष्ट मूलाधार की कमी होती थी। राज्यों द्वारा गन्ने के मूल्य निर्धारित करने की पुरानी पद्धति को किसी प्रकार भी बहाल करने से प्राप्त की गई एकरूपता में विघ्न पड़ेगा और इससे चीनी की अर्थ-व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो सकता है जिससे अन्ततः गन्ना उत्पादक किसानों, चीनी के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों पर कुप्रभाव पड़ेगा।

(4) चीनी उद्योग का उचित और सम्पूर्ण समन्वित विकास, जोकि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, सम्भव नहीं हो सकता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति द्वारा की गई बैठकें

9291. **श्री रामविलास पासवान : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी बैठक की गई और उनमें किन-किन मदों पर विचार विमर्श किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सलाहकार समिति के लिए निर्वाचित संसद सदस्यों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जाता है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति का क्या औचित्य है ; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित किसी मामले को इस समिति की बैठक की कार्यसूची में कभी सम्मिलित किया गया है अथवा उस पर समिति की किसी बैठक में कभी चर्चा की गई है और यदि हां, तो कब ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सलाहकार परिषद की 5-4-1982 तथा 24-8-1982 को दो बैठकें हुई थीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जा रही है कि तिथियों की एक तालिका बनाई जाय जिससे कि सलाहकार परिषद की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जा सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 (i) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण वृहत योजना बनाने और विकास की आयोजना या इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाली या इसके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले मामलों, जो प्राधिकरण द्वारा इसे सौंपे जाएँ, में प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन से सलाहकार परिषद का गठन करता है।

(घ) जी, नहीं।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा गैर-सरकारी निकायों से पुरस्कार प्राप्त किया जाना

9292. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुछ वैज्ञानिकों ने गैर-सरकारी न्यासों और गैर-सरकारी निकायों से "बोरलांग अवार्ड", "संजय मेमोरियल अवार्ड", जैसे पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार प्राप्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी नियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति है और क्या इन वैज्ञानिकों ने ऐसे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुमति ली थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) ये पुरस्कार वैज्ञानिकों को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए नियम और विनियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नियमों में ऐसी कुछ विशेष बात नहीं है जिसमें ऐसे पुरस्कारों को प्राप्त करने की मनाही हो और इस तरह संबंधित वैज्ञानिक को ऐसे पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

उर्वरकों के आयात में भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि

9293. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **कृषि मंत्री** दिनांक 11 फरवरी, 1984 के 'इकानामिक टाइम्स', नई दिल्ली में 'फर्टीलाइजर्स रिबेट स्कीम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को उन उर्वरकों के आयात पर 30 करोड़ रुपये की हानि हुई है, जो विपणन व्यवस्था के अभाव में दो वर्षों तक गोदामों में पड़े रहे और इसलिए खाद्य निगम को पहले से दी जा रही 7½ प्रतिशत की छूट के अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट और देनी पड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो संबद्ध राशि पर ब्याज, भण्डारण प्रभार और स्टाफ प्रभारों के निमित्त इस सौदे में और कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस प्रकार हुई हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 1978-79 तक किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उर्वरकों के बफर और पाइप लाइन स्टाक को बनाये रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम ही भारत सरकार की ओर से आयातित उर्वरकों के वितरण के लिए

एकमात्र एजेंसी थी। 1978-79 के पश्चात् आयातित उर्वरकों की संभाल के लिए पूल की संभाल करने वाली कई अन्य एजेंसियाँ शामिल की गयीं। ये एजेंसियाँ या तो उर्वरक विनिर्माता या अन्य कम्पनियाँ थीं, जिनके उर्वरकों के विपणन के लिए सुव्यवस्थित वितरण तंत्र थे।

इसके परिणामस्वरूप, भारतीय खाद्य निगम, जो राज्य की संस्थाओं की सहायता से उर्वरकों का विपणन करता था, को उर्वरकों की बिक्री करना कठिन हो गया और उनके पास भारी मात्रा में स्टाक जमा हो गया। इस बात का खतरा था कि पुराने स्टाक की पोषक शक्ति घट जाएगी यदि उनका और अधिक समय तक भण्डारण किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार माल के पड़े रहने और इन उर्वरकों पर भण्डारण संबंधी खर्च के रूप में भारी राशि व्यय कर रही थी।

इसलिए यह निर्णय किया गया कि भारतीय खाद्य निगम के पास ऐसे मानक स्टाक को, जो दो वर्षों से अधिक समय से रखा है, सुव्यवस्थित विपणन तंत्र वाले उर्वरक विनिर्माताओं तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से किसानों को 10 प्रतिशत की छूट पर बेचा जाएगा। यह छूट 29 जून, 1983 को मूल्यों में भारत सरकार द्वारा घोषित 7½ प्रतिशत की कटौती के अतिरिक्त थी। इस स्टाक पर यह छूट वितरक एजेंसियों के पास उर्वरक की शीघ्र बिक्री सुनिश्चित करने तथा ऐसे उर्वरक पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी दी गई थी। चूंकि भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की ओर से आयातित उर्वरकों का वितरण करता है, अतः आयातित उर्वरकों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को क्षति होने का प्रश्न ही नहीं होता।

एक छमाही समीक्षा से पता चला कि इस योजना के शुरू करने से इन उर्वरकों की शीघ्र बिक्री के कारण माल के पड़े रहने और भण्डारण व्ययों में 5 वर्षों की अवधि के दौरान 150 करोड़ रुपये की राशि की बचत हुई है। इसमें से 30 करोड़ रुपये यूरिया और डाई-अमोनियम फास्फेट के मूल्य में 10 प्रतिशत की कटौती के रूप में किसानों को दे दी गई है। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत सरकार और किसानों दोनों को लाभ पहुँचा है।

नई बम्बई के विकास के लिए धनराशि

9294. **डा० सुब्रमण्यम स्वामी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, जो बहुत भीड़भाड़ वाला शहर है, के हित में नई बम्बई का विकास करना जरूरी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार नये न्हावा-शेवा पत्तन की स्थापना करने के लिए सहमत है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इसके आस-पास के क्षेत्रों में अनेक नये उद्योगों की स्थापना की जा रही है ;

(घ) क्या यह सच है कि रेल विभाग ने मनखुर्द को नई बम्बई से जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दे दी है ;

(ङ) क्या इस परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार आगे आई थी क्योंकि रेल विभाग ने पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की थी ;

(च) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इसका विरोध किया था ; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) राज्य सरकार ने इस कार्य को आरम्भ करने के लिए रेल मंत्रालय को ब्याज मुक्त 3 करोड़ रुपये के अग्रिम की पेशकश की है । जब कभी भी योजना आयोग द्वारा पर्याप्त निधियां मुहैया करा दी जायेंगी तो रेल मंत्रालय उक्त राशि को वापिस करेगा ।

(च) जी, नहीं ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य तेल का आयात

9295. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया और इस आयात पर कितना व्यय किया गया ; और

(ख) नारियल तेल सहित आयातित तेल को उपभोक्ताओं हेतु बाजार में कब सप्लाई किया जायेगा और विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों का क्या मूल्य होगा ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) दिसम्बर 1978 के दौरान खाद्य तेलों का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया था । तब से सरकार की ओर से किया गया खाद्य तेलों का आयात निम्नवत है :—

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	आयात की गयी मात्रा (लाख मी.टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1978-79	8.21	479.83
1979-80	11.49	317.18
1980-81	10.74	516.00
1981-82	9.48	449.59
1982-83	11.50	504.46
1983-84 (मार्च, 84 तक)	3.99	285.00 (अनन्तिम)

(ख) आयातित तेल खुले बाजार में नहीं बेचे जाते हैं। केन्द्रीय सरकार इन तेलों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से घरेलू राशन कार्ड धारियों को देने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को वनस्पति तैयार करने के लिए वनस्पति उद्योग को तथा छोटे पैकों में इनका विपणन करने के लिए गणेश फ्लोर मिल्स को आवंटित करती है। यह कार्य तेल वर्ष 1978-79 से किया जा रहा है। अब तक सोयावीन के तेल, निर्विषमीकृत ताड़ के तेल, ताड़ के तेल, पामोलीन और रेपसीड तेल का आयात किया जा रहा था। अप्रैल, 1984 के दौरान 9000 मी.टन नारियल के तेल का भी आयात किया गया है। अप्रैल, 1984 से बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, बंगलौर, गोवा और दिल्ली में अन्य आयातित खाद्य तेलों के साथ-साथ एक किलो ग्राम के पैक में नारियल के तेल का विपणन गणेश पलोर मिल्स के माध्यम से किया जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए, नारियल के तेल को छोड़कर, सभी खाद्य तेलों का निर्गम मूल्य थोक में 7000/-रुपये प्रति मीटरी टन और टीनों में 8500/रुपये प्रति मी. टन है। राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों को इसमें साज-संभाल पर आने वाली लागत, भाड़ा, स्थानीय कर तथा उचित दर की दुकान के मालिकों को दिये जाने वाले कमीशन को जोड़ने की अनुमति है। वनस्पति उद्योग से उनकी कच्ची सामग्री की मांग के 60 प्रतिशत तक की मात्रा के लिए 8500/-रुपये प्रति मी. टन और 60 प्रतिशत से अधिक की मात्रा के लिए 12,000 रुपये प्रति मी टन मूल्य लिया जाता है। नारियल के तेल का निर्गम मूल्य आंकलित किया जा रहा है और यह 25/-रुपये प्रति पैक के लगभग होगा।

दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

9296. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अनुसंधान परिषद की सिफारिश की तुलना में प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता की बिगड़ती हुई स्थिति और अपर्याप्तता की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक योजना में किन-किन अनुसंधान प्रयासों में सहयोग दिया, योजना-वार कितनी धनराशि रिलीज की, फसलवार कौन-कौन सी बेहतर किस्में तैयार की गई, अनुसंधान कार्यों पर प्रति हैक्टेयर कितनी उपज का दावा किया गया तथा छठी योजना वर्ष वार अधिक उपज देने वाले प्रत्येक किस्म के "ब्रीडर-सीड" का कितना-कितना उत्पादन किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने दाल अनुसंधान कायक्रमों के कार्य का स्वतन्त्रत रूप से मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो किस माध्यम से और उसके क्या परिणाम रहे ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में जांच कराने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) विभिन्न योजना अवधियों के दौरान दालों पर असुसंधान को विधिवत सुदृढ़ किया गया है जिसे नीचे दर्शाया गया है :—

(iv) योजना 1969-70 से 1973-74 रु० 56.51 लाख व्यय ।

(v) योजना 1974-75 से 1978-79 रु० 138.80 लाख व्यय ।

(vi) योजना 1980-81 से 1985-85 रु० 448.57 लाख आवंटन ।

किये गये अनुसंधान प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कई सुधरी हुई किस्में विकसित की गई हैं उनमें प्रमुख ये है :—

फसल		किस्म	बेहतर किस्मों की उपज क्षमता
चना	:	जी 235, एच 208, एच 355 के 468, बी जी 209, पन्त जी-114, जे जी 62, अन्नागैरी चफ्फा, आर एस 10, पूसा 212	15-25 क्विंटल/ हैक्टर
अरहर	:	प्रभात, यू पी ए एस-120, पन्त ए 3 पन्त ए-1, पूसा अगेती, शारदा मुक्ता, पूसा 74, बहार	15-25 क्विंटल/ हैक्टर
उड़द	:	टी-9, टी-27, पन्त यू-19, पन्त यू-30	15-25 क्विंटल/ हैक्टर

फसल	किस्म	बेहतर किस्मों की उपज क्षमता
लोबिया :	पूसा फाल्गुनी, पूसा दो फसली सी-152	10-15 क्विंटल/ हैक्टर
मूंग	पूसा वैसाखी, पी एस-7, पी एस-10 वर्षा, जी-65, के 851, एम एल-5, एस एम एल-32	8-12 क्विंटल/ हैक्टर
मसूर :	एल-9-12, टी-36, पन्त एल 639 पन्त 209, पन्त एस 406	10-15 क्विंटल/ हैक्टर

उत्पादित बीज की गुणवत्ता के बारे में सूचना किस्मवार तथा वर्षवार एकत्रित की जा रही है तथा उसके संगठन के बाद सप्लाई कर दी जायेगी।

(ग) तथा (घ) अखिल भारतीय समन्वित दाल सुधार प्रायोजना के कार्यकरण तथा बनाये गये कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए एक पंचवर्षीय समीक्षा दल गठित किया गया है। समिति के सदस्य डा० टी० आर० मेहता, डा० सी० वी हवानागी तथा डा० सी० चन्द्रा, प्रायोजना निदेशक (दाल) है। समिति की रिपोर्ट का अभी इन्तजार है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

9297. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कई कृषि विज्ञान केन्द्रों की सहायता करता है और यदि हां, तो यह केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थित है और किस-किस तारीख से प्रारम्भ है ;

(ख) 1980-81 से 1983-84 तक छठी योजना में केन्द्र-वार किए गए आवंटन सहित वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई और 1984-85 के लिए कितना आवंटन किए जाने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के परिचालन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।—देश में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुदान देती है। केन्द्रवार स्थान तथा शुरू होने की तिथि अनुबन्ध (क) में देखी जा सकती है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8313/84]

(ख) वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक छठी योजना में केन्द्रवार किए गये आवंटन सहित वास्तव में व्यय की गई राशि तथा 1984-85 के लिए कितना आवंटन किया जाने का विचार है इसे अनुबन्ध-ख में देखा जा सकता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—8313/84]

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्र की योजना के परिचालन की जांच के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने वर्ष 1980 में एक उच्च स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया था। समिति ने पहले ही नवम्बर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार योजना परिचालन की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय मूल्यांकन समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थानों के स्वामित्व वाले पोत

9298. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मत्स्य पालन अनुसन्धान संस्थानों के पास अपने पोत हैं, यदि हां, तो संस्थानवार पोतों की संख्या, उनकी खरीद तिथि, मूल्य सप्लायर का नाम, उपयोग में लाने का प्रयोजन 1 जनवरी, 1980 से मासिक परिचालन लागत, तदनुसार पकड़ी गई मछली और उसका मूल्य तथा उसके निपटान का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनकी परिचालन कुशलता पर निगरानी रखने के लिए दूसरे सरकारी विभागों के दूसरे पोतों द्वारा मत्स्य ग्रहण के संबंध में ऐसे ही आदान (इनपुट) प्राप्ति (आउट पुट) के अनुपात का उपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस पहलू पर जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का है ; यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

बाबा खड़क सिंह मार्ग पर टाइप "सी" के क्वार्टरों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री

9299. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बाबा खड़गसिंह मार्ग पर "टाइप सी" के क्वार्टरों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री घटिया दर्जे की है और

बालकनियों को कवर करते हुए दूसरे दरवाजे अंशतः शीशे के बनाए गए हैं जिससे निवासियों की सुरक्षा को खतरा पैदा रहता है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) क्या सरकार इन शिकायतों की पूरी जांच करायेगी और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) बाबा खड़गसिंह मार्ग पर टाइप "सी" के क्वार्टरों के निर्माण में उपयोग में लाई गई सामग्रियां घटिया किस्म की नहीं हैं। बालकनियों में जाने वाले दरवाजों पर सुरक्षा के लिए दोहरे शटर लगे हुए हैं। अन्दर का शटर आंशिक रूप से छड़ों तथा आंशिक रूप से लोहे की जालियों से बना है। दूसरे शटर पर शीशे लगे हुए हैं। असुरक्षा वाली कोई बात नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्षा के कारण खाद्यान्नों की क्षति

9300. **श्री बापू साहिब पल्लेकर :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढंके हुए गोदामों की कमी के कारण, कई स्थानों पर खाद्यान्नों को खुले में जमा करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इससे वर्षा आदि में खाद्यान्न भीग जाते हैं और कभी-कभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 और 1982-83 के दौरान, खाद्यान्नों को किन स्थानों पर जमा किया गया था और वे वहाँ पर वर्षा आदि से भीग गए थे ;

(घ) उन खाद्यान्नों में आयातित खाद्यान्नों की मात्रा कितनी थी ; और

(ङ) इससे खाद्यान्नों का कितना नुकसान हुआ है और उसका मूल्य क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां। परिवहन विषयक बाधाओं आदि के कारण पैदा हुए स्थानीय

अभाव के कारण ढके हुए स्थान की कमी के समय कुछ स्टाक का कैप (कवर और प्लिंथ) में खुले में भण्डारण किया गया था ।

(ख) सामान्यतया सावधानी बतरने से, इस किस्म के भण्डारण में कोई क्षति नहीं होती है लेकिन लम्बी अवधि तक भण्डारण करने अथवा तूफानों, बाढ़ों जैसे मानव नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण कुछ स्टाक प्रभावित हो जाता है ।

(ग) से (ङ) राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कांडला (पी० ओ०), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में इन वर्षों के दौरान कैप में भण्डारण किया गया था । इसके अलावा 1981-82 के दौरान जम्मू और कश्मीर में और 1982-83 के दौरान केरल और कर्नाटक में भी कैप में भण्डारण किया गया था । इन वर्षों के दौरान हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कांडला, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में खाद्यान्नों को कुछ क्षति पहुंची थी ।

क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मात्रा और उनका मूल्य नीचे दिया जाता है :—

	1981-82	1982-83
क्षतिग्रस्त मात्रा (लाख मीटरी टन)	0.30	0.49
अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)	38.98	65.93

भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षतिग्रस्त हुए आयातित खाद्यान्नों के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

"राशन के गेहूं से कैन्सर का खतरा" शीर्षक से समाचार

9301. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "राशन के गेहूं से कैन्सर का खतरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उपरोक्त समाचार में वर्णित परिस्थितियों के अन्तर्गत राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किए गए गेहूं के प्रयोग से कैन्सर होने के आरोपों की, इस बीच कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिक विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) जी हाँ । समाचार में खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के लिए ई० डी० बी० के इस्तेमाल का हवाला दिया गया है । अनाज का परिरक्षण करने के लिए इसके इस्तेमाल

को कीटनाशक अधिनियम 1968 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और उसके तहत बने नियमों की स्वीकृति प्राप्त है। इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने विषयक कोई भी निर्णय किस स्थिति और किन परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा आदि जैसे देशों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, सहित विचाराधीन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही लिया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए गए खाद्यान्नों में रह गया अवशेष खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में विहित सीमा के अनुरूप है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का गठन

9302. **श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का गठन कैसा है ;

(ख) इस परिषद् में कितने सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं तथा वे किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

(ग) उनमें कितने सरकारी और कितने गैर-सरकारी सदस्य हैं ;

(घ) शासी निकाय, वित्तीय समिति और विभिन्न क्षेत्रीय समितियों में कितने सदस्य हैं और उनमें से कितने गैर-सरकारी सदस्य हैं और वे किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त निकायों में बेहतर क्षमता और आम जनता को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बराबर करने का है;

(च) यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन भा. कृ. अ. प. सोसाइटी के नियमों के अनुसार किया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रवार नहीं। इस समय भा. कृ. अ. प. सोसाइटी के 117 सदस्यों की वास्तविक संख्या में 93 सरकारी और 24 गैर-सरकारी सदस्य हैं। भा. कृ. अ. प. सोसायटी के सदस्यों की नियम स्थिति को दर्शाने वाली एक सूची, जिसके अधीन वे भा. कृ. अ. प. सोसायटी के सदस्य बने हैं, अनुबंध-1 में दी गयी है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-8314/84]

(घ) भा. कृ. अ. प. के शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन भा.कृ. अ. प. सोसाइटी के नियमों के अनुसार किया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रवार नहीं। शासी निकाय के 22 सदस्य होते हैं। इस समय शासी निकाय के 18 सदस्यों की वास्तविक संख्या में 10 सरकारी और 8 गैर-सरकारी सदस्य हैं। भा. कृ. अ. प. में कोई वित्तीय समिति नहीं है, लेकिन एक स्थायी वित्त समिति है। स्थायी वित्त समिति के सदस्यों की की नियुक्ति/चुनाव स्थायी वित्त समिति के नियमों के नियम 2 के

अन्तर्गत किया जाता है। स्थायी वित्त समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समय स्थायी वित्त समिति के 9 सदस्यों की वास्तविक संख्या में 4 सरकारी और 5 गैर-सरकारी सदस्य हैं।

भा० कृ० अ० प० की 8 क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन भा० कृ० अ० परिषद के नियमों के अन्तर्गत क्षेत्रीय समितियों के निजी क्षेत्रों से किया जाता है। क्षेत्रीय समिति की कोई निर्धारित सदस्यता नहीं है। इसकी सदस्यता प्रत्येक क्षेत्रीय समिति के अपने कार्यक्षेत्रों पर निर्भर करती है। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति के सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्षेत्रीय समिति संख्या	कुल सदस्यता	सरकारी	गैर-सरकारी
1.	36	30	6
2.	32	20	12
3.	39	37	2
4.	75	52	23
5.	44	20	24
6.	46	30	16
7.	38	22	16
8.	53	35	18

भा० कृ० अ० प० के शासी निकाय, स्थायी वित्त समिति और 8 क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों के नामों और नियम स्थिति को दर्शाने वाली एक सूची, जिसके अधीन वे इन निकायों के सदस्य बने हैं, अनुबंध-II में दी गयी है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०- 8314/84]

(ङ) से (छ) भा० कृ० अ० प० सोसाइटी, भा० कृ० अ० प० के शासी निकाय, स्थायी वित्त समिति और क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन भा० कृ० अ० प० सोसाइटी के नियमों के अनुसार किया जाता है। उपरोक्त (क) से (घ) में दिए गये आंकड़ों से ज्ञात है कि सिवाय एक क्षेत्रीय समिति में, जो कि क्षेत्रीय समिति के अपने कार्यक्षेत्र के कारण है, सरकारी सदस्यों की संख्या गैर-सरकारी सदस्यों से अधिक है। जैसाकि भा० कृ० अ० प० सोसाइटी के सदस्यों की नाम-जदगी इसके सुनिश्चित नियमों के अनुसार की जाती है, इसलिए उपरोक्त निकायों की सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बराबर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल में राजस्थान का हिस्सा

9303. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार द्वारा किए गए निरन्तर प्रयास के बाद भी

सिंचाई विभाग और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड वर्ष 1980 से आज तक राजस्थान को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों से समय पर जल का पूरा हिस्सा देने में असमर्थ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग देने का है कि राजस्थान को समय पर जल का पूरा हिस्सा मिले ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) भाखड़ा जलाशय से सतलुज में तथा पोंग जलाशय से ब्यास में जल छोड़े जाने के संबंध में निर्णय समय-समय पर भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया जाता है तथा इस बोर्ड में राजस्थान सहित सभी भागीदार राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । इस प्रकार छोड़े गए जल में से तथा रावी ब्यास सतलुज नदियों के प्रवाह में से राज्यों के हिस्से, भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा राज्यों के बीच करारों की शर्तों के अनुसार तय किए जाते हैं । भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड सम्बन्धित राज्यों को उपर्युक्त आबंटनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निदेश भी जारी करता है । कमियों पर, यदि कोई हो, ध्यान दिया जाता है और बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठकों में उनका समाधान किया जाता है ।

यह सूचित किया गया है कि 1980 से राजस्थान को सतलुज के जल में से पूरा हिस्सा दिया जाता रहा है । तथापि, 1980 से 1983 के दौरान रावी और ब्यास के जल में से राजस्थान को कुछ कम सप्लाई की गई है और इस बात की बोर्ड द्वारा जांच की गई है । यह सूचित किया गया है कि सितम्बर, 1983 से राजस्थान को रावी ब्यास के उसके हिस्से से अधिक जल की सप्लाई की जा रही है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता

9304. **श्री दलीपसिंह भूरिया** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन को मजबूत बनाने तथा शीर्ष स्तर पर उपयुक्त निगरानी एककों का सृजन करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव किए हैं ;

(ख) क्या सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार प्रशासकीय एककों को स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव किए गए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है , और

(च) क्या उन सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) खण्ड स्तरीय मशीनरी को सुदृढ़ बनाने तथा राज्य मुख्यालयों में निगरानी एककों को स्थापित करने हेतु अनुमोदित तथा विचाराधीन प्रस्तावों को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है ।

(ग) पदों की संख्या तथा उनकी भर्ती पद्धति को देखते हुए सभी पदों को भरने में कुछ समय

तो लगता ही है। 23 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों जिनके लिए खंड स्तरीय मशीनरी को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, में से 18 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने योजना के अन्तर्गत सभी/कुछ पदों को भर लिया है। 16 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों जिनके लिए राज्य मुख्यालयों में निगरानी एककों को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, में से 13 राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने कर्मचारी-वर्ग की भर्ती कर ली है।

(घ) से (च) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए पदों को दर्शाने वाली एक विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

क. खंड स्तरीय मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की योजना के अन्तर्गत अनुमोदित प्रस्ताव

क्रम संख्या	राज्य का नाम
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	गुजरात
5.	हिमाचल प्रदेश
6.	कर्नाटक
7.	केरल
8.	मध्य प्रदेश
9.	उड़ीसा
10.	राजस्थान
11.	सिक्किम
12.	तमिलनाडु
13.	उत्तर प्रदेश
14.	पश्चिम बंगाल
15.	अरुणाचल प्रदेश
16.	दादरा व नगर हवेली
17.	दिल्ली
18.	गोवा दमन व दिव
19.	लक्षद्वीप
20	मिजोरम
21	अंडेमान व निकोबार द्वीपसमूह
22	पंजाब

ख. खण्ड स्तरीय मशीनरी को सुदृढ़ बनाने हेतु विचाराधीन प्रस्ताव

क्रम संख्या	राज्य का नाम
1.	त्रिपुरा
2.	पश्चिम बंगाल (अतिरिक्त प्रस्ताव)

ग. राज्य मुख्यालयों में निगरानी एककों को स्थापित करने की योजना के अंतर्गत अनमोदित प्रस्ताव

क्रम संख्या	राज्य का नाम
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	गुजरात
4.	हरियाणा
5.	कर्नाटक
6.	मध्य प्रदेश
7.	मणिपुर
8.	मेघालय
9.	तमिलनाडु
10.	त्रिपुरा
11.	उत्तर प्रदेश
12.	पश्चिम बंगाल
13.	अंडेमान व निकोबार द्वीपसमूह
14.	अरुणाचल प्रदेश
15.	मिजोरम
16.	पंजाब

घ. निगरानी एककों की स्थापना हेतु विचाराधीन प्रस्ताव

क्रम संख्या	राज्य का नाम
1.	केरल
2.	बिहार

नोट : जम्मू व कश्मीर तथा चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि खंड स्तरीय मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विवरण-2

मध्य प्रदेश में खण्ड स्तरीय मशीनरी को मजबूत बनाने तथा निगरानी एककों को स्थापित करने की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का ब्यौरा

क. खण्ड स्तरीय मशीनरी को सुदृढ़ बनाना :

क्रम सं०	पद का वर्ग	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित पदों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पदों की संख्या
1.	विस्तार अधिकारी (उद्योग)	145	--
2.	विस्तार अधिकारी (कृषि)	459	--
3.	विस्तार अधिकारी (संस्थागत वित्त)	459	—
4.	महिला समाज शिक्षा संगठक	314	314
5.	ग्राम सेवक	2295	2295
6.	ग्राम सेविकाएं	425	—
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	459	—
8.	अवर श्रेणी लिपिक	918	—
9.	चपरासी	4131	—

ख. निगरानी एककों की स्थापना :

क्रम सं०	पद नाम तथा वेतनमान	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित पदों की सं०	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पदों की सं०
1	2	3	4
1	संयुक्त आयुक्त, विशेष आर्थिक कार्यक्रम (1250-1800 रुपये) 200 रुपये विशेष वेतन	1	1
	उप आयुक्त, विशेष आर्थिक कार्यक्रम (1100-1500 रुपये) 200 रुपये विशेष वेतन	5	1
	(1) कृषि		
	(2) पशु चिकित्सा		

1	2	3	4
	(3) उद्योग		
	(4) सहकारिता		
	(5) सांख्यिकीय		
3	उप आयुक्त अनुसंधान, मूल्यांकन तथा प्रलेखन (700-1600 रुपये) 200 रुपये विशेष वेतन	1	—
4	मुख्य लेखा अधिकारी (1100-1500 रुपये) 200 रुपये विशेष वेतन	1	—
5	सहायक आयुक्त-विशेष आर्थिक कार्यक्रम (680-1150 रुपये)	4	—
6	सांख्यिकीविद् (425-900 रुपये)	2	—
7	अधीक्षक (440-675 रुपये)	1	—
8	सांख्यिकीय सहायक (280-480 रुपये)	4	—
9	आशुलिपिक (280-480 रुपए)	7	3
10	लेखाकार (205-375 रुपये)	2	—
11	उच्च श्रेणी लिपिक (195-330 रुपये)	12	—
12	संगणक (195-330 रुपये)	6	—
13	अवर श्रेणी लिपिक (169-330 रुपये)	12	—
14	दफ्तरी (131-164 रुपये)	1	—
15	ड्राइवर (155-252 रुपये)	1	—
16	चपरासी (125-150 रुपये)	16	3
	योग :	76	9

भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्वास हेतु योजनायें

9306. श्री के० ए० स्वामी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्वास के लिए कोई योजनाएं प्राप्त की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उनका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की संपूर्ण योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण जनता के अन्य पात्र वर्गों को बसाना है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। 1972 की राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं के अनुसार कार्यान्वित किए गए भूमि की अधिकतम सीमा उपायों के परिणामस्वरूप 42 लाख 51 हजार एकड़ भूमि फालतू घोषित की गयी है जिसमें से 29 लाख 45 हजार एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है। इस क्षेत्र में से 20 लाख 86 हजार एकड़ भूमि 15 लाख 46 हजार परिवारों में वितरित कर दी गयी है। राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्र-वार स्थिति **विवरण** में दी गयी है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	क्षेत्र जिसका कब्जा ले लिया गया है	वितरीत क्षेत्र	
			क्षेत्र	लाभभोगियों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	10,02,826	4,46,701	3,23,476	2,46,909
असम	4,50,918	3,76,445	3,18,161	2,75,142
बिहार	2,67,530	1,63,364	1,57,913	1,77,187
गुजरात	1,71,664	78,661	57,062	6,011
हरियाणा	26,661	21,475	21,221	6,138
हिमाचल प्रदेश	2,47,218	2,45,816	3,315	4,362
जम्मू और काश्मीर	5,000	—	—	—
कर्नाटक	2,94,703	1,50,899	1,10,595	25,839
केरल	1,28,202	83,259	56,109	99,159
मध्य प्रदेश	2,57,982	1,47,347	89,230	35,025
महाराष्ट्र	3,84,579	3,66,202	2,93,303	78,134
मणिपुर	1,029	424	424	326
उड़ीसा	1,53,356	1,33,299	1,17,497	92,646

1	2	3	4	5
पंजाब	30,047	15,090	13,697	3,250
राजस्थान	2,58,248	2,32,064	1,31,741	28,853
तमिलनाडु	90,034	82,940	72,327	50,633
त्रिपुरा	1,926	1,844	1,430	1,223
उत्तर प्रदेश	2,95,203	2,71,016	2,42,033	2,01,265
पश्चिम बंगाल	1,71,447	1,19,702	71,084	2,10,251
दादरा और नगर हवेली	8,958	6,776	3,864	1,736
दिल्ली	722	374	374	—
पांडिचेरी	2,560	1,161	942	1,060
योग :	42,50,813	29,44,859	20,85,798	15,45,849

कृषि उत्पादों का मूल्य स्थिर रखना

9307. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों सहित खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार, वर्ष भर, देश भर में मूल उत्पादकों को दिए गए वास्तविक मूल्यों और उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए गए वास्तविक मूल्यों के बीच अधिकतम 15 से 20 प्रतिशत का अन्तर निर्धारित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार का उपयुक्त स्तरों पर मूल्यों को स्थिर करना सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है ।

(ख) से (घ) सरकार के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे अत्यधिक राजसहायता प्राप्त गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

और उपभोक्ता मूल्य के बीच के अन्तर को 15/- रुपए प्रति क्विंटल पर रखें।

अल्का होटल का निर्माण

9308. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका को यह जानकारी है कि कनाट सर्कस स्थित अल्का होटल ने वास्तुकला सौंदर्य की अवहेलना करते हुए कमरों का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्माण अधिकृत रूप से किया गया है अथवा अनधिकृत रूप से ; और

(ग) यदि यह अनधिकृत है, तो नई दिल्ली नगर पालिका ने इसे गिराने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस प्रकार के उल्लंघन लम्बी अवधि तक अनदेखे न रहें ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि वे इस तथ्य के बारे में परिचित है कि कनाट सर्कस में अल्का होटल के पीछे एक कमरे का निर्माण किया गया है।

(ख) यह निर्माण अनधिकृत है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने पंजाब पालिका अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी किए हैं जो कि दोषी व्यक्तियों को दे दिए गए हैं और वे निर्माण को गिराने की कार्यवाही कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में कृषि के विकास के लिए मुख्य उपकरण

9309. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुख्य उपकरणों के नाम क्या हैं जिनके ऊपर कृषि का विकास केन्द्रित है ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में उन मुख्य उपकरणों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि विकास के प्रमुख घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ फसल उत्पादन, प्रौद्योगिकी, बीज, सिंचाई, उर्वरकों, कृमिनाशी औषधियों, फार्म उपस्करों और ऋण जैसे मुख्य कृषि आदानों का प्रयोग तथा मृदा और जल संरक्षण, सोयाबीन तथा दलहनों की खेती और बारानी खेती शामिल हैं।

(ख) तथा (ग) कृषि विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उपरोक्त (क) में सूचीबद्ध विभिन्न घटकों के तहत छठी पंच-वर्षीय योजना (1980-85) के दौरान, कई योजनाएं तैयार की हैं और उन्हें राज्य योजना के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

राज्य में फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पहले से ही वर्जित सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करना और इस प्रकार कमान क्षेत्रों में सस्य-सघनता बढ़ाना ;

(2) भूमिगत जल की क्षमता का उपयोग करना ताकि उत्पादन स्थिर किया जा सके तथा मानसून की अनियमितता मे निपटा जा सके ;

(3) रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना ;

(4) सोयाबीन, दलहनों, कपास तथा गन्ने जैसी फसलों को अधिक क्षेत्र में शुरू करना ;

(5) वर्षा सिंचित परिस्थितियों के तहत बोई गई फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पनधारा आधार पर मृदा तथा जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना ;

(6) फलों तथा सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बागबानी कार्यक्रमों में तेजी लाना ;

(7) अधिक उपज देने वाली / उन्नत किस्मों के तहत अधिक क्षेत्र लाना तथा प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन और वितरण करना ;

(8) किसानों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए राज्य में चालू प्रशिक्षण तथा दौरा पद्धति के आधार पर कृषि विस्तार का सुदृढ़िकरण करना ;

(9) उपयुक्त तकनोलोजी अपना कर अधिक काली मिट्टी में खरीफ परती का उपयोग करना ;

(10) अधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती करना ; और

(11) किसानों, विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा आदिवासी व हरिजनों के लिए बेहतरीन ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना।

मृदा क्षरण रोकने तथा मिट्टी में आर्द्रता का स्तर बढ़ाने के लिए व्यापक मृदा सर्वेक्षण ; मृदा नमूना परीक्षण तथा भूमि सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, मध्य प्रदेश की छठी योजना (1980-85) में 416.10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। छठी योजना के प्रथम चार वर्षों (1980-81 से 1983-84 तक) के दौरान, कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए छठी योजना परिव्यय का लगभग 80 प्रतिशत उपयोग कर लिए जाने की आशा है।

जलपूर्ति और मल व्ययन संस्थान और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के निवास स्थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था

9310. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रदाय/मल व्ययन संस्थान और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन अधिकारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है, जिनके निवास स्थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक द्वारा 1 मार्च, 1983 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि के दौरान कितनी ट्रंक और स्थानीय टेलीफोन काल की गई ; और

(ग) क्या संसद सदस्यों की भान्ति उनकी ट्रंक और स्थानीय टेलीफोन कालों की भी कोई सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यीय कृषि उद्योग विकास निगम

9311. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कृषि उद्योग विकास निगम स्थापित किए गए हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक राज्य कृषि उद्योग विकास निगमों ने किस वर्ष तक अपना वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र को प्रस्तुत किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम अपना वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं करते रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्य कृषि उद्योग विकास निगमों के नाम क्या हैं ;

(ङ) क्या केन्द्र ने इस बारे में राज्यों को अनुस्मारक भेजे हैं ; और

(च) केन्द्र का विचार वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 17 राज्यों के नाम, जहां कृषि उद्योग विकास निगमें स्थापित की गई हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा केन्द्र को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों के ब्यौरे संलग्न (अनुबन्ध) विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) तथा (घ) जी, हां । राज्य कृषि उद्योग निगमों के ब्यौरे जिनकी रिपोर्ट आनी शेष हैं (अनुबंध) विवरण में देखी जा सकती हैं ।

(ङ) जी, हां।

(च) चूंकि निगमों का प्रबन्ध नियंत्रण राज्य सरकारों का है, निगमों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को ही समय पर वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होती है, ताकि संसद में प्रस्तुत की जा सके। वास्तव में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (2) के तहत सभी मामलों में ये रिपोर्टें राज्य विधान सभाओं की पटलों पर रखना भी जरूरी है। भारत सरकार वार्षिक रिपोर्टों को शीघ्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी मुद्दों को सम्बन्धित निगमों तथा राज्य सरकारों से बार-बार कह रही है।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों के नाम, जहां कृषि उद्योग विकास निगमें स्थापित की गई हैं	वर्ष तक, जिन राज्य कृषि उद्योग विकास निगम ने वर्ष की समाप्ति पर केन्द्र को वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	30 सितम्बर, 1979-80
2.	असम	31 मार्च, 1974-75
3.	बिहार	31 मार्च, 1976-77
4.	गुजरात	31 मार्च, 1981-82 (सिर्फ अंग्रेजी भाष्य)
5.	हरियाणा	30 जून, 1979-80 (सिर्फ अंग्रेजी भाष्य)
6.	हिमाचल प्रदेश	31 मार्च, 1982-83
7.	जम्मू व कश्मीर	31 मार्च, 1976-77
8.	कर्नाटक	31 मार्च, 1980-81
9.	केरल	31 मार्च, 1979-80
10.	मध्य प्रदेश	31 मार्च, 1975-76
11.	महाराष्ट्र	31 मार्च, 1982-83
12.	उड़ीसा	31 मार्च, 1979-80
13.	पंजाब	31 मई, 1978-79 (सिर्फ अंग्रेजी भाष्य)
14.	राजस्थान	31 मार्च, 1980-81
15.	तमिलनाडु	31 मार्च, 1981-82
16.	उत्तर प्रदेश	31 मार्च, 1978-79
17.	पश्चिमी बंगाल	31 मर्च, 1979-80

टिप्पणी : महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश के कृषि उद्योग विकास निगमों के अलावा सभी अन्य से रिपोर्टें आनी हैं।

गैर-परम्परागत तिलहनों को प्रयोग में लाना

9312. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वन मूल के वृक्षों अर्थात साल, महुआ आदि के रूप में उपलब्ध गैर-परम्परागत तिलहनों के समस्त उपयुक्त स्रोतों का प्रयोग नहीं कर रही है :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) सभी अप्रयुक्त स्रोतों के प्रयोग के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) वन वृक्षों के तिलहनों को अभी हाल में ही वाणिज्यिक महत्व मिला है। तथापि, देश व्यापी स्तर पर इसकी कुल क्षमता का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी किस्मों की आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन भी नहीं किया गया है। साल बीज जैसे कुछ तिलहनो को एकत्र करने का कार्य मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भण्डारण एवं परिसंस्करण संबंधी सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाई हैं। जब तक इन सभी बाधाओं से निपटा नहीं जाता, तब तक वन मूल के वृक्षों के सभी तिलहनों को एकत्र करना तथा उनका उपयोग करना सम्भव नहीं है।

(ग) राज्य सरकारों को इस मामले में समुचित ध्यान देने के बारे में पहले ही सलाह दी जा चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर 1 संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव ताकि राज्य सरकारों को तिलहन सहित लघु वन उत्पादन को इष्टतम सीमा तक एकत्र करने के कार्य में सहायता दी जा सके तथा ऐसे वन उत्पाद के पुनः सृजन को भी प्रोत्साहन दिया जा सके।

आनन्द बिहार, नई दिल्ली में "एल" ब्लाक में मदर डेरी का पोलीपैक दूध बेचने हेतु लाइसेंस

9313. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें "एल" ब्लाक, आनन्द बिहार, जेल रोड, नई दिल्ली में मदर डेरी के पौलीपैक दूध की बिक्री हेतु एक लाइसेंस मंजूर करने हेतु अनुरोध मिला है जिससे कि हरि नगर घंटाघर, जहां कि एक लाइसेंस-धारी है और जो उक्त स्थान से 2 किलोमीटर से भी अधिक दूर है, के समीपवर्ती डी० डी० ए० फ्लैटों में रहने वाले हजारों परिवारों को यह सुविधा दी जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से लाइसेंस नहीं दिया गया है और यथा-शीघ्र उक्त लाइसेंस देने के लिए उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) मदर डेरी का पोलीपैक दूध पहले ही एक दूकान, सी-ई/ , घंटाघर के निकट, हरिनगर से बेचा जा रहा है । एक इन्सूलेटिड कंटेनर भी एस. एल. ।, एल ब्लाक, आनन्द विहार, हरिनगर में कार्य कर रहा है । हरिनगर के निवासी उपरोक्त परिसर से दूध ले सकते हैं । मदर डेरी ने बताया है कि इसने डेरी की वर्तमान क्षमता को ध्यान में रखते हुए खुदरा दुकानों के माध्यम से दूध के विपणन की योजना बनाई है । इस लिये इस स्तर पर और अधिक खुदरा दुकानें खोलना डेरी के लिये संभव नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम में तकनीकी सहायक

9314. **श्री भोखाभाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने तकनीकी सहायकों के स्वीकृत पदों में, विशेष रूप से दिल्ली क्षेत्र में, भारी-कमी की है ;

(ख) यदि हां, तो पहले इस प्रकार के स्वीकृत पदों की संख्या क्या थी और इस समय ग्रेड वार तकनीकी सहायकों की संख्या क्या है ;

(ग) तकनीकी सहायकों के पदों की संख्या में कमी करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर पद मंजूर किए जाते हैं। किसी संवर्ग की मंजूर शुदा स्टाफ संख्या की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उसमें कार्य की मात्रा अथवा स्वरूप में परिवर्तन को ध्यान में रखकर कमी अथवा वृद्धि की जाती है । भारतीय खाद्य निगम में ग्रेड-वार तकनीकी सहायकों की वर्तमान स्टाफ संख्या नीचे दी जाती है :—

तकनीकी सहायक—I	1924
तकनीकी सहायक—II	1145
तकनीकी सहायक—III	1297

आवास योजनाओं के लिए राज्यों को दी गई सहायता

9315. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1984-85 के लिए प्रत्येक राज्य में कमजोर वर्गों की विभिन्न आवास योजनाओं हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : आवास राज्य का विषय है । बागान कर्मचारियों की केन्द्रीय क्षेत्र सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़कर, अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं और इनका

कार्यान्वयन विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वीकृत योजना परिव्यय से किया जा रहा है । सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों एवं समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी क्षेत्र या योजना से संबद्ध नहीं होती है ।

उर्वरकों का आयात

9316. **श्री नवीण रावणी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में कितने उर्वरकों का आयात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरक का आयात वर्ष प्रति वर्ष कम हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में उर्वरक का आयात रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि भारत में उत्पादक एककों के पास बड़ी संख्या में उर्वरक जमा हो गया है ; और

(घ) उर्वरक के आयात के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सम्बद्ध वर्षों के दौरान उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रायें आयात की गयी थी :—

वर्ष	पोषक तत्वों की मात्रा (लाख मीटरी टन में)
1980-81	27.59
1981-82	20.41
1982-83	11.32
1983-84	13.61 (अनन्तिम)

(ख) एक वर्ष में उर्वरकों के आयात की मात्रा खपत के रुख तथा उस आदान की देशी उपलब्धि पर निर्भर करती है ।

(ग)और(घ) देशी उर्वरकों की क्षमताका पर्याप्त विस्तार करने के लिए योजना बनायी जा रही है । फिर भी, जब देशी उत्पादन मांग से कम होता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ आयात करना आवश्यक है । आयात की जाने वाली मात्रा का मूल्यांकन देश के अन्दर देशी उत्पादन और उपलब्ध स्टाक को ध्यान में रखकर किया जाता है । उर्वरक की कम से कम मात्रा आयात करने तथा इसके साथ साथ देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान वास्तविक आयातों की निरन्तर समीक्षा की जाती है । दिनांक 1-2-1984 को देशी विनिर्माओं के पास उर्वरक का स्टाक 2.98 लाख मीटरी टन पोषक तत्व था, जबकि 1-2-1983 को यह 5.72 लाख मीटरी टन पोषक तत्व था ।

तिलहनों में तेल की मात्रा का पता लगाना

9317. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1984 के "डकेन हैराल्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा तिलहनों को नष्ट किए बिना ही उनमें तेल की मात्रा का पता लगाने के लिए एक तुरन्त और आसान तरीके का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परमाणु अनुसंधान शाला, नई दिल्ली ने तेल की मात्रा और नुकसान रहित मूल्यांकन के लिए सोफ्स्टीकेटेड न्यूक्लियर मैगनेटिक रिसोनेन्स (एन० एम० आर०) टेकनीक का सफलता पूर्वक प्रयोग किया है। अभी तक इसके द्वारा अनेक तिलहनी फसलों जैसे-सरसों, तोरिया, नारियल और अरंडी के तेल की मात्रा का विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस कार्य के लिए प्रयोग में लाये गये औजार में और अधिक सुधार लाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

गुजरात के लिए मंजूर की गई सिंचाई आधुनिकीकरण योजनायें

9318. **श्री छोटू भाई वसावा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के लिए कौन-कौन सी सिंचाई आधुनिकीकरण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ;

(ख) अभी भी विचाराधीन पड़ी परियोजनाओं की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गुजरात के लिए संभवतः स्वीकृत की जाने वाली शेष योजनाओं के बारे में क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा गुजरात की कोई आधुनिकीकरण स्कीम अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है । गुजरात सरकार ने 7 आधुनिकीकरण स्कीमों की परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग को तकनीकी जांच व योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की हैं । एक विवरण संलग्न है जिसमें इन स्कीमों के नाम तथा उनकी अनुमानित लागत और लाभ दिए गए हैं । इन स्कीमों का अनुमोदन तभी संभव होगा जब राज्य सरकार की सलाह से उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी ।

विवरण

क्रम सं०	आधुनिकीकरण परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	सिंचाई लाभ
1.	खारीकट नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	591.14	2.37
2.	माछु-एक का आधुनिकीकरण	691.70	2.61
3.	पालीथाना में स्थित शत्रुंजी का आधुनिकीकरण	1440.30	0.20
4.	फतेहवाड़ी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	1350.65	9.70
5.	उई-ककरापार का आधुनिकीकरण	8414.10	52.86
6.	दन्तीवाड़ा जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	1952.91	4.90
7.	भादर परियोजना का आधुनिकीकरण	1015.00	4.62

आवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी रोकने और पूर्ति बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम 1980 का कार्यान्वयन

9319. **श्री नवीन रावणी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने और पूर्ति बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1980, जिसमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को जनसमुदाय को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने हेतु उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्तियां दी हैं जिनकी गतिविधियां प्रतिकूल पायी जाती हैं, की राज्यों और संघशासी क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ शासी क्षेत्र में इस अधिनियम के अंतर्गत आज तक कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त आदेश को सख्ती से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और कुछ आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी अभी भी हो रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में इस अधिनियम को सख्ती से कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 में सरकार को इस बात की शक्ति की गई है कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी उन गतिविधियों से रोकने के लिए नजरबन्द कर सकती है, जो समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में किसी भी प्रकार से बाधक है। यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत में लागू किया जा सकता है। तथापि, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के उपबंधों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया था, क्योंकि वे नीतिगत तौर पर निवारक नजरबन्दी उपायों के हक में नहीं हैं। बाकी के अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से किसी ने भी इस तरह की अनिच्छा नहीं व्यक्त की है। इस अधिनियम के तहत आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली की राज्य सरकारों द्वारा अब तक जारी किए गए नजरबन्दी आदेशों का ब्यौरा **संलग्न विवरण** में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों को जोरदार ढंग से लागू करें।

विवरण

चोर बाजारी निवारण अधिनियम, 1980 के तहत जिन व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिये गये, उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण : 31-3-1984 तक, बताई गई स्थिति के अनुसार राज्यवार और वर्षवार जानकारी :

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नजरबन्दी के दिये गये आदेशों की संख्या						योग
		79 में	80 में	81 में	82 में	83 में	84 में (31-3-84 तक)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	15	4	11	—	30
2.	असम	—	—	1	—	—	5	6
3.	बिहार	—	25	1	8	5	—	39
4.	गुजरात	—	43	36	44	17	11	151
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	4	—	—	—	4
7.	कर्नाटक	2	41	8	7	—	—	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	केरल	—	—	—	—	—	—	—
9.	मध्य प्रदेश	—	28	31	22	31	1	113
10.	महाराष्ट्र	—	40	12	13	1	—	66
11.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—
12.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
13.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—
14.	उड़ीसा	—	14	10	4	4	—	32
15.	पंजाब	—	6	8	—	—	—	14
16.	राजस्थान	—	4	—	1	—	—	5
17.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	—	—	—	—	1	—	1
19.	उत्तर प्रदेश	7	38	62	39	34	8	188
20.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	—	—	—	1
21.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—
22.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
23.	दादरा व नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
24.	दिल्ली	8	10	—	—	1	—	19
25.	गोवा, दमण व द्वीप	—	—	—	—	—	—	—
26.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
27.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—
28.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—
29.	त्रिपुरा	} राज्य सरकार द्वारा अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है।						
30.	पश्चिम बंगाल							
31.	जम्मू व कश्मीर	} अधिनियम लागू नहीं होता।						
	योग :—	17	249	189	142	105	25	727

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना

9320. **श्री कृष्णचन्द्र पांडे** : क्या **खाद्य और पूर्ति नागरिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 25 चीनी मिलें स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नयी चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथा अभिस्तावित केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ अब तक 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदन पत्रों के प्रति 9 आशय पत्र प्रदान कर दिए गए हैं, 4 आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए हैं जबकि 2 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। केन्द्रीय सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक दिए गए लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर रही है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या लाइसेंस प्रदान करने के वर्तमान नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों ने पिछड़े हुए जिलों के विकास पर विशेष बल देने के साथ संतुलित अन्तर-क्षेत्रीय योजना के उद्देश्य को प्राप्त किया है और क्या उनकी और समीक्षा करने/उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लम्बित आवेदन पत्रों पर संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार करने की सम्भावना है।

अधिक पेड़ उगाओ अभियान

9321. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पेड़ उगाओ अभियान को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए किन उपायों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अधिक पेड़ उगाओ अभियान में राज्यवार कुल कितना अनुमानित खर्च हुआ ; और

(ग) इस अभियान के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अधिक वृक्ष लगाओ अभियान नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। अपनाये गये तरीके ये हैं :

(1) वन विभाग, वन विकास निगमों, मृदा संरक्षण, बागवानी, कृषि, सार्वजनिक निर्माण कार्य

सिंचाई, ग्रामीण विकास इत्यादि जैसे विभिन्न कृषि विभागों के माध्यम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।

(2) सार्वजनिक निकायों, नगर निगमों, विभिन्न संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों, आम जन युवाओं और बच्चों को शमिल करना

(3) फार्म वानिक के अन्तर्गत "प्रत्येक बच्चे के लिए एक वृक्ष-कार्यक्रम" के अन्तर्गत किसानों तथा बच्चों को पौदे की सप्लाई

(4) तकनीकी मार्गदर्शन तथा विद्यालय और किसान पौधशाला कार्यक्रम के तहत बीज, पौद, उर्वरक, कीटनाशी दवाइयां उपस्कर आदि आदानों जैसी समर्थ सेवायें प्रदान करना।

(5) रेडियो, टेलीविजन, अखबार, पम्पलेट, पुस्तिकाओं इत्यादि जैसे जन संचार माध्यम से वृक्षारोपण के लिए आम लोगों को शिक्षित करना।

(ख) और (ग) व्यय के बारे में राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। अनुबंध में दिये गये व्यय में वृक्षारोपण के लिए व्यक्तियों द्वारा किया गया अंशदान शामिल नहीं है।

विवरण

राज्य	व्यय (लाख रुपये में)		वनरोपण लगाई गई पौद (संख्या लाख में)	
	1982-83 (वास्तविक)	1983-84 (प्रत्याशित)	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1, आंध्र प्रदेश	206.56	460.00	1243.00	1576.71
2. असम	656.37	900.00	306.00	349.00
3. बिहार	449.82	586.00	901.00	1069.58
4. गुजरात	2017.46	2750.00	2468.00	2883.97
5. हरियाणा	301.00	585.00	760.00	906.17
6. हिमाचल प्रदेश	724.00	870.00	468.00	516.18
7. जम्मू और कश्मीर	233.00	284.00	205.00	108.86
8. कर्नाटक	632.57	884.13	1768.00	1950.00
9. केरल	288.14	350.00	619.00	649.97

1	2	3	4	5
10. मध्य प्रदेश	810.00	805.00	2839.00	2718.00
11. महाराष्ट्र	697.00	800.00	2276.00	1959.00
12. मणिपुर	80.46	113.00	69.00	86.42
13. मेघालय	126.81	110.00	82.00	63.11
14. नागालैंड	116.80	160.00	95.00	91.80
15. उड़ीसा	262.04	260.00	1038.00	1068.51
16. पंजाब	281.00	450.00	547.00	600.01
17. राजस्थान	368.34	388.00	368.00	580.70
18. सिक्किम	112.89	146.80	50.00	68.00
19. तमिलनाडु	1375.31	1636.84	1024.00	1177.98
20. त्रिपुरा	233.00	255.00	127.00	149.00
21. उत्तर प्रदेश	1584	2078.00	2305.00	3400.00
22. पश्चिमी बंगाल	487.51	622.00	677.00	734.00
संघ शासित क्षेत्र				
23. अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	80.53	108.00	84.00	84.38
24. अरूणाचल प्रदेश	264.56	360.00	108.00	124.84
25. चंडीगढ़	13.06	14.50	4.00	4.50
26. दादरा एवं नगर हवेली'	46.14	48.70	27.00	27.00
27. दिल्ली	13.97	17.19	31.00	28.38
28. गोवा दमन एवं द्वीव	93.55	110.00	26.00	23.85
29. मिजोरम	160.00	185.00	257.00	300.00
30. पांडिचेरी	4.60	7.12	13.00	2.67
31. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	—	0.43
कुल योग	12720.49	16344.28	20785.00	23303.02

सूखा प्रभावित राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की सीमा

9322. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रभावित राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की कोई सीमा निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का सूखाग्रस्त राज्यों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार धनराशि प्राप्त करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूखे से प्रभावित राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की कोई निर्धारित अधिकतम सीमा नहीं है। ज्ञापन के प्राप्त होने के पश्चात प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी जाती है, जिसकी या तो अन्तः मंत्रालयी दल की बैठक में अथवा केन्द्रीय दल द्वारा मौके पर किए गए अध्ययन और उच्च स्तरीय समिति द्वारा उनकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद जांच की जाती है।

(ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) गत तीन वर्षों में सूखा राहत के लिए स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता की वर्षवार अधिकतम सीमा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1981-82 से 1983-84 तक सूखा राहत के लिए विभिन्न राज्यों को स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता के व्यय की अधिकतम सीमा को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	26.25	68.77	28.26
2. असम	—	—	—
3. बिहार	—	25.1	8.98
4. गुजरात	—	30.60	9.18

1	2	3	4
5. हरियाणा	8.25	11.82	—
6. हिमाचल प्रदेश	2.65	13.02	—
7. जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
8. कर्नाटक	13.81	8.81	14.00
9. केरल	—	4.10	42.46
10. मध्य प्रदेश	—	40.99 ×	22.29
11. महाराष्ट्र	—	50.81	11.63
12. मणिपुर	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—
15. उड़ीसा	—	19.78 ×	24.65
16. पंजाब	—	—	—
17. सिक्किम	—	—	0.04 0.09 (1984-85 के लिए)
18. राजस्थान	87.83	74.00	39.85
19. तमिलनाडु	49.77	18.39	59.15
20. त्रिपुरा	1.10	0.91	—
21. उत्तर प्रदेश	—	—	1.57
22. प० बंगाल	1.50	74.27	30.59
23. पांडिचेरी	—	0.31	0.44
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.09
25. मिजोरम	—	—	1.43
कुल	191.16	441.59	294.61 0.09 294.70 (1984-85 के लिए)

× मध्य प्रदेश (6.63), उड़ीसा (3.80) के सम्बन्ध में बकाया भी शामिल है।

मत्स्य उद्योग के विकास के लिए नई योजनाएं

9323. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मत्स्य उद्योग के विकास के लिए कुछ नई योजनायें शुरू की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और ऐसी योजनाएं कब शुरू की गई थीं ; और

(ग) उक्त योजनाएं, समुद्री मछली और समुद्री मत्स्य उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कहां तक सहायक हुई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी हां । छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा समुद्री मात्स्यकी क्षेत्र में मंजूर की गई / शुरू की गई नई योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : —

क्र० सं०	नाम	छठी योजना के दौरान मंजूर किया गया परिव्यय	कब मंजूर की गयी
1.	अखिल भारतीय समुद्री मछली विपणन सम्बन्धी अध्ययन	20	1979
2.	ट्रावलर विकास सम्बन्धी निधि	5000	जहाजरानी विकास धनराशि समिति द्वारा मत्स्यन कम्पनियों को ऋणों के व्यक्तिगत मामले जब भी प्राप्त होते हैं उन पर विचार किया जाता है ।
3.	काष्ठ आवरण ट्रालर बनाना	100	1982-83
4.	छोटे पत्तनों पर मत्स्यन जलयानों के लिए माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधाएं	1900	व्यक्तिगत मामले जब कभी प्राप्त होते हैं उन पर विचार किया जाता है ।
5.	बड़े पत्तनों पर मत्स्यन जलयानों के लिए माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधाएं	1700	(4) के अनुसार
6.	मछुवा समुदाय का तकनीक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण	18	1982-83
7.	सक्रिय मछुवारों की ग्रुप बीमा योजना के लिए राज-सहायता	108	1982-83
8.	मछुवारों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि	39.5	1984-85

(ग) समुद्रीय मछली उत्पादन 1971 के 11.6 लाख मीटरीटन से बढ़कर 1982 में 14.4 लाख मीटरीटन हो गया है। 1983 में 15.3 लाख मीटरीटन का अनुमान लगाया गया है। निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों का मूल्य 1971-72 के 44.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 1982-83 में 361.00 करोड़ रुपए तक हो गया है।

उड़ीसा में मवेशियों के लिए स्वास्थ्य नियंत्रण उपाय

9324. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में मवेशियों की संख्या के बारे में प्रभावी स्वास्थ्य नियंत्रण उपायों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) राज्य में कार्यरत पशु औषधालयों पर पशुधन सहायता केन्द्रों की संख्या क्या है ; और

(ग) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत खुरपका और मुंहपका रोग नियन्त्रण और पशुप्लेग निगरानी तथा निरोधक टीका कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उड़ीसा राज्य को सहायता दे रही है।

(ख) तथा (ग) राज्य में 513 पशु चिकित्सा औषधालय (पशु चिकित्सा अस्पतालों सहित) और 2775 पशुधन सहायता केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से 426 पशु चिकित्सा औषधालय और पशुधन सहायता के सभी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

बालेश्वर, उड़ीसा में मछली पालन का समेकित विकास

9325. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के बालासोर जिले के तटवर्ती क्षेत्र में मछली पालन के समेकित विकास के लिए एक परियोजना को तैयार करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी और क्या किसी देश द्वारा सहायता देने की पेशकश की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दी जायेगी और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस परियोजना के लिए स्थान उड़ीसा के बल्सोर जिले में कासाफल में है। इसका उद्देश्य जनसंख्या के कमजोर वर्गों, जो सामान्य रूप से परम्परागत मछुआरे हैं, के जीवन स्तर में सुधार करना है। मात्स्यकी को विकास का मुख्य साधन होने के कारण चुना गया है। इसमें सड़कों, बर्फ के संयंत्र, शीतागर का निर्माण तथा विपणन परिस्थियों में सुधार करना शामिल है। इस परियोजना में पीने के पानी की सप्लाई, मछली तराई (क्युरिंग) यार्डों, सेवा केन्द्रों, कार्यशाला, जेटरी के निर्माण तथा स्थानीय मछुआरों के लिए आवास चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था है।

परियोजना प्रस्ताव मई, 1983 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी नारवेजियन एजेन्सी को भेजा गया था। तथ्यों का पता लगाने वाले एक नारवेजियन शिष्ट मंडल ने नवम्बर, 1983 में स्थान का दौरा किया था। अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी नारवेजियन एजेन्सी ने वर्ष 1984-85 से 1987-88 के लिए परियोजना हेतु 250 लाख नारवेजियन क्रोनर के अनुदान की सिफारिश की है। परियोजना का कुल परिव्यय लगभग 261 लाख रुपए है।

(घ) निर्माण कार्य इस सम्बन्ध में भारत सरकार और नार्वे सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात ही शुरू किया जा सकता है।

झूम खेती करने वालों की संख्या में कमी

9326. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा झूम खेती करने वालों की संख्या में राज्य-वार कमी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) व्यवस्थित कृषक बनाने के लिए राज्य-वार कुल कितने परिवारों का पता लगाया गया है ;

(ग) राज्यों द्वारा उन लोगों के लिए, जिन्हें वन भूमि से बेदखल किया गया था, क्या वैकल्पिक उपाय अपनाये गये हैं ; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा झूम खेती में कमी करने के लिए राज्यों को क्या विकासात्मक उपायों, यदि कोई है, का सुझाव दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) झूम खेती के नियंत्रण और इस प्रकार झूम खेती करने वाले किसानों की संख्या में कमी करने के सम्बन्ध में किये गये उपाय **विवरण-I** में दिये गये हैं।

(ख) 1983 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कृतक बल द्वारा किए गए अध्ययन में यह अनुमान लगाया है कि झूम खेती करने वाले परिवारों की संख्या 6,22,236 है। ब्यौरा

विवरण 2 में दिया गया है। कृतक बल ने व्यवस्थित खेती सहित लाभोन्मुखी कार्यक्रमों की सिफारिश की है ताकि सतत आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

(ग) कृतक बल के अध्ययन से झूम खेती के कारण बेदखल किये गये लोगों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी का पता नहीं चलता।

(घ) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में झूम खेती को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय और उन्हें राज्यों को भेजे जाने से सम्बन्धित जानकारी विवरण-1 दी गई है।

विवरण-1

झूम खेती के नियंत्रण के लिए किये गये उपाय

(क) केन्द्रीय सरकार

(1) केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 1977-78 में झूम खेती पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी एक मार्गदर्शी योजना शुरू की गई थी जिसमें सामान्य रूप से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा शामिल हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1979 से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था। तथापि, यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के दो संघ शासित क्षेत्रों में जारी है।

(2) भारत सरकार ने देश में झूम खेती की समस्या का अध्ययन करने और इस पद्धति से लोगों को मुक्त कराने सम्बन्धी सुझाव देने के लिए कृतक बल की नियुक्ति की है। कृतक बल ने अक्तूबर, 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कृतक दल द्वारा की गई सिफारिशों और झूम खेती बोर्ड द्वारा पृष्ठांकित किए जाने के आधार पर भारत सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ख) उत्तरी पूर्वी परिषद

पांचवीं योजना के दौरान झूम खेती करने वाले लगभग 5500 परिवारों को उत्तरी पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बसाया गया। छठी योजना के दौरान और 3700 परिवारों को बसाये जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम को बढ़ाने और इसे सातवीं योजना के दौरान जारी रखने का भी प्रस्ताव है।

(ग) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र

(1) सामान्यतः सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी कार्यक्रम झूम खेती पद्धति के विकल्प के रूप में आय सृजित करने वाले रोजगार उपलब्ध कराते हैं। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में स्थायी खेती, बागानों फसलों और अन्य व्यवसायों जैसे

मछली पालन, सूअर पालन आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए विशेष लाभोन्मुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(2) झूम खेती पर रोक लगाने के लिए उत्तरी पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विनियम भी बनाए गए हैं।

विवरण-2

कृतक बल द्वारा झूम खेती करने वाले अभिज्ञात किए गए परिवारों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवारों की संख्या
राज्य :		
1.	आन्ध्र प्रदेश	23,200
2.	असम	58,000
3.	बिहार	12,200
4.	मध्य प्रदेश	2,500
5.	मणिपुर	70,000
6.	मेघालय	52,290
7.	नागालैण्ड	1,16,046
8.	उड़ीसा	1,41,000
9.	त्रिपुरा	43,000
संघ राज्य क्षेत्र		
10.	अरूणाचल प्रदेश	54,000
11.	मिजोरम	50,000
	कुल	6,22,236

वंशधारा नदी में बाढ़ के लिए केन्द्रीय सहायता

9327. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 के दौरान वंशधारा नदी में बाढ़ के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता में गांवों तथा कोरापुट जिले के गुनुपुर उप-डिवीजन में गुदड़ी और गुनुपुर कस्बों की सुरक्षा के लिये विभिन्न स्थानों पर तटबंधों का निर्माण भी शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से नये तटबंध बनाये गये हैं और पुराने तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाई गई है और केन्द्रीय सहायता में इसके लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या गुनुपुर कस्बे में पुराने तटबंधों की मरम्मत कर दी गई है और कस्बे को बाढ़ से बचाने के लिये उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके तटबंधों की ऊंचाई 1980 में आई बाढ़ के स्तर तक न बढ़ाने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्र द्वारा इसके लिये धन की व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) यदि यह कस्बा तटबंधों की वर्तमान ऊंचाई से सुरक्षित है, तो केन्द्र ने वर्ष 1980 की बाढ़ हेतु धन की व्यवस्था क्यों की जबकि वर्ष 1972 के बाढ़ सुरक्षा के कार्यों के लिये धन की व्यवस्था नहीं की थी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1980 की बाढ़ों के पश्चात केन्द्रीय सहायता से क्षतिग्रस्त संरचनाओं को बाढ़ से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए केवल उनकी मरम्मत के वास्ते आवंटित की गई थी और न तो मौजूदा तटबंधों की ऊंचाई को बढ़ाया गया था और न ही नये तटबंधों का निर्माण किया गया था। राज्य सरकार ने आगे यह भी सूचित किया है कि 1980 की बाढ़ों के पश्चात बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत के लिये वंशधारा बेसिन में 1.23 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

सिंचाई सुविधाएं पैदा करना

9328. **श्री के० प्रधानी : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई सुविधाएं पैदा करने के सम्बन्ध में छोटे किसानों की विकास एजेंसी (एस० एफ० डी० ए०) की परियोजनाओं के प्रभाव और इन योजनाओं के अनुभव/प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है तथा व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत, 1971 में इसे शुरू करने के बाद से अब तक, इन योजनाओं के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उसका कोई लाभ उठाया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के छोटे सिंचाई कार्यों के अंतर्गत विकास की कौन-कौन सी मदों को शुरू किया जा सकता है ; और

(घ) उड़ीसा में यह कार्यक्रम किस सीमा तक सफल हुआ है और उसके क्या सकरात्मक परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) देश में लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम को तत्कालीन खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया था। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 1974-75 के दौरान उड़ीसा राज्य के गंजम और कटक जिलों सहित देश के विभिन्न राज्यों में 21 लघु कृषक विकास अभिकरण तथा 13 सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित परियोजनाओं के अध्ययन किए गए थे।

कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में ली गई लघु सिंचाई स्कीमें मुख्यत: खुदाई कुओं, नलकूपों, कुओं/पम्पसेटों सामुदायिक सिंचाई आदि के निर्माण से सम्बन्धित थी। रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों का सारांश **विवरण** 1 में दिया गया है। उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध गंजम और कटक जिलों के वास्ते कार्यक्रम के संचलन को **विवरण**-2 में दिया गया है। लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक कार्यक्रमों के स्थान पर अक्तूबर, 1980 से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के वास्ते लघु और सीमान्त कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए 1983-84 में एक नए कार्यक्रम को चालू किया गया था।

विवरण-1

1. परियोजना क्षेत्रों में लाभान्वित हुए कृषकों की सबसे अधिक दूसरी संख्या लघु सिंचाई से सम्बन्धित कार्यक्रमों से है। विभिन्न कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले प्रत्येक आठ कृषकों में से लगभग एंक ने उनका लाभ उठाया था। लघु कृषक विकास अभिकरण में कुल लाभार्थियों के 20% और सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक में 3% इस गणना में आते हैं। कार्यक्रम का विस्तार लघु कृषक विकास अभिकरण में उत्तम था।

2. कुछ क्षेत्रों में सिंचाई कार्यक्रमों में सहभागिता की कम दर भूमिगत जल सर्वेक्षणों के अभाव, निर्माण सामग्रियों को प्राप्त करने में कठिनाइयों, भूमिगत जल विभाग से स्वीकृति देने में विलम्ब, सम्बन्धित राज्य विभागों से तकनीकी सहायता तथा सहयोग के अभाव जैसे कारणों से हो सकती है।

3. लघु सिंचाई स्कीमों से कृषकों को एक से अधिक फसल उगाने और उच्च उत्पादन वाली किस्मों को अपनाने में सहायता मिली है। इससे कृषकों की विशेषतया लघु कृषक विकास अभिकरण वाले क्षेत्रों में, अतिरिक्त आय में काफी अधिक बढ़ोत्तरी करने में सहायता मिली है। इन स्कीमों द्वारा प्राप्त की गई समग्र शुद्ध औसत आय लघु कृषक विकास अभिकरण क्षेत्रों में 1,871 रुपए और सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक वाले क्षेत्रों में 994 रुपए हैं। विभिन्न स्कीमों में से खुदाई कुएं अधिक लाभदायक है और पम्पसेटों से न्यूनतम आय प्राप्त होती है। परियोजना सहायता की दृष्टि से विवेचन करने पर भी खुदाई कुंए सबसे अधिक सफल रहे हैं। ऋणों के रूप में खुदाई कुओं से आय में शुद्ध वृद्धि लघु कृषक विकास अभिकरण के मामले में लगभग 55 और सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिकों के मामले में 37 थीं।

4. उन परियोजनाओं के क्षेत्रों में जहां पर परियोजना स्तर पर अथवा ब्लाक स्तर पर पर्याप्त स्टाफ तैनात नहीं किया गया था, सामान्यत: लघु सिंचाई कार्यक्रमों की अधिक प्रगति नहीं हुई है। उचित पर्यवेक्षण न रहने के कारण ऋणों का दुरुपयोग होने की सूचनाएं मिली थीं, कुछ क्षेत्रों में कम लाभ प्राप्त होने के कारण इसके विस्तार सहायता का अभाव है। कुछ क्षेत्रों में विभिन्न संबंधित विभागों के बीच अपर्याप्त समन्वय के कारण कार्यक्रम को धक्का पहुंचा है। बहुत से क्षेत्रों में सहभागिता की दर पर विखण्डन

तथा जमीनों के दूर-दूर होने, भूमिगत जल सर्वेक्षणों के न किए जाने के कारण जल की उपलब्धता में अनिश्चितता, निर्माण सामग्रियों के प्राप्त करने में कठिनाइयों से उत्पन्न निराशा तथा पम्पसेटों के अर्जन में विलम्बों के कारण भी बुरा प्रभाव पड़ा है ।

विवरण-2

क्रम संख्या	गंजम जिला	कटक जिला
लघु कृषक/सीमान्त कृषक/कृषि श्रमिकों की अभिज्ञात कुल संख्या	80279	33915
1. खुदाई कुएं/कुंओं का नवीकरण		
क. निर्धारित लक्ष्य (संख्या)	—	—
ख. कवर किए गए की संख्या	12859	2601
ग. कुल अभिज्ञात के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	16.02	7.67
घ. निर्धारित लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	—	—
2. नलकूप कार्यक्रम		
क. निर्धारित लक्ष्य (संख्या)	—	—
ख. कवर किए गए की संख्या	9	—
ग. कुल अभिज्ञात के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	0.01	—
घ. निर्धारित लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	—	—
3. पम्पसेटों तथा पम्पसेटों के साथ कुओं का प्रतिष्ठापन		
क. निर्धारित लक्ष्य (संख्या)	—	—
ख. कवर किए गए की संख्या	53	105
ग. कुल अभिज्ञात के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	0.07	0.31
घ. निर्धारित लक्ष्य के रूप में कवर किए गए की संख्या	—	—

4. सामुदायिक सिंचाई		
क. निर्धारित लक्ष्य (संख्या)	—	—
ख. कवर किए गए की संख्या	8410	1467
ग. कुल अभिज्ञात के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	10.47	4.32
घ. निर्धारित लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	—	—
5. अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
क. निर्धारित लक्ष्य (संख्या)	—	—
ख. कवर किए गए की संख्या	—	—
ग. कुल अभिज्ञात के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	—	—
घ. निर्धारित लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	—	—
6. अखिल भारतीय लघु सिंचाई निर्माण-कार्य		
क. निर्धारित लक्ष्य (संख्या)	—	—
ख. कवर किए गए की संख्या	21,331	4,173
ग. कुल अभिज्ञात के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	26.57	12·30
घ. निर्धारित लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए की संख्या	—	—

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में भूमि संरक्षण योजना के लिए राजसहायता

9329. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत राजसहायता देने का प्रस्ताव नवम्बर, 1980 में किसी दिन प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह को भूक्षरण से भूमि की सुरक्षा और भूमि के सुधार के लिए सतत भूमि संरक्षण उपायों की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से मई, 1981 में परिपूर्ण प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था जिसे प्रशासन ने अक्तूबर, 1983 में भेजा । छठी योजना के दौरान उक्त संघ राज्य क्षेत्र में कृषकों और सहकारी समितियों को ऋण एवं राजसहायता स्वीकृत करने की शर्तों में छूट देने सम्बन्धी प्रस्ताव को भारत सरकार ने विशेष मामले के रूप में स्वीकार कर लिया है तथा आवश्यक संस्वीकृति 6 मार्च, 1984 को जारी कर दी गई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के अन्तर्गत सुन्दरवन का विकास

9230. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (एक विश्व बैंक संस्था) जिसे 1982 के अन्त में शुरू किया गया था, के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में सुन्दरवन के विकास में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को किन मुख्य क्षेत्रों में शुरू किया गया है ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितना धन अन्तर्ग्रस्त है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1981-82 से पश्चिम बंगाल सरकार कृषि विकास से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय निधि की सहायता से सुन्दरबन विकास परियोजना को क्रियान्वित कर रही है । अब तक परियोजना के अन्तर्गत 90 सेन्टीमीटर व्यास के तेईस ह्यूम पाइप स्ल्यूइसों का निर्माण किया जा चुका है और 26 पाइप स्ल्यूइसों पर निर्माण कार्य चल रहा है । 13.5 किलोमीटर लम्बे मुख्य नाले के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा निर्माण कार्य शुरू हो चुका है । 42 किलोमीटर लम्बे परित्यक्त नाले की पुन: खुदाई की गई है तथा 156 हैक्टार भूमि में कन्टूर बांधों का निर्माण किया गया है ।

अवसंरचना सुविधाओं के सम्बन्ध में पांच प्रबलित सीमेन्ट के ठोस जैटियों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है तथा चार अतिरिक्त जैटियों में निर्माण कार्य चल रहा है । बांधों में

पहुंचने के लिए 88.6 किलोमीटर मार्ग में खड़ंजे बिछाए जा चुके हैं तथा अतिरिक्त 65 किलोमीटर में कार्य चल रहा है। 24 पुलियों का निर्माण किया जा चुका है तथा 60 का निर्माण कार्य चल रहा है।

दो खारे पानी वाले मत्स्य फार्म अर्थात् एक झारखली में तथा दूसरा महीसनी में, तैयार किए जा रहे हैं। झारखली में 50 हैक्टार क्षेत्र में एक तालाब तथा दो वाक्स-स्लूइसों का निर्माण किया जा चुका है। महीसनी में तालाबों तथा पुस्तों के निर्माण के लिए 75 हैक्टार क्षेत्र में कार्य चालू है।

सामाजिक वानिकी के सम्बन्ध में, 740.7 किलोमीटर पट्टी में वृक्ष रोपण का कार्य पूरा हो गया है तथा लगभग 70 हैक्टार क्षेत्र में आशंकु फलों का प्रयोगात्मक वृक्षारोपण कार्य भी पूरा हो चुका है।

(ख) कृषि विकास से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय निधि से सहायता प्राप्त परियोजना के कार्य के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

(1) नालियां तथा सिंचाई विकास ;

(2) भौतिक अवसंरचना सुविधाओं का सुधार ;

(3) खारे पानी में जल कृषि ; तथा

(4) सामाजिक वानिकी।

(ग) परियोजना की कुल लागत 31.8 करोड़ रुपए हैं।

जल स्रोत

9331. **श्री ए०के० राय :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में देश में भूमिगत और औसत वर्षा से कुल कितना जल प्राप्त हुआ ;

(ख) इसमें से कितना जल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सका या उसका बांधों में भंडार किया जा सका तथा पानी की कुल मात्रा में इसका प्रतिशत क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि देश में जल स्रोतों की क्षमता का उपयोग अधिकतम से काफी कम किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जल संसाधनों का मूल्यांकन

एक गतिशील प्रक्रिया है तथा सादृश्य आँकड़ों के आधार पर मूल्यांकन की समय-समय पर पुनरीक्षा करने की आवश्यकता होती है। देश में वर्षापात तथा हिमपात से मूल्यांकित जल की मात्रा 400 मिलियन हैक्टेयर मीटर है। इसमें से 178 मिलियन हैक्टेयर मीटर भूतल प्रवाह के रूप में है तथा 44.4 मिलियन हैक्टेयर मीटर जल भूमि में रिस जाता है और भूमिगत जल के रूप में मिलता है। वाष्पीकरण के कारण शेष जल का ह्रास हो जाता है।

(ख) भूतल प्रवाह का 67 मिलियन हैक्टेयर मीटर अर्थात् भूतल प्रवाह का 37.5% और भूमिगत जल का 31 मिलियन हैक्टेयर मीटर अर्थात् भूमिगत जल रिचार्ज का 70% जल अन्ततः सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि अधिशेष नदी बेसिनों का जल कमी वाले क्षेत्रों में पहुँचा दिया जाए तो 22.2 मिलियन हैक्टेयर मीटर जल का भी उपयोग किया जा सकता है।

देश में लगभग 376 मिलियार्ड क्यूविक मीटर कुल संचयन क्षमता सृजित की जा सकती है।

(ग) और (घ) अभी तक 27.1 मिलियन हैक्टेयर मीटर भूतल जल तथा 17.3 मिलियन हैक्टेयर मीटर भूमिगत रिचार्ज जल सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। भूजल के मामले में इस समय उपयोगिता की प्रतिशतता लगभग 40 है तथा भूमिगतजल के मामले में 56 है।

देश में सिंचाई की अन्ततः सृजनीय क्षमता अनुमानतः 113 मिलियन हैक्टेयर है जिसके इस शताब्दी के अन्त तक या उसके तुरन्त बाद प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है और यह आशा की जाती है कि तब जल के सभी उपयोज्य संसाधनों का उपयोग कर लिया जाएगा।

सिंचाई की लागत

9332. **श्री० ए० के० राय** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़ी, मझौली और छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा भूमि की सिंचाई पर प्रति एकड़ कितना निवेश किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर सिंचाई लागत कम आती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग) : प्रति हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र परियोजनाओं की औसत लागत निम्न प्रकार है :—

परियोजना का वर्ग	वार्षिक सिंचाई की प्रति हैक्टेयर लागत (रुपये)
1. बृहद	17750
2. मध्यम	21300
3. लघु	
(क) भूतल	15000
(ख) भूमिगत जल	6000-7000

बृहद, मध्यम तथा भूतल जल लघु सिंचाई स्कीमों की तुलना में भूमिगत जल लघु सिंचाई परियोजनाएं सस्ती हैं ।

प्रति यूनिट सिंचित क्षेत्र सिंचाई परियोजनाओं की लागत में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा भिन्न-भिन्न परियोजना में बहुत फर्क होता है जो स्थलाकृति तथा कई अन्य कारणों पर निर्भर करती है ।

सिंचाई क्षमता

9333. **श्री ए० के० राय : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी, मझोली और छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा 1 जनवरी, 1984 तक कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता पैदा की गई ;

(ख) देश में उसकी सिंचाई की कुल कितनी क्षमता है और वह कितने प्रतिशत पूरी हुई है ;

(ग) वर्ष 1983-84 में बड़ी, मझोली और छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचित वास्तविक क्षेत्र के रूप में क्षमता का कितना उपयोग हुआ ;

(घ) क्या यह सच है कि क्षमता का उपयोग कम हो रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सिंचाई क्षमता के सृजन तथा इसके उपयोग की रिपोर्ट भेजने का वर्ष जुलाई से जून है । बृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से सृजित की जाने वाली प्रत्याशित कुल क्षमता जून, 1984 तक लगभग 65.6 मिलियन हैक्टेयर है, जो 113 मिलियन हैक्टेयर अन्ततः सृजनीय क्षमता का 58% है ।

(ग) यह प्रत्याशा है कि जून 1984 तक क्षमता का उपयोग लगभग 60.5 मिलियन हैक्टेयर होगा।

(घ) और (ङ) छठी योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान सृजित संचयी सिंचाई क्षमता तथा इसका उपयोग ह्रास प्रवृत्ति का संकेत नहीं देता है और यह उपयोग सृजित क्षमता का 82 से 83% के बीच है। तथापि, सृजित क्षमता तथा इसके उपयोग के बीच के अन्तराल को भरने के लिए निम्तलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. 5-8 हैक्टेयर ब्लाकों तक खेत नालियों का निर्माण ; तथा

2. चुनिन्दा परियोजनाओं पर कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का सृजन।

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की किस्म में गिरावट

9334. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत सप्लाई किये गये दूध की किस्म में गिरावट आने के बारे में शिकायतें की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की तथा कुल कितनी शिकायतें प्राप्त की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का दूध सप्लाई किया जाये, क्या उपाय किये गये हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई दैनिक जांच पड़ताल की जाती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान, दिल्ली दुग्ध योजना को दूध में मिलावट से सम्बन्धी 13 शिकायतें और दूध का दही जम जाने से सम्बन्धी 7 शिकायतें प्राप्त हुई। दूध में मिलावट से सम्बन्धी शिकायतों में से केवल एक सही पाई गई और डिपो कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। दूध का दही जमने का कारण क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं बल्कि उपभोक्ता द्वारा उसे लम्बी अवधि तक संग्रह करना था।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने आवक शुद्ध दूध, सप्रेटा दूध पाउडर और बटर आयल के परीक्षण हेतु एक सुसज्जित गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला स्थापित की है। यह प्रयोगशाला केन्द्रीय डेरी में परिसंस्कृत दूध की सभी बैचों का बार-बार परीक्षण करती है। भराई और वितरण के लिए दूध की निर्मुक्ति केवल गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशाला के द्वारा इसको प्रमाणीकृत किए जाने के पश्चात की जाती है। दूध डिपुओं और घर पर पहुंचाने वाले एजेंटों से दूध के नमूने प्रयोगशाला और क्षेत्रीय निरीक्षक स्टाफ द्वारा एकत्र किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी बेईमान डिपो कर्मचारी/घर पहुँचाने वाले एजेंट द्वारा दूध में मिलावट न की जाए। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष छापे भी मारे जाते हैं और दूध की गाडियों और दूध के बूथों से दूध के नमूने लिए जाते हैं।

राजधानी में गर्मियों में बिना फिल्टर किये पानी की कमी

9335. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1981, 1982 और 1983 की गर्मियों में बिना फिल्टर किए पानी की भारी कमी हो गई थी ;

(ख) क्या इस वर्ष गर्मी के मौसम में कमी को दूर कर पानी की सप्लाई बढ़ा कर करने के कोई प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार के प्रबन्ध किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में कच्चे पानी की कमी महसूस की गई ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जिन क्षेत्रों में पानी की कमी महसूस की गई उनमें कुछ पाइप लाइनों को हटा कर अधिक ब्यास वाली सी. आई. पाइप लाइनों को बिछाया गया है ।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

"गुजरात ग्राउन्डनट पोलिसी नॉट इन नेशनल इंट्रस्ट" शीर्षक से समाचार

9336. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1984 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में "गुजरात ग्राउण्ड-नट पोलिसी नौट इन नेशनल इन्ट्रस्ट" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि मूंगफली के तेल का मुख्य कारण है मूंगफली के तेल को राज्य से बाहर ले जाने पर फिर से अनौपचारिक प्रतिबंध लगाने का गुजरात सरकार का निर्णय ; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात से मूंगफली के तेल को राज्य से बाहर ले जाने पर अनौपचारिक प्रतिबंध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है तो वह क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) व (ख) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल नीति अपनाई है और उसके

द्वारा गुजरात से बाहर खाद्य तेल ले जाने पर कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, तथापि, व्यापारियों को राज्य से बाहर भेजे जाने वाले खाद्य तेलों के बारे में संबंधित समाहर्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में पूर्व सूचना देनी होती है।

हुडको के लिए अधिकतम लागत और आय पात्रता के लिए मापदंड

9337. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुडको द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं के वित्त पोषण हेतु पात्रता लिए अधिकतम लागत और आय के मापदंडों की पुनरीक्षा की गई है और 1 जुलाई, 1982 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग श्रेणियों का विलय कर दिया गया है ;

(ख) क्या पुनर्वर्गी करण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रगति रिपोर्टों में नगरीय (क) और (ख) को उचित रूप से दर्शाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवासों के बजाय नगरीय आवास (क) और (ख) की प्रगति रिपोर्ट देने के बारे में गुजरात राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हुडको को वित्तीय सहायता के लिए मानदंड 1.7.1982 को संशोधित किए गए थे। संशोधित मानदण्डों के अनुसार, आय के मुताबिक लाभ-भोगियों का वर्गीकरण वही रहा लेकिन समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग समूह के लाभ-भोगियों को किसी भी योजना अर्थात स्थल तथा सेवाएं, कोर आवास, स्केलटल आवास, मलिन बस्ती उन्नयन, शहरी आवास "ए" शहरी आवास "बी" तथा प्लाटों के विकास वर्ग ए तथा बी, का चयन करने का पात्र बनाया गया जो उनकी सामर्थ्यता पर निर्भर करता है।

(ख) तथा (ग) हुडको को गुजरात सरकार से नगर आवास "ए" तथा नगर आवास "बी" के लिए प्रगति रिपोर्ट का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, जुलाई, 1982 के पश्चात् नगर आवास "ए" तथा "बी" कहलाने वाली आवास योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग श्रेणियां शामिल हैं, नगर विकास "ए" तथा नगर विकास "बी" रिहायशी एककों की प्रगति बताते हुए आवास अभिकरणों द्वारा प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है।

वैराइटल रिलीज कमेटीज

9338. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1978 और 1984 के बीच वैराइटल रिलीज कमेटियों का गठन किया था, यदि हां, तो इस प्रकार पौधों और पशुओं की किस्मवार गठित प्रत्येक कमेटी में कौन-कौन

सदस्य थे ; नाम निर्देशन की तारीख, सदस्यता के चयन का आधार, कार्य की शर्तें और अवधि तथा इसके साथ-साथ तिथि-वार रिलीज करने के लिए स्वीकृत किस्मों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ये रिलीज कमेटियाँ किस्म निष्पादन के लिए संगठनों के दावों की विश्वसनीयता किस प्रकार सुनिश्चित करती हैं तथा 1980 और 1984 के दौरान वर्ष-वार जारी की गई नई किस्मों में प्रजनन बीजों की मात्रा या प्रजनन योग्य मादाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) यदि सरकार इनके जारी करने के बावजूद बीजों की मात्रा या मादाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पाती है जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थानों की किस्मों सहित पुरानी किस्में अभी भी प्रचलित हैं, तो सरकार का विचार इस बारे में जांच समिति बैठाने सहित क्या कार्रवाई करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1978 से 1984 के दौरान भारत सरकार ने पौध/फसल-वार और पशु प्रजाति-वार बराइटल रिलीज कमेटियों का गटन नहीं किया। तथापि, इस समय केन्द्रीय बीज समिति के अन्तर्गत विभिन्न किस्मों को निर्मुक्त करने के सम्बन्ध में एक केंद्रीय उप समिति है। उस समिति की कार्यावधि दो वर्ष के लिए है जो केंद्रीय बीज समिति की कार्यावधि के साथ समाप्त होगी। 1978 से 1984 के दौरान किस्मों की निर्मुक्ति के सम्बन्ध में केंद्रीय उप-समिति का दो बार गठन किया गया था, जिसके सदस्य प्रमुख वैज्ञानिक, बीज उत्पादक और राज्य सरकारों के कृषि निदेशक थे। उप-समिति का प्रमुख कार्य नई किस्में निर्मुक्त करने सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच करना और उन किस्मों, जो उपयुक्त पाई जाती हैं, की निर्मुक्ति की सिफारिश करना है।

(ख) यह उप समिति कृमि और रोग प्रतिरोधी उपज, कृषि विषयक विशेषताओं और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीज की नई किस्मों की निर्मुक्ति सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच करती है। 1980 से 1984 के दौरान बीज की 5 संकर किस्में निर्मुक्त की गईं। केवल इन 5 मामलों में ही मादा प्रजनक बीज की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धि का प्रश्न होता है। अभी तक इन बीजों की उपलब्धि के मामले में किसी प्रकार की बाधा पैदा होने की कोई सूचना नहीं मिली है। फिर भी, प्रजनन बीजों का उत्पादन 1981-82 के 3915 क्विंटल से बढ़कर 1983-84 में लगभग 23,600 क्विंटल हो गया।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की याद में दिल्ली में भव्य स्मारक का निर्माण

9339. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की याद में दिल्ली में एक भव्य स्मारक बनाने की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा इसका निर्माण सम्भवत: कब तक पूरा हो जाएगा और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भैंसों में सुधार के बारे में अनुसंधान कार्यक्रम

9340. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भैंसों के सुधार संबंधी अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता देती है, यदि हों, तो प्रत्येक केन्द्र किस तारीख को शुरू हुआ, 1 अप्रैल, 1984 तक प्रत्येक केन्द्र का योजना-वार खर्च कितना है, प्रत्येक में आयु-वार कितने मादा भैंसे हैं और कितनी दूध देने वाली हैं, कितनी दूध न देने वाली हैं, दूध का वार्षिक उत्पादन कितना है और प्रत्येक केन्द्र के आसपास ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अनुसंधान फार्म में क्या सुधार हुआ है ;

(ख) क्या यूरोप और आस्ट्रेलिया में भारतीय भैंसों में थोंड़े ही पशुओं में अधिक सुधार किया गया है, यदि हां, तो भारतीय अनुसंधान फार्मों की तुलना में इन देशों में भैंसों की उत्पादकता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय अनुसंधान और अन्य फार्मों की कमियों का पता लगाने के लिए इनके कार्यकरण का मूल्यांकन किया है ; यदि हां, तो कब और यह मूल्यांकन किसने किया और इसका क्या परिणाम निकला और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की तुलना में इन फार्मों के शुरू होने की तारीख से इनसे 1 अप्रैल, 1984 तक कितने वीर्य या पशुओं का निर्यात किया गया ; और

(घ) सातवीं योजना में सरकार का विचार क्या सुधारात्मक उपाय करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे बाद में लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में छठी योजना के दौरान पदों की संख्या

9341. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 1 अप्रैल, 1980 को श्रेणी चार के कुल कितने

पद थे तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने पद बढ़ाए गए और इसके साथ-साथ 1 अप्रैल, 1984 तक कितने पदों को भरा गया तथा सभी पद न भरे जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) वर्ष 1980 से 1 अप्रैल, 1984 तक प्रतिवर्ष प्रयेत्क श्रेणी के लिए वैज्ञानिकों के कितने पदों का विज्ञापन किया गया ; प्रत्येक अवसर पर कितने उम्मीदवारों ने आवेदन दिए थे और वास्तव में कितने लोगों ने अपना पद-भार संभाला ;

(ग) गैर वैज्ञानिक पदों के लिए भी इसी प्रकार का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और पूरे पद न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार भरे गए पदों की आंकड़े-वार और गुणवत्ता-वार स्थिति से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है और ये उपाय कब किए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

भैंसों के संकर प्रजनन संबंधी केन्द्रीय योजना

9342. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आपरेशन फ्लड-2 से बाहर के क्षेत्रों में दुधारू पशुओं के साथ पशुओं के संकर-प्रजनन तथा शुष्क-वीर्य तकनीक द्वारा भैंसों की नस्ल में सुधार करने के लिए, वर्ष 1982-83 से क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आएगी तथा उसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का कितना-कितना हिस्सा होगा ;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है और इस संबंध में उपलब्ध कराये गये अथवा आवश्यक स्वदेश निर्मित एवं आयातित उपकरणों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में मार्च, 1982 में 85 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 45 लाख रुपए की लागत के देशी उपस्कर खरीदे गए हैं। लगभग 60 लाख रुपए के मूल्य के उपस्करों का आयात करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल लागत का अनुमान 161 लाख रुपए लगभग आया है। इसमें राज्य के अंशदान के रूप में 50 लाख रुपए शामिल हैं।

(ग) यह केन्द्रीय सहायता, तरल नाईट्रोजन संयंत्रों तथा उसके कलपुर्जों, बिजली के ट्रान्स-

फार्मरों/स्टेबलाईजरों, जनरेटरों, तरल नाइट्रोजन भंडार/परिवहन टैंकों तथा आदानों, वीर्य प्रशीतन, भण्डारण, तथा परिवहन आदानों कृत्रिम गर्भाधान/जीव विज्ञान संबंधी कार्य वीर्य/तरल नाईट्रोजन भेजने के लिए वाहनों, आदि के लिए क्षेत्र तथा प्रयोगशाला के उपस्करों जैसे देश में निर्मित तथा आयातित उपकरणों की खरीद के लिए सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है।

(घ) 1984-85 में इसके चालू हो जाने की आशा है।

हुडको योजना, 1979 के अंतर्गत पूर्व रजिस्ट्रेशन के बिना फ्लैटों का आवंटन

9343. **श्री भोखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन लोगों की संख्या क्या है जिन्हें हुडको योजना 1979 के अन्तर्गत पूर्व रजिस्ट्रेशन के बिना एम. आई. जी. फ्लैट आवंटित किए गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : नवीन पद्धति पंजीकरण योजना 1979 के अन्तर्गत बिना पूर्व पंजीकरण के अब तक 44 व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन किया गया है।

साकेत में श्रेणी—II के अंतर्गत पंजीकरण के बिना फ्लैटों का आवंटन

9344. **श्री भोखा भाई** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वः वित्तपोषी योजना (श्रेणी दो) के अन्तर्गत लोगों को मालवीय नगर एक्सटेंशन "साकेत" में पहली मंजिल के फ्लैटों का बिना पंजीकरण के आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब, और उन लोगों का विवरण क्या है ; और

(ग) क्या किसी सक्षम अधिकारी का ऐसा कोई निदेश अथवा आदेश है जिसके अन्तर्गत यह आवंटन किए गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(क) तथा (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

9345. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी से सहायता प्राप्त कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान मिली सहायता का क्या ब्यौरा है और किस तरह इसका उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) राज्यों में इसका वितरण करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा दी गयी ; और

(घ) इससे प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम में प्राप्त खाद्य सहायता नीचे दी गई है :

(मीटरी टन)

जिन्स	1981	1982	1983
1. गेहूं	5,044	26,540	72,958
2. वनस्पति तेल	2,400	2,031	7,000
3. बटर आयल	3,000	800	—
4. शुष्क स्किम्ड दुग्ध चूर्ण	5,275	550	240
5. सोया पुष्ट बुलगर गेहूं	41,388	14,982	27,844
6. दलहन	50	500	2,518
योग	57,157	45,403	110,560
अनुमानित लागत, बीमा भाड़ा मूल्य (दस लाख अमेरिकी डालर में)	33.40	18.01	35.79

विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी गई खाद्य सहायता विकासात्मक,पोषात्मक तथा आहार कार्यक्रमों और आपातकालीन कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई है ।

(ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त करने के मापदंड में राज्यों को विश्व खाद्य कार्यक्रम की

खाद्य सहायता प्राप्त करने हेतु इस मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। संभाव्यता, संसाधना और कार्यक्रम की प्राथमिकता को दृष्टि में रखते हुए इसकी जांच की जाती है। यदि परियोजना ठीक है तो खाद्य सहायता मुहैय्या करने के लिए उनकी स्वीकृति हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम से इसकी सिफारिश की जाती है।

(घ) 1981 से 1983 के वर्षों के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दी गई खाद्य सहायता से प्रत्येक वर्ष लाभानुभोगियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के तहत रियायती दरों पर विश्व खाद्य कार्यक्रम से खाद्य प्राप्त कर रहे लाभानुभोगगियों की संख्या	पूरक पोषक तत्व कार्यक्रम के तहत विश्व खाद्य कार्यक्रम से निःशुल्क खाद्य प्राप्त कर रहे व्यक्तिगत लाभानुभोगियों की संख्या
असम	—	232,000
बिहार	—	241,000
गुजरात	—	150,000
हरियाणा	5,300	—
कर्नाटक	30,000	125,000
केरल	—	230,000
मध्य प्रदेश	—	187,000
महाराष्ट्र	66,000	245,000
उड़ीसा	—	303,000
राजस्थान	35,000	100,000
उत्तर प्रदेश	—	40,000
पश्चिम बंगाल	—	367,000
योग	136,300	2,220,000

राज्यों को लेवी चीनी दिया जाना

9346. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बी० बी० देसाई :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने यह सुझाव दिया है कि प्रतिमास चीनी की अन्धाधुन्ध निकासी से इस चीनी वर्ष की समाप्ति तक चीनी की कमी की स्थिति पैदा हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष चीनी उत्पादन में पूर्वानुमानित कमी को ध्यान में रखते हुए मन्त्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि चीनी की अधिक निकासी नहीं की जानी चाहिए और इसे सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाए ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी चीनी की निकासी की गई तथा कितनी चीनी की निकासी की जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय ने अन्य क्या सुझाव दिए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) से (घ) : राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उचित दर की दुकानों से वितरित करने के लिए अक्तूबर, 1983 से प्रतिमास 3.13 लाख मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की जा रही है। फिलहाल वर्तमान कोटे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। जहां तक मुक्त बिक्री की चीनी का सम्बन्ध है, उत्पादन की प्रवृत्तियों, पिछले बचे स्टाक, कुल उपलब्धता, आवश्यकता/मांग, गुड़ और खंडसारी जैसे वैकल्पिक स्वीटनरों की उपलब्धता, मूल्य प्रवृत्ति आदि को ध्यान में रखकर मासिक कोटे सूझ-बूझ के साथ विनियमित किए जाते हैं। 1983-84 के प्रथम 8 महीनों अर्थात् अक्तूबर, 1983 से मई, 1984 के लिए कुल 26.1 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे निर्मुक्त किए गए हैं और वर्तमान चीनी वर्ष के शेष महीनों के लिए मासिक कोटों की मात्रा का उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हिसाब लगाया जाएगा।

2. चीनी वर्ष 1983-84 के उत्पादन और 2-10-83 को चीनी के पिछले बचे स्टाक से आन्तरिक खपत और निर्यात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध होगी। सरकार द्वारा चीनी की निर्मुक्तियों तथा चीनी के क्षेत्र के अन्य पहलुओं के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जा रही है।

दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिये गुजरात को सहायता

9347. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से कितनी सहायता दी गयी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : गुजरात सरकार ने राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान डेरी विकास के लिये 165.12 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान गुजरात में डेरी विकास के लिये 2107.34 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी थी।

ग्रामोत्थान के लिये हंगरी से सहायता

9348. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी ने बीस सूत्री कार्यक्रम में ग्रामोत्थान के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ढोर चारा संयन्त्रों के सम्बन्ध में क्षमता का उपयोग

9349. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्रेशन-फ्लड-एक और आप्रेशन फ्लड-दो के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक ढोर चारा संयंत्र की क्षमता का, वर्षवार औसतन कितना उपयोग किया गया ;

(ख) क्या क्षमता का इतना उपयोग सन्तोषजनक है ; और

(ग) क्या आप्रेशन फ्लड से सम्बन्धित डेरियों में से किसी डेरी द्वारा आप्रेशन फ्लड-एक, आप्रेशन फ्लड-दो या किसी अन्य विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत कोई सस्ता या उपहार के स्वरूप खाद्यान्न प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार प्राप्त खाद्यान्न के लिए डेरी संयंत्र द्वारा कितना मूल्य चुकता किया गया तथा ढोर के चारे का बिक्री मूल्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में चावल मिलों का आधुनिकीकरण

9350. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की सभी चावल मिलों को, एक निश्चित समय के अन्दर आधुनिक बनाने के अनुदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या छोटी मिलों को इस शर्त से छूट दी जाएगी क्योंकि उनके पास अपने मिलों को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सक्षमता नहीं है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) चावल मिलिंग उद्योग (विनियम) अधिनियम, 1958 में 1968 में संशोधन किया गया था ताकि सरकार मौजूदा मशीनरी में सुधार करने, मौजूदा मशीनरी के बदलने और बर्बादी को रोकने के लिए चावल मिलिंग के उन्नत तरीकों का प्रयोग करने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने और क्वालिटी में सुधार लाने के लिए ऐसी शर्तें निर्दिष्ट कर सके। अधिनियम के तहत बनाए गए चावल मिलिंग उद्योग (विनियम और लाइसेंसिंग) नियम, 1959 में 1970 और 1976 में संशोधन किया गया था ताकि क्रमशः एक ही प्रकार की हलर, हलर-एवं शैलर और शैलर तथा सिंगल हलर की श्रेणियों से संबंधित चावल मिलें अपने यूनिटों का आधुनिकीकरण कर सके।

आधुनिकीकरण में हलर चावल मिलों के बारे में धान से भूसी उतारने के लिए पैडी क्लीनर और पैडी सपरेटर के साथ रबड़-रोल शैलर या सेन्ट्रीफ्यूगल डिहस्कर और हलर-एवं.शैलर और शैलर श्रेणियों की चावल मिलों के मामले में पैडी क्लीनर और पैडी सेपरेटर के साथ रबड़ रौल शैलर लगाने की व्यवस्था है।

(ग) इस सम्बन्ध में मौजूदा नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में हुडको द्वारा अनुमोदित और वित्तपोषित आवास योजनाएँ

9351. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में हुडको द्वारा विभिन्न आय वर्ग की कितनी आवास योजनाओं का अनुमोदन और वित्त पोषण पोषण किया गया है ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा पूरी आवंटित राशि 31 मार्च 1984 तक उपयोग कर ली गई ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्व बैंक की सह-वित्तीय सहायता से एक नगर विकास परियोजना सहित 89 योजनाएँ।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान हुडको ने 56.10 करोड़ रुपये की ऋण बचनबद्धता के साथ योजनाएं स्वीकृत की तथा विभिन्न योजनाओं में वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के आधार पर विभिन्न अभिकरणों ने 11.79 करोड़ रुपये का ऋण लिया।

विवरण

छठी योजना अवधि 1980-85 के गत चार वर्षों के दौरान हुडकों द्वारा स्वीकृत की गई योजनाएँ/रिहायशी एककों के ब्यौरे

1. योजनाओं की संख्या 89
2. परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में) 84.69
3. स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में) 56.10
4. स्वीकृत रिहायशी एकक/प्लाट

वर्ग	रिहायशी एकक		प्लाट	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	23258	74.71	2074	91.45
निम्न आय वर्ग	3223	10.35	58	2.56
मध्यम आय वर्ग	3532	11.34	15	0.66
उच्च आय वर्ग	1120	3.60	121	5.33
	31133	100.00	2268	100.00
विश्व बैंक परियोजना	5300		54740	
कुल रिहायशी	36433		57008	
गैर रिहायशी	201		58	
योग :	36634		57066	

5. विश्व बैंक के माध्यम से मूलभूत स्वच्छता सुविधाएं—हुडको सह वित्त परियोजना—6500 शौचालय

सिंचाई क्षमता में कमी

9352. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार छठी योजना में सिंचाई क्षमता में जो वृद्धि की जानी थी वह 11.5 मिलियन हैक्टेयर से अधिक नहीं हो सकती जबकि लक्ष्य 13.7 मिलियन हैक्टेयर का रखा गया था ;

(ख) क्या सिंचाई क्षमता में कमी का मुख्य कारण मूल्य वृद्धि और धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था न होना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना में चालू योजना के लक्ष्यों का पूरा न होने की ओर ध्यान देते हुए नई योजनाएं शुरू करने से पहले चल रही सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक बल दिया जाएगा ;

(घ) क्या योजना आयोग ने बड़े और मध्य श्रेणी के बाढ़ नियन्त्रण क्षेत्रों, छोटी सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास का पता लगाने के लिए चार कार्यकारी दल नियुक्त किये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(च) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस बात से सहमत है कि सातवीं योजना में नई परियोजनाएं शुरू करने के बजाय चल रही अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाए ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) विद्यमान मूल्यांकन में यह बताया गया है कि छठी योजना अवधि के दौरान 13.74 मिलियन हैक्टेयर के मूल लक्ष्य के मुकाबले 11.5 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी ।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं के पूरा न होने में मुख्य कारण धन की कमी तथा लागत में वृद्धि होना है ।

(ग) सातवीं योजना के दौरान, निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रस्ताव है ।

(घ) से (च) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को तैयार करने के वास्ते बृहद तथा मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा कमान क्षेत्र विकास के लिए योजना आयोग ने चार कार्यकारी दल गठित किए हैं ।

सातवीं योजना के दौरान अपनाई जाने वाली नीतियों पर राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यकारी दल विचार विमर्श कर रहे हैं ।

कृषि मौसम विज्ञान सर्वेक्षण और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भविष्यवाणियां

9353. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि कृषि मौसम विज्ञान सर्वेक्षणों और भविष्यवाणियों से कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी ;

(ख) क्या विशेषज्ञ के अनुसार मौसम विज्ञान की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों, उगाई जाने वाली फसलों की किस्मों और बुवाई तथा कटाई के लिए अनुकूल समय का पता लगाने में प्रभावी ढंग से सहायक हो सकती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ की राय के अनुसार अभी भी महामारी रोग और कीट पतंगे फसलों के कम होने का प्रमुख कारण हैं और भंडारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने में और देश के भंडारों में होने वाले नुकसान और प्रमुख फसलों को नष्ट करने वाली महामारों को, पर भी नियन्त्रण पाने के लिए मौसम विज्ञान की जानकारी का उपयोग करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारतीय मौसम विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए ऐसे वक्तव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि यह सामान्य ज्ञान है कि कृषि मौसम सर्वेक्षण तथा भविष्यवाणियों से कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(घ) तथा (ङ) खेतिहर समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भारतीय मौसम विभाग के पास एक पूरा कृषि मौसम प्रभाग है। एक योजना पहले से ही चालू है जो कि फसल के कीटों तथा रोगों के फैलने से सम्बन्धित घटनाओं के लिए मौसम की दशाओं की पहचान के लिए अनुकूल है। देश के विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में फसल मौसम सह सम्बन्ध के अध्ययन के लिए कृषि मौसम पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना चलाई है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई नई परियोजना शुरू न करना

9354. **श्री बी० वी० देसाई** :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का यह विचार है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कोई नई परियोजना कार्यान्वयन के लिए नहीं ली जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुझाव केवल इसलिए दिया गया है कि क्योंकि बहुत सी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जिन्हें दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों में शुरू किया गया था, अभी तक पूरी नहीं हुई हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 27 परियोजनाओं में से 6 बड़ी चालू परियोजनाएं जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी अपने निश्चित समय पर पूरी हो जाएंगी ;

(घ) यदि हां, तो उन 27 चालू परियोजनाओं में से केवल 6 को ही पूरा करने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) क्या शेष परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा किया जाएगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) माननीय सदस्य संभवत: छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू में 1969 से पहले शुरू की गई 58 निर्माणाधीन बृहद परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। इनमें से छठी योजना अवधि के दौरान 24 परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है।

परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण लागत में वृद्धि, धन की कमी तथा निर्माण सामग्रियों का अभाव है।

(ङ) योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल सातवीं योजना में सिंचाई विकास के लिए नीतियों पर विचार-विमर्श कर रहा है।

उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को सहायता

9355. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता उपलब्ध है जिससे कि वे उत्पादकता और आय बढ़ा सकें ;

(ख) क्या छोटे और सीमांत किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ग) क्या छोटे किसानों को दीर्घावधि उत्पादन ऋण देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता देने हेतु 1983-84 में शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यों के लिए प्रत्येक ब्लाक हेतु 3.5 लाख रुपये की राज सहायता का प्रावधान रखा गया था। इस प्रावधान को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने बराबर-बराबर वहन किया। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्रीय सहायता शत प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त, सोलर पम्पों, पवन चक्कियां, हाईड्रामों, फौव्वारों, ड्रिप पद्धति तथा मानव एवं पशु प्रचालित पम्पों जैसे पानी उठाने वाले उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश. राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा लक्ष्यद्वीप में पर्याप्त वित्तीय सहायता से छोटे एवं सीमान्त किसानों को सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक और योजना भी चल रही है।

(ग) तथा (घ) फसल उत्पादन तथा पूंजी निवेश के लिए कृषि-ऋण सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। कृषि-ऋण नीति में छोटे एवं सीमान्त किसानों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को अधिक मात्रा में ऋण के प्रवाह पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान किया गया पुनर्वित्त का अधिकांश लघु सिंचाई योजना के लिए खर्च हुआ, जिससे किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। 1980-81 से 1982-83 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान किया गया पुनर्वित्त निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	प्रदान किया गया पुनर्वित (करोड़ रुपये)	छोटे एवं सीमान्त किसानों को मिली प्रतिशतता
1980-81	265.00	60.3
1981-82	252.00	64.9
1982-83	244.00	74.8

पशु रोग सम्बन्धी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर के रखरखाव पर व्यय

9356. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशु रोग सम्बन्धी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के भवनों की रंगाई-पुताई करने, सड़कों की मरम्मत तथा भवनों की सामान्य सफाई पर अक्तूबर से दिसम्बर, 1983 के दौरान प्रति मास और जनवरी और फरवरी, 1984 तक 15 मार्च, 1984 तक और 1980-81, 1981-82 1982-83 में उन्हीं महीनों के दौरान कितनी धनराशि खर्च हुई है और 1983-84 में इससे पहले की धनराशि की तुलना में अधिक धनराशि खर्च होने का औचित्य क्या है ;

(ख) क्या इस संस्थान के पशु शेडों और नालियों के रखरखाव और उनमें सुधार की आवश्यकता है जो कि पर्याप्त धन के न होने के कारण लम्बित पड़ा है, यदि हां, तो यह कार्य कब से नहीं हो पाया है और उसके कारण प्रत्येक जाति के पशु पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा है और इस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या उन्होंने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के अधिकारियों ने मार्च, 1984 में इस संस्थान का दौरा किया था, यदि हां तो उस दौरे का क्या उद्देश्य था और प्रत्येक द्वारा, प्रत्येक जाति के पशु के किए किन सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की गई थी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सूचना विवरण-1 में दी जा रही है। दिसम्बर, 1983 में भवनों की पुताई के लिए जमा रु० 5,45,898 राशि में से रु० 2,57,021 वर्ष 1982-83 के लिए आवासीय भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए थे तथा शेष रु० 2,88,877 चालू कार्यों के लिए इस स्थान की सामान्य सफाई पर किए गए व्यय रु० 2,23,569 में से रु० 1,12,649 घटिया लाइन नं० 3 और 4 की मरम्मत की प्रथम किस्त के रूप में किए गए। सारा कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से तथा जहां कहीं आवश्यक समझा गया निदेशक (निर्माण) की अनुज्ञा लेकर किया गया है। कोई भी कार्य विभाग द्वारा नहीं किया गया।

(ख) धन के अभाव के कारण कोई कार्य लम्बित नहीं था। आवश्यकतानुसार समय-समय पर शेडों की मरम्मत/सुधार कार्य किया गया है। वर्तमान भू-जल निकासी प्रणाली की योजना ढोरों के छोटे बाड़ों के लिए मूल रूप से बनाई गई। इन बाड़ों और शेडों के आकार में वृद्धि के कारण मानसून के दौरान नालियों से डेरी का सारा पानी बाहर निकलना सम्भव नहीं था। तो कभी, इस इकाई द्वारा जल निकास में सुधार के लिए मामूली परिवर्तन किए गए। बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा होना अस्थाई बाधा है। थोड़ी असुविधा के अतिरिक्त पशुओं पर इसका कोई विपरीत प्रभाव देखने में नहीं आया।

(ग) जी हां, श्रीमान्। मंत्री जी (कृषि) इस संस्थान में डीम्ड विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आये थे तथा भा० कृ० अ० प० मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी भारत में पशु-चिकित्सा शिक्षा विकास और अनुसंधान तथा डीम्ड विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मार्च, 1984 में इस संस्थान में आये थे।

विवरण

विभिन्न मदों पर व्यय की गई राशि का विवरण

कार्य का स्वरूप	1980-81				(संख्या रु० में)	
	अक्तू०	नवम्बर	दिस०	जन०	फरवरी	मार्च
1. भवन की पुताई	—	—	—	27,683	—	—
2. मार्गों की मरम्मत	—	—	—	—	—	13,425
3. स्थान की सामान्य सफाई	—	34,073	—	1,13,748	—	1,61,074

1981-82

	अक्तू०	नवम्बर	दिस०	जन०	फरवरी	मार्च
1. भवन की पुताई	17,163	87,035	—	70,010	2,00,000	—
2. मार्गों की मरम्मत	63,954	1,40,800	10,325	40,264	1,40,578	—
3. स्थान की सामान्य सफाई	—	2,25,447	—	3,517	1,67,100	—

1982-83

1. भवन की पुताई	—	—	—	—	1,633	1,12,487
2. मार्गों की मरम्मत	—	—	—	—	—	77,057
3. स्थान की सामान्य सफाई	—	—	—	—	—	40,563

1983-84

1. भवन की पुताई	12,009	—	5,45,898	36,208	—	29,338
2. मार्गों की मरम्मत	—	—	1,82,679	—	—	—
3. स्थान की सामान्य सफाई	—	—	2,23,569	2,24,722	—	—

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में निर्माण कार्य

9357. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथोरागढ़ जिलों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को लागू करने की तिथि के पश्चात उनके मंत्रालय द्वारा मंजूर निर्माण कार्यों के नाम और विवरण क्या हैं ;

(ख) इन दोनों जिलों के उन निर्माण कार्यों का विवरण क्या है जो उनके मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) उनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथोरागढ़ जिलों में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मंजूर किए गए निर्माण कार्यों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-1 तथा 2 में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के सम्बन्ध में निर्माण कार्यों के सिर्फ दो मामले लंबित पड़े हैं। लंबित मामलों के ब्यौरे तथा कारण विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत अल्मोड़ा जिले के सम्बन्ध में मंजूर किए गए प्रस्तावों के ब्यौरे

क्रम सं०	(क्षेत्र हैक्टार में)	प्रयोजन	मंजूर करने की तारीख
1	2	3	4
1	0.140	गरुर देवनानी मोटर मार्ग का निर्माण	12-2-1982
2	0.294	सिंचाई की योजनाएं (दोआर)	7-8-1982
3	0.93	सिंचाई की योजनायें (कोफोली)	29-10-1982
4	0.02	औद्योगिक संस्थान का निर्माण	10-5-1983
5	0.37	धोता लघु निर्माण	24-8-1982
6	0.124	जालमणी लघु विस्तार का निर्माण	24-8-1982
7	0.302	बाहुली ग्राम के कास्तकारों के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना	24-8-1982
8	1.0116	जलोतिया लघु का निर्माण	3-9-1982
9	0.3788	राजकीय कन्या इंटर कालेज का निर्माण	22-8-1983
10	0.6237	राजकीय स्नातक महाविद्यालय के भवन का निर्माण	9-3-1983
11	0.41	अल्मोड़े में प्राथमिक अस्पताल का निर्माण	20-9-1982
12	1.025	राज्य जीव विज्ञान संबंधी उत्पाद केन्द्र की स्थापना	20-9-1982
13	0.38	लम्बगढ़ में रेंज कार्यालय का निर्माण	20-9-1982
14	1.69	बागेश्वर-डफोट मोटर मार्ग का निर्माण	26-3-1984
15	0.11376	अस्पातल भवन का निर्माण	20-10-1982
16	4.39332	पातलीबगढ़ गजनाथ मोटर मार्ग का निर्माण	23-4-1983
17	0.975	राजकीय कन्या हाईस्कूल के भवन का निर्माण	20-10-1982
18	0.2	प्राथमिक स्कूल का निर्माण	25-11-1982
19	0.227	तायदौन उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण	2-4-1983

1	2	3	4
20	0.283	पीने के पानी की योजना	2-4-1983
21	1.2958	रानीखेत के निकट आवासी पाठशाला	6-4-1983
22	0.094	नौगांव नहर का निर्माण	8-3-1983
23	1.25612	नौगांव नहर का निर्माण	9-3-1983
24	0.75888	जलोतिया लघु का निर्माण	8-7-1983
25	0.1054	विराघ जलाशय/नहर का निर्माण	9-3-1983
26	8.16292	शीतलाखेत ककडी घाट मोटर मार्ग का निर्माण	4-7-1983
27	0.92232	शीतलाखेत ककड़ीघाट मोटर मार्ग	6-7-1983
28	0.8246	सोगड़ पन्तगांव चामदखान डुवना भिक्यासेन मोटर मार्ग का निर्माण	22-6-1983
29	3.9	गनियादेवली थाना विशाकोट लघु मार्ग का निर्माण	10-4-1984
30	0.98	शीतलखेत ककड़ीघाट मोटर मार्ग	3-2-1984
31	1.25128	बनसियाचना नहर का निर्माण	26-7-1983
32	0.06	जल सप्लाई योजना का निर्माण	24-1-1984
33	0.105	खारी पीने के पानी की योजना	12-4-1984
34	0.0032	बसनाल ग्राम वासियों के लिए पानी की सप्लाई की योजना	25-4-1984
35	0.145	सिरगोला पीने के पानी की योजना	25-4-1984

विवरण-2

बन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत पिथौरागढ़ जिले के सम्बन्ध में मंजूर किए गए प्रस्तावों के ब्यौरे

क्रम सं०	क्षेत्र हैक्टार में	प्रयोजन	मंजूर करने की तारीख
1	2	3	4
1	2.844	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	23-3-1982
2	4.97	पिथौरागढ़-डिडिहार 33 के०वी० लाइन का निर्माण	1-9-1982
3	0.06	दसाईथल-डेसोली 33 के०वी० लाइन	15-11-1982

1	2	3	4
4	0.50096	मनेली जेटी मोटर मार्ग का निर्माण	17-12-1982
5	1.020	दोनसीचल-गनाई मोटर मार्ग का निर्माण	20-9-1982
6	0.358	एफ०आर०एच० अस्फोट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	26-3-1983
7	1.056	बागीचौरा-बागरीपत मोटर मार्ग का निर्माण	20-10-1982
8	0.12	आर० ओ० कार्यालय भवन का निर्माण	6-9-1982
9	7.044	छिलका-छेना सिमलखेत सड़क का निर्माण	12-4-1983
10	0.88	सालम नहर का निर्माण	14-4-1983
11	3.6671	पुलिनदोला-सिलिंग मोटर मार्ग का निर्माण	20-12-1983
12	1.20	मायालेखा इंटर स्कूल भवन का निर्माण	20-12-1982
13	0.78	छाल लघु का निर्माण	25-11-1982
14	0.3	जलाशय का निर्माण	31-12-1982
15	0.7086	पुलिनदोला-चश्मदेवाल शिलिंग मोटर मार्ग का निर्माण	11-4-1983
16	3.00	एस०एम० तानकी स्थित पर्यटक भवन में 100 पलंग	21-3-1983
17	0.52	दसाईथल तथा देसोली के बीच 11 के०वी० ट्रांसमीशन लाइन	13-4-1983
18	0.1536	पिथोरागढ़ में छोटी मछली के फार्म की स्थापना	8-9-1983

विवरण-3

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों के सम्बन्ध में लम्बित मामलों के ब्यौरे

क्रम सं०	जिला	क्षेत्र हैक्टार में	प्रयोजन	विलम्ब के कारण
1	अल्मोड़ा	4.03744	द्वारसी-ककड़ीघाट मोटर मार्ग का निर्माण	अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से आनी है।
2	पिथौरागढ़	0.46	छिल्काछिना-दुवानौनी रिमलकोट मोटरमार्ग का निर्माण	अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से आनी है।

लोदी कालोनी नई दिल्ली में समाज सदन केन्द्र का निर्माण

9358. **श्री हरीश रावत** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्यागराज नगर (प्रेम नगर) लोदी कालोनी नई दिल्ली में एक समाज सदन केन्द्र का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु भूमि आबंटित कर दी गई है ;

(ग) क्या उसका निर्माण शुरू करने में देरी की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार प्रस्तावित समाज सदन का निर्माण कब शुरू करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) समाज सदन केन्द्र का डिवीजन तैयार किया जा रहा है । डिवीजन के अनुमोदन के पश्चात प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्राथमिक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा । सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने पर प्रस्तावित समाज सदन केन्द्र का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा ।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा से प्राप्त प्रस्ताव

9359. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा से प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को सब-डिवीजन और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली कुछ अन्तर खंड सड़कों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) जी हां, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार से दस परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । प्राप्त हुये परियोजना प्रस्तावों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) व (घ) ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग हैं, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी शुरू किया जा सकता है । तदनुसार सड़कों के निर्माण हेतु तीन परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं अर्थात उड़ीसा के सभी जिलों में ग्रामीण सम्पर्क

सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण/सुधार तथा उड़ीसा के 9 जिलों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण सुधार तथा उड़ीसा के 13 जिलों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन सड़कें। इनकी अनुमानित लागत क्रमशः 116.87 लाख रुपये, 750,22 लाख रुपए और 339.05 लाख रुपए होगी। इनसे पहली दो परियोजनाएं केन्द्रीय संस्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। तथापि, ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है कि क्या इनमें से कोई सड़क सब-डिवीजन मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ती है अथवा नहीं।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार से अब तक प्राप्त परियोजनाओं की सूची

1. चार जिलों अर्थात गंजम, पुरी, कटक और बालासोर में भूमि तथा नमी संरक्षण कार्य।
2. उड़ीसा के सभी जिलों में ग्रामीण सड़कों/ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण और सुधार।
3. चार जिलों अर्थात कोरापुट, कालाहांडी, सुन्दरगढ़ और फुलबैनी में सामाजिक वानिकी, वनों में सड़कों का निर्माण और सुधार तथा नर्सरी टैंकों की खुदाई।
4. तेरह जिलों अर्थात बालासोर, बालांगीर, कटक, धेनकनाल, कालाहांडी, जूझर, कोरापुट, मयूरभंज, फुखबैनी, पुरी, सम्भलपुर और सुन्दरगढ़ जिलों में सार्वजनिक ट्यूब बैलों का निर्माण, नदी उठाऊ सिंचाई की परियोजनाएं।
5. प्राथमिक पाठशालाओं के लिए पाठशाला भवनों का निर्माण।
6. उड़ीसा के 9 जिलों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण/सुधार (द्वितीय चरण)।
7. उड़ीसा के तीन जिलों में क्रिक सिंचाई।
8. उड़ीसा में भूमि संरक्षण।
9. 11 जिलों में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए वितरण प्रणाली का निर्माण।
10. 13 जिलों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कें।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दुधारू पशु एकक

9360. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों को प्रदान किए गए अधिकांश दुधारु पशु एकक सफल सिद्ध नहीं हुए हैं ;

(ख) क्या लाभान्वितों को गलत ढंग से प्रदान किए गए दुधारु पशु एककों की असफलता

और घटिया दर्जे स्तर के दुधारु पशु होने तथा इसके फलस्वरूप ऋणों की किस्तों की अदायगी न होने के कारण उन्हें दूसरे एकक पाने की सुविधा या अन्य लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार की त्रुटियों के कारण ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजनायें असफल हो गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे लाभान्वितियों को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय कृषि फार्म

9361. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, केन्द्रीय सरकार के कृषि फार्मों के नाम क्या हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन फार्मों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विभिन्न फसलों के कुल उत्पादन और उनकी उत्पादकता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि में इन फार्मों में उर्वरक की औसत खपत कितनी रही है ;

(घ) क्या चालू वर्ष में विभिन्न राज्यो में केन्द्रीय सरकार के फार्मों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पुनर्नियुक्त कर्मचारी

9362. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 1 अप्रैल, 1984 को वैज्ञानिकों और अन्य लोगों सहित ऐसे कर्मचारियों का पृथक-पृथक श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त हो जाने के बाद भी कार्य कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इन कर्मचारियों के सेवा काल में कितनी वृद्धि की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) डा० ओ० पी० गौतम, सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के

कार्यकाल को मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति, जिसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है, के अनुमोदन पर दिनांक 1-2-84 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। डा० जे० एस० पी० यादव, भूतपूर्व कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा भूवपूर्व निदेशक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल को कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि एक स्वतंत्र एजेन्सी है और यह कृषि अनुसंधान सेवा के पदों तथा अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा समय-समय पर विशेषीकृत ऐसे ही अन्य पदों और सेवाओं की भर्ती के लिए जिम्मेदार हैं। आरम्भ में इनकी नियुक्ति दिनांक 18-2-83 से तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं और इसे दो वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। इनकी नियुक्ति भी मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत की गई है। इनकी नियुक्ति की शर्तें भी लगभग संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के ही समान है। डा० यादव उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपने पद पर बने रहेंगे।

इस प्रकार का विस्तारण/पुनर्नियोजन पहले भी न केवल भा० कृ० अ० प० के उत्कष्ट वैज्ञानिको को बल्कि ऐसे कुछ सिस्टर वैज्ञानिक संगठनो में भी किया गया है। प्रसंगवश यह भी कहना है कि वैज्ञानिक वर्ग को रोजगार बढ़ाने की रोक से छूट प्राप्त है।

कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

9363. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान 23 कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों, प्रत्येक को पृथक-पृथक आयोग के उनके आर्थिक कार्यक्रम के विकास, आधारभूत विकास उपकरणों की खरीद, वैज्ञानिकों आदि के आवंटन के लिए अलग-अलग वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जहां पर कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उन संस्थानों और विश्वविद्यालयो के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई हैं और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद छठी योजना के दौरान देश के 23 कृषि विश्वविद्यालयों में से 21 कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करती रही है। इसके अतिरिक्त, परिषद केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के 3 कृषि महाविद्यालयों और सामान्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 7 कृषि महाविद्यालयों को भी सहायता देती है। इसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट 1 से 31 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०-8315/84]

यह केन्द्रीय सहायता "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" "केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों का विकास" और "सामान्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों का केन्द्रीय विकास" योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अवस्थापन सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रदान की गयी है।

प्रशासनिक अधिकारियों के पद

9364. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों में प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कितने मंजूर शुदा पद हैं ;

(ख) 1 अप्रैल, 1984 के अनुसार वास्तव में कितने प्रशासनिक, अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत थे और कब से हैं तथा उसके क्या कारण है ; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण (अनुबन्ध-I) सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8316/84]

(ग) एक विवरण (अनुबंध-II) सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8316/84]

इण्डियन सोसायटी आफ एग्रिकल्चर इंजीनियरिंग का सम्मेलन

9365. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में इण्डियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो वह किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में दिए गए सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन सुझावों को विकास के लिये उचित क्षेत्रों में प्रभावी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान। 5 से 7 अप्रैल, 1984 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अभियंत्रिकी सोसायटी (आई० एस० ए० ई) का 21 वां सम्मेलन हुआ।

(ख) भारतीय कृषि अभियांत्रिकी सोसायटी ने यह सूचित किया कि सम्मेलन का "ग्रामीण भारत की सेवा में कृषि अभियांत्रिकी" पर एक विषय अधिवेशन तथा "संस्थानीय वित्त तथा कृषि उद्योग निगमों की भूमिका" पर एक सामान्य अधिवेशन था। इसके अतिरिक्त फार्म मशीनरी तथा पावर कृषि प्रक्रिया तथा संरचना के क्षेत्रों में कृषि में ऊर्जा, तथा मृदा तथा जल संरक्षण अभियांत्रिकी पर भी सहयोगी तकनीकी सत्र हुए थे। इन तकनीकी सत्रों के दौरान करीब 130 पेपर कुल प्रस्तुत किये गये थे।

(ग) इस सम्मेलन के सुझावों पर सरकार को अभी रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज सहायता में वृद्धि

9366. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में सातवीं योजना सम्बन्धी कार्यदल ने यह मत व्यक्त किया है कि इस कार्यक्रम के लिए राज सहायता के स्तर में वृद्धि की जानी होगी और इसका क्षेत्र भी आगामी योजना अवधि में वर्तमान 600 परिवार प्रतिवर्ष की तुलना में बढ़ाया जाना होगा और इसके लिये प्रति परिवार आर्थिक राज सहायता वर्तमान के 1500 रुपये की तुलना 3000 रुपए की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाये जाने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में इसके अंतर्गत लाये जाने वाले परिवारों की संख्या कितनी है और इस राज्य को इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) कार्यदल की रिपोर्ट को अभी अंन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बागमती नदी पर बाढ़ नियंत्रण परियोजना का निर्माण

9367. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य और सिंचाई के लिये बिहार में छठी पंचवर्षीय योजना में बागमती नदी पर एक परियोजना को स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना मे क्या प्रगति हुई है और इसके क्रियान्वयन पर कितनी धन-राशि खर्च हुई है ;

(ग) क्या देवापुर नामक स्थान से मुख्य नदी बागमती से निकले 'लहसनिया नाला' पर बाढ़ नियंत्रण के लिये दोनों किनारों पर तटबंधों का निर्माण किया गया था ;

(घ) क्या कुछ वर्ष पूर्व उक्त परियोजना बनाते समय लहसनिया नाला एक नदी के रूप में दिखाई देता था अब उसमें तलछट जम गई है और वह सूख गया है और मुख्य धारा बागमती नामक अपनी मूल धारा के रूप में देवापुर में ही रह गई है तथा उसका पानी भी कम हो गया है ;

(ङ) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस योजना को स्वीकृति देने से पूर्व बागमती नदी की प्रवृत्ति का कोई अध्ययन किया गया था ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बागमती सिंचाई-एवं-बाढ़ नियंत्रण परियोजना के 185.70 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों को योजना आयोग द्वारा मई, 1983 में कुछ टिप्पणियों के अध्यधीन स्वीकार्य पाया गया था।

(ख) राज्य सरकार ने अपनी 1984-85 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में मार्च, 1983 तक परियोजना के बाढ़ नियंत्रण घटक पर 1080 लाख रुपये का खर्च दर्शाया है। बागमती के दोनों तटों पर लगभग 25-25 किलोमीटर लम्बाई तक तथा लाल बकईया बागमती दोआब पर 21 किलोमीटर लम्बे तटबंधों का निर्माण मार्च, 1984 तक पूरा हो चुका है।

(ग) और (घ) बागमती के दोनों तटों पर कुछ तटबंधों का निर्माण किया गया था। 1983 की बाढ़ों के दौरान बागमती का बहाव बेलवाधर चैनल की ओर मुड़ गया था और तब से मुख्य चैनल में पानी का बहाव कम हो गया। राज्य सरकार ने बेलवाधर से मुख्य जल-मार्ग की ओर बहाव को मोड़ने का कार्य हाथ में ले लिया है।

(ङ) और (च) बिहार सरकार, केन्द्रीय जल आयोग तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों द्वारा निर्माण स्थल का निरीक्षण करने और उसके बाद विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात्, जैसाकि ऊपर (क) में बताया गया है बागमती सिंचाई-एवं-बाढ़ नियंत्रण परियोजना तैयार की गई थी।

योजना आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ इस स्कीम को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया है कि बराज का अन्तिम अभिकल्प माडल अध्ययनों पर आधारित होगा।

बागमती नदी के सम्बन्ध में नेपाल के साथ समझौता वार्ता

9368. **श्री पीताम्बर सिंह** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित बागमती नदी भारत में प्रवेश से पूर्व नेपाल में सैकड़ों मील तक बहती है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिशों और प्रस्ताव पर बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की एक परियोजना मंजूर की थी ;

(ग) क्या इस परियोजना को भारत और नेपाल दोनों के लिये लाभप्रद बनाने हेतु भारत सरकार और नेपाल के बीच कोई समझौता वार्ता की गई थी ;

(घ) क्या बिहार सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत सीतामढ़ी में रामनगर में बागमती नदी पर एक बांध का निर्माण पहले ही शुरू कर दिया है ;

(ङ) क्या सरकार को नेपाल सरकार द्वारा उसी नदी धारा पर सैकड़ों मील पहले निर्माण की जा रही बांध परियोजना के बारे में जानकारी है ; और

(च) यदि हां, तो बिहार में हमारी उपरोक्त परियोजना का क्या भविष्य होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) बागमती नदी नेपाल से शुरू होकर बिहार में बहती है। बिहार में रामनगर पर बराज सहित बागमती सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन के लिये 185.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा मई, 1983 में अनुमोदित की गई थी। तथापि, इस समय परियोजना के कुछ प्रारम्भिक निर्माण-कार्य चल रहे हैं। नेपाल की महामहिम सरकार ने भी अपने क्षेत्र में नूनथोर के पास बागमती पर एक बराज के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

भारत सरकार दोनों देशों के लाभार्थ साझी नदियों के जल संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में नेपाल की महामहिम सरकार के साथ विचार-विमर्श करती है। इस विचार-विमर्श में दोनों देशों के लाभ के लिये बागमती के जल के उपयोग पर भी विचार किया जाता है। बागमती नदी बेसिन में जल संसाधनों के विकास की भावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर बिहार की बागमती परियोजना की आयोजना की गई है।

सरकारी क्वार्टरों में पंखों, बाश बेसिन, ट्यूब लाइट आदि की व्यवस्था

9369. **श्री एन० ई० होरो**: क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी पात्रता से नीचे के टाइप में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के बारे में सूचना एकत्रित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें पंखों, वास बैसिन, ट्यूब लाईट आदि की वही सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जिसके ये पात्र हैं ;

(ग) क्या यदि कोई सरकारी कर्मचारी बिजली की बचत के लिये ट्यूब लाईट या पंखों की व्यवस्था करता है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी इनमें उत्पन्न होने वाली खराबियों को दूर करने नहीं आते ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बाजार में खराब बल्ब उपलब्ध होने के कारण सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने खर्च पर लगाई गई ट्यूब लाइटों के कम से कम अनुरक्षण की व्यवस्था करने का है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) तथ्य एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केवल उन्हीं फिटिंग्स का रख-रखाव करता है जिनकी सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है और न कि उन फिटिंग्स की जिन्हें स्वयं सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वयं लगाई गई फिटिंग के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वय उक्त सरकारी कर्मचारियों की है ।

हंगरी द्वारा तकनीकी सेवाओं की पेशकश

9370. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अपनी तकनीकी सेवाएं देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हंगरी द्वारा तकनीकी सेवाएं देने का प्रस्ताव

9371. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते मकानों का निर्माण करने के क्षेत्र में अपनी तकनीकी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि

9372. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1976 से पहले शुरू की गई 65 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर जो अभी निर्माणाधीन हैं, अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है और उनकी पूर्ण अनुमानित लागत कितनी थी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : 1976 से पहले प्रारम्भ की गई 65 बृहद सिंचाई परियोजनाओं पर 1983-84 तक कुल प्रत्याशित व्यय 5220.48 करोड़ रुपए है । इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत 1633.24 करोड़ रुपये थी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा जारी की गई योजना धनराशि

9373. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **कृषि मंत्री** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा जारी की गई योजना धनराशि के बारे में 16 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7573 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मार्च, 1984 के दौरान संस्थावार कितनी योजना धनराशि जारी की है और क्या यह धनराशि जनवरी, और फरवरी, 1984 के समान है यदि नहीं, तो इस त्रुटि के क्या कारण हैं ;

(ख) शैक्षिक कार्यक्रमों, अनुसंधान परियोजनाओं, और अन्य कार्यों के लिए वर्ष 1983-84 का अन्तिम विनियोग कब किया गया था और 31 मार्च 1984 तक, खर्च कम और अधिक होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वास्तविकता के आधार पर विनियोग नहीं किए गए और सरकार का विचार सुधारात्मक उपाय करने का है ;

(घ) कृषि सम्बन्धी शिक्षा का 1984-85 का बजट 1983-84 के वास्तविक बजट से कम होने के क्या कारण हैं जब कि संस्थानों के लिए बजट बहुत अधिक है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इसकी जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्रसिंह) : (क) विभिन्न संस्थानों की मांग के अनुसार उनको फन्ड रिलीज किए जाते हैं। ऐसे रिलीज किए गए फन्ड केवल उनके पास रखने के लिए होते हैं, इन्हें व्यय के रूप में नहीं माना जाता । बजट में किए गये प्रावधान के आधार पर और प्रदान की गयी स्वीकृति के आधार पर उनके द्वारा व्यय किया जाता है।

(ख) प्रत्येक प्रायोजना के अंतर्गत व्यय की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए 1983-84 के लिये शैक्षिक कार्यक्रमों और अनुसंधान प्रायोजनाओं के हेतु अन्तिम विनियोग मार्च 1984 में किया गया था । अन्तिम व्यय के आंकड़े वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वार्षिक लेखाओं के समापन के बाद ही उपलब्ध होंगे । अन्तिम विनियोग तथा मार्च, 1984 (अस्थाई) तक के व्यय में अन्तर नगण्य हैं (2 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत के बीच) ।

(ग) अन्तिम विनियोग वास्तविक रूप से व्यय की प्रवणता को ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये । दिनांक 16-4-1984 के संसद प्रश्न सं० 7573 के उत्तर में पहले के दिए हुए आंकड़े अस्थाई हैं और उनका लेखा परीक्षा किया जाना है । तथापि, अन्तिम विनियोग और वास्तविक व्यय में अन्तर नगण्य होगा ।

(घ) शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये "कृषि विश्वविद्यालयों के विकास" योजना को योजना व्यय का अधिकांश भाग आबंटित किया जाता है जिसके अंतर्गत हर वर्ष व्यक्तिगत कृषि विश्वविद्या-

लयों को उनकी योजना आवश्यकता के आधार पर सहायता रिलीज की जाती है । पिछले 4 वर्षों में उनकी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किये गये रिलीज पर्याप्त रहे हैं । इसलिये जो कुछ रिलीज करने के लिये रह गया है वह पहले के सालों की अपेक्षा कम है, इस प्रकार 1984-85 का बजट आकलन 1983-84 के वास्तविक आकलन की तुलना में कम हो गया है ।

(ङ) पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति को गठित करने की आवश्यकता नहीं है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चने गए परिवारों की सूची

9374. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में चुने गए परिवारों की सूची दोषपूर्ण है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों की सूचियां दोषपूर्ण पाई गई हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित सरकारों को इन सूचियों की पुनरीक्षा के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं ;

(घ) कौन-कौन से राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार इन सूचियों की पुनरीक्षा की है ;

(ङ) कौन-कौन से राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के निदेशों की परवाह नहीं की है और इन सूचियों की पुनरीक्षा नहीं की है ;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई कार्रवाई की है ;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) किसी भी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के बारे में लाभभोगियों की सूची से सम्बन्धित कोई विशेष शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ग) सभी राज्यों को लाभभोगियों की चयन पद्धति को अधिक व्यापक बनाने तथा लाभभोगियों की सूची का स्थानीय स्तर पर अधिक प्रचार करने के लिए एक सामान्य परिपत्र जारी किया गया है ।

(घ) से (ज) लाभभोगियों के चयन तथा उनकी सूची के प्रचार की पद्धतियों पर मंत्रालय द्वारा सुझायी गयी प्रणाली पर किसी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र ने कोई एतराज जाहिर नहीं किया

है। लाभभोगियों का चयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा मंत्रालय का प्रयास इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से स्पष्ट, व्यापक तथा उद्देश्यपूर्ण बनाना है।

किसानों द्वारा उर्वरकों की मूल्य अदायगी

9375. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय किसान रासायनिक उर्वरकों के सर्वाधिक दाम चुका रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उर्वरकों के मूल्य प्रत्येक देश में अलग-अलग होते हैं। भारत में उर्वरकों के मूल्य कुछ देशों की तुलना में अधिक हैं, लेकिन साथ ही वे दूसरे देशों की तुलना में कम हैं।

(ख) तथा (ग) उर्वरकों की खपत मौसमी परिस्थितियों, सिंचाई, फसलों की किस्मों, ऋण की उपलब्धता, उर्वरक आदि के मूल्यों जैसे कई तत्वों पर निर्भर करती हैं। हाल ही में 29 जून, 1983 से उर्वरकों के मूल्य 7-1/2 प्रतिशत तक कम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य निगम के पास 2 वर्ष से अधिक समय से पड़े यूरिया तथा डी० ए० पी० के मूल्यों में 10 प्रतिशत की अरी कटौती की गई है। आशा है कि इस प्रकार मूल्य कम करने से उर्वरकों का अधिक उपयोग करने के लिए किसानों को बढ़ावा मिलेगा। इस समय, उर्वरकों के मूल्यों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का बैंकों के जरिए कार्यान्वयन

9376. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए कार्यान्वित करने से ग्रामीण निवेश और बचत राशि में बढ़ोत्तरी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि बैंकों को इस बारे में विशेष प्रयास करने चाहिए ;

(घ) यदि ग्रामीण बचत और निवेश राशि में वृद्धि नहीं हुई है तो क्या इस आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि बैंकों के जरिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन ज्यादा सफल सिद्ध नहीं हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार कोई अन्य अभिकरण स्थापित करेगी या बैंकों को इसे सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक व्यापक योजना शुरू करने और अपने प्रशासकीय एककों को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए निर्देश देगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र): (क) व (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए ग्रामीण निवेश में प्रति वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति उपदान, ऋण तथा निवेश नीचे दिया गया है :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति कुल उपदान	प्रति व्यक्ति कुल ऋण	प्रति व्यक्ति कुल निवेश
	(रुपये)	(रुपये)	(रुपये)
1980-81	582	1060	1642
1981-82	975	1723	2698
1982-83	1041	2066	3170

ग्रामीण बचत के बारे में आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण दिया जाना

9377. **श्री बलीराम सिंह भूरिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण देने की दृष्टि से सरकार ने कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम शृंखला आयोजित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में राज्य-वार जानकारी क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया तथा कितने कार्यकर्त्ता प्रशिक्षित किए गए और उनके प्रशिक्षण के बाद इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कितने कार्यकर्त्ताओं की सेवायें ली गईं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, हां। मंत्रालय ने 1981-82 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सेवकों, पंचायत सचिवों,

वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों के अधिकारियों और विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारियों आदि जैसे कार्यकर्त्ताओं के लिए खंड स्तर पर एक-दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया था।

(ख) व (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी चीनी तथा कताई मिलों को सहायता

9378. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम देश में सहकारी चीनी कारखानों और सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता देता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न सहकारी चीनी कारखानों और सहकारी कताई मिलों को छठी योजना अवधि के दौरान वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सहकारी चीनी कारखानों तथा सहकारी कताई मिलों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वर्ष-वार दी गई वित्तीय सहायता की रकम नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सहकारी चीनी कारखाने	सहकारी कताई मिल
1980-81	4.55	5.20
1981-82	6.89	16.00
1982-83	8.43	11.50
1983-84	11.11	32.31

संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 के अन्तर्गत मुकदमे

9380. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कोई मुकदमे चलाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1980 से अब तक वर्ष-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) व (ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्न की आवश्यकता

9381. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष खाद्यान्न का कुल उत्पादन 1460 लाख टन के शिखर तक पहुंच जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में इतना अधिक उत्पादन किन कारणों से हुआ ;

(ग) सरकार के पास वितरण के लिए खाद्यान्न की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध होगी ; और

(घ) क्या सरकार ने देश में इस वर्ष खाद्यान्न की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार 1983-84 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 1498 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है । इस अधिक उत्पादन का कारण अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों और बीज के मिनी किटों की सप्लाई में वृद्धि, उपयुक्त विस्तार उपाय, सिंचित/अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना, लाभकारी मूल्य नीति अपनाना, उन्नत कृषि उपस्करों का उपयोग, विशेष उत्पादन अभियान, विशेषकर चावल आदि के लिए, तथा सामान्यत: अनुकूल मौसम की स्थितियों का होना है ।

(ग) 1-4-1984 को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति अस्थायी रूप से 149.5 लाख मीटरी टन आंकी गई हैं । चालू मौसम में गेहूं की अधिप्राप्ति से इसमें भारी वृद्धि की जाने की संभावना है ।

(घ) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के माध्यम से वितरण हेतु खाद्यान्नों की आवश्यकता का एक सामान्य अनुमान लगाया है ।

कर्नाटक सरकार द्वारा सूखे के दौरान पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता

9382. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने गत तीन वर्षों में राज्य में सूखे के दौरान सूखा प्रभावित गांवों और

पीने के पानी की समस्या वाले गांवों के लिए पीने का पानी सप्लाई करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ;

(ग) हाल ही के सूखे के दौरान पीने के पानी की समस्या वाले कितने गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया , और

(घ) कर्नाटक में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पीने के पानी की समस्या वाले कितने गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय जो कि सूखा राहत सहायता से सम्बन्धित है, ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पेय जल के लिए मांगी गई सहायता	केन्द्रीय सरकार द्वारा पेय जल के लिए स्वीकृत सहायता
	(करोड़ रुपयों में)	
1981-82	9.10	0.42
1982-83	6.00	7.56
		5.53 δ
1983-84	21.04	राज्य सरकार से अपने ही संसाधनों में स्थिति से निपटने के लिए कहा गया है।

δ 1983-84 के लिए जोकि 30-6-84 तक वैध है।

(ग) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि हाल ही के सूखे के दौरान 2263 कमी वाले ग्रामों तथा 57 समस्याग्रस्त ग्रामों को भी पेय जल पूर्ति सुविधायें मुहैया कराई गई हैं।

(घ) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कर्नाटक में 15,456 समस्याग्रस्त ग्रामों का पता लगाया गया था । इनमें से 31 दिसम्बर, 1983 तक 13,748 ग्रामों को लाभान्वित कर दिया गया है । शेष ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त से पूर्व लाभान्वित किये जाने की आशा है।

वर्ष 1986 में एडिनबर्ग में राष्ट्र मंडल खेल

9383. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि "इंग्लिश रग्बी यूनियन" का

विचार मई, 1984 में खेलों के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने का है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ख) क्या लंदन स्थित "नान-रेशियल ओलम्पिक कमेटी" ने एशिया, अफ्रीका और कैरीबियन के देशों में 1986 में एडिनबर्ग में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग न लेने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) सरकार को प्रस्तावित दौरे की जानकारी है और इसे दुर्भाग्य समझती है।

(ख) प्रश्नास्पद संगठनों से न तो सरकार द्वारा और न ही भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा ऐसी कोई अपील प्राप्त हुई है। अतः सरकारी प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सहायता

9384. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रत्येक राज्य को वर्ष 1984-85 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों को वरीयता देते हुए, पेय जल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देने के लिए 1984-85 के केन्द्रीय बजट में 242.50 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त, 1983-84 में आरम्भ की गई प्रोत्साहन योजना 1984-85 के दौरान भी जारी रहेगी। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ठीक-ठीक नियतन संसद द्वारा पारित बजट के पश्चात् ही किया जाएगा।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिए गए जल कनेक्शन

9386. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा जोन-वार कितने जल कनेक्शन दिए गए तथा जमानत के रूप में उसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई और इस संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका के पास अभी कितने आवेदन, कब-कब से विचाराधीन हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उसका जोनों में विभाजन नहीं है। सम्पूर्ण नई दिल्ली नगर पालिका से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत कनेक्शनों की संख्या	प्रतिभूति की राशि	लम्बित पड़े आवेदन पत्र तथा उनके लम्बित पड़े रहने की अवधि
1981	139	27,975 रुपये	गत कुछ महीनों से लगभग 80 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा आवेदकों से मांगी गई सूचना के लिए कुछ मामले लगभग एक वर्ष से लम्बित पड़े हैं।
1982	143	31,735 रुपये	
1983	118	28,200 रुपये	
1984 (आज तक)	58	7,880 रुपये	

छिड़काव करने वाले हेलिकाप्टरों का आयात करने के लिए केरल का अनुरोध

9387. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विमानन शाखा के कार्य और गतिविधियाँ क्या हैं ;

(ख) क्या छिड़काव करने वाले हेलिकाप्टर खरीदने का केरल सरकार का अनुरोध इसके पास लम्बित पड़ा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि विमानन निदेशालय के कार्य तथा गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं :

1. टिड्डी नियंत्रण ।
2. कीटनाशी दवाइयों, उर्वरकों तथा बीजों का हवाई छिड़काव करना ।
3. सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में हवाई प्रचालन कार्यों के लिए हवाई जहाजों की मांग का समन्वयन करना ।
4. अन्य सम्बद्ध क्षेत्र, जैसे मच्छर नियंत्रण, बादल बनाने तथा मछलियों के झुंडों का पता लगाने के लिए समुद्री सर्वेक्षण करना ।
5. कृषि विमानन में अनुसंधान एवं विकास ।
6. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को कृषि विमानन के बारे में तकनीकी सलाह देना ।
7. कृषि विमानन में प्रशिक्षण ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना में नारियल पैकेज कार्यक्रम जारी रखने के लिए केरल का अनुरोध

9388. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से सातवीं योजना अवधि के दौरान भी नारियल पैकेज कार्यक्रम जारी रखने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल सरकार ने भारत सरकार से सातवीं योजना अवधि के दौरान नारियल पैकेज कार्यक्रम जारी रखने के लिए अभी तक अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल द्वारा काजू पैकेज कार्यक्रम के लिए मांगी गई सहायता

9389. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल द्वारा काजू पैकेज कार्यक्रम के लिए मांगी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में केरल को कितनी सहायता दी जा रही है, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-81 से 1983-84) के दौरान काजू विकास पैकेज कार्यक्रम से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केरल सरकार ने 81 लाख रुपये की सहायता मांगी है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार को 91.9 लाख रुपये (केन्द्रीय शेयर) की राशि आवंटित की गई थी तथा राज्य सरकार की वास्तविक जरूरत और उसके पास उपलब्ध शेष राशि को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तव में 79.8 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए थे।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के उप-डिपुओं को समाप्त करना

9390. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को भारतीय खाद्य निगम के उप-डिपुओं को समाप्त करके राशन

की वस्तुओं का समूचा व्यापार प्राइवेट पार्टियों को सौंपे जाने सम्बन्धी केरल सरकार के प्रस्ताव की जानकानी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० सजीवी राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम का केरल सरकार की ओर से खाद्यान्नों/चीनी आदि को हैंडल करने/उनका वितरण करने का कोई विचार नहीं है जैसा कि अतीत में सहमति हुई थी । इस कार्य को हस्तान्तरित करने विषयक तौर-तरीकों पर राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श हो रहा है ।

मत्स्य पालन के लिए अन्तर्देशीय जल का प्रयोग

9391. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य पालन हेतु अन्तर्देशीय जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) केन्द्रीय मत्स्य उद्योग अनुसंधान संस्थान ने, तेजी से बढ़ने वाली मछली की नसलों, खासतौर पर भारतीय तथा एक्सोटिक मूल की कर्पिस, पर आधारित अधिक उत्पादन देने वाली प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) छठी योजना में इस सम्बन्ध में मिली उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं :—

1. मछुओं को वजीफा दिलाकर मत्स्य पालन की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में उन्हें प्रशिक्षण देना ।

2. प्रथम वर्ष में तालाबों और पोखरों के सुधार और आदानों के लिए राज-सहायता की व्यवस्था करना ।

3. मछुओं के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था करना ।

4. प्रशिक्षित मछुओं के लिए तालाबों और पोखरों की दीर्घावधि पट्टे की व्यवस्था करना ।

5. मछुओं को बढ़िया किस्म के डिम्पोना के वितरण की व्यवस्था करना ।

6. मछुओं को समुचित रूप से प्रशिक्षित करके उनके द्वारा मत्स्य प्रजनन किए जाने हेतु प्रेरित प्रजनन मिनीकिटों का वितरण ।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में मछुओं की अतिरिक्त आवश्यकता की व्यवस्था के लिए लगभग 7,000 लाख डिम्पोना का उत्पादन करने के लिए सभी प्रमुख राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत डिम्पोना हैचरियों की स्थापना करना ।

8. मत्स्य पालन क्षेत्र की नीतियों और समस्याओं के संबंध में विचार करने के लिए सेमिनार, गोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन करना ।

9. विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना, ताकि नवीनतम प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में उनके ज्ञान में वृद्धि की जा सके ।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं :—

1. तीन प्रभागों की स्थापना करना, अर्थात्

(क) ताजा जल जलकृषि प्रभाग,

(ख) नदीय और सरोवरी प्रभाग, और

(ग) ज्वारनदमुख प्रभाग ।

2. निम्न के संबंध में चार अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजनाओं की स्थापना करना—

(क) मिश्रित मत्स्य पालन और डिम्पोना उत्पादन,

(ख) एयर ब्रीडिंग मछलीपालन,

(ग) पारिस्थितिकी तथा ताजे जल के जलाशयों में मत्स्य पालन, और

(घ) खारे जल में मत्स्य पालन ।

ये सभी प्रभाग और समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं वैज्ञानिक अध्ययन में कार्यरत हैं ताकि अधिक उत्पादन देने वाली मत्स्य उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके और जल्दी तैयार होने वाली कार्प और अन्य सम्वर्धनशील किस्मों के आधार पर विकसित प्रौद्योगिकी में भी सुधार किया जा सके ।

(ग) तालाबों और पोखरों का लगभग 1.5 लाख हैक्टार जल क्षेत्र मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया गया है । भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार पोखरों से मछली का औसत उत्पादन (1981-82) प्रति वर्ष 681 किलोग्राम प्रति हैक्टार पहुँच गया है । तथापि बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में औसत उत्पादकता

प्रति वर्ष प्रति हैक्टार क्रमशः 1366, 1579, 1008, 1028 और 1340 किलोग्राम थी। 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश में डिम्पोना का उत्पादन क्रमशः 40950 लाख और 51300 लाख (अस्थायी) था। इन सभी प्रयासों से 1983-84 में अन्तर्देशीय क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन 10 लाख टन से अधिक होने की आशा है।

उड़ीसा में स्विटजरलैंड की सहायता से स्थापित डेरी विकास परियोजना के बारे में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का प्राक्कलन

9392. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने उड़ीसा में स्विटजरलैंड की सहायता से शुरू की जाने वाली डेरी विकास परियोजना का एक प्राक्कलन तैयार किया है;

(ख) यदि हां तो प्राक्कलन के अंन्तर्गत राज्य के कौन-कौन से जिलों को शामिल किया गया ;

(ग) क्या सामान्य रूप से राज्य के पिछड़े जिलों और विशेष रूप से कियोंझर जिले को उक्त/परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस परियोजना के अन्तर्गत क्योंझर जिले को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) स्विटजरलैंड से सहायता पाने वाली इस डेरी विकास परियोजना में शामिल किए जाने वाले अन्य प्रस्तावित पिछड़े जिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने स्विस विकास निगम की सहायता से गंजम, सुन्दरगढ़ और सम्बलपुर जिलों में डेरी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) इस परियोजना के अन्तर्गत लाये जाने वाले जिलों का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि क्योंझर जिले को आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

विश्व बैंक की सहायता से चल रहीं अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन परियोजनाएँ

9393. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विश्व बैंक की मदद से अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन की ऐसी कोई परियोजना उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही है या कार्यान्वित की जा चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह परियोजना कब से कार्यान्वित की गई/की जा रही है तथा उड़ीसा में अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन के विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्यों के नाम हैं : बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ख) जी हां।

(ग) यह परियोजना 1980 से उड़ीसा के 7 जिलों में 5 वर्ष की अवधि के लिये क्रियान्वित की जा रही है। हाल ही में चार और जिलों को इस परियोजना के अन्तर्गत लाया गया है। उड़ीसा में इस परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाया गया जल क्षेत्र (हैक्टार में)	6,888
2. प्रशिक्षित किये गये किसानों की संख्या	6,657
3. हैचरियां	
(क) निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है	5
(ख) निर्माणाधीन	4

4. हैचरियों के निर्माण और रखरखाव के लिये डिप्पोना विकास निगम की स्थापना की गई है।

छठी योजना में भू-सर्वेक्षण तथा भू-नियोजन कार्य

9394. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि में भूमि के सर्वेक्षण और भू-नियोजन कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) उनके मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों को क्या निर्देश भेजे गये हैं ; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) बहुत से राज्यों, जहाँ भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की निरन्तर पद्धति है, में कोई आवधिक सर्वेक्षण तथा भूमि बन्दोबस्त कार्य नहीं किए जाते हैं। कुछ अन्य राज्यों विशेषकर जहां स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले स्थायी भूमि बन्दोबस्त की पद्धति थी, में समय-समय पर पुनः सर्वेक्षण तथा पुनः बन्दोबस्त

कार्य किये जाते हैं। इन बहु-स्तरीय कार्यों के लक्ष्यों तथा वास्तविक उपलब्धियों की मात्रा को बताना कठिन है। राज्यों द्वारा उनकी वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रयोजन हेतु योजनाएं तैयार की जाती हैं। वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत इनके लिए वित्तीय आवंटन, भूमि सुधार के प्रयोजनों हेतु कुल आबंटन का एक भाग है।

उन राज्यों, जहां जोतों की चकबन्दी की जाती है, में पुनः सर्वेक्षण तथा भूमि के पुनः बन्दोबस्त के कार्य इन कार्यवाहियों के भाग हैं।

सरकार भूमि के अभिलेखों को अद्यतन बनाने के कार्य को बहुत अधिक महत्व देती है और इसलिए सरकार ने राज्य सरकारों को समय-समय पर सुझाव दिए हैं कि वे भूमि के अभिलेखों, जो पुराने हो चुके हैं, को अद्यतन बनाने तथा उन्हें अद्यतन बनाए रखने हेतु एक निरन्तर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें।

आपरेशन फ्लड-दो की राज्य-वार प्रगति

9395. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-दो के अन्तर्गत राज्य-वार और मद-वार कार्यवाही की प्रगति का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार से राज्य-वार और वर्ष-वार परियोजना प्रस्तावों के लिए वित्तीय आबंटन मंजूर किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत 29-2-84 को राज्यवार आधार पर प्रमुख अवयवों की प्रगति को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत सरकार ने धनराशि का राज्यवार आबंटन निर्धारित नहीं किया है। धनराशि की जरूरत निर्धारण राज्य सरकार तथा उसके द्वारा नामित क्रियान्वयन एजेन्सी के परामर्श से तथा परियोजना के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। सरकार ने आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए धनराशि के मदवार आबंटन को अनुमोदित कर दिया है। आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन भारतीय डेरी निगम को राज्यों द्वारा तैयार किए गए तथा पेश किए गए सापेक्ष डेरी विकास योजना के आधार पर किया जाता है। ऐसा आबंटन योजना में उल्लिखित डेरी विकास परियोजना के मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। आबंटन को भारतीय डेरी निगम के निदेशक मण्डल जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, द्वारा मंजूर किया जाता है।

विवरण

ग्रापरेशन फ्लड-2 के ग्रन्तर्गत 29-2-84 को राज्यवार ग्राधार पर प्रमुख ग्रवयवों की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए दुग्ध क्षेत्र	आनन्द पद्धति की डेरी सहकारी समितियां		कृषक सदस्य (हजार)	अधिप्राप्त दूध (एक कि०ग्रा० पैक)	दुग्ध विपणन	
			संगठित	क्रियात्मक			शामिल किए गए शहर (श्रेणी-1, श्रेणी-2 तथा अन्य)	विपणन की मात्रा (हजार (एल.ई.डी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोवा	1	51	51	5.69	0.10	—	सूचित नहीं
2	गुजरात	16	7600	6391	1045.935	21.25	51	465.35
3	मध्य प्रदेश	7	1303	1143	60.105	2.18	11	97.06
4	महाराष्ट्र	5	1223	1004	173.431	10.31+	4	35.68
5	हरियाणा	9	1534	683	117.147	0.59	8	20.67
6	हिमाचल प्रदेश	2	सूचित नहीं	सूचित नहीं	10.255	0.10	15	9.19
7	जम्मू व कश्मीर	1	52	34	1.90	0.05	1	5.33
8	पंजाब	11	3399	3061	155.863	4.04	8	54.70
9	राजस्थान*	6	1871	1516	110.724	2.57	2	11.82

10	उत्तर प्रदेश	6	1147	994	73.526	1.07	5	42.31
11	अन्दमान तथा निकोबार	1	25	7	0.86	0.01	1	0.48
12	असम	1	112	32	5.05	0.003	1	0.08
13	बिहार	1	380	379	9.362	0.32	1	17.05
14	उड़ीसा	4	226	151	8.24	0.03	7	2.04
15	सिक्किम	1	97	69	3.195	0.05	4	3.70
16	त्रिपुरा	1	56	38	2.26	0.02	1	3.37
17	पश्चिम बंगाल	4	806	566	36.11	0.41	11	27.60
18	आन्ध्र प्रदेश	10	2112	2058	149.386	5.81	46	199.85
19	केरल	2	348	272	48.182	0.68	3	59.82
20	पांडिचेरी	1	28	28	7.20	0.13	1	9.53
21	तमिलनाडु	9	3716	3300	726.384	7.39	24	185.62
22	कर्नाटक	5	1875	1699	295.217	3.03	12	291.86
	योग	104	27951	23476	3046.022	60.14+	217	1543.11

आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत 29-2-84 को राज्यवार आधार पर प्रमुख अवयवों की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डेरी सहकारी समिति विपणन पशु आहार	निम्न के अन्तर्गत डेरी सहकारी समितियां		मादा बछिया (000)		पैदा हुई योग
			पशुपालन	कृत्रिम गर्भाधान	आपरेशन फ्लड-1	आपरेशन फ्लड-2	
		10	11	12	13	14	15
1	गोवा	19	44	3	—	—	—
2	गुजरात	4301	4724	1429	142.83	155.118	297.648
3	मध्य प्रदेश	1092	1106	843	—	1.191	1.191
4	महाराष्ट्र	1022	954	127	0.35	5.108	5.458
5	हरियाणा	110	544	143	0.12	1.15	1.270
6	हिमाचल प्रदेश	7	—	—	—	—	—
7	जम्मू व कश्मीर	51	—	—	—	—	—
8	पंजाब	2154	2665	448	—	1.77	1.77
9	राजस्थान*	1234	1144	237	0.42	5.142	5.562
10	उत्तर प्रदेश	915	902	222	—	1.009	1.009
11	अन्दमान तथा निकोबार	7	7	4	—	—	—
12	असम	32	32	9	—	0.080	0.080
13	बिहार	277	—	—	0.05	0.07	0.120
14	उड़ीसा	110	135	107	—	0.556	0.556
15	सिक्किम	69	69	20	—	0.071	0.071

16	त्रिपुरा	30	36	4	—	—	—
17	पश्चिम बंगाल	361	545	330	5.38	12.541	17.921
18	आन्ध्र प्रदेश	671	420	182	0.08	3.262	3.342
19	केरल	154	210	—	—	—	—
20	पांडिचेरी	25	—	—	—	—	—
21	तमिलनाडु	627	2487	1255	40.13	67.179	107.309
22	कर्नाटक	986	1311	877	—	9.732	9.732
	योग	14247	17335	6240	189.36	263.386	457.746

*योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

+महाराष्ट्र के वे 7 अतिरिक्त दुग्ध क्षेत्र भी शामिल हैं जहां यह कार्यक्रम अभी शुरू किया गया है ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम

9396. **कुमारी पुष्पादेवी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1983-84 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने का कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक राज सहायता और ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) 1983-84 में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में राज्यवार क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने 1983-84 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय शेयर के रूप में 85 करोड़ रुपये की अनुदान राशि निर्मुक्त की। समेकित ग्राम विकास पद्धति के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों पर अनुदान को उपयोग करने के लिये बराबर के ऋण की व्यवस्था राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहकारी संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से स्वयं करनी थी।

(ग) अनेक राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि राज्य स्तर की समन्वयन समिति का गठन किया गया है तथा योजना के प्रत्येक अवयव के लिये उन्होंने जिलेवार तथा खंडवार लक्ष्य तथा धन-राशि तय कर दी है और सम्बद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है। लघु सिंचाई कार्य के लिये राज्यों ने खुदाई-कुओं के निर्माण तथा पम्प सैट/नलकूप लगाने के लिये लाभानुभोगियों का पता लगाया है। कुछ राज्यों ने योजना के तहत ऋण मंजूर करने तथा उपलब्ध राज-सहायता का उपयोग करने के लिये वित्तीय संस्थानों के पास लाभानुभोगियों के आवेदन-पत्र भेजने शुरू कर दिये हैं। अनेक राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि ईधन तथा फल वाले वृक्षों के पौदों को लगाने के लिये तथा छोटे एवं सीमांत किसानों को सप्लाई करने के लिए नर्सरियां स्थापित की गई हैं। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि तिलहनों एवं दलहनों के उत्पादन के लिये 1983-84 के दौरान छोटे एवं सीमांत किसानों को बीजों तथा उर्वरकों के 25.23 लाख मिनीकिट निःशुल्क वितरित किये गये हैं। उर्वरकों सहित तिलहनों एवं दलहनो के मिनिकिटों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1983-84 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये छोटे एवं सीमांत किसानों की सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत उर्वरकों सहित तिलहन एवं दलहनों के मिनीकिटों का राज्यवार विवरण

(मिनीकिटों की संख्या)

क्र० सं०	राज्य	तिलहन	दलहन	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	62,566	33,657	66,223
2.	असम	58,690	96,400	1,55,090
3.	बिहार	85,724	8,782	94,507
4.	गुजरात	35,025	37,394	72,419
5.	हरियाणा	24,255	38,140	62,395
6.	हिमाचल प्रदेश	525	6,375	6,900
7.	जम्मू तथा कश्मीर	अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।		
6.	कर्नाटक	68,783	16,468	85,251
9.	केरल	रिपोर्ट नहीं मिली है।	50,000	50,000
10.	मध्य प्रदेश	51,123×	28,020×	79,143×
11.	महाराष्ट्र	4,08,500	2,11,321	6,19,821
12.	मणिपुर	16,000	23,000	39,000
13.	मेघालय	अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।		
14.	नागालैण्ड	अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।		
15.	उड़ीसा	13,364	39,984	53,348
16.	पंजाब	अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।		
17.	राजस्थान	अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।		
18.	सिक्किम	800	400	1,200
19.	तमिलनाडु	55,421	26,279	81,700
20.	त्रिपुरा	1,527×	9,476	11,003
21.	उत्तर प्रदेश	2,54,331	3,04,628	5,58,959
22.	प० बंगाल	1,71,947	2,71,145	4,49,092
23.	संघ राज्य क्षेत्र	2,668	3,740	6,408
	अखिल भारत	13,17,249	12,05,209	25,22,458

×केवल खरीफ फसल के लिये

चावल की नई किस्मों को जारी करना

9397. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 में सरकार ने चावल की कुछ नई किस्में रिलीज़ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो चावल की इन किस्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) किन-किन राज्यों के लिए चावल की इन नई किस्मों की सिफारिश की गई है ; और

(घ) चावल की इन नई किस्मों के पकने की अवधि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) 1983-84 के दौरान रिलीज की गई किस्मों के बारे में विस्तार से नीचे दिया गया है :—

किस्म	पकने की अवधि (दिन)	कृषि का क्षेत्र
1. विकास	115-120 (खरीफ)	आन्ध्र प्रदेश जिलों के चित्तूर तथा अनन्तपुर
	125-130 (रबी)	महाराष्ट्र के थाना जिले तथा रायलसीमा क्षेत्र
2. सत्तारी	70-75 दिन	उड़ीसा के बारानी उपराऊ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश के भागों में
3. सावित्री	150-155 दिनों	उड़ीसा के कटक जिले तथा तमिलनाडु का तंजौर जिला

समुद्री मछलियों का उत्पादन

9398. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों से कितनी समुद्री मछलियां प्राप्त हुई हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 1983-84 में समुद्री मछली उत्पादन के आंकलन अभी तक सभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं । तथापि, कैलंडर वर्ष 1983 में उत्पादित समुद्री मछली उत्पादन के आंकलन अस्थायी रूप से निश्चित कर लिए गए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

1983 के दौरान भारत में समुद्री मछली उत्पादन के आंकलन

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र आदि	समुद्रीय मछली उत्पादन (मीटरी टनों में)
1.	आंध्र प्रदेश	1,39,714
2.	गुजरात	1,83,000
3.	कर्नाटक	1,11,409
4.	केरल	3,85,280
5.	महाराष्ट्र	3,32,734
6.	उड़ीसा	39,900
7.	तमिलनाडु	2,44,360
8.	पं० बंगाल	23,097
9.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	3,868
10.	गोवा, दमन और द्वीप	40,965
11.	लक्षद्वीप	4,300
12.	पांडिचेरी	15,448
	किराए पर लिए गए गहरे समुद्र के जलयान	16,694
	कुल योग	15,31,769

उपभोक्ता वर्ष की घोषणा

9399. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से 1985 के वर्ष को उपभोक्ता वर्ष घोषित करने का आग्रह किया गया है और यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार के सम्मुख कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कुछ उत्पादन अपने उत्पादों को दूसरे उत्पादकों को उन्हीं शर्तों पर नहीं बेचते जिन पर कि वह अपने नियुक्त स्टाकिस्टों/वितरकों को बेचते हैं और इस प्रकार आपसी प्रतियोगिता और इस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या अनुचित व्यापार प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक उपबन्धों को सम्मिलित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में बिक्री से इंकार करने के मामले में अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को विनयमित करने के लिये उपबंध पहले से ही मौजूद हैं । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग, बिक्री से इंकार करने के विरुद्ध स्वयं अपने प्रस्ताव पर अथवा उन्हें प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है और करता भी है ।

नई चावल मिलों के लिए अपनाया गया मानदण्ड

9400. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : **क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष क्षेत्र में नई चावल मिलों की स्वीकृति देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ;

(ख) क्या नई मिलों को तब भी स्वीकृति दी जाती है जबकि विद्यमान मिलें उस विशेष क्षेत्र की पीसने (मिलिंग) की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति पर पुनः बिचार करेगी और नई मिलों को स्थापित करने की अनुमति तभी प्रदान करेगी जबकि विद्यमान मिलें मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) चावल मिलिंग उद्योग (विनियम) अधिनियम, 1958 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नयी चावल मिल स्थापित करने के लिए अथवा बंद पड़ी हुई चावल मिल स्थापित करने के लिए अथवा बंद पड़ी हुई चावल मिल में पुनः मिलिंग कार्य शुरू करने के लिए परमिट प्रदान करने से पूर्व, परमिट प्रदान करने वाले प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह चावल मिलों की संख्या, धान की उपलब्धता, इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई, स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित चावल मिल की श्रेणी और क्या इसके कार्य करने से पर्याप्त बेरोजगारी पैदा होगी, को ध्यान में रखकर परिपूर्ण जांच करेगी । यह जांच इस बात का पता लगाने के लिये की जानी चाहिए कि क्या चावल की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये परमिट प्रदान

करना आवश्यक है और क्या प्रस्तावित मिल आधुनिक तकनीक को अपना कर छीजन को रोकने और चावल की उन्नत किस्म और अन्य सह-उत्पादों के मामले में मदद करेगी। स्थानीय अर्थ-व्यवस्था में नयी चावल मिल के कार्यचालन का प्रभाव, व्यापार के स्वरूप और इलाके में वाणिज्य, बन्द पड़ी चावल मिल के मामले में कार्य बन्द करने के कारण और इलाके में वर्तमान चावल उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में भी जांच की जानी है।

(ख) और (ग) नयी चावल मिलें स्थापित करने के लिए अथवा बन्द पड़ी चावल मिल में मिलिंग कार्य पुन: शुरू करने के लिए परमिट प्रदान करने की शक्ति का सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार प्रयोग किया जाता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को जमानत राशि जमा करने से छूट देना

9401. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा श्रेणी एक से श्रेणी तीन के ठेकेदारों की जमानत राशि जमा कराने से छूट दी गई है और यदि हाँ, तो श्रेणी चार और श्रेणी पांच के ठेकेदारों, को यह छूट न दिए जाने के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार छोटे उद्यमियों को प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर छूट की अनुमति देती है और क्या श्रेणी-चार और पांच के ठेकेदारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, श्रेणी एक से श्रेणी तीन के ठेकेदारों के समान जमानत राशि जमा कराने से छूट देने में कोई कठिनाई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार श्रेणी चार और श्रेणी पांच के ठेकेदारों को उक्त छूट देने पर विचार करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) केन्द्रीय लोक निमाण विभाग द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के ठेकेदार को प्रतिभूति धरोहर के भुगतान से छूट नहीं दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

पानी की कमी दूर करने के लिए आसनसोल नगरपालिका को वित्तीय सहायता

9402. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को, आसनसोल नगर-पालिका को, उस

औद्योगिक क्षेत्र में भी पानी की जबर्दस्त कमी को दूर करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वित्तीय सहायता सशर्त है, अथवा स्पष्ट रूप से अनुदान ; और

(ग) उक्त वित्तीय सहायता के प्रस्ताव का क्या निष्कर्ष निकला है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को करोल बाग में प्लाटों का आबंटन

9403. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोल बाग, नई दिल्ली के निवासी अनुसूचित जातियों का एक समूह सरकार की योजना के अनुसार 8 मार्च, 1979 से प्लाटों के आबंटन के लिए अभ्यावेदन देता रहा है ;

(ख) क्या वे रिआयती दरों पर प्लाटों के आबंटन का अनुरोध करते रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें प्लाट आबंटित करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों के इन व्यक्तियों को वास्तविक आबंटन करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किसी सरकारी योजनाओं के तहत प्लाटों के आबंटन के लिए करोल बाग में रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों ने 8-3-79 को अनुरोध किया था। तथापि रेगड़पुरा, करोड़ बाग में रहने वाले अनुसूचित जाति की एक एसोसिएशन ने रेगड़पुरा में रिआयती दरों पर प्लाटों के आबंटनार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन दिया था।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) इस बारे में जब कभी निर्णय ले लिया जायेगा, वास्तविक आबंटन कर दिया जाएगा ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से भूमि का अधिग्रहण और उच्च दरों पर इसकी बिक्री किया जाना

9404. **श्री राम लाल राही** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य एजेन्सियां किसानों और गरीब लोगों की जमीनों का अत्याधिक सस्ती दरों पर अधिग्रहण करती है और प्लाट काटकर वे उस जमीन को 85 गुणा अधिक मूल्यों पर बेच देती है तथा इस प्रकार वे भूमि विकास की व्यवस्था करने के बाद भी भारी मुनाफा कमाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति को नियन्त्रित कर लेने के समय तक मूल्य वृद्धि की रोकथाम करना सम्भव है ; और

(ग) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में किसानों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के उचित मुआवजे के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मार्गदर्शी निर्देश तैयार कर रही है और यदि हां, तो ये मार्गदर्शी निर्देश कब तक तैयार हो जाएंगे ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) 1961 में आरम्भ की गई दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन, विकास एवं विक्रय योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का विक्रय) नियम, 1981 के अनुसार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली में भूमि अर्जित करता है और उसके विकास एवं विक्रय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप देता है। इस नियम में नीलामी / निविदा पूर्व निर्धारित दरों के भुगतान द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि के विक्रय की व्यवस्था है। इस समग्र योजना में निहित प्रयोजन दिल्ली का सुनियोजित विकास करना है और भूमि की कीमतों में नियन्त्रण करना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण समग्र रूप से योजना के कार्यान्वयन में कोई लाभ नहीं कमाता है।

(ग) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अन्तर्गत, अर्जित भूमि के मुआवजे का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को उस क्षेत्र में या उसके आस-पास प्रचलित दर के आधार पर आंका जाता है। निश्चित तिथि को निष्पादित विक्रय विलेख और विभिन्न एवार्डों और समय-समय पर की गई न्यायिक घोषणाओं, जो मुआवजे की राशि के निर्धारण से सम्बन्धित हैं, को ध्यान में रखते हुए इन दरों को निर्धारित किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी सम्पर्क कक्षों में स्टाफ की स्थिति

9405. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सम्बन्धी सरकार के निदेशों के क्रियान्वयन के बारे में 9 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10732 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के जिला, क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों में खोले गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी सम्पर्क कक्षों में स्टाफ की स्थिति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सम्पर्क अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के विवरण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न फील्ड कार्यालयों में सम्पर्क सैल कार्य कर रहे हैं और संबंधित कार्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों को निपटाने के कार्य को करते हैं। भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय ने जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निदेश पहले ही जारी कर दिए हैं कि वे जिला-स्तरों पर भी विहित अनुदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(ख) और (ग) कार्य के भार पर निर्भर करते हुए प्रत्येक कार्यालय के संपर्क सैल को आवश्यक स्टाफ सहायता सुलभ की जाती है। विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे संपर्क अधिकारियों और स्टाफ संख्या के विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पिछले बकाया रिक्त पदों को भरा जाना

9406. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में 18 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7769 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बकाया पड़े कुल कितने रिक्त पद श्रेणी-वार, पद-वार, और क्षेत्र-वार भरे गये हैं ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र (रीजन) में श्रेणीवार और पदवार कुल कितने बकाया रिक्त पदों को नहीं भरा गया है ; और

(ग) इन पिछले बकाया रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) वर्ष 1983 के दौरान, अनुसूचित जातिअ/नुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए पदों की कुल संख्या और इन पदों के प्रति नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	आरक्षित पद		नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी—1	2	1	3	1
श्रेणी—2	—	—	3	—
श्रेणी—3	72	48	93	29
श्रेणी—4	20	5	44	5
जोड़:	94	54	141	35

पदवार, क्षेत्र-वार आदि पिछले बची रिक्तियों के बारे में पूर्ण विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने आदि जैसे कारणों से आरक्षित पदों के प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्त करना हमेशा संभव नहीं हुआ है। तथापि, पिछले बचे पदों की रिक्तियां भरने के लिए यथासम्भव और समय-समय पर जारी किए गए विहित अनुदेशों की परिधि के अन्दर रहते हुए प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना

9407. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में 18 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7769 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणी एक और श्रेणी दो के कितने अधिकारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु विदेशों में भेजा गया ;

(ख) देश और विदेशों के विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी एक और श्रेणी दो के कुल कितने अधिकारियों को भेजा गया और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी थे ; और

(ग) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां दी गयी हैं और प्रत्येक मामले में दी गयी छात्रवृत्ति की धनराशि कितनी थी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने विषयक नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन तैयार की गई योजना, जिसका उद्देश्य उनकी कार्यकुशलता का उच्च श्रेणी-करण करना है तथा उन्हें भारतीय खाद्य निगम के अपेक्षित मानक तक लाया जाना है, श्रेणी-I और II के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने से सम्बन्धित नहीं है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के अन्दर तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी I और II के अधिकारियों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	देश के अन्दर प्रशिक्षण		विदेशों में प्रशिक्षण	
	कुल संख्या	अ०जा०/अ०ज०जा०	कुल संख्या	अ०जा०/अ०ज०जा०
1981-82	46	3	1	शून्य
1982-83	53	4	शून्य	शून्य
1983-84	40	6	4	शून्य

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तीन उम्मीदवारों को भारतीय खाद्य निगम की छात्रवृत्तियां, जिसकी धनराशि प्रति उम्मीदवार 300 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, प्रदान करने के लिए चुना गया है । छात्रवृत्ति की वास्तविक धनराशि सम्बन्धित संस्थानों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी ।

सेवा-निवृत्त/सेवा निवृत हो रहे सरकारी कार्मचारियों के लड़के-लड़की को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

9408. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवास के पृथक पूल से संबंधित एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लड़के-लड़की को सरकारी आवास का तदर्थ आबंटन करने के पक्ष में निर्णय दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी सेवा निवृत/सेवानिवृत हो रहे सरकारी कर्मचारियों तथा उनके लड़के/लड़कियों की ओर से इस आशय के अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सामान्य पूल आवास के

अलावा किसी अन्य पूल से सम्बन्धित सेवा-निवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को, उनके लड़के/लड़की को सरकारी आवास का तदर्थ आबंटन किया जाए ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर पुनः विचार करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं है ।

(ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) तथा (ङ) उपयुक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में बारानी खेती संबंधी अनुसंधान केन्द्र

9409. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक शुष्क-भूमि पर खेती संबंधी कितने अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में बारानी खेती संबंधी कम से कम एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो केवल बारानी खेती के बारे में अनुसंधान कार्य करने हेतु उड़ीसा के लिए कोई पृथक अनुसंधान केन्द्र कब तक स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) बारानी कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना को अक्तूबर, 1970 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया था । यह प्रायोजना 23 केन्द्रों में (सूची विवरण के रूप में संलग्न है) चालू हैं । समन्वय एकक हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित है ।

(ख) 7 वीं पंचवर्षीय योजना में (क) में उल्लिखित प्रायोजना को उपयुक्त ढंग से सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया जा रहा है जिससे कि इसके अंतर्गत न आने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

(ग) उड़ीसा राज्य में बारानी प्रायोजना के अंतर्गत एक केन्द्र पहले से ही स्वीकृत किया गया है तथा यह उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में स्थित है । यह केन्द्र 1970 से कार्य कर रहा है ।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारानी प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्रों की सूची

	राज्य	केन्द्र का नाम
क.	समन्वय एकक	
	राज्य	
क.	समन्वय एकक	हैदराबाद
ख.	केन्द्र—23 :	
	1. आन्ध्र प्रदेश	1. हयात नगर (हैदराबाद)
		2. आनन्तपुर
	2. बिहार	3. रांची
	3. गुजरात	4. दन्तीवाडा
		5. राजकोट
	4. हरियाणा	6. हिसार
	5. जम्मू व कश्मीर	7. रखड्यानसेर
	6. मध्य प्रदेश	8. इन्दौर
		9. रीवां
	7. महाराष्ट्र	10. अकोला
		11. शोलापुर
	8. कर्नाटक	12. हेब्बल
		13. बेल्लरी
		14. बीजापुर
	9. पंजाब	15. होशियारपुर
	10. राजस्थान	16. जोधपुर
		17. उदयपुर
	11. तमिलनाडु	18. कोविलपट्टी
	12. उ० प्र०	19. झांसी
		20. वाराणसी
		21. आगरा
		22. देहरादून
	13. उड़ीसा	23. भुवनेश्वर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए मार्ग निर्देश और कार्यों का निर्धारण करना

9410. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के राज्यों द्वारा क्रियान्वयन किए जाने हेतु किन मार्गनिर्देशों और किस प्रकार के कार्यों का निर्धारण किया गया है तथा उन्हें समय-समय पर अनुसूचित किया गया है तथा उनका क्या ब्यौरा है ;

(ख) उड़ीसा सरकार ने किस प्रकार के कार्य शुरू किए हैं तथा 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्ययन पर कितनी धन राशि खर्च की गई है ;

(ग) वर्ष 1984-85 सहित इसमें केन्द्र के हिस्से के रूप में कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और इस राज्य ने अपने भाग को पूरा करने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई है ;

(घ) क्या इस राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए कोई पृथक कार्यक्रम तैयार किया है और क्या इस राज्य और उनके मंत्रालय ने इन वार्षिक योजनाओं के लिए धनराशि की मात्रा निश्चित कर दी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य विशेषताएं तथा समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों को संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जा सकने वाले निर्माण कार्यों को भी संलग्न विवरण-2 में दर्शाया गया है।

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में निष्पादित किए गए निर्माण कार्य ये हैं :—सामाजिक वानिकी कार्य, पेड़ लगाना, अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासों का विकास, लघु सिंचाई कार्य, भू-संरक्षण तथा भूमि सुधार कार्य, पेय जल कुंओं का निर्माण, ग्रामीण सड़कों, स्कूल भवनों, पंचायत घरों का निर्माण तथा अन्य इसी प्रकार के विभिन्न कार्य। वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 के दौरान राज्य में कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

वर्ष	किया गया व्यय (लाख रुपए में)
1980-81	1891.89
1981-82	1448.85
1982-83	1283.62
1983-84	1160.59 (फरवरी, 1984 तक)

(ग) वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को बंटित निधियां नीचे दर्शायी गई हैं :—

वर्ष	बंटित निधियां (लाख रुपए में)
1980-81	2689.00
1981-82	820.00
1982-83	865.00
1983-84	527.41
	4901.41

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1136.00 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गयी है। तथापि, यह राशि अभी तक बंटित नहीं की गयी है। केन्द्रीय सहायता की धनराशि के वंटन की पद्धति सरल है। राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह बराबर के अंशदान की धनराशि के लिए अपने बजट में प्रावधान करे तथा निर्धारित फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय सहायता की धनराशि के साथ इस धन-राशि को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को बंटित करे।

(घ) व (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों को संसाधनों का वितरण एक निर्धारित फार्मूले के आधार पर किया जाता है जिसके अन्तर्गत कृषि मजदूरों। सीमान्त किसानों की संख्या को 75 प्रतिशत महत्व तथा गरीबी के प्रभाव पर 25 प्रतिशत बल दिया जाता है। यदि गरीबी के प्रभाव के बारे में जिला-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जन-जातियों की संख्या पर 25 प्रतिशत बल दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों का 10 प्रतिशत आबंटन केवल ऐसे निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित होगा जिनका प्रत्यक्ष लाभ अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को पहुंचे। इन निर्धारित निधियों को किसी अन्य निर्माण-कार्यों पर खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

विवरण-1

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों को दर्शाने वाला विवरण

(1) कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन पहले जिला प्रशासन द्वारा सीधे ही किया जाता था। कार्यक्रम की आयोजना, समन्वय, पुनरीक्षण, निगरानी, तथा कार्यान्वयन

आदि की जिम्मेदारी अब अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों सहित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को सौंप दी गई हैं।

(2) ग्रामीण समुदाय की तत्काल आवश्यकताओं के आधार पर तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ किए जाने वाले निर्माण कार्यों के चयन में ग्रामीणों को शामिल करके प्रत्येक जिले/खण्ड के लिए शेल्फ आफ प्रोजेक्टस तैयार की जानी है। शेल्फ आफ प्रोजैक्टस में शामिल किए गए निर्माण कार्यों के आधार पर प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में ही प्रत्येक जिले/खण्ड के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना भी तैयार की जानी है।

(3) कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का निष्पादन यथासम्भव पंचायती राज संस्थाओं के माध्यस से किया जाता है।

(4) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को संसाधनों का आबंटन एक मानदण्ड के आधार पर किया जाता है जिसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत बल राज्य में कृषि मजदूरों तथा सीमान्त किसानों की संख्या पर तथा 25 प्रतिशत बल निर्धनता के प्रभाव पर दिया जाता है जिलावार आबंटन राज्यों।केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा उसी आधार पर किया जाना है। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि निर्धनता के प्रभाव के बारे में जिलावार सूचना उपलब्ध न हो तो प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या पर बल दिया जाता है।

(5) आरम्भ में, मजदूरों को 2 किलोग्राम खाद्यान्न मजदूरी के एक भाग के रूप में दिए जाते थे। बाद में मजदूरों को उनकी मजदूरी के एक भाग के रूप में केवल एक किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का निर्णय लिया गया। ज्वार, बाजरा, रागी आदि जैसे मोटे अनाज, जो कुछ राज्यों में ग्रामीणों में लोकप्रिय हैं, के वितरण की भी अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वे राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा स्थानीय तौर पर प्राप्त किए जाएं। यह भी निर्णय लिया गया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दरों पर किया जाए। इस समय खाद्यान्नों की प्रतिकिलोग्राम दरें गेहूं के लिए 1·50 रुपये, सामान्य चावल के लिए 1·85 रुपये, बढ़िया किस्म के चावल के लिए 1.95 रुपये तथा बहुत बढ़िया चावल के लिए 2.10 रुपये है।

(6) सामाजिक वानिकी के उपयोग के लिए 10 प्रतिशत संसाधन निर्धारित किए जाते हैं तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सीधे ही लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्यों के लिए अन्य 10 प्रतिशत संसाधन निर्धारित किए जाते हैं। इन निर्धारित निधियों को निर्माण कार्यों की अन्य मदों पर उपयोग में लाने की अनुमति नहीं दी जाती हैं।

(7) जिस समय कार्यक्रम आरम्भ किया गया था तब कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री घटक का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था हालांकि राज्य सरकारें अपने संसाधनों में से सामग्री का उपयोग कर सकती थीं। बाद में अलग-

अलग निर्माण कार्यों के संबंध में सामग्री घटक का अनुपात 40:60 निर्धारित किया गया था परन्तु किसी भी जिले में सामग्री घटक की अधिकतम सीमा 33 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती थी। इसके पश्चात् 40:60 का यह अनुपात अलग-अलग निर्माण कार्यों के साथ ही सम्पूर्ण जिले/राज्य के लिए लागू कर दिया गया था। बाद में 40:60 का अनुपात केवल सम्पूर्ण जिले के सम्बन्ध में लागू कर दिया गया था न कि अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए। इस समय जिले को आबंटित संसाधनों के 50 प्रतिशत को पूर्ण रूप से सामग्री घटक के रूप में उपयोग में लाने की अनुमति दी जाती है।

(8) राज्य स्तर पर कार्यक्रम की आयोजना, पुनरीक्षण तथा निगरानी के लिए मुख्य मंत्री अथवा ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाना था। इसी प्रकार, इस प्रयोजन हेतु जिला स्तर पर जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाना था। इस समय आयोजना, पुनरीक्षण तथा निगरानी का कार्य राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय संचालन समिति तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को सौंपा गया है।

(9) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा खण्ड तथा उच्च स्तरों पर पर्याप्त कर्मचारी वर्ग उपलब्ध कराया जाना था। इस समय उन्हें कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्मचारी-वर्ग को सुदृढ़ करने हेतु आबंटित निधियों के 5 प्रतिशत को उपयोग में लाने की अनुमति दी जाती है।

(10) कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन का कार्य ठेकेदारों तथा बिचौलियों को सौंपने की अनुमति नहीं है।

(11) ख्याति प्राप्त स्वेच्छिक संगठनों को कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के निष्पादन का कार्य सौंपा जा सकता है।

विवरण-2

उन निर्माण कार्यों की सूची नीचे दी गई है, जो कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किये जा सकते हैं :—

(1) सरकारी तथा पंचायतों आदि की सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी कार्य, सड़कों के दोनों किनारों पर पौधे लगाना, नहरों के तटों पर तथा रेलवे लाइनों आदि के साथ-साथ बेकार पड़ी भूमि पर पौधरोपण, जिनमें ईन्धन, चारे तथा फलदार पेड़ भी शामिल हैं, निजी भूमि पर पौधे लगाने हेतु पौधांकुरों का वितरण, उनकी बिक्री, बशर्ते कि उनकी बिक्री-आय सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के खाते में डाली जाये तथा उसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यों में दुबारा लगाया जाए।

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्य, जैसे भूमि विकास, आवासों का निर्माण, पेय जल कुएं आदि ।

(3) जल संचलन ढांचों का निर्माण अर्थात्, मानवीय उपयोग अथवा पशुओं के लिए जल उपलब्ध कराने, सिंचाई या मछली पालन आदि को विकसित करने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण, विद्यमान तालाबों की मरम्मत, उन्हें गहरा करना और चैक डेमों, नाले के बांधों, गुली प्लगिंग और रीसन डैमों का निर्माण आदि ।

(4) लघु सिंचाई कार्य जिसमें सामुदायिक सिंचाई-कुओं का निर्माण तथा बाढ़ बचाव, जल निकासी तथा जल लग्नता निवारक कार्य, माध्यमिक तथा मुख्य नालियों और खेत की नालियों का निर्माण आदि शामिल हैं ।

(5) भूमि संरक्षण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना ।

(5) भूमि संरक्षण तथा भूमि को कृषि योग्य बनाना ।

(6) पेय जल कुओं तथा अन्य जल स्रोतों, पशुओं के लिए जोहड़ों आदि और वन क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लिए जल स्रोतों की व्यवस्था ।

(7) निर्धारित मानकों और विनिर्देशनों के अनुसार ग्रामीण सड़कों का निर्माण और इस शर्त के अधीन कि कठोर धरातल, क्रास जल निकासी, पुलियों आदि की व्यवस्था भी हो ; और

(8) स्कूलों, औषधालयों, पशु चिकित्सा केन्द्रों, विस्तार केन्द्रों, बालवाड़ी भवनों, पंचायत घरों, सामुदायिक केन्द्रों, ग्रामीण बैंकों के आवास के लिए भवनों, पिंजरापोलों, गोशालाओं, सामुदायिक मुर्गी पालन तथा सूअर पालन गृहों, नहाने तथा कपड़े धोने के प्लेट फार्मों, सामुदायिक वायो-गैस संयंत्रों, बीज, कीट नाशक दवाइयों, उर्वरकों आदि को रखने हेतु भण्डारों का निर्माण ।

(9) भूमि को समतल बनाने, जल निकासी, नालियों और खेत की नालियों आदि का निर्माण कार्य जिन्हें भूमि तथा जल प्रबन्ध (वाटर शेडों तथा कमाण्ड क्षेत्रों दोनों में) की पद्धति के रूप में लिए गए क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करने के लिए परियोजना आधार पर शुरू किया गया है । इन निर्माण कार्यों के मामले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि के केवल उन खण्डों/सघन क्षेत्रों को लेने की अनुमति होगी जिनमें अधिकांश निजी भूमि छोटे तथा सीमान्त किसानों के स्वामित्व में हैं ।

यह सूची केवल निर्देशी है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन कार्यों को शुरू किया जा सकता है जिनकी आवश्यशता है और जिनसे आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा सकता है ।

आपरेशन-फ्लड-2 की आयोजना

9411. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपरेशन फ्लड-2 की योजना, आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत

निर्मित मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए और इसकी गलतियों से विशेषकर विभिन्न राज्यों को तत्परता और तैयारी के सम्बन्ध में शिक्षा लेकर तैयार की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आपरेशन-फ्लड-2 ने राज्यों के बीच आपरेशन फ्लड-1 के समान अथवा उससे भी बुरे असन्तुलन पैदा कर दिए हैं, जैसा कि अनेक राज्यों को कम धन-राशि का दिया जाना और आपरेशन फ्लड-2 का अनेक राज्यों में अब तक आरम्भ न किया जाना अथवा निराशाजनक रूप में आरम्भ किये जाने से पता चलता है ;

(ग) क्या सरकार का झा समिति की विभिन्न असंतुलनों की जांच करने के लिए कहने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश राज्यों में मूलभूत ढ़ांचा नहीं है और यदि हां, तो आपरेशन-फ्लड-1 के समाप्त होने से तीन वर्ष पूर्व जल्दबाजी में आपरेशन फ्लड-2 आरम्भ करने के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत पूर्वापेक्षित औपचारिकताएं पूरी किये जाने में हुए विलम्ब के कारण, सभी राज्यों में आयोजना प्रक्रिया एक साथ शुरू नहीं की गई थी। आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, परियोजना को कार्यान्वयन करने के लिये कर्णधार समिति ने 3-6-1983 को हुई अपनी बैठक में आपरेशन फ्लड-2 परियोजना को 1989-90 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। तथापि अभी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी है।

(ग) झा समिति विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करेगी।

(घ) कुछ राज्यों में मूलभूत ढांचा है और अन्य राज्यों में इसका उपयुक्त रूप से निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

आपरेशन फ्लड-2 के अंतर्गत स्किमड मिल्क पाउडर और बटर-आयल का आयात करने का प्रस्ताव

9412. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1977 के आपरेशन फ्लड-2 के प्रस्ताव के अनुसार स्किमड-मिल्क-पाउडर और 'बटर-आयल' का आयात पहले छः वर्षों (वर्ष 1984 तक) के लिए किया जाना था और यदि हाँ, तो क्या यह उद्देश्य पूरा कर लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आपरेशन फ्लड-दो की अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादों का प्रयोग कुल तरल दूध के 10 प्रतिशत भाग तक सीमिति रखना था और यदि हां, तो क्या उसका

पालन किया गया और यदि नहीं, तो वर्ष-वार दुग्ध उत्पादों की कितनी प्रतिशतता का प्रयोग किया गया ;

(ग) क्या आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत आयात की समाप्ति प्रथमत: वर्ष 1975 तक और बाद में आपरेशन फ्लड-दो के अन्तर्गत की जानी थी तथा क्या अब आयात का तो प्रश्न ही नहीं है, जैसी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा घोषणा की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने सातवीं योजना अवधि के लिए आयात (उपहार और वाणिज्यिक) हेतु योजनाएं तैयार की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) आपरेशन फ्लड-2 से संबंधित परियोजना दस्तावेज में उल्लिखित उपहार में प्राप्त जिन्सों की मात्रा अनन्तिम हैं। भारत सरकार तथा यूरोपीयन आर्थिक समुदाय के परस्पर करार की शर्तों में आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सप्रेटा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल तथा मक्खन की उपहार की सप्लाई नियमित रूप से प्राप्त हो रही है ।

(ख) परियोजना दस्तावेज में उल्लिखित उपहार स्वरूप जिन्सों की मात्रा बचनवद्ध मात्रा के अनुरूप नहीं है और यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सप्लाई की जा रही हैं। अतः कुल दूध के 10 प्रतिशत भाग को दुग्ध उत्पादों के रूप में उपयोग को सीमित करने का प्रश्न ही नहीं होता। 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान बम्बई. मद्रास, दिल्ली तथा कलकत्ता की डेरियों में दैनिक औसत उत्पादन की तुलना में पुनः तैयार किए गए दूध की प्रतिशतता निम्नलिखित है :—

	1980-81	1981-82	1982-83
बम्बई	15%	17%	शून्य
मद्रास	33%	43%	शून्य
कलकत्ता	71%	82%	75%
दिल्ली	47%	70%	57%

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार में प्राप्त जिन्सों की बिक्री से प्राप्त धनराशि आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्रोत के रूप में उपयोग की जा रही है ।

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान जिन्सों के आयात के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, यूरोपीय आर्थिक समुदाय से संकेत मिले हैं कि 1984 से 1986 तक आपरेशन फ्लड-2 के लिए खाद्य सहायता करार के अन्तर्गत भारत को अतिरिक्त मात्रा मिलने की सम्भावना है ।

आदिवासी क्षेत्रों में समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया जाना

9413. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने अपने-अपने यहां आदिवासी क्षेत्रों में समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया है और सहायता के लिए उनके मंत्रालय को सूचित किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कुल कितने गांवों को अब तक पेय जल की सुविधा प्रदान की गई है और कितने गांवों में अभी प्रदान की जानी है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में समस्याग्रस्त गांवों के लिए धन निर्धारित किया है और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यों को धन दिया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उनके मंत्रालय ने राज्यों से विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में यदि वहां हो तो समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाने हेतु प्रयत्नशील रहने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1-4-1980 को केन्द्र के अनुरोध पर निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आदिवासी क्षेत्र के गांवों सहित 2,30,784 समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया।

(ख) 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त गांवों की संख्या का राज्यवार विवरण, दिसम्बर, 1983 तक स्वच्छ पेय जल का कम से कम स्रोत मुहैया करके लाभान्वित किए गए गांवों की संख्या तथा लाभान्वित किए जाने वाले शेष गांवों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) जल पूर्ति राज्य का विषय है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य क्षेत्र में योजनायें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा बनाई व क्रियान्वित की जाती हैं। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत यह मंत्रालय अनुदान सहायता मुहैया करके राज्यों के संसाधनों को बढ़ाता है। 1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 541.44 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अतिरिक्त, 1983-84 के दौरान निष्पादन पर आधारित केन्द्र की नई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 66.11 करोड़ रुपये की राशि दी गई। इस मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदानों को दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से आदिवासी क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट नहीं किया जाता है लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में आने वाले गांवों सहित पता लगाये गये समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने की योजनाओं के लिए स्वीकृत किया जाता है।

(घ) से (ङ) प्रश्न के भाग (क), (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-4-80 तक समस्याग्रस्त ग्राम	दिसम्बर, 1984 तक लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त ग्राम	लाभान्वित किए जाने वाले शेष ग्राम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8206	5900	2306
2.	असम	15743	5461	10285
3.	बिहार	15194	10095	5099
4.	गुजरात	5318	2443	2875
5.	हरियाणा	3440	1169	2271
6.	हिमाचल प्रदेश	7815	4117	3698
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4698	1138	3560
8.	कर्नाटक	15456	13748	1708
9.	केरल	1158	3398	760
10.	मध्य प्रदेश	24944	22191	2753
11.	महाराष्ट्र	12935	8554	4381
12.	मणिपुर	1212	527	685
13.	मेघालय	2937	361	2566
14.	नागालैण्ड	649	294	355
15.	उड़ीसा	23916	13283	10333
16.	पंजाब	1767	311	1453
17.	राजस्थान	19803	12249	7554
18.	सिक्किम	296	158	138

1 2	3	4	5
19. तमिलनाडु	6649	5364	1283
20. त्रिपुरा *	2800	1714	1086
21. उत्तर प्रदेश	28505	13607	14898
22. पश्चिम बंगाल	25243	7583	17661
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	173	92	81
24. अरुणाचल प्रदेश	1740	930	810
25. चंडीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	99	89	10
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोआ, दमण तथा दीव	66	44	22
29. लक्षद्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	214	57	117
31. पांडिचेरी	118	88	30
योग	2,30,784	1,31,064	98,820

* इन राज्यों के आंकड़ों में आंशिक रूप से लाभान्वित किए गए ग्राम शामिल हैं और दिसम्बर 1983 को समाप्त हुई तिमाही के आंकड़े अनन्तिम हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों का दिल्ली से स्थानांतरण

9414. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से सरकारी कार्यालयों के विकेन्द्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के किन-किन कार्यालयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानान्तरित किया जाएगा और उनमें से किन-किन कार्यालयों को तमिलनाडु स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : दिल्ली में स्थित

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कुछ कार्यालयों को तमिलनाडु में कुछ स्थानों सहित दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

समुद्री संसाधनों को पारिस्थितिक क्षति

9415. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हमारे ही आर्थिक क्षेत्र के अन्दर विदेशी चार्टर मत्स्य नौकाओं द्वारा प्रयोग की जा रही बारीक जाली वाले जालों द्वारा हमारे समुद्री संसाधनों को होने वाली संभावित पारिस्थितिक क्षति की तरफ दिलाया गया है ;

(ख) इस प्रकार की विदेशी चार्टर मत्स्य नौकाओं द्वारा, जो कि हमारी जल सीमा का प्रयोग करती हैं, प्रयोग किए जा रहे जालों की किस्म पर नियंत्रण रखने और जांच करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) हमारी समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाले इस सम्भाव्य साधन का मानीटर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) किराये पर लिए गए मछली पकड़ने वाले कुछ विदेशी जलयानों द्वारा बारीक जाली वाले जालों का प्रयोग किए जाने की सूचना मिली थी।

(ख) और (ग) यद्यपि किराये पर लिए गए विदेशी जलयानों को सरकार द्वारा जारी की गई अनुमति के अन्तर्गत विशेष रूप से जलयान और गियर के प्रकार अर्थात ट्रालिंग, लांगलाइनिंग इत्यादि को बता करके केवल क्षेत्रीय जलक्षेत्र से बाहर कार्य करने की अनुमति दी जाती है, परन्तु सरकार ने बारीक जाली वाले जालों के उपयोग को गम्भीरता से लिया है। यह मामला मात्स्यकी उद्योग के ध्यान में भी लाया गया है। विदेशी मत्स्य जलयानों द्वारा किस प्रकार का गियर प्रयोग किया जाता है, इसका प्रबोधन कार्य के प्रत्येक अड्डे पर तैनात अधिकारियों द्वारा निरन्तर रूप से किया जाता है।

12.00 **म० प०**

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) मैं प्रक्रिया संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं जिससे आपको भविष्य में सहायता मिलेगी। कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने पत्र को पहले ही देख लिया है और मैंने इसका उत्तर दे दिया है। वह इसका भाग नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : यह व्यवस्था का प्रश्न है। जब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम मुझे व्यवस्था का प्रश्न रखने की अनुमति होनी चाहिए । प्रश्न बहुत ही साधारण है । 25 तारीख को मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी । अनुमति नहीं दी थी ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैंने इसे समाप्त कर दिया था क्योंकि यह इसका भाग नहीं है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन नहीं था ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है । मैंने आपको वही बात बता दी है । कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी तर्क वितर्क की अनुमति नहीं दे रहा हूं । कोई अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही समाप्त कर दिया है । इसके सम्बन्ध में कुछ भी पुनः नहीं कहा जा सकता । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री या अन्य मन्त्री का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे समाप्त कर दिया है । कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मुझे लक्ष्य न बनायें । मैं इसे जानता हूं ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गयी ।

×× कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० के० के० तिवारी : (बक्सर) मैं जिस प्रश्न को उठाने जा रहा हूं उसका सम्बन्ध प्रो० मधु दंडवते के साथ-साथ सदन के अन्य सदस्यों से भी है। प्रो० दण्डवते के दल के दो वरिष्ठ सदस्य तथा इस देश के वरिष्ठ नेता श्री एम० एम० जोशी···

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनसे क्या करना है ?

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर को देखा है। डा० स्वामी ने भी पहले इसे जाकर देखा था।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे क्या सम्बन्ध है।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जो बहुत ही गुमराह करने वाला है। उन्होने उग्रवादी तत्वों को प्रमाण पत्र देने में नियमों का भी उल्लंघन किया है। और यह कहा कि वे थे···(**व्यवधान**)

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : जनता पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : पहले कांग्रेस आई को अपनी पोजीशन साफ करनी चाहिए।···(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह बयान बाहर दिए गए थे। जवाब-तलब करना हो तो बाहर करें।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। आप अकेले स्टेटमेंट दीजिए या इकट्ठे रहकर बाहर स्टेटमेंट दीजिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वे मेरे सदन के सदस्य नहीं है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री जैनुल बशर : यह बाहर का मामला नहीं है। जनता पार्टी को अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यहां का मामला नहीं है।···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरा उनमें से किसी से कोई सम्बन्ध नहीं है जो इस सदन का सदस्य नहीं है। नहीं, अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**) × ×

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति वक्तव्य दे रहा है। मैं यहां उसकी अनुमति कैसे दे सकता हूं।

(व्यवधान) ××

12.04 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लि० कटक के वर्ष 1979-80, हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लि०, शिमला के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के संबंध में दो विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कटक के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, कटक, का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०—8257/84]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०—8258/84]

×× कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०—8258/84]

(3) (एक) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष, 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०—8259/84]

(5) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी-8260/84]

(7) (एक) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परिक्षित खेखे।

(दो) नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०—8261/84]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड गोहाटी के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में विवरण

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गौहाटी, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड गौहाटी के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी०-8362/84]

नवम एशियार्ड खेल नई दिल्ली की विशेष आयोजक समिति के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलंब के सम्बन्ध में विवरण

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) नवम एशियाई खेल, नई दिल्ली, की विशेष आयोजक समिति के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) नवम एशियाई खेल, नई दिल्ली, की विशेष आयोजक समिति के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी०—8263/84]

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, आपने आतंकवादियों और पृथकवादी लोगों के बारे में कालिंग अटेंशन मंजूर किया है, उसको 193 के अंदर लाना है क्योंकि सभी लोग बोलना चाहते हैं ।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा काम नहीं है, हाऊस का काम है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : लोक सभा का एक भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : लिखकर देंगे, तभी तो करूंगा ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : आनन्द पर्वत मिलिटरी डिपो दिल्ली से उग्रवादियों को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं ।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए । मैं इस पर विचार करूँगा ।

श्री राजेश कुमार सिंह : कालिंग अटेंशन और एडजार्नमेंट मोशन दिया है ।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है ; अनुमति नहीं दी जाती है । किसी स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं ;

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप कोई और नोटिस दे दीजिये, मैं पता करवा लूंगा, फिर देख लेंगे ।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैंने नोटिस दिया है ।

श्री के० मायातेवर (डिंडिगल) : श्रीमन्, श्रीलंका के मामले पर पुनः विचार विमर्श करने के लिए आप अपने कक्ष में सभी दलों की एक बैठक बुलाने वाले थे ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर इस पर फिर विचार-विमर्श कर सकते हैं । मैंने इसे आप पर छोड़ दिया है । आप जो कुछ निर्णय लें हम उसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री के० मायातेवर : श्रीमन्, इसका आपको निर्णय करना है । मेरे आने का कोई प्रश्न नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे आपके ऊपर छोड़ दिया है ।

श्री के० मायातेवर : श्रीमन्, श्री बूटा सिंह भी यहां हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे आकर इसका निर्णय करने के लिए कहा है । वह अब भी खुला है, और वह आपके निर्णय के अनुसार किया जायेगा ।

श्री के० मायातेवर : श्रीमन्, तारीख निश्चित कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यमंत्रणा समिति का कार्य है । आप वहाँ अपना आदमी भेज दीजिए ।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा (आरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में सारे राजकीय नलकूपों के कनैक्शन काट दिए गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है मेरा काम नहीं है । अनुमति नहीं है ।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : × ×

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । आप अनावश्यक ही क्यों घुसपैठ कर रहे हैं।

(व्यवधान) × ×

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमन्, लोक सभा सचिवालय सहित टेलीफोन सेवा में एक सामान्य गड़बड़ी है । कोई भी टेलीफोन काम नहीं कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ लिखकर दीजिए । मैं इस प्रकार नहीं कर सकता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : हमने उसके संबंध में नोटिस दिया है और यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह राज्य-सभा और लोक-सभा में हमारे गृह मंत्री जी ने बयान दिया था कि पंजाब की घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों और शक्तियों का हाथ है ;

अध्यक्ष महोदय : क्या मतलब है आपका ? इसमें आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि 28 तारीख के टाइम्स आफ इंडिया में जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्री गोरे और श्री जोशी का बयान आया है । उसमें उन्होंने यह कहा है कि विदेशी शक्तियों का हाथ नहीं है ;

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ नहीं है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : इस मसले में जनता पार्टी की नीति क्या है, यह स्पष्ट करें । यहां श्री मधु दंडवते, जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, मौजूद हैं, वह स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे कर सकता हूं।

मैं नहीं कर सकता हूं। अनुमति नहीं है।

श्री प्रताप भानु शर्मा :···**(व्यवधान)** × ×

× × कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : भाई यह बाहर का मामला है, अन्दर का मामला कैसे हो गया ? जनता पार्टी के बाद 10 पार्टियां और भी हैं, मैं किसी का ठेका नहीं ले सकता ।

(व्यवधान) ××

12.6 $\frac{3}{4}$ म० प०

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पहली से अड़तीसवीं और तेतालीसवीं से सैंतालीसवीं बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की पहली से अड़तीसवीं और तेतालीसवीं से सैंतालीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

12.07 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

52वां, 53वां, 55वां और 56वां प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग)–सहकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिये गये लाभों के बारे में 52वां प्रतिवेदन ।

(दो) ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)—इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन एण्ड रिफाइनरीज एण्ड पाइपलाईन्स डिवीजन), में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में 53वां प्रतिवेदन ।

(तीन) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बैंकिंग डिवीजन)—यूनियन बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

×× कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

के लोगों को बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण-सुविधाओं के बारे में 55वां प्रतिवेदन ।

(चार) वाणिज्य मंत्रालय (कपड़ा विभाग)—नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार और उड़ीसा) लिमिटेड, के विशेष संदर्भ में नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में 56वां प्रतिवेदन ।

———

12.08 म० प०

लोक लेखा समिति

196वां, 201वां, 204वें से 206वें तक, 210वें से 217वें तक

श्री भीकू राम जैन (चाँदनी चौक) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक तथा तार) के 'कन्टिन्यूअस चैनल टैस्टिंग बेज' की संस्थापना में विलम्ब और उनके असंतोषजनक कार्यकरण, टेलीफोनों की अनियमित खरीद, वस्तु नियन्त्रण और अनुसंधान, विकास और उत्पादन से सम्बन्धित पैरा 28 और 33 के बारे में 196वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1, सीमा-शुल्क प्राप्तियों संबंधी अप्रत्यक्ष कर-गलत छूट दिये जाने के कारण शुल्क के अनियमित प्रतिदाय से सम्बन्धित पैरा 1.20 (एक) के बारे में 201वां प्रतिवेदन ।

(3) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 2, भविष्य निधियों में अंशदानों की छूट में त्रुटियों से सम्बन्धित प्रत्यक्ष करों के पैरा 2.11 (दो) के बारे में 204वां प्रतिवेदन ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक तथा तार), के पंखा रोड़, नई दिल्ली, में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण और साल्ट लेक, कलकत्ता में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण से सम्बन्धित पैरा 39 और 42 के बारे में 205वां प्रतिवेदन ।

(5) अन्तर्निगम लाभांशों के संबंध में गलत कटौती से संबंधित भारत के नियन्त्रक-महा-

लेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 2, प्रत्यक्ष करों के पैरा 2.20 (तीन) के बारे में 206वां प्रतिवेदन ।

(6) 'कन्टेनर' सेवा के कार्यकरण से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के अग्रिम प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल), के पैरा 2 के बारे में 210वां प्रतिवेदन ।

(7) अचल संपत्तियों के अर्जन से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार, (सिविल), राजस्व प्रप्तियां खंड 2, प्रत्यक्ष करों, के पैरा 1.18 के बारे में 211वां प्रतिवेदन ।

(8) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के अग्रिम प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल), के मध्य रेल-दीवा और बसीन रोड़ स्टेशनों के बीच बड़ी लाइन के निर्माण और पूर्वोत्तर रेलवे समस्तीपुर से दरभंगा तक एक लाइन को दूसरी लाइन में बदलने से सम्बन्धित पैरा 4 और 5 के बारे में 212वां प्रतिवेदन ।

(9) सीमा-शुल्क प्राप्तियां-अन्तिम उपयोग की दशा की अवहेलना करते हुए दी गई शुल्क की छूट, से सम्बन्धित 149वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में 213वां प्रतिवेदन ।

(10) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा-सेवाएं) के एक उपकरण और वस्तुओं के उत्पादन में कमी और आयुध कारखानों में हो रहे काम, के संबंध में पैरा 8 और 12 के बारे में 214वां प्रतिवेदन ।

(11) प्रशिक्षक विमान के आयात से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), के पैरा 6 के बारे में 215वां प्रतिवेदन ।

(12) शुल्क-आपसी से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां-खंड 1-अप्रत्यक्ष कर, के पैरा 1.21 और 1.22 (एक) और (दो) के वारे में 216वां प्रतिवेदन ।

(13) वसूली-लागत से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां खंड 2, प्रत्यक्ष कर, के पैरा 1.05 के बारे में 217वां प्रतिवेदन ।

12.09 म० प०

प्राक्कलन समिति

76वां तथा 84वां प्रतिवेदन तथा बैठकों के कार्यवाही सारांश

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) वाणिज्य मंत्रालय—मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक, के बारे में 76वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) वित्त मंत्रालय—बैंकिंग, के बारे में 84वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(तीन) प्रक्रियागत तथा सामान्य मामलों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

———

12.9½ म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

88वां, 91वां, 95वां, 99वां और 97वां प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में 88वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के बारे में 91वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(तीन) केन्द्रीय भांडागारण निगम के बारे में 95वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(चार) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में 96वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(पांच) सरकारी उपक्रमों में उत्पादिता के बारे में 97वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(छः) प्रक्रियागत तथा प्रकीर्ण मामलों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन आप जो कुछ कहते हैं, मैं उससे सहमत हूं। क्योंकि माननीय सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं और यद्यपि इस विशेष वक्तव्य में जो नेतृत्व अन्तर्ग्रस्त है। वे नेता हैं जो न तो इस सभा और न उस सभा के सदस्य हैं। फिर भी मैं श्री वाजपेयी जी से निश्चित रूप से इस बात के लिए सहमत हूं कि ये वे मामले हैं जिन्हें राजनैतिक दलों को सभा के बाहर ही निपटाना चाहिए। लेकिन, श्रीमन गत दिनों में एक विशेष दल विशेष रूप से जनता पार्टी के नेता एक बहुत ही विषम रूप से कार्य करते आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी पार्टी के मामले पर यहाँ विचार-विमर्श नहीं कर सकता हूं। कोई पार्टी का मामला नहीं। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। श्रीमन मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : श्रीमन, यदि आप इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री महोदय को अनुमति देते हैं तो आपको हमें भी अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री बूटा सिंह : श्रीमन, सभा के भीतर जनता पार्टी के कुछ सदस्य··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यदि आप जनता पार्टी के मामलों पर संसदीय कार्य मंत्री महोदय को विचार-विमर्श करने की अनुमति देते हैं तो मुझे कांग्रेस (आई) के आंतरिक मामलों पर विचार-विमर्श करना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए। जनता पार्टी के कुछ नेता जो इस सभा के सदस्य हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर दे सकते हैं। कृपया मेरी स्थिति को भी समझें।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : उन्हें इस सदन को एक प्रकार का स्पष्टीकरण देना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, इससे पहले कि आप कुछ कहें आपको मेरी स्थिति समझनी चाहिए। यदि मैं ऐसे मामलों में किसी बात की अनुमति दूं तो मुझे इस बात की भी अनुमति देनी होगी···**(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : महोदय, जी नहीं। मैं केवल एक बात कहूंगा। इस सदन के माननीय सदस्य···

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। मैं इस विषय को शुरू नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की बहस की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान) × ×

श्री बूटा सिंह : महोदय, इस सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त दलों और इस सभा में उनके संबंधित नेताओं को इस सभा में भी स्पष्टीकरण देना है···

(व्यवधान) × ×

अध्यक्ष महोदय : यह बहस नहीं कही जा सकती। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान) × ×

श्री बूटा सिंह : इस दल के कुछ माननीय सदस्यों ने विदेशों का भी दौरा किया है और कुछ सदस्य स्वर्ण मंदिर भी गये···

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा किया होगा किन्तु आप यहाँ चर्चा नहीं कर सकते।

श्री बूटा सिंह : उन्हें यहाँ आना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मुझे कहना है। इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। सभी के लिए मेरा माप-दंड एक ही है। मैंने प्रोफेसर साहब से भी उस दिन कहा था कि अगर बाहर कोई कुछ कहता है तो आप बाहर उसको जवाब दीजिए। कोई ऐसा आदमी जो इस हाउस का मेम्बर भी नहीं है वह कोई ऐसी बात कहता है जो आपको अनुचित लगती है तो आप अपना रोष बाहर जाहिर कीजिए। मैं तो नियमों के अनुसार ही चलूंगा। जी नहीं। मैं नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हुआ हूं, तो आप कृपया बैठ जाइये । कृपया मुझे माफ करें। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं । मैंने एक दफा किसी के लिए नियम तोड़ दिया तो फ्लड गेट्स ओपेन हो जायेंगे । इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकूंगा। आप बहस करवाइए लेकिन किसी तरीके से । कोई स्टेटमेन्ट हो तो उस पर आप बहस कर लीजिए लेकिन इस तरह से नहीं होगा । आप बैठकर सलाह कर लीजिए लेकिन इस तरह से आप सारे लोग बोलते हैं, बुरी बात है । आप अपनी बात भी ठीक ढंग से नहीं कह सकते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई विशेष बहस नहीं है । यहां देखें । मेरी अवहेलना करने का प्रयास न करें । मेरे पास सब कुछ है, आपको समझना चाहिए । इस विषय पर सभी कागजात मेरे पास हैं, तदनुसार जो कुछ पूर्वोदाहरणों में उल्लेख है मैंने ऐसा किया है न कि अन्यथा । यह कोई नया विषय नहीं है ।

अब श्री चन्द्रपाल शैलानी । अनुपस्थित । श्री राम विलास पासवान ।

श्रीमती सुशीला गोलापन (अलप्पी) : महोदय, यह राज्य विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय नहीं है । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे पास है । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, यह राज्य का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय नहीं है । मैं इन लोगों को क्या कहूँ ? मैं उन्हें बताना नहीं चाहता । मेरे पास यह है । हमने पंजाब की स्थिति पर भी इसी तरह चर्चा की थी ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, हमें इस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता । कोई अनुमति नहीं ।

(व्यवधान) ××

×× कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । यदि यह सदस्य निरंतर बोलता रहा, तो मैं उसे अवज्ञा का दोषी ठहराऊँगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ यह भद्र पुरुष कह रहा है वह रिकार्ड न किया जाये ।

(व्यवधान) ××

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, कृपया पंजाब की तुलना काश्मीर से न करें ।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब में भी हमारे पास विधिवत निर्वाचित सरकार थी ।

(व्यवधान)

12.15 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में उग्रवादी तत्वों की आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होने, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है, का समाचार

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में बयान दें :

"जम्मू तथा काश्मीर राज्य में उग्रवादी तत्वों की आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होने, जिससे राष्ट्र की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो रहा है, के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

गृह मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : सरकार को जम्मू व काश्मीर राज्य में कुछ तत्वों की राष्ट्र-विरोधी और पृथकतावादी गतिविधियों की जानकारी है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आपको नम्रता से कुछ बताना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ।

प्रो० मधु दंडवते : कि पंजाब में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप की मांग भी शामिल थी ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं । मैंने इसे प्राप्त कर लिया है ।

×× कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दंडवते : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं । मैंने इसे प्राप्त कर लिया है । आप देखिए···

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न ही नहीं उठता । मैंने इसे देखकर ही अनुमति दी है । मैंने इसे देख लिया है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है प्रो० साहब ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई चीज कार्यवाही वृतांत से निकाल नहीं रहा हूं । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा । मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे तैयार किया और मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

(व्यवधान) ××

अध्यक्ष महोदय : आपने ऐसा किया है और आपने बहुत बार ऐसा किया है ।

(व्यवधान) ××

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं । कृपया बैठ जाइये ।

×× कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दंडवते : आपके पास व्यवस्था के प्रश्न को उठाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसको अस्वीकार कर दिया है ।

प्रो० मधु दंडवते : आप भी प्रक्रिया नियमों के अधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं । आप सन्देह प्रकट नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं काफी स्पष्ट बोल रहा हूं । श्री राम विलास पासवान । मैंने इसे देख लिया है और इसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि आप गृह मंत्री के वक्तव्य को देखें, तो इसमें राज्य सरकार के विरुद्ध सामान्य आरोप हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता । यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । यदि व्यवस्था के प्रश्न जैसी कोई बात होती, तो मैं इस पर विचार करता ।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें तथ्य अवश्य देने चाहिए । अन्यथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के विरुद्ध ऐसे सामान्य आरोप लगाना इस सदन के लिए एक गलत मिसाल होगी । मैं समझता हूं आप बहुत गलत परम्परा डालने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पिछले कई दिनों से विचार कर रहा हूँ । मुझे अभी एक मिसाल मिली है । आपने पंजाब पर चर्चा की थी जबकि वहां केन्द्रीय शासन नहीं था, वहाँ कोई राष्ट्रपति शासन नहीं था । वहाँ विधिवत निर्वाचित सरकार थी । हमने आतंकवाद पर बहस की थी । सभी दलों ने मांग की थी और हमने बहस की ;

प्रो० मधु दंडवते : आपके द्वारा पंजाब का उल्लेख करने पर मेरा व्यवस्था का नया प्रश्न है । आपने अभी-अभी कहा है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन भी नहीं था तो बहस हुई थी और इस सदन में पंजाब पर वाद-विवाद हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : आतंकवाद पर ।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे अपनी बात तो कहने दें; जहां तक पंजाब पर बहस का सम्बन्ध है यह पंजाब आंदोलन की मांगों से उठी थी और वह कानून व्यवस्था की स्थिति के बावजूद चलता रहा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, नहीं। प्रोफेसर आप गलत हैं।

(**व्यवधान**) ××

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुमति नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप, जल-नदी विवाद, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, केन्द्रीय गुरुद्वारे (**व्यवधान**) गुरुवाणी···

अध्यक्ष महोदय : आप अब भी गलत हैं। सबसे पहले 31.3.1983 को—उग्रवादी तत्वों द्वारा आंतकवादी गतिविधियाँ में तथाकथित वृद्धि। यह मैंने कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय पंजाब के बारे में मांगें केन्द्र-राज्य संबंध, अन्तर्राज्यीय विवाद और नदी-जल विवाद में संबंधित हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : प्रो० दंडवते के व्यवस्था के प्रश्न के उत्तर में, मैं यह कहूंगा कि उग्रवादी गतिविधियां जम्मू व काश्मीर में भी चल रही हैं और वे हिंसा पर उतर आये हैं। उन्होंने बम फेंकने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैंने बहस की अनुमति दी है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, न केवल जम्मू व काश्मीर से ही बल्कि वे तो लंदन और पाकिस्तान से भी अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। ये गतिविधियाँ एक ही राज्य तक सीमित नहीं हैं। इसका राज्य के विषय से कोई संबंध नहीं है। यह राज्य का विषय नहीं हो सकता। ये गतिविधियाँ देश की सुरक्षा से संबंधित है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) अध्यक्ष जी, यह किसी प्रान्तीय सरकार के खिलाफ नहीं है। टैरोरिस्ट एक्टिविटीज, पृथकतावादी एक्टिविटीज, देश विरोधिता की एक्टिविटीज किसी भी राज्य में हो रही हो···

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यू० पी० में हो तो भी।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं इस बात से सहमत हूं—यू० पी० में हो रही हों, तो उसको भी

×× कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

शामिल करो । यह कालिंग एटेन्शन सभी पार्टियों के लोगों ने दिया है । देशद्रोहिता चाहे यू० पी० में हो, चाहे जम्मू-काश्मीर में हो, पृथकतावादिता की बात नहीं हो सकती, हम उसके खिलाफ हैं। यह जम्मू काश्मीर के खिलाफ नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन उग्रवादी गतिविधियों के बारे में चिन्तित हूं जो देश को खण्डित कर रही हैं । मैंने इसे इसीलिए स्वीकृति दी है । इसीलिए इस पर चर्चा की जाएगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, मैं श्री चन्द्रजीत यादव के आरोपों के बारे में एक मुद्दा स्पष्ट करना चाहता हूं । मेरा वक्तव्य राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं है । यह उग्रवादियों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के विरुद्ध है जो वहां राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, यह एक आरोप है ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, मुझे भी कुछ कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं । कृपया बैठ जाइये ।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, कृपया इस ध्यानाकर्षण को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदल दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : वह जम्मू-काश्मीर से हैं इसीलिए वह जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अगर उनका नम्बर नहीं आया तो मैं क्या करूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इतना शोर-शराबा हो रहा था कि गृह मंत्री जी का बयान सुना ही नहीं गया ।

अध्यक्ष महोदय : दोबारा पढ़वा देता हूं ।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं ।

महोदय, सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ तत्वों की राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों की जानकारी है । सरकार यह भी जानती है कि यदि इसको कारगर ढंग से नहीं रोका गया तो इस प्रकार की गतिविधियों से देश की एकता और अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो सकता है । इस प्रकार की गतिविधियों ने अलगाववादी प्रचार, हिंसक वारदातों जिनमें बम्ब विस्फोट और विभिन्न व्यक्तियों का जान माल का खतरा शामिल है, का रूप ले लिया है ।

2. फरवरी, 1984 में मकबूल बट्ट की फांसी के बाद प्रत्यक्ष रूप से उसकी फांसी का बदला लेने के लिए प्रदर्शनों, हड़तालों और धमकी भरे पत्रों द्वारा राज्य में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इनमें से कुछ पत्र एक ऐसे संगठन द्वारा भेजने का दावा किया गया है जो अपने आपको जम्मू व कश्मीर मुक्ति मोर्चा कहता है।

3. इस सदन को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार ने अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन अखिल भारतीय सिख छात्र संघ को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया है। बताया जाता है कि प्रतिबन्ध के बावजूद संघ बैठकें, सम्मेलन आदि आयोजित कर रहा है और इसके नेता जम्मू व कश्मीर राज्य में आपत्तिजनक भाषण दे रहे हैं।

4. सरकार समय-समय पर राज्य में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी चिन्ता व्यक्त करती रही है और उन्हें शीघ्र और कठोर कार्रवाई करने की सलाह देती रही है। राज्य सरकार ने इन तत्वों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई की है। फिर भी ऐसे तत्वों की गतिविधियां जारी हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है। सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकार स्थिति से कारगर ढंग से निपटेगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जबाव दिया है, उसमें कुछ नहीं है। यदि कुछ है, तो चार पैराग्राफ में इन्होंने क्या लिखा है, उसको देखिये।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि इस पर आप 193 में बहस करवाइए। यह एक राष्ट्रीय बात है और कालिंग स्टेंशन लेकर आप इस पर लीपा-पौती कर रहे हैं। सारे राष्ट्र के खतरे की बात है और आप लीपा-पोती कर रहे हैं। सारे हाऊस की यह राय है कि इस पर पूरी बहस हो और उसमें यू० पी० भी आ जाएगी और बिहार भी आ जाएगा। आप इस पर बहस करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : अगर सारा हाऊस कह दे, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है।··· **(व्यवधान)** जब तक सारे आनरेबिल सदस्य न कहें, मैं कैसे करवा सकता हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : सारे कह रहे हैं।···**(व्यवधान)**···हरी झंडी दिखा रहे हैं। अब पता नहीं किस बात के लिए ऐसा कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मेरा नाम आ गया है, इसलिए हरिकेश बहादुर जी गुस्से में भर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : पहले ये बहुत शोर कर रहे थे। इसलिए इनके गले में दवा लगवानी पड़ेगी और अपने गले में भी दवा लगवानी पड़ेयी।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं कहता हूं कि आप इस पर डिस्कशन करवा दें और उसमें सब स्टेटस आ जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर एग्रीड नहीं हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है और मैं इसको नहीं कर सकता।

श्री राम विलास जी, आप बोलिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है लेकिन मुझे अफसोस है कि मंत्री जी ने जो जबाव दिया है, उसमें कुछ नहीं है और इस वक्तव्य पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : क्यों ?

श्री राम विलास पासवान : आप दूसरे मेम्बर हैं, जो इस पर बोलेंगे, उस समय आप अपनी बात कहियेगा। सरकार ने पहली लाइन में कहा है कि :

> "सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ तत्वों की राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों की जानकारी है। सरकार यह भी जानती है कि यदि इसको कारगर ढंग से नहीं रोका गया तो इस प्रकार की गतिविधियों से देश की एकता और अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।"

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब सरकार को जानकारी है, तो यह जानकारी किस को देंगे? सदन को यह जानकारी नहीं दे सकते। किस बात की जानकारी इनको है, यह इन्होंने इसमें नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि हमको जानकारी है। तो पहली बात तो यह है कि जब इनको जानकारी है, तो सदन में उस जानकारी को इन्होंने क्यों नहीं दिया। कब की इनके पास जानकारी है।

इसके बाद दूसरे सेन्टेंस में इन्होंने कहा है :

> "फरवरी, 1984 में मकबूल बट्ट की फांसी के बाद प्रत्यक्ष रूप से उनकी फांसी का बदला लेने के लिए प्रदर्शनों, हड़तालों और धमकी भरे पत्रों द्वारा राज्य में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वृद्धि हुई है।"

आपने यह नहीं बताया कि किसने प्रदर्शन किया, कौन संगठन ऐसा है, जो प्रदर्शन करता है और कौन आदमी ऐसे हैं, जो प्रदर्शन करते हैं। काश्मीर हमारा एक महत्वपूर्ण राज्य है, यह हमारा एक नग है और इस प्रदेश में शुरू से ही ऐसा हो रहा है।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : सप्लीमेंटरी जो आप पूछेंगे, उसमें यह सब आएगा।

श्री राम विलास पासवान : मतलब यह है कि सारे का सारा सप्लीमेन्टरी के लिए ही छूटा हुआ है। तो मैं यह कह रहा था कि इसमें कुछ नहीं बतलाया कि किस ने प्रदर्शन किया। प्रथम शब्द में ही कहा है कि टेरोरिस्ट मूवमेंट है। अब टेरोरिस्ट मूवमेंट को हम देख रहे हैं, पंजाब में भी देख रहे हैं और टेरोरिस्ट मूवमेंट की चर्चा रोज हमारे साथी यहां पर करते हैं। काश्मीर के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। कौन टेरोस्टोरिस्ट हैं, कौन व्यक्ति मारे गये हैं और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, यह इसमें नहीं बताया गया है।

अन्त में इन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उन तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही की है। जब आप इस बात को मान रहे हैं कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है तो सारे का सारा गुस्सा राज्य सरकार पर क्यों उतारा जा रहा है। आप राज्य सरकार का साथ दीजिए, सहयोग दीजिए, उसको कान्फीडैंस में लीजिए, मुख्य मंत्री को बुलाकर कहिए।

क्या सरकार ने मुख्य मंत्री को कोई पत्र लिखा है, यदि हां, तो उसको आप इस सदन के पटल पर रखें। उस पत्र के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने आपको क्या ओपीनियम दी। देश की एकता और अखण्डता की रक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जिसके अन्दर थोड़ी सी भी राष्ट्रीयता की भावना मौजूद है, वह किसी भी कीमत पर राष्ट्र विरोधी तत्वों की मदद नहीं करेगा, उनको आगे बढ़ने नहीं देगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि वह अपने आपको देशभक्त समझती है तो अपोजीशन वाले लोग भी कम राष्ट्रभक्त नहीं हैं।

पंजाब के ईश्यू पर यह बात साफ होकर सामने आई है कि जो लोग सदन में या सदन के बाहर बैठे हैं, उन में से किस पर प्रश्न-वाचक चिन्ह लगा हुआ है। आज यह प्रश्न वाचक चिन्ह अपोजीशन के ऊपर न लगकर, सरकार के ऊपर लगा हुआ है। भले ही आप थोड़ी देर के लिए हल्ला कर लें, लेकिन जब आपने इस स्थिति से निपटाने के लिए पावर्स की मांग की, आपको पावर्स दी गई। लेकिन आपने उनका क्या किया, वह भी हमको मालूम है। यह राष्ट्रभक्ति का मामला है, यदि आप सिर्फ राष्ट्रभक्ति की बात कह कर इसको टाल देंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि कहने और कदम उठाने में जमीन और आसमान का अन्तर है।

सबसे पहले तो सरकार ने हाउस को मिसलीड किया। सरकार की ओर से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में ट्रेनिंग सैंटर खुल गया है, पहले आपने सिर्फ जम्मू और कश्मीर का नाम लिया, लेकिन यदि आपको याद हो तो जब उस पर चर्चा हुई तो आपने दो स्टेटस का नाम और जोड़ दिया—हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हमारे साथी जब बोलते हैं तो एक स्टेट को न कह कर उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लिया करें। जब इन दो राज्यों में टैररिस्ट एक्टीविटीज हों तो उससे देश को खतरा नहीं होता, फारुख अब्दुल्ला जब तक कांग्रेस आई के समर्थक रहे और वहां ये गतिविधियां हुई तो उससे देश को खतरा नहीं होता, जब आपकी सपोर्ट से शेख अब्दुल्ला वहां पर सरकार बनाते हैं और उस दौरान ये गतिविधियां होती हैं तो उससे कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता।

लेकिन जब वही आदमी अपोजीशन में चला आता है तो वहां उग्रवादी गतिविधियों से देश को खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे साथ उठकर बोलते हैं तो जहां जम्मू कश्मीर की गतिविधियों से आप चिन्तित हैं, हम भी उतने ही चिन्तित हैं, इसलिए सारे राज्यों के सम्बन्ध में इस विषय पर चर्चा करवाइये। यदि उत्तर प्रदेश में ये गतिविधियां हों तो उसके लिए भी, हिमाचल में हों या कहीं और हों तो उसके लिए भी चर्चा होनी चाहिए और हम सबको समान रूप से चिन्तित होना चाहिए।

परन्तु हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि उग्रवादी या आतंकवादी गतिविधियां कहां हो रही हैं, हमारे दिमाग में तो यह बात आती है कि पोलिटिकली मोटिवेटिड होकर हम कितना अधिक

से अधिक काम करें, उसकी आड़ लेकर सारी चीजें इसी परिधि में चलती हैं। मैं बड़े आदर के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आपने पोलिटिकली मोटिवेटिड होकर काम किया तो ये गतिविधियां बढ़ती ही जाएंगी, आप उनको काबू में नहीं ला पाएंगे। यदि आप वास्तव में इन गतिविधियों को देश से खत्म करना चाहते हैं तो गैर-कांग्रेस आई सरकारों को भी थोड़ा काम करने का मौका दीजिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यदि ये सरकारें पांच साल तक काम कर गई, पूरी ईमानदारी के साथ टिक गई और उसकी तुलना कांग्रेस आई स्टेटस से होने लग जाए तो आपका सारा भण्डाफोड़ हो जाएगा। इसीलिए आप इन राज्य सरकारों को पांच साल तक काम नहीं करने देना चाहते...(व्यवधान) जब आपने पहले ही कहा कि जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों का ट्रेनिंग सैन्टर खुला हुआ है, अखबारों में भी कुछ दिन पहले आया, कुछ दिन पहले अखबार में आया था कि अनन्तनाग में कांग्रेस के कार्यकर्त्ता के यहां से हथियार निकले हैं। यह कांग्रेस का कार्यकर्त्ता कोन है? चूंकि वह कांग्रेस पार्टी में है इसलिए आप उसको टेरेरिस्ट नहीं मानेंगे। जब ठीक समय था उस समय...**

अध्यक्ष महोदय : किसी का नाम नहीं लिया गया।

श्री राम विलास पासवान : के यहां से 500 गन निकलीं। आप यह मान कर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेन्सेटिव स्टेट है, एक बार्डर स्टेट हैं और सारी फौज को आपने वहाँ रखा हुआ है जिस पर कि हमें नाज है कि एक पाकिस्तान नहीं, अगर हज़ार पाकिस्तान भी आकर हमला करेंगे तो हम उनका जबाव देने के लिए सक्षम हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह गन का लाइसेंस किसने दिया? वह लाइसेंस देने वाला कौन था? लाइसेंस देते समय आपनेस्टेट गवर्नमेंट को कांफिडेंस में क्यों नहीं लिया? (व्यवधान) यह जम्मू कश्मीर का मामला है। मैं पूरी सीरियसनेस के साथ कहता हूं कि यह मेरा चार्ज है कि जहां जहां भी हथियार निकलेंगे, वहां वहां स्मगलिंग के हथियारों के साथ और हथियारों का भी रोल हो रहा है। आप बताइये यह रोल हो रहा है,या नहीं? आप इस मामले को आसानी से नहीं टाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक बात कहता हूं। आप टेरोरिस्ट एक्टीविटीज को बन्द कीजिए, इसको हम सभी चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के बारे में मैं कहूंगा कि वहां डा० फारुख अब्दुल्ला की सरकार है। वहां नेशनल कांफ्रैंस की सरकार है। आप आज तक का नेशनल कांफ्रैंस का इतिहास उठा कर देख लीजिए। चाहे जमायते इस्लामी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, जिस समय मुसलमान नेता लोग मुस्लिम लीग को छोड़ कर कांग्रेस में शामिल हो रहे थे उस समय भी शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लोग का एक दफ्तर खोलने नहीं दिया था।

शेख अब्दुल्ला चाहे जेल में रहे हों या बाहर रहे हों, 1975 में बहुत प्रेमपूर्वक आपने उन्हें गद्दी पर बिठाया था और साम्प्रदायिक तत्वों से उन्होंने वहां लड़ाई लड़ी थी। यह बात अलग है कि वे 1977 में आपके विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी सरकार बनाई। आपकी सारी कोशिशों के बावजूद 1983 में...(व्यवधान)

अगर आप उसकी सारी हिस्ट्री में नहीं जायेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह खाली टेरोरिस्ट्रस का मामला नहीं है। (व्यवधान)

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कह रहा था कि जब से जम्मू कश्मीर में डा० फारुख अब्दुल्ला की सरकार बनी, तब से डा० फारुख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री होने के नाते यह कहते आ रहे हैं कि जितने भी देश में राष्ट्र भक्त हैं उनसे मैं ज्यादा नहीं तो कम भी राष्ट्र भक्त नहीं हूं। यह बात रिकार्ड पर है और वह हमेशा यह बात जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने में घूम-घूम कर कह रहे हैं। आपकी तरह उनकी दोहरी पालिसी नहीं है।

(व्यवधान)

सर मैं यह कह रहा था कि एक मुख्य मंत्री और वह भी माइनोरिटी क्लास का मुख्य मंत्री पूरे देश में घूम घूम कर यह कह रहा है कि हम देश की मुख्यधारा के साथ चलना चाहते हैं उसके बावजूद भी सरकार उसको सहयोग देने के बजाय वहां ठीक काम नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के लिए यह शोभा की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है तब से यह काम वहां पर हो रहा है। यह ठीक है कि वहां पर खेल के मैदान में पाकिस्तानी झंडा दिखलाया गया, उस पर कार्यवाही भी की गई। अभी भी जमायते इस्लाम और दूसरे यूथ संगठन के लोग जेल में बन्द हैं। 300 लोग जेल में बन्द हैं। लेकिन आपको बिहार में एक्स्ट्रीमिस्ट दिखाई नहीं देत, उत्तर प्रदेश में नहीं सूझते, दूसरे राज्यों में नहीं सूझते मगर वहां का फोटो टेलीविजन पर हर 10 रोज के बाद अवश्य आपने दिखाना शुरू कर दिया। **(व्यवधान)**

आपकी नीयत क्या है। फारुख अब्दुल्ला आपके साथ होते तो एक्स्ट्रीमिस्ट की जगह नेशनलिस्ट हो जाते। आपका यह मानदण्ड है कि आपके साथ जो हो वह नेशनलिस्ट है। जबकि स्थिति यह है कि 1953 से लेकर 1975 तक वहां पर कांग्रेस आई के शासनकाल में एक्स्ट्रीमिस्ट बढ़े हैं। 1965 के पेपर्स कटिंग का अबलोकन करने से पता लगता है कि एयरपोर्ट तक घुसपैठिये पहुंच गए थे।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह बात असंगत है।

श्री राम विलास पासवान : यह असंगत नहीं है। यह संगत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा है कि एक्स्ट्रीमिस्ट कार्यवाही यहां पर हो रही है। अगर ऐसा है तो उनको रोकने का काम कीजिये। बिना वजह एक्स्ट्रीमिस्ट पैदा करने का काम मत कीजिए। आपने कहा है कि कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाव वादी गतिविधियां हैं तो उनकी तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है। कहां कहां हो रही है। आपने प्रदर्शन के बारे में बताया है। प्रदर्शन करने वाले कौन लोग थे मकबूल भट्ट को लेकर के। **(व्यवधान)**

एक्स्ट्रामिस्ट कार्यवाही का पता सरकार को कब चला है। क्या इसका पता 1983 के बाद से चला है या पहले से इसका पता था। अगर इसका पता था तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की

गई। इसके सम्बन्ध में क्या वहां के मुख्य मंत्री जी फारुख अब्दुल्ला से बातचीत की गई। क्या आपने उनको कोई पत्र लिखा। उसके तहत आपकी क्या बातचीत हुई। मुख्य मंत्री की हैसियत से इन घटनाओं के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी।

अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग के बारे में जिक्र किया गया है। हम भी इस ट्रेनिंग से चिंतित हैं। जिस कांग्रेस (आई) कार्यकर्ता के घर से हथियार बरामद हुये हैं उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ** को राज्य सरकार को अंधकार में रखकर के जो बंदूकों का लाइसेंस दिया गया, उसके जरिये स्मगलिंग का मौका दिया गया, और दूसरे राज्यों में इस तरह के मामले चल रहे हैं, इनके बारे में सरकार स्थिति स्पष्ट करे। सरकार सदन को बताये कि एक्स्ट्रीमिस्ट वहां पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं। सारी स्थिति सरकार स्पष्ट करें नहीं तो मेरे जैसे लोग यही समझेंगे कि जहां इनकी सरकार है वहां पर सब राष्ट्रभक्त हैं और जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर एक्स्ट्रीमिस्ट कार्यवाही हो रही है और ला एण्ड आर्डर का प्रश्न खड़ा कर के वहां की सरकारों को गिराने का प्रत्यन किया जा रहा है।

श्री बनारसी दास (बुलन्दशहर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने सबमिसिव एलीमेंटस के बारे में पूछा है। राज्य में राष्ट्र विरोधी तथा अलगाववादी, तत्व विशेष रूप से, जम्मू तथा कश्मीर जमात-ए-इस्लामी जमाते-तुलका जम्मू तथा कश्मीर पीपल्ज लीग माकेज-ए-आजादी तथा अवामी एक्शन कमेटी तथा अन्य संगठन लगातार राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां तथा प्रचार कर रहे हैं। इन संगठनों के नेता जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में अन्तिम रूप से विलय के संबंध में संदेह प्रगट करते रहे हैं। ये संगठन लोगों के दिलों में भय तथा अनिश्चितता पैदा करने के लिए प्रदर्शन तथा विस्फोट कर रहे हैं। ऐसे 47 लोगों में से 30 को गिरफ्तार किया गया है तथा 30 लोगों ने अग्रिम जमानत करवा ली है।

12.46 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक मुख्य मंत्री के साथ मेरे पत्रव्यवहार का संबंध है, मैंने पहले उन्हें 16-7-83 को पत्र लिखा दूसरा पत्र 16-10-83 को, तीसरीबार 10-11-83 को, चौथीबार 25-1-84 को, पांचवीबार 31-1-84 को, छठी बार 10-2-84 तथा सांतवींबार 25-1-84 को पत्र लिखा। जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मंत्री ने मेरे दिनांक 16-10-83 के पत्र का उत्तर 19-10-1983 को दिनांक 10-11-83 के पत्र का उत्तर 18-11-83 को, 25-1-84 के पत्र का उत्तर 31-1-84 को तथा दिनांक 10-2-84 के पत्र का उत्तर 6-3-84 को दिया। मेरे पत्रों के ये उत्तर हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसमें क्या लिखा गया है और क्या उनका जवाब आया है ? यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में जो पत्र व्यवहार होना है, उसके ब्यौरे में मैं यहां

**कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

नहीं ला सकता हूं। जहां तक विरोधी दलों की सरकारों का सवाल है, हमने कभी-कभी किसी भी सरकार को गिराने या बदनाम कराने की कोशिश नहीं की।...(व्यवधान) श्री फारुक अब्दुल्ला को यह भय था कि उनकी सरकार को भंग किया जा रहा है। जब वहां के गवर्नर की तब्दीली हुई, तब यह प्रश्न उठाया गया था। उस समय उनको यह ख्याल था कि गवर्नर की तब्दीली उनकी सरकार को हटाने के लिए की गई है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि श्री फारूक अब्दुल्ला ने पब्लिकली और प्राइवेटली भी उनका स्वागत किया है। श्री जग मोहन को ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि वह फारूक अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ कोई इस प्रकार की कार्यवाही करें जिससे उनका डी-स्टेबिलाइजेशन हो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज खड़े हुए

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये, इनकी कोई बात कार्यवाही वृतांत में शामिल मत कीजिये। मैं नियमों के अनुसार चलूंगा। आप मंत्री महोदय के बीच में नहीं बोल सकते।

एक माननीय सदस्य खड़े हुए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज खड़े हुए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न करें। मंत्री महोदय श्री पासवान के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। केवल श्री पासवान ही स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वे वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ये दोनों माननीय सदस्य जो कहें इनकी बात कार्यवाही वृतांत में शामिल न की जाये। मैं चिल्ला नहीं रहा। यह मेरी सामान्य आवाज है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। मुझे स्पष्टीकरण मांगने का हक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी, मैंने आपको स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे दी है। केवल श्री पासवान ही स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया भाषण न दें। केवल स्पष्टीकरण ही मांगिये।

श्री राम विलास पासवान : मैंने सरकार से कहा था कि क्या एक्स्ट्रीमिस्टस की जानकारी मिली है, यदि हां तो कब से मिली है, 1983 से पहले मिली है या बाद में ?

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उनकी गतिविधियां 1983 से पहले भी थीं, लेकिन बहुत कम मात्रा में थीं, परन्तु 1983 के पश्चात जब से फारूख अब्दुल्ला के साथ वह समझौता हुआ है, उस दिन से इनमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के लिए यह क्षण बहुत ही नाजुक है और यह हमारा सौभाग्य है कि इस समय श्री पी० सी० सेठी हमारे देश के गृह मंत्री हैं। श्री पी० सी० सेठी बहुत ही शान्तस्वभाव के व्यक्ति हैं। वे कभी गुस्सा नहीं करते। वे मितभाषी भी हैं। वे ब्यान-बाजी में भी बहुत संयम से काम लेते हैं।

महोदय, दुर्भाग्य से प्रतिपक्ष के लोग व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं जबकि व्यवस्था का प्रश्न बनता ही नहीं। अब, बार-बार यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार किसी सरकार विशेषकर जम्मू तथा कश्मीर को गिराना नहीं चाहती (**व्यवधान**) महोदय, शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कांफ्रेंस की स्थापना 1931 में की थी तथा जब वे श्री जवाहर लाल नेहरू के प्रभाव में आए तो उन्होंने 1938 में इसे नेशनल कांफ्रेंस में बदल दिया। तथा उसी दिन से कश्मीर के लोग सभी राष्ट्रवादी हैं। शेख अब्दुल्ला महान व्यक्ति थे तथा फारुख अब्दुल्ला इनके महान पुत्र हैं परन्तु, दुर्भाग्य से जब वे विपक्षी नेताओं के जिनकी संख्या 17 या 18 है, के सम्पर्क में आते हैं···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनकी राय है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मेरा कहना है कि श्री वाजपेयी तथा श्री चरण सिंह को छोड़कर कुछ विपक्षी नेता। मैं माननीय मंत्रीजी ने जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब वह इन कुछ नेताओं के सम्पर्क में आते हैं तो वह अपना रवैया बदल लेते हैं (**व्यवधान**) महोदय, लोक सभा में दिए गए उनके भाषणों को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि वे किस प्रकार के राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने यह कहा कि वह सबसे पहले भारतीय हैं तथा मैं भारतीय के रूप में ही मरूंगा। हम निश्चित रूप से उनके भाषणों पर विश्वास करते हैं। इसमें सन्देह नहीं है। केवल एक ही बात है जब वे इन विपक्षी नेताओं से सलाह लेते हैं, तभी वे गलती करते हैं।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब मकबूल भट्ट को सजा दी गई थी तथा उसको फांसी देने के बाद जज के आवास पर एक बम विस्फोट किया गया क्या यह आतंकवादी कार्रवाई नहीं है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नयी दिल्ली) : इस वक्तव्य में इस घटना का उल्लेख नहीं किया गया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : इसीलिए मैं यह प्रश्न कर रहा हूं ताकि गृह मंत्री जी इसका उत्तर दे सकें। और फिर, जब आल इन्डिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन पर सम्पूर्ण भारत में प्रतिबन्ध लगाया गया है तो जम्मू तथा कश्मीर में इस पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया। क्या वे अपने आप को अलग-थलग रखना चाहते हैं ? न केवल उन्होंने इसको प्रतिबंधित नहीं किया बल्कि एक

मंत्री, श्री एस्पीक हुसैन खान ने श्री फारुख अब्दुल्ला की अनुपस्थिति में यह कहा कि जम्मू तथा कश्मीर में इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डा० फारुख अब्दुल्ला की यह कार्रवाई सही है जिसका हम इतना सम्मान करते हैं तथा जो हमेशा अपने आपको राष्ट्रवादी कहते रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि वे भारतीय राष्ट्रीय नीति का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर में आल इन्डिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया। यदि इस संगठन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, तो यह जम्मू तथा कश्मीर में अपनी गतिविधियां जारी रखेगा तथा शेष भारत पर इसका बहुत अधिक असर पड़ेगा। यही कारण है कि लोग शक करेंगे कि डा० फारूख अब्दुल्ला का भी इन गतिविधियों में हाथ है तथा वे इन तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं। चूंकि भारत सरकार ने फेडरेशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, उन्हें भी इसका अनुसरण करना चाहिए तथा जम्मू कश्मीर में इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। ये वे ऐसा करते हैं तो वे इससे न केवल भारत सरकार की बल्कि भारत के समस्त लोगों की वाहवाही लूटेंगे।

जब डा० फारूख अब्दुल्ला हैदराबाद गए थे तो वहां के एक सभा को सम्बोधित कर रहे थे तथा उन्होंने लोगों को बताया था कि वह राष्ट्रवादी हैं तथा उन्होंने सभी मुसलमानों को राष्ट्रीय धारा में शामिल होने की सलाह दी है क्योंकि इसीमें उनका हित है। उनकी यह बहुत अच्छी सलाह है। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह व्यक्ति अब इतना क्यों बदल गया। मैं यह नहीं जानता कि क्या यह प्रतिपक्ष के कारण है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस सभा में थे, आपको खड़ा हो जाना चाहिए था तथा कहना था 'सुनिये' सुनिये, जैसा प्रो० रंगा सभा में कहा करते हैं।

श्री एम०राम गोपाल रेड्डी : मुझे उस जन सभा में बोलने का अवसर नहीं मिला लेकिन मैंने उनसे कहा कि आन्ध्र प्रदेश के लोगों लिए यह बहुत अच्छी सलाह है। महोदय, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में इन गतिविधियों के कारण, राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कारण हमारे राष्ट्रीय पर्यटक यातायात पर कितना असर पड़ा है। नाविक, परिवहन मालिक तथा होटल मालिक सभी को नुकसान हो रहा है। भारत सरकार जम्मू तथा कश्मीर को सहायता देने में हमेशा बहुत उदार रही है। विदेशी पर्यटक उस राज्य में आते थे लेकिन अब वे वहां जाने से डरते हैं। इसलिए, उन्हें अपने राज्य का नाम कमाने तथा राज्य की भलाई के लिए अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य की प्रतिष्ठा (जो कि गत 50 वर्षों से बनाई गई), इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए तथा उस कमाये हुये नाम पर धब्बा नहीं लगना चाहिए। उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये कि वह भारत सरकार की राष्ट्रीय नीतियों का अनुसरण करेंगे तथा उनका निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन करेंगे।

भारत सरकार के पत्र का उत्तर देने में उन्हें दो मास का समय लगा। यह ठीक नहीं है। उन्हें भारत सरकार के पत्रों का तत्काल जवाब देना चाहिए। यहां तक कि छोटे-छोटे मामलों के लिए उत्तर देने में दो-दो मास का समय लेना ठीक नहीं है। उन्हें भारत की जनता के हितों में

किसी प्रकार के शक को दूर करना चाहिये। मैं यह आशा करता हूं कि डा० फारुख अब्दुल्ला जो पहले इसी सभा में उपस्थित थे, अपनी पार्टी तथा अपने राज्य जो कि गत 50 से भी अधिक वर्षों में राष्ट्रीय मुख्य धारा में रहा है, की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए कदम उठाएंगे।

धन्यवाद।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक डा० फारुख अब्दुल्ला का विपक्षी नेताओं के साथ सम्पर्क में आने का सम्बन्ध है, यह सच है कि वह कुछ सम्मेलन जो कि आयोजित हुए थे, में गए हैं। एक सम्मेलन कश्मीर में भी आयोजित किया गया था। वे देश भर में यह कहते रहे हैं कि वे राष्ट्रवादी है तथा वे राष्ट्रवादी रहेंगे। इसलिए जहां तक उनकी राष्ट्रवादिता का सम्बन्ध है, विपक्षी दल उन पर प्रभाव डालने में असमर्थ रहे हैं, मैं यहां तक कहूंगा कि विपक्षी दल विपक्षी दल हैं लेकिन वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं, इसलिए राष्ट्र-विरोधी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक मेरे पत्रों के उत्तर देने का संबंध है, यह सच है कि उन्होंने उत्तर देने में अपेक्षाकृत अधिक समय लिया, लेकिन इसी दौरान हमने टेलीफोन पर बातचीत की थी तथा जब कभी भी वे यहां आते हैं वे मुझसे मिलते हैं तथा हमने इन मामलों पर उनके साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा की है।

जहां तक बम विस्फोट का ताल्लुक है, यह सच है कि बम विस्फोट हुआ है। लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में देश में हुए सभी बम-विस्फोटों का ब्यौरा नहीं दिया। जहां तक पर्यटक यातायात का संबंध है, इस पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन जो यातायात पंजाब से गुजरता है उस पर निश्चित रूप से असर पड़ा है तथा गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कश्मीर में पर्यटक भी कम आये हैं।

1.00 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

नारियल जटा बोर्ड

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिए, नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा

निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिये, नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के बाद दो बजकर पाँच मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.05 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

गृह मंत्रालयमें राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति को पंजाब राज्य के विधान-मण्डल की निधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को पंजाब राज्य के विधान-मण्डल की निधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

2.06 म० प०

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

2.07 म० प०

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

2.07 म० प०

संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

2.09 म० प०

सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

2.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नए पदों के सृजन तथा रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में लगे हुए प्रतिबन्ध को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ढीला करने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : भारत सरकार द्वारा नए पदों के सृजन या रिक्त पदों को भरने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के परिणामस्वरूप विभिन्न विकासात्मक सुविधाओं यथा नए डाकघर स्थापित करना। बी. पी. ओ. / ई. डी. एस. ओ. का स्तर बढ़ाकर विभागीय उप-कार्यालय बनाने आदि व्यवस्था तथा उन मामलों में जहां राज्य सरकार। स्थानीय जनता हानि की अदायगी करने को तैयार है, दूर-संचार सुविधाओं की व्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर व उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर-पश्चिमी पर्वतीय राज्यों में, जिन्हें पहले इस प्रतिबन्ध के लागू होने से छूट मिली हुई थी की स्थिति बहुत ही निराशा-जनक है क्योंकि इन क्षेत्रों में इस तरह की सुविधाऐं प्रदान करने में बड़ा समय लगता है तथा लागत भी बहुत अधिक पड़ती है। अतः मैं वित्त मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रतिबन्ध में ढील दे तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम विकासात्मक सुविधाओं की व्यवस्था पर इसके प्रवर्तन से छूट प्रदान करे।

(दो) बिहार के कुछ ग्रामीण डाकघरों में डाक सामग्री की अनुपलब्धता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

अभी मैं अपने संसदीय क्षेत्र जिला मुंगेर (बिहार) के भ्रमण पर गई थी जहां लखीसराय सिकन्दरा, मटिहानी, हलसी और बड़हियां के अंतर्गत ग्रामीण डाक घरों में अन्तर्देशीय पत्रों, मनी-आर्डर फर्मों, पोस्टल आर्डरों का सर्वथा अभाव की शिकायत सुनने को मिली। न केवल देहाती बल्कि प्रखण्ड मुख्यालयों में भी उपलब्ध नहीं है। जिला मुख्यालयों एवं प्रान्त के मुख्यालय के भी डाकघरों में अनेक बार लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है। तब जाकर पोस्टल आर्डर, अन्तर्देशीय पत्र एवं मनी-आर्डर फार्म जाकर मिलता है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। अन्तर्देशीय पत्रों, मनीआर्डर फार्मों एवं पोस्टल आर्डरों की आवश्यकतानुसार पूर्ति नहीं की जाती, यह अत्यन्त दुखद है। भारत सरकार के डाक-तार विभाग की इस प्रकार की व्यवस्था से आम जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। 35 पैसे के अन्तर्देशीय पत्र के लिए 25 रु० रेल भाड़ा देकर जिला स्तर के पोस्ट आफिस में जाना पड़ता है। सरकार अविलम्ब कार्यवाही करे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में सभी उपयोगी डाक सामग्री उपलब्ध हो सके।

(तीन) यमुना-गंगा रेलगाड़ी को मथुरा से बढ़ाकर दिल्ली तक करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा के अनेक व्यक्ति प्रति दिन दिल्ली सुबह आते हैं और शाम को मथुरा जाते हैं। अधिकतर ऐसी रेलगाड़ियां हैं जिनमें वे बैठ नहीं सकते। ऐसी कोई नहीं जिससे आ जा सकें। यदि यमुना गंगा रेल गाड़ी को सुबह मथुरा से आगे बड़ा कर दिल्ली तक और शाम को दिल्ली से मथुरा तक कर दिया जाय तो जनता को सुविधा होगी। इससे आगरा की जनता को भी लाभ होगा। माननीय रेल मन्त्री से निवेदन है कि या तो मेरे सुझाव के अनुसार या जिस प्रकार उचित समझें मथुरा के लोगों की दिल्ली आने जाने की समस्या को हल करने के लिये आवश्यक और शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।

(चार) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार, रोपड़ फिरोजपुर तथा हरिका के हेडवर्क्स का प्रभार भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को स्थानांतरित करने के लिए पंजाब सरकार को निदेश देने की आवश्यकता।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1964 के अनुसार सतलज, रावी तथा ब्यास नदियों पर हैडवर्क्स भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को हस्तांतरित किए जाने थे परन्तु केवल नांगल हेडवर्क ही भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को हस्तांतरित किया गया है तथा अन्य तीन हैडवर्क्स—रोपड़, फिरोजपुर तथा हरिके अभी भी पंजाब सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। राजस्थान ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि राजस्थान को सिंचाई जल के समुचित वितरण के लिए हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। राजस्थान तथा हरियाणा द्वारा अथक प्रयास किए जाने के बावजूद पंजाब ने इन हैडवर्क्स का नियंत्रण बोर्ड को नहीं सौंपा है।

संसद के अधिनियम को 18 वर्ष की अवधि तक भी लागू न किए जाने का यह एकमात्र उदाहरण है।

इन हैडवर्क्स विशेषकर हरिके बांध का नियंत्रण अपने हाथ में होने की वजह पंजाब अपने हिस्से से अधिक पानी इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है और पंजाब द्वारा पानी की कम सप्लाई किए जाने से हर वर्ष राजस्थान को संकट का सामना करना पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राजस्थान तथा हरियाणा सरकार का साथ दे तथा राजस्थान व हरियाणा को उपलब्ध कराए जाने वाले सिंचाई जल के समुचित वितरण हेतु रोपड़, फिरोजपुर तथा हरिके हैडवर्क्स के नियंत्रण को भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड को सौंपने के लिए पंजाब सरकार को निदेश दे।

(पांच) उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में डीजल का भीषण अभाव हो जाने के कारण किसानों के सामने घोर संकट उत्पन्न हो गया है। किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले डीजल पर आधारित उन सभी कृषि यन्त्रों को जिनके द्वारा रबी की फसल की मड़ाई की जाती है, चलाना मुश्किल हो गया है, जिससे किसान कठिनाई में पड़ गये हैं। इस परिस्थिति का लाभ उठा कर कुछ चोर-बाजारियों ने मुनाफाखोरी आरम्भ कर दी है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि डीजल के संकट को दूर करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाया जाय ताकि किसानों की आवश्यकता पूरी की जा सके। साथ ही डीजल के व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचार, चोर-बाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए शीघ्र कड़े कदम उठाये जाएँ।

(छः) बिहार में सड़क द्वारा कोयले की ढुलाई पर लगे प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : कोयले की कमी को देखते हुए खदानों पर बढ़ता भंडार विचित्र बात है। रेलवे का ज्यादा कोयला ढोने का दावा है तथा कोल इण्डिया बिजली घरों, इस्पात और सीमेंट कारखानों को ज्यादा कोयला भेजने के आकड़े देता है पर इसका अभाव सब जगह महसूस होता है और साथ-साथ खदानों पर भंडार बढ़ता जा रहा है। इस साल भी योजना का लक्ष्य तीसरी बार कम किया गया है फिर भी उम्मीद नहीं है कि यह भी पूरा होगा। अगले पांच वर्षों में बिजली की क्षमता दो तिहाई बढ़ाने की योजना है जो कोयले पर ही आधारित होगी क्योंकि इस अवधि में तेल उत्पादन बढ़ने की आशा नहीं। अतः लगभग 10 करोड़ टन अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी। कोल इंडिया पिछले दस सालों से घाटे में है। चार गुने कीमत बढ़ा देने के बावजूद भी घाटा 800 करोड़ रु० का है। अधिक उत्पादन के लिये आवश्यक तकनीकें हमारे पास नहीं हैं। यदि किसी प्रकार यह प्राप्त भी हो जाय तो सक्षम परिवहन व्यवस्था का अभाव है। अतः कोयला खादानों पर अंबार लगेगा तथा जनजीवन में उसका अभाव रहेगा ही। यद्यपि सड़कों से कोयला ढोना

खनिज तेलों का दुरुपयोग होगा परन्तु जब तक रेल सेवा और कोयला इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में सामंजस्य नहीं होता, सड़क परिवहन से कोयला ढोने की हमारी मजबूरी है और बिहार में विशेषकर। अतः जब तक रेल व्यवस्था सक्षम नहीं हो जाती, बिहार के उद्योगों को चलाते रहने के लिए सड़क परिवहन द्वारा कोयला ढोने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग करता हूं।

(सात) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को एक स्वतंत्र निगम के रूप देने तथा एक अलग भारतीय अभ्रक उत्पादन निगम बनाने की आवश्यकता

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, हीरे एवं जवाहरात की तरह कीमती खनिज अभ्रक, विश्व उत्पादन का 80 प्रतिशत भारत में होता है। संसाधित एवं विनिर्मित अभ्रक का निर्यात प्रति वर्ष 30 से 50 करोड़ रुपये का होता है। 1972-73 में जहाँ 14-15 हजार टन अभ्रक का निर्यात होता था, अभी मात्र 5-6 हजार टन का निर्यात कर वार्षिक 30 से 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। यदि हम पूरी मात्रा में निर्यात करते तो वर्तमान मूल्य स्तर पर 150 से 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त करते। इसके लिए अभ्रक के वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करने तथा इलैक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण भारत में प्रारम्भ करने पर अधिक निर्यात करने में सक्षम हो सकते हैं। इस दिशा में बाधक है, एम. एम. टी. सी., जिसका माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन एक सहयोगी निगम है। इस महत्वपूर्ण खनिज के विकास एवं प्रबंधन स्वतंत्र रूप से लाने के लिए **भारतीय अभ्रक व्यापार निगम को स्वतन्त्र निगम** बनाया जाए।

2—अभ्रक निर्यात का कार्य मिटको करे यह अपेक्षित है किन्तु उत्पादन का कार्य यदि निजी कम्पनियाँ करें, तो सरकारी उपक्रम पंगु बना रह जाता है। मिटको को स्वतंत्र निगम के रूप में प्राधिकृत करना इस व्यापार के हक में अनिवार्य है। इसके साथ ही इस निगम की आवश्यकता पूर्ति हेतु अभ्रक-उत्पादन का कार्य भी सरकारी उत्पादन निगम के रूप में संगठित करने की जरूरत है। बिहार मिनरल डेवलपमेंट निगम जो अभ्रक के साथ-साथ अनेक खनिज उत्पादन हेतु प्राधिकृत है, इसके पास बिहार के 33000 एकड़ अभ्रक क्षेत्र इसे प्राप्त हैं जबकि यह निगम मात्र 50-60 एकड़ में ही अभ्रक उत्पादन का कार्य करता है। अतः मिटको की आवश्यकता की पूर्ति 10 प्रतिशत भी नहीं कर पाता है। अस्तु, एक पृथक भारतीय **अभ्रक उत्पादन निगम को सृजित करके मिटको का सहयोगी निगम घोषित** किया जाए तो उत्पादन, संसोधितकरण विनिर्माण, अनुसंधान, विकास आदि की दिशा में अभूतपूर्व प्राप्ति संभव है। भारत सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करे।

(आठ) गांधी नामक फिल्म का भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में 'डब' करने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्मित फिल्म 'गांधी' ने समूचे विश्व में भारी लोकप्रियता हासिल की है। इस लोकप्रियता का श्रेय गांधी जी के जीवन तथा संघर्ष और- उनके सत्य तथा अहिंसा के संदेश की शक्ति के प्रभावी प्रस्तुतीकरण को जाता है।

फिल्म एक सशक्त दृश्य माध्यम है तथा इसमें मानव-मस्तिष्क पर प्रभाव डालने की असीम क्षमता है। संघर्ष की विभीषिका से ग्रस्त विश्व में गांधी जी के संदेश की भारी प्रासंगिकता है तथा आधुनिक विश्व शनैः शनैः इस सत्य को स्वीकार कर रहा है कि केवल गांधी जी के सिद्धांत हीं उसे

इस प्रपात से उबार सकते हैं ; केवल गांधी जी का संदेश ही इस पीढ़ी को, जो कि अपना सांस्कृतिक परिवेश खो चुकी है उसका पूरी तरह से नैतिक पतन होने से बचा सकता है ।

परन्तु चूंकि फिल्म गांधी केवल अंग्रेजी तथा हिंदी में बनाई गई है, अतः हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फिल्म को देखने से वंचित रह जाएगा । अतः सरकार द्वारा इस फिल्म को, भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डबिंग करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि इस फिल्म को देश की सारी जाति देख सकें । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में शीघ्र कदम उठाए ।

2.16 म० प०

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक — जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री भागवत झा आजाद द्वारा 27 अप्रैल, 1984 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए ।"

माननीय सदस्य हम पहले ही लगभग 18 मिनट ले चुके हैं । निर्धारित समय एक घंटे का है तथा श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती अपना भाषण जारी रखेंगे । वह पहले ही 16 मिनट बोल चुके हैं । इसके बाद श्री हरिकेश बहादुर बोलेंगे तथा इसके पश्चात मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप ऐसा कैसे कह सकते है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का हम पहले ही फैसला कर चुके हैं । एक घंटा निर्धारित किया गया है । यह निर्णय पहले ही किया जा चुका है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप किसी दल को इससे कैसे वंचित कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कपया बैठ जाइये ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह नहीं हो सकता । आपको हर सदस्य को अवसर देने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विशेष नोटिस दें ; हम उस पर विचार करेंगे । कृपया बैठ जाइये । श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (दक्षिणी कलकत्ता) : महोदय मैं पहले ही इस बात पर जोर दे चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न सप्लाई नहीं कर रही है

और इससे इसका यह मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किया जाये ताकि जन वितरण प्रणाली से जनता, विशेषकर गरीब जनता की आवश्यकता पूरी की जा सके।

दूसरी बात जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह है सप्लाई किये जा रहे खाद्यान्न की किस्म। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

लगता है कि मंत्री महोदय का ध्यान बंट गया है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं सुन रहा हूं। आप किस्म के बारे में कह रहे थे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि राज्यों को न केवल खाद्यान्न दिया जाये, बल्कि वे दिल्ली में उचित दर की दुकानों से सप्लाई किये जा रहे चावल और गेहूं की किस्म की भी नमूना जांच करायें। मेरे राज्य में भी जो खाद्यान्न सप्लाई किया जा रहा है, वह इतना घटिया किस्म का है कि आदमी के खाने योग्य भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या यह स्थिति केवल आपके राज्य में ही है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : राजस्थान में भी यही स्थिति है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ये घटिया किस्म का खाद्यान्न क्यों सप्लाई किया जा रहा है ? और राज्य इसे लेने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस बात की जांच करें कि ऐसा कैसे होता है, क्या कुछ बेईमान लोग ऐसा कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम की समग्र नीति, कि वे खाद्यान्नों की खरीद किस प्रकार करते हैं, इस बात को अधिप्रमाणित कौन करता है कि ये खाद्यान्न खाने योग्य हैं, अथवा नहीं, इन सब बातों की जांच करनी होगी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन बातों की जांच करेंगे मुझे हाल ही में त्रिपुरा से एक टेलीग्राम मिला है। जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :

"लगातार सूखा रहने के कारण त्रिपुरा में खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है···"

एक माननीय सदस्य : बंगाल की क्या स्थिति है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हां, पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है। सब जगह खाद्य स्थिति बिगड़ती जा रही है। त्रिपुरा की मासिक आवश्यकता 10,000 मीट्रिक टन की है और केन्द्रीय सरकार को बरसात के दिनों के लिये 20,000 मीट्रिक टन का स्टाक रखना चाहिये। किन्तु इस समय क्या स्थिति है ? 19.4.1984 को उनके पास केवल 3000 मीट्रिक टन स्टॉक था। कठिनाई के मौकों पर राज्यों की सहायता करने के जिस मूल प्रयोजन से बफर स्टाक रखा जाता है वह सिद्ध नही हो रहा है क्योंकि आप पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं रखते जिससे कि जब राज्यों को जरूरत पड़े, वे केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न ले सकें। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय की पहले ही त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री से बातचीत हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस सम्पूर्ण मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय पूल में पश्चिम बंगाल का क्या योगदान है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल के काफी अधिक भूभाग में पटसन की खेती होती है। ऐसे में अच्छी फसल के बावजूद पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न की स्थायी रूप से कमी रहना स्वाभाविक ही है। केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह पश्चिम बंगाल की जनता का खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरी करे। हम अन्य सब वस्तुएं दे रहे हैं। भारत एक है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि यह मेरे साथ कलकत्ता चलें, मुझे खुशी होगी कि मैं वहां उन्हें सरकार द्वारा सप्लाई किया जा रहा चावल पेश कर सकूगा। मुझे उन्हें वह चावल खाते हुए देखकर खुशी होगी जो पश्चिम बंगाल की जनता को सप्लाई किया जा रहा है। हम इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु हम केन्द्रीय पूल से घटिया किस्म का चावल लेने के लिये बाध्य हैं। उन्हें इस मामले की जांच करनी चाहिये।

जब तक आप खाद्यान्नों का थोक व्यापार का अधिग्रहण नहीं करते, आपके लिए आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर सप्लाई करना बहुत कठिन होगा क्योंकि यदि आप थोक व्यापार को मुनाफाखोरों और गैर सरकारी व्यापारियों के हाथ में रखेंगे, तो उससे वह मूल प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो सकेगा जिसके लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम बनाया गया था। मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार ऐसा करने की इच्छुक क्यों नहीं नहीं है। मैं जोर देकर यह मांग करता हूं कि केन्द्र द्वारा जनता को 14 अनिवार्य वस्तुयें कम मूल्यों पर दी जानी चाहिये। यदि आप उद्योगपतियों को उनके निर्यात के लिए राज सहायता दे सकते हैं, तो आप हमारी जनता के भरण पोषण के लिए राज सहायता क्यों नहीं दे सकते यदि इसके लिए कई करोड़ रुपए भी आवश्यक हों, तो भी यह राज सहायता दी जानी चाहिए ताकि हमारी गरीब जनता को 14 आवश्यक वस्तुये सस्ते दामों पर मिल सकें। इसके लिए थोक व्यापार का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से विवाद करने की बहुत कम गुंजाइश है। इसका प्रयोजन बहुत अच्छा है। राज्य सभा में मंत्री महोदय द्वारा रखे गये उत्तर से मुझे यह पता चला है कि तीन कम्पनियों, हिन्डालको, इण्डालको और माल्को पर सरकार के 52 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण हैं। यह अजीब बात है। मंत्री महोदय को ऐसे मामले में बहुत कड़ाई से काम लेना चाहिये ताकि ये कम्पनियां आपको कठिनाई में न डाल सकें और एक प्रकार से आपको धोखा न दे सकें क्योंकि इस स्थिति में आपको व्याज दर की हानि हो रही है, यह प्रयोजन बहुत अच्छा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह दर 6 प्रतिशत होनी चाहिए। यह प्रश्न वहां अन्य सदस्यों द्वारा भी उठाया गया था। ऐसे में आपको ऋणों का भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि वर्तमान बैंक दर 6 प्रतिशत से अधिक है। अन्य सदस्यों की भांति मेरी भी यही मांग है कि इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाये।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे मेरे द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दें और अनाज की समयोचिता तथा अच्छी किस्म सप्लाई करके, भारतीय खाद्य निगम के भ्रष्टाचार को समाप्त करके और साथ ही खाद्यान्नों के थोक व्यापार का अधिग्रहण करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनायें ताकि सरकार जनता को सभी वस्तुयें उचित कीमतों पर सुलभ करा सके।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रोफेसर साहब ने पहली बार हाऊस में सरकारी पक्ष का समर्थन किया है। हमारा यह विभाग देश की 70 करोड आबादी को आवश्यक वस्तु की सप्लाई का काम करता है।

यह बात सही है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो वितरण व्यवस्था की है, वह सामयिक और समयानुकूल है। केन्द्र सरकार से राज्यों को जो गाइड-लाइन्स जाती हैं, उनका अनुपालन न करने की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने राज्यों को दो हजार पर यूनिट शहरों में और ढाई-तीन हजार पर यूनिट देहातों में राशन की दुकानें आबंटित करने का आदेश दिया है। इन आदेशों का पालन राज्य सरकारें उस तरह से नहीं कर रही हैं, जैसाकि केन्द्रीय सरकार चाहती है।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के 12 सूत्री कार्यक्रम की ओर पुनः ध्यान देने के लिए राज्यों को आदेश दिया जाना चाहिए। इस बात की खुशी है कि सरकार ने इन्डस्ट्रीयल बैल्ट में मजदूरों के लिए राशन तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का वितरण करने के लिए कहा है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इन्डस्ट्रीयल बैल्ट भी है। मेरे क्षेत्र में दो-तिहाई बिजली पैदा होती है। वहां पर तीन सीमेण्ट फैक्ट्रीज, कोल माइन्स, हिन्डालको, कनौड़िया मिल्स, व तीन सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं। सरकार का यह आदेश है कि केजुअल लेबर के लिए राशन की व्यवस्था की जाए।

दुख इस बात का है कि प्रदेश सरकार इस व्यवस्था में असफल रही है। सरकार का आदेश है कि केजुअल लेवर्स के लिए चलती-फिरती दुकानों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि सरकार आदेश दे कि इस वितरण व्यवस्था को प्रदेश सरकार द्वारा दुरूस्त किया जाए। वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में जो उल्लंघन करने वाले लोग हैं जैसे ब्लैक मार्किटियर्स, होर्डर्स, स्मगलर्स और प्राफिटियर्स, इनके साथ सख्ती से कदम उठाना चाहिए। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जुर्माना वसूल करने की ओर सरकार का ध्यान गया है। मैं, प्रोफेसर साहब से सहमत हूं कि छह परसेंट की वजाय पन्द्रह परसेंट जुर्माना लिया जाना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से इसमें संशोधन किया जाना चाहिए चाहे इसके लिए दोबारा राज्य सभा में जाना पड़े। जो लोग रुपया दे सकते हैं, उनके लिए भी एक अलग प्रोग्राम बनना चाहिए। आइ० आर० डी० और स्पेशल कंपोनेंट योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों को लोन दिया जा रहा है। उस सबसिडी का लाभ जिन किसानों को मिलना चाहिए था, वह अभी नहीं मिला, परन्तु बैंकों ने उसकी वसूली के आदेश डी० एम० को भिजवा दिए।

आजकल यह हो रहा है कि पहले तो उनको सबसिडी का लाभ नहीं मिल पाता, जो उनको लाभ होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और दूसरी तरफ वसूली के आदेश दे दिए जाते हैं, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध है, यदि हम इस तरह वसूली में कड़ाई का रुख अख्तयार करेंगे तो उससे उनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मैं चाहूंगा कि उसमें लीनियेंसी

बरती जाये और जब तक उस सबसिडी या लोन का लाभ उस व्यक्ति को मिलना शुरू न हो जाए, तब तक वसूली न हो ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकारी स्टेट गवर्नमैंटस को जितनी सब-सिडी आदि देती है, उसे कुछ समय बाद यह आश्वस्त कर लेना चाहिये कि उसका लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंच गया है या नहीं । मैं अभी अपने क्षेत्र का दौरा करके आ रहा हूं और मुझे शिकायतें मिली हैं कि हमारे इंटीरियर में 1981-82 से सबसिडी आदि का लाभ ट्राइबल और हरिजन आदि लोगों को नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उसकी वसूली के आदेश बैंकों की ओर से सम्बन्धित कलैक्टर को भिजवा दिए गए हैं ।

श्रीमन्, इस तरह की वसूली में दस परसेंट चार्ज लगता है । जब हम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए वचनबद्ध हैं तो इस प्रावधान के कारण उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं और हमारी नीति वरदान की बजाये अभिशाप बन गई है । अभी कल-परसों इस सदन में हमारे कई लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में महसूस की जा रही तकलीफों का जिक्र किया । लेकिन यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, ऐसा नहीं है, दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए बैंकों से जो सहा-यता दी जाती है, उसकी वसूली में उचित व्यवस्था की जाए और उनसे १0 परसेंट सरचार्ज वसूली वाली शर्त को रद्द कर देना चाहिए । यह बात सही है कि हमारी प्राइवेट कम्पनीज में हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लेकिन वह सारा धन देश के लोगों का है, शैडयूल्ड बैंकों का लगा है, इसलिए उनके साथ वसूली में कड़ाई होनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावना का आदर करते हुए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय अच्छा उपाय प्रस्तुतकरते रहते हैं । मैं सम्पूर्ण सरकार के बारे में नहीं, इस मंत्री महोदय के विषय में ही कह रहा हूं । यह विधे-यक पहले ही लाया जाना चाहिए था । अनेक कम्पनियों पर ऋण बकाया हैं और ये कम्पनियां अक्सर ऋणों की अदायगी नहीं करती हैं । अतः सरकार को इन कम्पनियों से इन ऋणों की वसूली करनी चाहिये और मेरे विचार से यह वसूली कम से कम 25 प्रतिशत व्याज की दर के साथ की जानी चाहिये । मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि उनका व्याज की जो भी दर निर्धारित करने का विचार हो, वे मेरे सुझाव पर बिचार करने की और इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करें ।

इस विधेयक का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है, किन्तु मैं कुछ और मुद्दों पर बोलना चाहूंगा क्योंकि लोग कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । जब से यह सरकार सत्ता में आई है कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लगता है कि सरकार का कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, उसके लिये मैंने माननीय मंत्री जी का धन्यवाद किया है, किन्तु कुछ अन्य मामले हैं जिनके लिए मैं सारी सरकारी की आलोचना करने जा रहा हूं । कभी

वस्तुयें ऊंची कीमतों पर भी नहीं मिल पाती और यह एक अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि लोग पैसा होने पर भी वांछित वस्तु माप्त नहीं कर पाते। अभी माननीया श्रीमती कृष्णा साही पोस्ट-कार्ड आदि की अनुपलब्धता के बारे में कह चुकी हैं, जो कि एक ऐसा मामला है जो माननीय मंत्री जी के मंत्रालय के अधीन नहीं, बल्कि संचार मंत्रालय के अधीन आता है। यह भी एक अनिवार्य वस्तु है, अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे अपने सहयोगी, संचार मंत्री से परामर्श करें और ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करें कि ये चीजें भी ठीक से मिलती रहें।

अभी मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में डीजल की अनुपलब्धता का मामला उठाया था। मैं देख रहा हूं कि इस स्थिति के कारण किसानों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। उन्हें डीजल नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि उनके कृषि सम्बन्धी कार्य ठीक से नहीं हो पा रहे है। खासकर भ्रष्टाचार, काला बाजारी और मुनाफाखोरी के कारण ऐसा हो रहा है। सरकार को अवश्य ही इस स्थिति पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब कभी कहीं प्राकृतिक विपदा आ पड़ती है और लोगों को कतिपय वस्तुओं की बहुत आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसे मौकों पर ये चोरबाजारी करने वाले, मुनाफाखोर और जमाखोर बाजार में इन वस्तुओं के कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा कर देते हैं और यह सब जनता के हितों के पूर्णतः विरुद्ध होता है जिसे इस मामले में सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ता है।

मेरी भगवान से प्रार्थना है कि कहीं बाढ़ न आये। किन्तु पता नहीं 3 या 4 महीने बाद क्या होगा। यदि कहीं बाढ़, प्राकृतिक विपदा, चक्रवात अथवा सूखे की स्थिति आ जायेगी, तो ये असामाजिक तत्व तत्काल व्यापक पैमाने पर सकिय हो जायेंगे और जनता को परेशान करना शुरू कर देंगे। अतः मेरा यह निवेदन है कि सरकारी तन्त्र को अवश्य ही कारगर बनाया जाना चाहिए। कभी हम यह पाते हैं कि विपत्ति काल में वे लोग भी, जो सरकारी संगठनों में कार्यरत हैं, सरकार अथवा जनता के प्रति निष्ठावान नहीं होते। कालाबाजारी करने वालों और ज़माखोरों के अलावा वे भी समस्या पैदा कर देते हैं। अतः मंत्री महोदय इन समस्याओं पर विचार करें और यह सुनिश्चित कि समस्त वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाये जिससे कि वस्तुयें उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

भारत सरकार ने लगभग तीन लाख फेयर प्राइस शाप्स खोल रखी हैं, लेकिन उनमें सारा सामान उपलब्ध होता है या नहीं, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मंत्री महोदय ने शक्कर के बारे में अच्छी व्यवस्था की है और जहां पर दुकानें हैं, वहां वह मिलती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खाने-पीने का सामान कहीं उपलब्ध नहीं होता। प्रोफेसर साहब ने सुझाव दिया है कि मोटा कपड़ा, एडीबल आयल और वेजीटेबल आयल आदि 14 एसेंशल आर्टिकल निश्चित रूप से सब जगह मिलनी चाहिए।

आज नैशनल टैक्स्टाइल कार्पोरेशन 500 करोड़ रुपए का नुक्सान उठा रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कपड़ा मिल रहा है? मंत्री महोदय को इस ओर विशेष

ध्यान देना चाहिए। राज्य या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मोटा कपड़ा पहुंचाया जाता है, वह ऐसे लोगों के पास चला जाता है, जो उसकी ब्लैक करते हैं और इसलिए गांवों के लोगों को धोती या लट्ठा आदि नहीं मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पहनने के सब कपड़े बाजार में बिक रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंटस मंत्री महोदय के आदेशों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं करती हैं। उन पर दबाव डालना चाहिए कि वे वितरण व्यवस्था को ठीक करें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा, तो आम लोगों का शोषण होता रहेगा और पूंजीपति अपने भंडार भरते रहेंगे।

आज-कल गांवों में वनस्पति घी उपलब्ध नहीं है। अखबारों में आता है है कि डाकथार्ड्ज में हड़ताल के कारण वनस्पति घी उपलब्ध नहीं हो सका है। लेकिन जिन कारखानों में वनस्पति घी के हजारों टीन भरे हुए हैं, उनकी तलाशी लेनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चूंकि सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वे चालीस, पचास रुपये प्रति-टीन ब्लैक कर रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर आदेश देती रहती है, लेकिन राज्य सरकारें उनका पालन नहीं करती हैं। राज्य सरकारों पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि भारत सरकार जिन चीजों के लिए अरबों रुपए खर्च करती है, उनका वितरण ठीक तरह से होना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो प्रोक्योर्मेंट की व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश हैं कि एजेन्ट की मार्फत गल्ला न खरीदकर डायरेक्ट किसानों से ही खरीदा जाना चाहिये लेकिन एफ सी. आई. के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वे आज गांवों में क्या कर रहे हैं ? आपका आदेश है कि 150 रुपए क्वींटल का दाम किसान को गेहूं के लिए दिया जाये लेकिन एजेन्ट की मार्फत 130 रुपये क्वींटल के भाव पर गेहूं लिया जा रहा है और वही गेहूं एफ सी आई को 150 में बेचा गया दिखाया जा रहा है। यह जो गड़बड़ हो रहा है इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज जो मिडिलमेन और एफ सी आई के अधिकारी मिलकर फायदा उठा रहे हैं उसको रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

हमारे यहां राजस्थान में दो साल पहले 1981-82 में राइस प्रोक्योर्मेन्ट का एक मसला था जिसमें राइस मिल्स से मिली-भगत होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सप्लाईज के कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर आदि बड़े अधिकारियों ने राइस को प्रोक्योर्मेन्ट से एग्जेम्ट कर दिया था यह कह कर कि उसमें टूटे हुए दाने हैं। 158 रुपये क्वींटल में सरकार खरीदती थी जबकि उसी राइस को उन लोगों ने 500-600 रुपये क्वींटल के भाव पर बेचा। उसमें व्यापारियों ने 3 करोड़ फायदा उठाया था जिसमें सरकारी अधिकारियों की मिली भगत थी। इस मामले को मैंने यहां पर नियम 377 के अन्तर्गत भी उठाया था लेकिन आजतक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

राजस्थान के मंत्री ने भी इस बात को विधान सभा और बाहर प्रेस कांफ्रेन्स में कहा था कि इस प्रकार की मिली भगत से सरकारी अफसर और व्यापारी सारा पैसा खा गए परन्तु आजतक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस प्रकार के जो लोग हैं जो सरकार की प्रोक्योर्मेन्ट पालिसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनके खिलाफ जब तक आप सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे

तब तक आपकी यह व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पायेगी । आज इस देश में होर्डिग, ब्लैक-मार्केटिंग, स्मगलिंग—इस प्रकार के जो सारे धंधे हो रहे हैं जिनसे ब्लैक-मनी बढ़ रही है उनको रोकना इस सरकार का काम है । आपके महिकमों को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि बड़े बड़े व्यापारी एसेंशियल कमोडिटीज की होर्डिग न कर सकें ताकि उनकी इजी एवेलेबिलिटी बनी रहे और फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा उनका वितरण सुचारू रूप से किया जा सके । आज बड़े पैमाने पर जो प्राइस राइज हो रही है उसको भी चेक करना चाहिये । छोटे-मोटे कानूनों से कुछ नहीं होगा, इन बदमाशों को भारी मनिशमेंट मिलना चाहिये । इस देश के 70 करोड़ लोगों के भविष्य को यदि उज्जवल करना है तो जिस प्रकार से आप एफ सी आई को 800/- सौ करोड़ की सब्सीडी देते हैं उसी प्रकार से यदि दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज के लिए भी 500-700 करोड़ की सब्सीडी देने की आवश्यकता हो तो वह भी देनी चाहिये लेकिन इन चीजों को मुनासिब कीमत पर आम जनता को उपलब्ध किया जाना चाहिये ।

इसके साथ साथ मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों पर जो बहुत पैसा बकाया है सख्ती के साथ वसूल किया जाना चाहिये । उनसे आप जो 6 परसेन्ट सूद चार्ज करते हैं वह भी कम है क्योंकि किसानों से तो आप 12 और 14 परसेन्ट सूद लेते हैं इसलिये इनसे तो पीनल इन्ट्रेस्ट चार्ज होना चाहिये और साथ ही साथ सजा देने का प्रावधान भी होना चाहिये ताकि वे ऐसे काम करने की हिम्मत न कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मंत्रीजी ने जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एसेंशियल कमोडोटीज एक्ट में संशोधन करने के लिये यह बिल पेश किया है, जिसकी मंशा सप्लाई को बढ़ाने की है । सवाल यह है कि यह कानून 1955 में लागू हुआ और फिर संशोधन लाया जा रहा है । लगता है कि माननीय मंत्री जी ने सम्पूर्ण बिल पेश नहीं किया है, यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर संशोधन पेश किया जा सकता है ।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कानून तो बना हुआ है, लेकिन फेयर प्राइस शाप्स पर अनाज नहीं है, चीनी नहीं है, खाद्यतेल नहीं है । माननीय मंत्री जी की बहुत इच्छा है कि कुछ हो, लेकिन पिछले कुछ लोगों ने नहीं किया है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं । लेकिन सवाल यह है कि कैसे होगा ? सरकारी मशीनरी का ढांचा इस प्रकार का है, जैसा कि माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, कहीं पर सामान आता है और कहीं पर बिकता है । घटिया गेहूं यहां बिकता है और बढ़िया गेहूं दूसरी जगह बिकता है । लोकसभा के माननीय सदस्यों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो राशन की दुकानों पर से सामान खरीदते हैं । कभी गेहूं नहीं है तो कभी चावल नहीं है । फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की लाइन आफ सप्लाई होनी चाहिए । पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक क्विंटल में पांच किलो सामान कम है । कुछ अनाज बर्बाद भी हो रहा है । कम से कम आपकी मिनिस्ट्री और रेलवे में तालमेल होना चाहिए ताकि लाइन आफ सप्लाई मेनटेन रह सके । मंहगाई को रोकने के लिए आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जा कर समस्या का समाधान हो सकता है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जैसाकि व्यास जी ने भी कहा है कि डिस्ट्रिब्यूशन को मेनटेन करने के लिये दण्ड का प्रावधान बिल में होना चाहिये। आपने कहा है कि यदि कोई व्यापारी पैसा न दे और उतना ही पैसा यदि वह बैंक में डिपाजिट कर दे, तो इससे तो वह ब्याज वहां से प्राप्त करता रहेगा। छः प्रतिशत ब्याज नहीं यह कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिये। यदि नहीं होगा तो काला बाजार की मनोवृत्ति जिस प्रकार से बढ़ रही है, वह बढ़ती जायेगी उसको आप रोक नहीं पायेंगे। सरकार प्रति माह 1.5 लाख मिलियन टन अन्न का वितरण कर रही है। खाद्य तेल की आवश्यकता 35 लाख टन की है, जिसमें से 25 लाख टन आप उत्पादन करते हैं और 10 लाख टन आप बाहर से मगाने की सोच रहे हैं। सरसों के तेल का यह हाल है कि कहीं 16 रु०, 18 रु० और कहीं-कहीं पर 20 रु० किलो मिल रहा है। डालडा वनस्पति की स्थिति भी यही बनी हुई है। दो दिन बाजार कमजोर हुआ और तीन-चार दिन के बाद भाव फिर बढ़ गए। सप्लाई पूर्ण न होने की वजह से भाव बढ़ जाते हैं, जिससे उपभोक्ता पर इसका असर पड़ता है। चीनी का हाल यह है कि चीनी की पैदावार होती है और किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिलता है। इस ओर भी किसी प्रकार का सामन्जस्य नहीं है।

जहां तक ग्रामीण अंचलों का सवाल है, वहां आपने आवश्यक वस्तुओं के लिये कितनी दुकानें खोली हुई हैं। मेरा ख्याल है कि नम्बर नगण्य ही गया। कसबों में भी नहीं है। यह ठीक है कि लोगों को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने का आपका कर्तव्य है, लेकिन एक बात आपको गौर करनी चाहिए, आप कृषि वस्तु की कीमत कुछ देते हैं, लेकिन जब किसान को जरूरत पड़ती है तो उसको उस दाममें उपलब्ध नहीं होती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें सामजस्य और ताल-मेल बनाने की आवश्यकता है। खास तौर से ग्रामीण अंचल के लोगों के लिये अधिक सस्ते गल्ले की दुकानें खोलें जिससे उन्हें सस्ते दामों पर चीजें मिल सकें। यह भी ध्यान रखा जाये कि दुकान गांव के नजदीक हो, ऐसा न हो कि दस-बीस मील के दायरे में एक दुकान खोल दी जाए और सारे गावों को उससे लगा दिया जाये। कानून लागू करने में कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिये। जो आवश्यक चीजों में मिलावट करते हैं या चीजों को उपलब्ध नहीं होने देते—उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिये। इस लिये दण्ड का प्रावधान मजबूत होना चाहिए जिससे उनके दिमागों में यह डर पैदा हो कि अगर वे गलत काम करते हैं तो उनको सजा मिलेगी।

यह संशोधन अवश्य होना चाहिए, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बनारसी दास (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का मक्सद बहुत सीमित है, सरकार का जो पैसा बकाया है उस को लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल करने का प्रावधान इस बिल के अन्दर किया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित दामों पर उपलब्ध हो रही हैं? सब से बड़ी जरूरत की चीज अनाज है. जिस को 151 रुपए प्रति क्विंटल पर हर प्रदेश में सरकार की तरफ से वसूल किया गया, लेकिन फलोर-मिल्स को फूड कारपोरेशन ने वही गेहूं 218 रुपये क्विंटलों पर दिया, यानी 67 रुपये प्रति क्विंटल का मुनाफा कमाया —इस तरह से सरकार खुद प्राफिटीयरिंग करती है। कन्ज्यूमर्स को जो अनाज सस्ते दामों की दुकान से दिया जाता है, मैं समझता हूं मेरे सामने बैठे हुए मित्रों को उन दुकानों से खरीदने की जरूरत ही

नहीं पड़ती होगी। कोई भी व्यक्ति यदि यह चाहता है कि उस का स्वास्थ्य ठीक रहे, वह इन असेंशियल सप्लाईज की दुकानों से गेहूं नहीं खरीद सकता, वहां ऐसा गेहूं सप्लाई होता है जो जानवरों के भी खाने के योग्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुलन्दशहर से आता हूं वह ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश में एक-तिहाई गेहूं सप्लाई करता है। फूड कारपोरेशन के लोग उस गेंहूं को गीला करते हैं, उसमें रेता भरते हैं, जिस वक्त आडिट होगा—पता नहीं उस वक्त कौन सी सरकार होगी। प्रायः कर के उसको राइट-आफ किया जाता है। कुछ समय पहले श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि 22 अरब रुपया हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बेड-डेट है। उन पूंजीपतियों पर तो 22 अरब रुपया बैड-डेट हैं, लेकिन कोआपरेटिव्ज के जरिये जो किसानों को लोन दिया जाता है, उसकी रिकवरी लैंड-रेवेन्यू की तरह से होती है। आज जैसे रेपसीड आयल आता है, जिस को हम विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं लेकिन वे बैंगन्ज बाहर की बाहर चली जाती हैं, लोगों तक वह माल नहीं पहुंच पाता। इसलिए आवश्यकता यह है कि जब भी कोई कानून बनाया जाये तो उस की एन्फोर्समेंन्ट मशीनरी भी होनी चाहिए।

आज हकीकत यह है कि इस देश में सब से बड़ी बीमारी 'इन्स्पक्टराइटिस' की है, जितने इन्स्पेक्टर्स बढ़ते हैं उतने ही चीजों के दाम बढ़ते चले जाते हैं। जितनी पीनल पावर्स आप इन्स्पैक्टर्स को देते हैं उतनी ही उन की महामारी, आप उस को दस्तूर कहिये, कमीशन कहिये या जो भी कहिए दुकानदारों के यहां बंध जाती है जिस की वजह से लोगों को एसेन्शियल चीजें नहीं मिलती। इस का एकमात्र इलाज है—कन्ज्यूमर्स मूवमेन्ट स्वस्थ्य लाइन्ज पर आर्गेनाइज किया जाये। दो-दो चार-चार हजार कन्ज्यूमर्स मिल कर अपनी सोसायटी बनायें और उन के जरिए एसेन्शियल कमोडिटीज का वितरण हो। मुझे अपनी स्टेट का अनुभव है और मैं खुद भी शासन में रहा हूं—कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट भी आज 'करप्शन' का एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। बल्कि मैं तो यह देखता हूं—जब चीजें कम होती हैं, कुछ हद तक आपका एसेन्शियल सप्लाईज डिपार्टमेंट काम करता है, लेकिन जहां चीजें मार्केट में आती हैं, तो जैसे सुपर बाजार है—वहां दालों की कीमतों या तेल की कीमतों और आम बाजार में इन चीजों की कीमतों में कोई विशेष फर्क नहीं होता है।

3.00 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

जहां तक क्वालिटी का सवाल है, जितनी भी फेयरप्राइस शाप्स दिल्ली में हैं, उन की जांच कीजिए कि वहां पर कैसी क्वालिटी की चीजें मिलती हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक फेयर प्राइस शाप की मिलने की कीमत 20 हजार रुपए है और कोई भी दुकान 20 हजार रुपए दिये बगैर नहीं मिल सकती। अब वह दुकानदार जो 20 हजार रुपये देकर फेयर प्राइस शाप लेता है, किस तरह से कन्ज्यूमर्स को मुनासिब दामों पर चीजें दे सकता है। एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग फ्लोर मिल में अपना सूजी, मैदा और आटा बनवाते हैं, उन को मार्केट से गेहूं क्यों नहीं खरीदने दिया ताकि किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। 151 रुपए प्रति क्वींटल की प्राइस पर उन को गेहूं दिया जाता है और इस तरह से गवर्नमेंट ने गेहूं की कीमतों को डिप्रेस कर दिया।

अगर मिलओनर्स बाजार से गेहूं खरीदते तो एक कम्पीटीशन होता है और उस में किसानों को अच्छे दाम मिल सकते थे लेकिन अब तो किसानों को सस्ते दामों पर अपना गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा 67 रुपए पर क्वींटल आप मैदा और सूजी पर ले लेते हैं और जो रिजल्टेंट आटा होता है, उसको ह्यूमेन बींग्स को खाने के लिए देते हैं, जोकि जानवरों का खाना है।

जरूरत इस बात की है कि एक व्यवहारिक दृष्टि से एसेंशियल सप्लाईज को मुहय्या करने की नीति पर सरकार विचार करे और जो फिनिश्ड गुड्स है,—कन्ज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए बीच में कितनी एजेन्सीज आ जाती हैं। मेरा कहना तो यह है कि किसी भी सूरत में जो माल एक्स मिल से कन्जूमर तक पहुंचता है, उसका मार्जिन 30 पर सेन्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा कि 6 परसेन्ट आप को रियेलाइज करना है सूद लैंड रेवेन्यू पर जबकि मामूली आदमी को 18 परसेन्ट पर आप देते हैं और व्यापारी 18 परसेन्ट पर देता है तो फिर यह 6 परसेंन्ट की रियायत उन लोगों के लिए क्यों है जहां पर सरकार के ड्यूज बाकी है? इस को आप को बढ़ाना चाहिए। मेरे मित्र कहते थे 50 परसेन्ट लेकिन मेरे ख्याल से यह कनफिस-केटिव होगा। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम जो बैंक का रेट है, वही इन से भी लिया जाए।

एक चीज यह भी कहना चाहूंगा कि कन्ज्यूमर मूवमेंट को हैल्दी लाइन्स पर चलाने के लिए गवर्नमेंट प्रशिक्षण दे और सोसाइटीज को अर्गेनाइज करने के लिए कन्ज्यूमर्स को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि एशेंसियल चीजें लोगों को सही दामों पर मुहय्या हो सकें।

साथ ही इस चीज पर भी गौर किया जाए कि लोगों को सही चीजें मिलें। दाल में एक इस तरह का दाना आता है, जिससे वेरीवेरी होती है। इस तरह से अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आया था कि फूड कारपोरेशन गेहूं को प्रीजर्व करने के लिए जो केमीकल इस्तेमाल करती है, उससे केन्सर होने का खतरा है। इस लिए आज जरूरत इस बात की है कि जो एशेंसियल चीजें मिलें, वे लोगों को ठीक से मिलें और ठीक दामों पर मिलें।

इसी तरह से आपका जो टेक्सटाइल का सेक्शन है, उसमें 102 से ज्यादा ऐसी मिलें हैं, जिनके लिए आपका एन० टी० सी० एक तरह का अस्पताल बन गया है, पूंजीपतियों के सिक मिलों को ठीक करने के लिए वहां भेज दिया जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट यह सोचे कि ये मिल सिक क्यों होते हैं और जो इनको सिक करते हैं, उनको मीसा के अन्दर गिरफ्तार किया जाए। सिक करके एक बच्चे को गवर्नमेंट की गोद में दे देते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। यह जो बिल यहां पर आया है, यह इंसपेक्टरों की जेबें भरने के लिए है और आज बदकिस्मती यह है कि करप्शन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और जब तक पूरी तरह से कन्ज्यूमर आन्दोलन नहीं होगा, यह खत्म नहीं होगा। मेरा कहना तो यह है कि बजाए दुकानदारों के सजा इंसपेक्टरों को दी जानी चाहिए जो कि एन्फोर्स करने वाले हैं। अगर चीज वक्त पर नहीं मिलती है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये लोग कमीशन खा जाते हैं और चीजें नहीं मिलती हैं। अन्त में मैं यही कहूंगा कि एक तो रेट आफ इन्ट्रैस्ट बढ़ाया जाए और दूसरा यह कि एशेंसियल चीजों को मुहय्या कराने के लिए सही व्यवस्था की जाए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । इस बिल का समर्थन करते हुए, मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा कि वे सूद की दर को और ज्यादा बढ़ाएं। पैसे वालों और पूंजीपतियों के प्रति नर्मी की नीति अपनाना कभी भी मुनासिव नहीं है। जिनके पास पैसा है उनसे पसा लेना चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है, उनसे आप कैसे पैसा ले सकते हैं। इसलिए सून की दर जरूर बढ़ाई जाए । उस सदन में भी यह मांग की गई थी और इस सदन में भी सभी सदस्यों ने इस बात की मांग की कि सूद की दर बढ़ानी चाहिए ।

अभी मैं अपने इलाके पटना से लौटा हूं । इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है। मुझे पटना से मालूम हुआ कि पूर्णियां जिले तथा कुछ और जिलों में आजकल गेहूं का भाव 50 रु० मन हो गया है। इसका असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है । मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि जहां-2 इस तरह से कीमतें गिरती हैं वहां लोग सपोर्ट प्राइस से नीचे बेचने लगते हैं । आप वहां गेहूं को सपोर्ट प्राइस पर खरीदने की व्यवस्था कीजिये । नहीं तो यह बीमारी फैलती जाएगी और किसानों को कम कीमत पर अनाज बेचने को मजबूर होना पड़ेगा । किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसकी गारन्टी सरकार को करनी चाहिये ।

दूसरी बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित है । इसमें राशन कार्ड देने की बात भी शामिल है । दिल्ली में भी ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके पास राशनकार्ड नहीं हैं । ऐसे भी हजारों लोग होंगे जिनके पास जाली राशनकार्ड हैं । आप जाली राशन कार्डों को काटिये, उनको काटने में कोई कमजोरी नहीं दिखाई जानी चाहिये । लेकिन जिन गरीब लोगों के पास राशन कार्ड न हों उनको राशन कार्ड देने की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये ।

अब मैं आपको अपने क्षेत्र पटना का उदाहरण देता हूं । पटना में एक मुगलपुरा मोहल्ला है जो कि गरीब मुसलमानों का मोहल्ला या वार्ड है। बहुत गरीब मुसलमान वहां रहते हैं । वहां पर एक मीटिंग हुई और मेरे पास शिकायत पहुंची कि वहां बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं। इसमें दिक्कत यह होती है कि मान लीजिये किसी एक के नाम में कार्ड है, उसके चार लड़के हो गये और वे चारों अलग अलग हो गये। उनके नाम से राशन कार्ड नहीं बन पाते । उन लड़कों के भी बच्चे हो गये, उनके कार्ड भी नहीं बनते । तीन-तीन, चार-चार भाई हैं । वे हफ्तावारी राशन लेते हैं । उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं । जो चलता-फुरता होता है या मुखर होता है, उसका राशन कार्ड बन जाता है । जो चुपचाप रहता है, उसका राशन कार्ड नहीं बन पाता । सभापति जी, राशन कार्ड की सचमुच में उन लोगों को जरूरत है जो मंहगी चीजें नहीं खरीद पाते हैं । आप ऐसे लोगों को राशन कार्ड दीजिए जो कि वास्तव में गरीब हैं और उन्हें चीजें राशनकार्ड पर सप्लाई कीजिये ।

एक जमाने में केरल और पश्चिम बंगाल में राशन में 18 और 20 चीजें तक दी जाती थीं। यह सभी जगह पर नहीं होती थी। बहुत-सी जगहों पर तो राशन में चार-पांच चीजें ही सप्लाई होती हैं । आप सचमुच में उन्हें राशन कार्ड अवश्य दीजिए जो बाजार से मंहगी चीजें नहीं खरीद सकते हैं ।

किसी की चोरबाजारी की शिकायत पर आप किसी दुकानदार का नाम काट देते हैं। वह मुकद्मा चलाता है। उस पर मुकदमा चलाएं। कानून के तहत मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहता है, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे समरी ट्रायल कई जगह हुआ। बिहार शरीफ में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, समरी ट्रायल के जरिए जल्दी फैसला करने से जो उपभोक्ता हैं, उनको कठिनाई नहीं होगी। दूकान कटी, तुरन्त सजा हुई, दूसरी दूकान मिली, इससे दूसरों पर भी अच्छा असर पड़ता है। नहीं तो महीनों तक मुकदमा चल रहा है, दूकान कटी हुई है। अगर आपकी कृपा हो गई तो दूसरी दूकान में टैग कर दिया। उसमें भी लोगों को दूर जाने में कठिनाई होती है। इसमें उस दूकानदार को भी चोरबाजारी करने का मौका मिल जाता है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग पकड़े जाएं, उनके खिलाफ तुरंत ही कार्यवाही होनी चाहिए। जल्दी ही दूसरी दूकान दी जाए। इससे लोगों को कठिनाई नहीं होगी। अभी बनारसी दास जी ने ठीक ही बताया है कि इंस्पेक्टर का महीना बंधा रहता है ; इसलिए दूकानदार बेचारा ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

अंत में मैं मिलावट के बारे में कहना चाहता हूं। इस सिलसिले में भी समरी ट्रायल की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को कम दें लेकिन स्वस्थकर भोजन दें। मिलावट एक राष्ट्रीय अपराध है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : स्वास्थ्य मंत्री जी से कहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : सरकार तो एक ही है। सब लोग आपस में बैठकर इस बारे में व्यवस्था करें। अंत में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए इतना ही कहूंगा कि सूद की दर को आप जरूर बढ़ा दीजिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा है, मैं भी इसी राय का हूं कि डिपाजिट्स और पेमेंट्स के एरियर्स हैं, उनका रेट आफ इन्ट्रेस्ट 6 परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेन्ट किया जाना चाहिए। साथ में यह होना चाहिए कि जब रिफण्ड करने की आवश्यकता हो तब सेन्टर गवर्नमेंट को भी 15 परसेंट रेट आफ इन्ट्रेस्ट रखना चाहिए। क्योंकि पार्टी अपील कर देती है, अपील करने के बाद सक्सेसफुल हो जाती है तो सक्सेसफुल होने के बाद अमाउन्ट रिफण्ड करने का जो प्रोवीजन है तो इसमें भी 15 परसेंट इन्ट्रेस्ट गवर्नमेंट को रिफंट कर देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी तो ग्रामीण क्षेत्रों में एवलेबल होती है। लेकिन सुदूर क्षेत्रों में गेहूं रेगिस्तानी क्षेत्रों में नहीं पहुंचता। कोई भी तेल वहां उपलब्ध नहीं होता। कैरोसिन आइल उपलब्ध नहीं होता और कपड़े के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ ब्लाक लेबल पर एक दूकान आपने मुकरर की हुई है।

हमारे जिले में आठ पंचायत समितियां हैं और उचित दर की आठ दुकानें कपड़े की वहां पर हैं। जो मार्किट रेट है, वही रेट वहां पर है। उसमें कोई भी अंतर नहीं है। कपड़ा ऐसा रफ मिलता है जिसको कोई भी लेना पसन्द नहीं करता। दो साल पहले कपड़ा अच्छा मिलता था लेकिन अब तो इन्फीरियर क्वालिटी का मिल रहा है। फेअर प्राइस शाप्स का कोई भी दुकानदार ईमानदारी से काम नहीं करता। ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस, जो रियल चार्जेस हैं, उनका पचास परसेंट मिलते हैं। जितने मिलने चाहिए, उतने नहीं मिलते हैं। यह प्रोविजन होना चाहिए कि कलैक्टर की रिक-

मण्डैशन के आधार पर मिलें। राजस्थान में विशेषकर मेरे क्षेत्र में जितनी भी फेअर प्राइस शाप्स चल रही है, उनमें ईमानदारी नहीं है। उसका बड़ा खराब असर लोगों पर पड़ता है। जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, वह भी नहीं कर सकता। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो कठिनाई यह है कि कोल नहीं मिलता। इसकी वजह से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर जिले में या डिवीजनल हैड-क्वार्टर्स में कोई भी एल. पी. जी. की एजेंसी नहीं है। इसी प्रकार जलाऊ कोयले की भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पेड़ों को न काटा जाए तो जलाऊ कोयले के लिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पर लकड़ी का भयंकर संकट है, वहां व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इन्सपैक्टर्स के बारे में कहना चाहूंगा। इन्सपैक्टर्स अगर गाँव में जाते हैं और दस केसेज मिल जाते हैं तो अच्छी रिश्वत उनको मिल जाती है। कोई एक-आधा मामला पुट-अप कर देते हैं और चालान भी प्रस्तुत कर दिया जाता है अन्यथा उन दस केसेज को इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन करके समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भ्रष्ट इन्सपैक्टर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएँ। इन्सपैक्टर्स और डिस्ट्रीक्ट लेवल के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो उनका हौसला बढ़ जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब आदमियों की मदद के लिए है। लेकिन शहर के गरीब और अमीर दोनों को इसका लाभ मिल जाता है। परन्तु गाँवों के गरीब लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस लिए हमें इन लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में विचार करना चाहिए। दूसरे, आपका कहना है कि आपके पास 12 मिलियन टन बफर स्टाफ उपलब्ध है। लेकिन जब आपके ऊपर बंगाल का ज्यादा प्रैशर पड़ता है तो उसका 20 प्रतिशत हिस्सा तो उनके पास चला जाता है और शेष 80 परसेंट हिस्सा देश के दूसरे राज्यों में बांटा जाता है। हमारी स्टेट पहले तो मांग ही बहुत कम करती है, लेकिन जितनी मांग करती है उस का सिर्फ 30 परसेंट भाग भाग भी उसे नहीं मिलता। कई हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां उसकी मांग का दस परसेंट भाग भी नहीं दिया जाता। इसलिए जब हम लोगों को चीप रेट पर अनाज उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल नहीं मिलता, शहरों में तो मिल जाता है, हमें उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए और बफर स्टाफ को 12 मिलियन से बढ़ाकर 20 मिलियन टन कर देना चाहिए और इसके साथ-साथ जितने हमारे यहां पिछड़े क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, पहाड़ी भूभाग हैं अथवा ट्राइबल एरियाज हैं, वहां के लोगों को आगे लाने के लिए अधिक अनाज भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, उन क्षेत्रों में वनस्पति की पूरी व्यवस्था हो, तेल उन लोगों को उचित मात्रा में मिल सके और दूसरी तमाम सुविधाएं मिल सकें, जो आवश्यक हैं। यदि हम उन लोगों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचा पाये तो वे व्यक्ति सही मायनों में लाभान्वित होंगे और इस बिल को लाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, हम उसमें सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : सभापति महोदय, यह विधेयक सुयोग्य और कार्य कुशल मंत्री महोदय द्वारा पुरःस्थापित किया गया है हालांकि मंत्री महोदय का भव्य व्यक्तित्व है, किन्तु यह विधेयक बहुत साधारण किस्म का है। मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय एक महान व्यक्ति हैं और मैं उन्हें लम्बे अर्से से जानता हूं। इस विधेयक से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसीलिये मैंने इसे "साधारण विधेयक" कहा है। फिर भी मैं इस विधेयक को पारित किये जाने के लिए इसका समर्थन करता हूं। ब्याज-दर के बारे में अनेक माननीय सदस्यगण चर्चा कर चुके हैं और उन सभी ने यह महसूस किया है कि ब्याज की दर बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि ब्याज की दर, इस विधेयक में बताई गई ब्याज-दर की बजाय 15 से 18 प्रतिशत तक निर्धारित की जाये।

महोदय यह देश कैंसर जैसे रोग से ग्रस्त है। इस विधेयक का तो एक बाहरी दवा के रूप में उपयोग किया जायेगा। किन्तु श्रीमान कैंसर के उपचार के लिये आपरेशन करना अपेक्षित होता है। महोदय, वे ऐसे में आपरेशन करने की बजाय सिर्फ सिरदर्द की गोलियां खिला रहे हैं। यह इस बीमारी जो कि इस देश में कैंसर से कम भयानक नहीं है, के उपचार के लिए काफी नहीं है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछली बार यहां उठाये गये एक प्रश्न, जिससे संबंधित चर्चा में मैंने भी भाग लिया था, के उत्तर में स्वयं यह स्वीकार किया था कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा रहा है। हमने मुद्रास्फीति पर 8.8 प्रतिशत नियंत्रण करने के लिए सरकार की प्रशंसा की थी। उसी समय उन्होंने इस सभा में यह भी स्वीकार किया था कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका है ; वे आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने अथवा उनके मूल्यों को स्थिर रखने के लिए जिम्मेदार नहीं है। माननीय मन्त्री जी द्वारा बताई गई यह स्थिति बहुत ही खेदजनक है।

मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक गांव के लिए एक उचित दर की दुकान की व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे चुनाव क्षेत्र में 2500 अन्यून गांव हैं, किन्तु अधिकांश गावों में उचित दर की दुकानें नहीं खोली गई है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी गांवों में उचित दर की दुकानें खोली जायें।

वर्ष 1976 से 1979 तक की अवधि में विद्यमान मूल्य स्तर की वर्ष 1983-84 में इस देश के वर्तमान मूल्य स्तर से तुलना कीजिए :

	1976-79	1983-84 में वर्तमान मूल्य स्तर
जिन्जेली तेल	7 रुपये प्रति किलो	22 रुपये प्रति किलो
नारियल का तेल	18 रुपये प्रति किलो	40 से 50 रुपये प्रति किलो
मूंगफली का तेल	7 रुपये प्रति किलो	20 रुपये प्रति किलो
दाल	3 रुपये प्रति किलो	7 रुपये प्रति किलो
इमली	3 से 4 रुपये प्रति किलो	10 से 12 रुपए प्रति किलो
सरसों का तेल	9 रुपए प्रति किलो	18 रुपए प्रति किलो

पहले साधारण किस्म का चावल 1.50 रु० से 1.75 रु० प्रति किलो था जबकि अब यह 3 से 4.50 रु० प्रति किलो है। अच्छे किस्म का चावल 7 रु० से 8 रु० प्रति किलो है। पहले घी 16 रु० प्रति किलो था जबकि इस समय यह 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो है। यही हाल धनिया तथा सूखी मिर्चों का है।

महोदय, तमिलनाडु में खजूर का तेल उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूरी निष्ठा तथा स्नेहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह गांवों में खजूर का तेल उपलब्ध करने के लिए तमिलनाडु सरकार से बात करें। यहां तक कि स्वयं मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव में खजूर का तेल उपलब्ध नहीं हुआ।

महोदय, इसके अलावा उचित दर की दुकान वाले कम मात्रा में सामान देकर आम आदमी को धोखा देते हैं। जनता को तो क्वालिटी तथा मात्रा दोनों ही दृष्टियों से धोखा दिया जाता है।

महोदय, पहले डालडा 7 रुपये प्रति किलो था। अब यह 18 रुपये प्रति किलो है। चीनी 2 रुपये किलो थी, अब यह 5 रुपये किलो है। मैं सभापति का ध्यान खास तौर पर हॉर्लिक्स की ओर दिलाना चाहता हूं। 1976 में यह 11 रुपये प्रति किलो तथा 5.50 रु० का आधा किलो हुआ करता था। अब यह 39 रु० प्रति किलो तथा 18.50 रु० का ½ किलो है। दिल्ली में दूध 0.65 रु० प्रति लीटर बिकता था और इस समय यह बढ़कर 1.65 रु० प्रतिलीटर होगया है। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार ने कपड़े को अनिवार्य वस्तु के रूप में रखा है अथवा नहीं। इसकी कीमत भी नियंत्रित की जानी चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : कौन सा कपड़ा ?

श्री के० मायातेवर : हथकरघा तथा सूती कपड़े सहित हर तरह का कपड़ा। महोदय, जमाखोरों, मुनाफाखोरों, कालाधन जमाखोरों, तस्करों तथा असामाजिक तत्वों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। 1973 में मैंने इस विषय पर बोलते हुए सरकार से दवाइयों में मिलावट करने पर मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास की सजा देने के लिए अनुरोध किया था। अब वह समय आ गया है कि तस्करों जमाखोरों तथा कालाबाजारियों को मृत्युदंड दिया जाए अन्यथा कीमतों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है।

महोदय, आजकल निश्चित आय वर्ग की जनता दो वक्त का खाना जुटाने में असमर्थ है तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्तों को प्रदान करने तथा हर वर्ष अधिक वेतन देने से कोई लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार तथा तमिलनाडु सरकार की कीमतों की नियंत्रित करने में दिलचस्पी है। आप लोग चुनावी गठबंधन के लिए ही एक जुट हो रहे हैं ; यह बड़ी खतरनाक बात है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। आप दोनों को कीमतों को नियंत्रित करने के बारे में सोचना चाहिए अन्यथा आप सत्ता से हटा दिए जाएंगे।

कई माननीय सदस्य उचित दर की दुकानों में कदाचारों को निरंतर उल्लेख करते रहे हैं। इन दुकानों में निरपवाद रूप से चीनी, मिट्टी तेल, खजूर तेल, चावल आदि की तस्करी हो रही है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के जिला कलक्टर को इस संबंध में लिखा तथा उन्होंने कुछ दुकानों पर छापा मारा तथा वहां वस्तुओं की कमी, चोरी आदि का पता लगा, परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। वस्तुतः, कई संबंधित अधिकारी उन दुकानदारों से पैसा लेते हैं और वह उन्हें हर तरह के कदाचार करने की अनुमति देते हैं तथा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते। इसे ध्यान में रखते हुए ईमानदार सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त करने की जरूरत है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण की जांच करने वाले कुछ सतर्कता अधिकारी हैं, परन्तु क्या वे वास्तव में ईमानदार हैं? उनमें से कम से कम आधे तो ईमानदार नहीं हैं।

तमिलनाडु तथा अन्य स्थानों पर वर्तमान मूल्य-स्तर के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आंध्र प्रदेश में दिल्ली या तमिलनाडु की तुलना में कीमतें कम हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर चावल या चित्तूर चावल 2 रुपये प्रति किलो मिल रहा है जबकि तमिलनाडु में इसकी कीमत 7.50 रु० प्रति किलो है। तमिलनाडु में अच्छा भोजन 6 रु० या 7 रु० से कम नहीं परन्तु आंध्र प्रदेश में यह 3 रुपए में उपलब्ध है। अतः तमिलनाडु सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार के पद चिन्हों पर चलना चाहिए तथा सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम करनी चाहिए।

इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि आप वितरण प्रणाली के लिए तमिलनाडु सरकार को कितना चावल दे रहे हैं। साथ ही क्या तमिलनाडु सरकार ने उपयुक्त वितरण प्रणाली क्रियान्वित की है ? नहीं। जबकि मदुरै के जिला कलक्टर तथा अन्य अधिकारी हर सप्ताह यह घोषणा करते हैं कि सरकार की नीति हर महीने 20 किलो चावल वितरित करने की है, केवल दो किलो चावल सप्लाई किया जाता है।

मैंने पिछले माह एक अनुपूरक प्रश्न द्वारा यह मामला उठाया था। माननीय मंत्री ने कहा कि वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं। केन्द्रीय सरकार तो मात्रा आबंटित कर देती है और समुचित वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। परन्तु यह वह ऐसा नहीं करती है तो क्या आपका कर्तव्य यह नहीं कि आप उसे ऐसा करने के लिए कहें ? आपको यह देखना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण हो। तमिलनाडु में वितरण प्रणाली खास तौर पर खराब है। पहले तो आप यह सुनिश्चित करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में चावल, मिट्टी का तेल, चीनी आदि सप्लाई की जाए तथा दूसरे आप यह सुनिश्चित करें कि ये वस्तुएँ कार्डधारियों को प्रदान की जाएँ। इस समय वहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है। काला बाजारियों को पकड़ा जाना चाहिए।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अधिक चावल की माँग करते रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल 1983 को मद्रास तट पर 5 घंटे की भूख हड़ताल की थी। आपने तथा कृषि मंत्री ने उन्हें 10 अप्रैल को भेंट करने को कहा परन्तु वह 16 अप्रैल को पहुंच पाए। उन्होंने आपसे भेंट की तथा तमिलनाडु के लिए चावल की मांग नहीं की। क्या आपने अधिक चावल सप्लाई किया ? नहीं। उन्होंने कहा 'जी नहीं।' आपको तमिलनाडु सरकार तथा तमिल लोगों को सन्तुष्ट करना चाहिए। जब मुख्यमन्त्री केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मन्त्री से बातचीत करने आए तो उन्होंने तमिलनाडु भवन में प्रेस संवाददाताओं से भेंट की। उन्होंने कहा कि वह केन्द्रीय सरकार से चावल की माँग करने की सोचती है। परन्तु सरकार तथा मन्त्रियों से बातचीत करने के पश्चात उन्होंने महसूस किया कि जहाँ तक चावल का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार घाटा उठा रही है और इसलिए उन्होंने चावल की माँग नहीं की। मुख्यमन्त्री ने कहा कि न तो उन्होंने चावल की माँग की और न ही केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु को चावल सप्लाई करने की इच्छुक थी। उन्होंने क्या-क्या गुल खिलाये ? उन्होंने क्या बातचीत की ? मद्रास में अपनी भूख हड़ताल में वे चावल की माँग कर रहे थे और इस पर एक 25 मिनट की फिल्म बनाई गई जो कि तमिलनाडु के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही थी। यह जनता को आकर्षित करने तथा उसे धोखा देने के लिए लगातार दिखाई जा रही थी जिसमें उन्होंने आपके विरुद्ध कई आरोप लगाये थे। आपके पास सी. आई. डी. है अथवा नहीं यह मैं नहीं जानता। पर जब वह आपसे मिलने आये तो उन्होंने चावल की माँग नहीं की। उन्होंने यह बात प्रेस के समक्ष स्वीकार की। तमिलनाडु में हमारे ऐसे मुख्यमन्त्री हैं।

उन्होंने चावल की माँग की हो अथवा नहीं परन्तु हम द्रमुक पार्टी के लोगों को चावल की जरूरत है। केवल मुख्यमन्त्री ही तमिलनाडु की जनता नहीं हैं। वह जनता के प्रति अपना कर्तव्य न निभाने वाले मुख्यमन्त्री हैं, राज्य के संरक्षक हैं तथा तमिलनाडु की जनता के प्रतिनिधि हैं।

उन्होंने चावल की मांग की अवश्य नहीं परन्तु आप उन पर शासन कर रहे हैं। वह केन्द्रीय सरकार से बहुत डरते हैं जिसकी वजह आप और मुख्यमन्त्री ही जानते हैं। परन्तु उनके कारण आप तमिलनाडु की जनता को चावल से वंचित नहीं कर सकते। तमिलनाडु की जनता भी आपकी ही है, वह भी देश का अभिन्न हिस्सा है। आप राष्ट्रीय एकता की बहुत कर बात करते हैं। हम सब एक हैं। हम सब भारतीय हैं। अतः आपको तमिलनाडु की जनता की भी सेवा करनी चाहिए तथा उन्हें अधिक चावल देना चाहिए। परन्तु आपको यह देखना होगा कि चावल जनता में वितरित हो न कि केवल सरकार को। ये मेरी मुख्य मांगें हैं।

महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु सरकार ने 1978-79 में केन्द्रीय पूल में चावल दिया था। ततिलनाडु में भारी उत्पादन अर्थात 1978-79 में 87 लाख टन, 1979-80 में 89 लाख टन तथा 1981-82 में 85 लाख टन के बावजूद, तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय पूल को कुछ भी सप्लाई नहीं किया। तो भी हम तमिलनाडु के लिए अधिक चावल की मांग करते हैं। मुझे तमिलनाडु सरकार को देखकर शर्म आती है। फिर भी हम चावल की मांग करते हैं। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि (राज्य में आम आदमी की मदद, कर्मचारी वर्ग तथा गरीब जनता की मदद के लिए चावल के उच्च मूल्यों में भारी कमी की जानी चाहिए।

इस सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। यदि आप इसे लागू करेंगे तो जनता आपको अपना मत देगी और यदि आप इसे लागू नहीं करेंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मंत्री महोदय के क्रियाकलापों की प्रशंसा करता हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह तमिलनाडु तथा भारत की जनता की अधिक प्रभावी ढंग, दृढ़ता तथा तत्परता से सेवा करें।

एक माननीय सदस्य : अन्ततः आपने इसका समर्थन किया है।

सभापति महोदय : श्री मूलचंद डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं बिल के सम्बन्ध में ही बोलूंगा। इस बिल के बारे में मुझे कुछ बातों की जानकारी करनी है।

> "वर्तमान समय के लिए प्रभावी किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट या किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी कोई न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण, उप-धारणा के उपबंधों के अनुसरण में भू-राजस्व की बकाया के रूप में किसी सम्पत्ति की सरकार द्वारा वसूली करने पर रोक लगाने या प्रतिबंध लगाने पर निषेधाज्ञा या प्रतिबंध नहीं लगा सकता है।"

एक बार पार्लमेंट ने निर्णय ले लिया कि पार्लमेंट अपने मामले में सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट अपने मामले में सुप्रीम है। दोनों का अलग-अलग जरिस्डिक्शन है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है—

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को आदेश जारी करने अर्थात उत्पादन, भंडारण,

परिवहन तथा वितरण नियमित करने, कीमत निर्बन्धित करने आदि के पूर्ण अधिकार सौंपे गए हैं। इसी तरह अधिनियम में, यह व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है..." यह जुर्माना भू-राजस्व के रूप में वसूल दिया जाएगा। सारी बात यही है।

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको कुल कितनी रिकवरी कितने साल की करनी है? स्टेट होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, एसेंशियल कामोडिटीज के अन्दर या तो आप कन्विक्शन करेंगे या फाइन करेंगे। अगर आदमी फाइन देने की हालत में नहीं है, तो उसको सजा मिल जाएगी। यह एक जनरल सिद्धान्त है। उस व्यक्ति को चार माह का दण्ड दिया जाता है तथा उसे 500 रुपये जुर्माना देना होता है। दोषी पाए जाने पर उसे जेल भेजा जाएगा।

मुझे मालूम नहीं है, आपने कहा है कि एसेंशियल कामोडोटीज एक्ट के अन्दर लैंड रिवेन्यू रिकवरी की जाएगी। बिल आपने यह कर दिया है—न्यायालय को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, न्यायालय को अन्तरिम आदेश पारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

माननीय सभापति जी आप भी सबोर्डिनेट लैसिजलेशन कमेटी के सभापति हैं, आपको पता है कि जनता के सिविल राइट को रोका नहीं जा सकता है। फाइन करने पर आदमी कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसे इन्जेक्शन ग्रान्ट कर देता है। आप कहते हैं कि बिल के अन्दर पेश कर रहे हैं कि कोई कोर्ट आर्डर पास नहीं कर सकेगा, इस पर आपको सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी बिल लाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे आप पांच-छः केसेस बताइए, जिनसे यह पता चले कि आपको कितना रुपया रिकवर करना है। आपने इन्ट्रैस्ट लगाया है 6 प्रतिशत, जबकि बैंकों का रेट 18 प्रतिशत का है। स्मगलर्स, ब्लैक मार्केटीयर्स से आप 6 परसेंट का इन्ट्रैस्ट लगा रहे हैं, फिर भी सरकार में ताकत नहीं है कि वह उनसे पैसा वसूल कर सके। आप यह बतायें कि आप आठ-दस लाख रुपया रिकवर करना है या एक करोड़ रुपया रिकवर करना है। आपने कह दिया—न्यायालय को स्वगन आदेश जारी करने से रोका जायेगा। इस प्रकार आप व्यक्ति को इन्साफ लेने से महरूम कर रहे हैं।

मेरा एक सवाल यह है :

"उस समय प्रवृत किसी अन्य विधि या प्रतिकूल किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राणिकरण किसी सरकार को उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भू-राजस्व की बकाया के रूप में किसी रकम को वसूल करने से प्रतिषिद्ध या अवरुद्ध करने के लिये कोई आदेश मंजूर नहीं करेगा या कोई आदेश जारी नहीं करेगा।"

श्री भागवत झा आजाद : यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कब कहता हूं कि नई बात है?

श्री भागवत झा आजाद : ऐसे बहुत से एक्ट पास हुए हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैंने कहां कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है? आज काल कोर्ट ने यह निर्णय दिया है—सिविल प्रोसीजर कोड में यह हुआ है कि पहले से पार्टी को नोटिस देकर कोर्ट में बुला लेते हैं—

आदेश जारी करते समय न्यायालय तत्काल निर्णय देगा। आप कोर्ट में उसको जाने दीजिये। फर्स्ट हीयरिंग पर आपको नोटिस जाना चाहिये।

यदि न्यायालय समझता है कि प्रथमदृष्टया मामला मजबूत है, तो वह स्थगन आदेश नहीं देगा।

मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है—आप जो बिल लाये हैं और जो उसका परपज है उस परपज से लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 6 परसेन्ट का इन्टरेस्ट लगा रहे हैं जब कि बैंक का इन्टरेस्ट रेट 12 परसेंट है—यह ठीक नहीं है। आपने यह भी नहीं बताया है कि आपको कितने रुपयों की रिकवरी करनी है?

सभापति जी, आपने मुझे पहले कह दिया था कि मुझे बहुत कम समय में बोलना है—इसलिये अब मैं सिर्फ एक-दो बातें ही कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि ताल्लुका कमेटीज या ब्लाक लेवल कमेटीज मैंने अपने इलाके में कहीं भी फंक्शन करती हुई नहीं देखी हैं। आपकी तरफ से बहुत बड़ी गाइड लाइन्ज स्टेट्स को भेजी गई हैं—आप अपने उत्तर में एक बात बतलाने की कृपा करें—कितनी ऐसी को-आपरेटिव सोसायटीज की दुकानें हैं जो सोसायटी द्वारा न चलाई जाकर उसमें प्राइवेट आदमी काम करते हैं। एक टिन कैरोसीन का लेकर जो आदमी गांव में बेचने जाता है उसको आप कितना मुनाफा देना चाहते हैं? शक्कर बेचने पर उसको कितना कमीशन देते हैं?

आज हो यह रहा है कि जो इन चीजों को गांवों में ले जाकर बेचता है उसको कहा जाता है कि तुमको इस कीमत पर बेचना होगा। वह उस दाम पर बेच नहीं सकता, बाध्य होकर उसको ब्लैक में बेचना पड़ता है और इस तरह से उन लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ता है, क्योंकि आपका मार्जिन बहुत कम है। आपसे पूछते हैं तो आप कह देते हैं कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, इस मामले की देखरेख स्टेट करती है।

इसलिये आप बतलायें कि आप उनको कितना कमीशन देते हैं तथा इस क्षेत्र में कितनी को-आपरेटिव सोसायटीज और कितनी प्रायवेट एजेन्सीज काम करती हैं? प्राइवेट एजेन्सीज को क्या कमीशन देते हैं और को-आपरेटिव सोसायटीज को कितना कमीशन देते हैं?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, आपके अनुरोध के अनुसार मैं बहुत ही कम शब्दों में बोलना चाहूंगा। जैसा अभी डागा जी ने भी कहा—हम लोगों को भी इसके उद्देश्य और कारणों का पता नहीं चल रहा है। मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार को पावर

मिलनी चाहिये कि उनके राजस्व की वसूली लैंड रेवेन्यू की तरह से हो सके और इसके साथ ही उन्होंने 6 परसेन्ट के ब्याज की व्यवस्था की है। इस के पीछे क्या रहस्य है—कुछ पता नहीं चलता है, कितनी लैंड इन्वाल्व्ड है, किन लोगों को इस में लायेंगे, क्या करेंगे—इस के बारे में बतलायें। आइ० आर० डी० पी० का जो प्रोग्राम है क्या वह भी इस के अन्तर्गत आता है, क्या यह उन लोगों पर भी लागू किया जायगा—यह भी इसमें स्पष्ट नहीं है। डागा जी को भी यह भाषा अटपटी लगी है, उनको भी समझ में नहीं आया है और हम लोगों को भी भाषा कुछ वैसी ही लग रही है।

3.49 म० प०

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

यह कौन सरकारी भाषा है, जिसमें यह पता नहीं लगता है कि कितनी लैंड पर 6 प्रतिशत के हिसाब से इन्ट्रेस्ट लागू करेंगे और इसका तात्पर्य क्या है। आवश्यक वस्तुओं के मामले में कितना कदाचार है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, राज्य के खाद्य निगम, भारत खाद्य निगम, इनके कर्मचारियों द्वारा कितना पिलफेज होता है, कितनी गड़बड़ होती है, कितना अनाज सड़ जाता है और दूसरी तरह के कदाचार होते हैं, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। बकाया कितना राजस्व है, उस पर 6 पर सेन्ट सूद लगाने की बात इन्होंने की है। ठीक है, वह आप लीजिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह छः पर सेन्ट क्यों रखा है जबकि और जगहों पर इन्ट्रेस्ट 10, 12 और 18 पर सेन्ट है। मंत्री जी उत्तर देते समय, इस पर भी प्रकाश डालें। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कितना लाभ होगा और भूराजस्व पर सूद लेने से कितनी आमदनी होगी, इसकी जानकारी सदस्यों को होनी चाहिए और पूरे देश को मालूम होना चाहिए।

जो नौकरशाही सूद वसूल करेगी, वह किसी को छोड़ देंगे और किसी क्लाज में किसी से सूद लेंगे और किसी से नहीं लेंगे क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ यह एमेंडमेंट है। मैं तो समझता हूं कि इसका लाभ सरकार को कम मिलेगा और जो सूद वसूल करने वाले हैं, वे ज्यादा लाभ उठायेंगे। मैं जानना चहता हूं कि सरकार को अगर इससे लाभ होने की आशा है, तो कितने की रिकवरी की वह आशा रखती है, यह मंत्री जी उत्तर देते समय बताएं, तो बड़ा अच्छा होगा।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का सवाल है, सारे देश में आज स्थिति बहुत दुःखद है। आज यही कहा जाता है कि आपूर्ति विभाग में सारा भ्रष्टाचार है और वह भ्रष्टाचार का व्यापार कर रहा है। आज जो तीन, साढ़े तीन लाख जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, उन दुकानों के लिए लाइसेंस लेने के लिए रुपया जमा कराना पड़ता है लेकिन उस रुपये पर उनको कोई इन्ट्रेस्ट नहीं मिलता है। अगर किसी का पर्मिट कैंसिल होता है, तो उसके रुपए पर सरकार इन्ट्रेस्ट नहीं देती है। जो लोग दुकान चलाते हैं, उनको कोई लाभ मिले। उनको एक या दो पैसे लाभ की छूट देते हैं। इससे उनका काम नहीं चलता है। सप्लाई आफिसर, सप्लाई इंस्पेक्टर, सर्किल आफिसर और बी० डी० जो, नीचे से ऊपर तक के लेविल के अफसरों के पैसे बंधे होते हैं और चीनी जो है, उसके लिए 10 रुपये पर बैग लिया जाता है। हर बैग पर उनको पैसा देना होता है। इस तरह से एक पेरेलल सरकार, समानान्तर सरकार भ्रष्टाचार की चल रही है।

जब वह चीनी के लिए रुपया अफसरों को देता है तो जन वितरण प्रणाली की दुकान से सब लोगों को चीनी कैसे दे सकता है। 0-20 रुपये पर बैग उसको देने होते हैं। और वह सब चीनी दुकान पर बेच दें, तो फिर यह रुपया कहां से लाएगा। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत सारा माल बाजार में ब्लैक में चला जाता है। इसके लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया कि यह ब्लैक कैसे रुके। मेरी समझ में यह रुक सकता है और इसका एक साधारण सा फारमूला है। सरकार ने डुअल पालिसी चला रखी है।

ओपन मार्केट में अगर चीनी सवा छः रुपया बिकती है तो जन वितरण प्रणाली की दुकान पर उसके दाम तीन सवा तीन रुपये हैं। यह जो 3 रुपये का गैप इन दोनों की प्राइसेज में है, तो इस से भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, तो और क्या होगा। और ओपन मार्केट की प्राइस में और सरकारी दुकान की प्राइस में 50 पैसे या 1 रुपये का फर्क रहे, तो फिर यह ब्लैक नहीं चलेगा और आपने देखा ही है कि जनता सरकार के समय में लोगों के पास जितने राशन कार्ड थे, वे सब फैंक दिये थे और किसी को दुकानदार के पास से चीज लेने की जरूरत नहीं थी लेकिन अब तो लोग कार्डों को बाइंड करा के बड़ी इज्जत और हिफाजत से उनको रखते हैं कि शायद चीनी, गेहूं, चावल आदि कोई चीज मिल जाए लेकिन वह मिलती नहीं हैं क्योंकि ब्लैक में वे सब चली जाती हैं। दुकानदारों को घूस देनी पड़ती है, इसलिये गोदाम से ही बाजार में वह चीज चली जाती है। इसलिये इसको रोकने का एक ही तरीका है।

केरोसीन, डीजल, सीमेंट, चीनी सब में डुअल प्राइस पालिसी है, इसको आप खत्म कीजिये। अगर आप यह खत्म कर देंगे तो इनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। फिर किसी को राशन कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। झा जी हमारे बिहार के हैं, वे भी इस बात को जानते हैं। मगर क्या करें, वे तो वही करेंगे जो ऊपर की पालिसी होगी, जो इन्दिरा जी कहेंगी। वे भी लाचार हैं। जब शूगर के दाम बढ़ रहे थे तब दो सौ करोड़ रुपये के घपले की बात थी। उसी में श्री वी० सी० शुक्ला को जाना पड़ा था।

आज हर चीज के दाम बढ़े हुये हैं। जनता सरकार के जमाने में हर चीज के दाम कम हो गये थे। सीमेंट जहां 30 रुपये बोरे में मिलता था वह आज 70 रुपए बोरे में मिलता है। यह डुअल प्राइस पालिसी की वजह से है। इसी कारण से देश में ब्लैक मार्किट चलती है। इसकी रोकने का एक ही उपाय है कि आप डुअल प्राइस पालिसी को समाप्त कीजिए। अगर आप जनता के प्रति सही मायनों में वफादार हैं तो आपको इस पालिसी को समाप्त करना होगा।

फेअर प्राइस शाप्स से अभी जो कुछ मिलता है वह शहरों में ही मिलता है। शहरों में ही पूर्ति विभाग चीजें सप्लाई करता है। लेकिन शहरों में बहुत बड़ी संख्या में घोस्ट कार्ड बने हुए हैं। अगर आप दुकानों पर छापा मारें तो पायेंगे कि हर दुकान पर दो-तीन हजार घोस्ट कार्ड होंगे। उन कार्डों पर राशन लेकर ब्लैक मार्किट में बेचा जाता है। यह सरकार की ओर से भी नहीं देखा जा रहा है कि कितने घोस्ट कार्डों पर राशन लिया जा रहा है। यह चीज भ्रष्टाचार को जन्म देने का अवसर पैदा करती है। इसमें किसी का दोष नहीं है, यह व्यवस्था का दोष है। अगर आपकी इस व्यवस्था की जन-प्रतिनिधि यहां आलोचना करते हैं तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जन-प्रति-

निधियों के सुझावों पर आपको अमल करना चाहिए। तभी इन भाषणों का कोई महत्व है, अन्यथा कुछ महत्व नहीं है। हम लोग अपने अनुभवों के आधार पर जो कुछ कहते हैं उस पर आपको ध्यान देकर अमल करना चाहिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

आपने सुना होगा कि एफ० सी० आई० के गोदामों से दो लाख बोरे गेहूं चोरी हुआ था। मंत्री महोदय को मालूम होगा। एफ० सी० आई० वाले जो गेहूं खरीदते हैं उसमें दवा वगैरह मिलाते हैं। कभी कभी वे इतनी ज्यादा दवा मिला देते हैं। जिससे कि गेहूं सड़ जाता है। वे लोग अपनी चोरी छिपाने के लिए भी यह कह देते हैं कि गेहूं सड़ गया है। क्या आपने कभी किसी को गेहूं की चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया हैं, किसी पर इसकी जिम्मेदारी डाली है? उन पर जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए आप यहां कोई कानून नहीं लाते हैं। आप इसे कीजिए।

अगर आप जनता को सुविधा देना चाहते हैं तो एक काम कीजिये। जितने भी आपके जन-वितरण की चीजों के दुकानदार हैं उनको सरकारी नौकर मान लीजिए और उन्हें मासिक वेतन दीजिए। जब उन्हें अपनी सर्विस में मान लिया जाये तो उन पर कड़ाई की जाये और कड़ाई के साथ उनके स्टाक की जांच-पड़ताल की जाये। इससे आपकी पूर्ति में बहुत सुधार हो सकता है और जो गरीब जनता है, जो गरीबी की रेखा से नीचे के 72 फीसदी लोग हैं, उन्हें कपड़ा, गेहूं, चावल, चीनी आसानी से मिल सकते हैं।

अगर आपकी नीयत साफ है तो जो मैंने ये तीन-चार बातें कहीं हैं इन पर अमल कीजिये। आप अपने तीन-चार लाख दुकानदारों का वेतन फिक्स कर दीजिए। इससे आपकी वितरण व्यवस्था में भी बहुत सुधार होगा।

अगर मंत्री जी इस बिल का संशोधन करें तो मैं इसका समर्थन कर सकता हूं अन्यथा मैं इसे जन-विरोधी बिल कहूंगा जिसका कि कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैडम चेयरमैन, जो बिल सरकार की तरफ से आया है, यह बहुत मामूली सा बिल है। इस पर इतनी चर्चा हाउस में हो रही है। इसे बिल को बहुत ही कांप्रीहेसिव होना चाहिए था और सरकार ने भ्रष्टाचार, चोरी की रोक-थाम के लिए और एरियर्स को वापिस हासिल करने के लिए जो कानून प्रस्तुत किया है, वह इतना ज्यादा सख्त नहीं है। जैसा कि इसमें बताया गया है—

उपधारा (3)—

"उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रतिकूल किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण किसी सरकार को उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भू-राजस्व की बकाया के रूप में किसी रकम को वसूल करने से प्रतिषिद्ध या अवरुद्ध करने के लिए कोई व्यादेश मंजूर नहीं करेगा या कोई आदेश नहीं करेगा।"

मैं इसकी तारीफ करता हूं और समझता हूं कि बहुत मुनासिब और मौजू कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही सेक्शन चार में कहा है —

"यदि कोई आदेश जिसके अनुसरण में कोई रकम सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की गई है किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सरकार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अविधिमान्य घोषित कर दिया गया है..."

यह इसमें कहा गया है। इसमें बताया गया है कि कांपीटेंट कोर्ट कर सकता है। नए सिरे से कर सकता है और वह फैसला वापिस जा सकता है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है, उसका सब वापिस हो सकता है। यह नहीं बताया गया कि कांपीटेंट कोर्ट कौन सा होगा। यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह कांपीटेंट कोर्ट कौन सा होगा। सारी कानूनी कार्यवाही में तो वह नहीं आ सकता नार्मल कोर्स में।

जहां तक मैं समझता हूं कि लोगों को आपके महकमे से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उतनी तवज्जह नहीं दी गई। मिसाल के तौर पर आज सबसे बड़ा सवाल मिलावट का है। आज कोई चीज ऐसी नहीं बची है जिसमें मिलावट न होती हो। चावल, गेहूं, चीनी, सब में मिलावट होती है। पिछले साल भी एनीमल टैलो का मामला सामने आया, वनस्पति में इसकी मिलावट होती थी। इससे बहुत लोगों की भावनाओं को भी ठेस लगी। आज खाने की चीजों में मिलावट बहुत बढ़ गई है। दवाओं में भी मिलावट हो रहा है। हजारों आदमी इसकी वजह से मौत के शिकार हो रहे हैं। सरकार को इस ओर सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फांसी तक की सजा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से बाकी सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे। अभी तक सरकार ने कोई सख्त कानून नहीं बनाया है। ऐसे जरायम पेशा लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया प्योअरली सरकारी इरादा है। मेरी अपनी रियासत का मुझे तुजुर्बा है कि हम हर साल हजारों टन गन्दुम और चावल खरीदते हैं। आजाद साहब हमारे जम्मू और श्रीनगर में आयेंगे तो देखेंगे कि गोदामों में हजारों मन इस वक्त सड़ा हुआ और सब-स्टैण्डर्ड गन्दुम और चावल पड़ा हुआ है, जिसे लोग नहीं खा सकते। इस कदर भ्रष्टाचार इस महकमे में है। हम, सरकार को पूरी रकम अदा करते हैं। लेकिन, जब बोरियां खोली हैं तो हजारों बोरियाँ ऐसी निकल आती हैं जिनमें कि सड़ा हुआ या स्पूरियस किस्म का चावल और गन्दुम मिलता है। ब्लैक मार्किट में व्यापारी लोग जो खाने-पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, उनका मुकाबला कैसे किया जायेगा, इस बारे में मैं सरकार से कहना चाहूंगा।

मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा काफी स्टाक पड़ा हुआ है, जिसे एफ०सी० आई० लेने के लिए तैयार नहीं है। कई बार जब सप्लाई कम हुई तो मुश्किल हालात में वही गंदुम लोगों को देना पड़ा जिससे उनकी सेहत खतरे में पड़ गई। पिछले साल हमारी रियासत में गल्ले की कमी पड़ गई थी और हमने चाहा था कि हमें औपन मार्किट में खरीदने की इजाजत दे दी

जाए। हमने पंजाब और हरियाणा की मार्किट से सस्ता और अच्छे किस्म का गन्दूम और चावल लिया। यह बिल्कुल गलत बात है कि दूसरे स्टेट से औपन मार्किट में डाइरेक्टली खरीद नहीं कर सकते। यह तरीका न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि इन्टर-स्टेट रिलेशन्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आपकी सरकार इसे खरीदने के लिए स्वतन्त्र है। आपकी सरकार को ऐसा करने की अनुमति है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इसी बारे में मेरा सवाल भी था। सरकार ने कहा है कि हमने एक स्टेट को दूसरे स्टेट के अन्दर चावल या गन्दुम खरीदने की इजाजत नहीं दी और वह डाइरेक्टली नहीं खरीद सकता।...(व्यवधान) हमारी सरकार के सामने बहुत पहले एक प्रोग्राम था और पालिसी मैटर भी बना था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने हाथ में लिया जाए। बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए यह प्रोग्राम बनाया गया था। दस साल पहले प्लानिंग मिनिस्ट्री ने कमीटमेंट किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम अपने हाथ में लेंगे। 67 परसेंट लोग चन्द रुपये कमाकर इस मुल्क में अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। डी० पी० दर साहब जब प्लानिंग मिनिस्टर थे तो उस समय सरकार ने इस किस्म का यकीन दिलाया था। इतने साल गुजरने के बाद भी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। व्यापारियों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक जिस किस्म की चाहे खरीदारी करे और लोगों का खून चूस लें। जब मौसमी हालात खराब होते हैं तो व्यापारी लोग बड़े गोदामों में जमा करके उसको दुगुनी या चौगुनी कीमत पर फरोख्त कर देते हैं।

यह बहुत बड़ा खतरा है और हमें देखना चाहिए कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों की जिन्दगी के साथ इस तरह का कोई सौदा नहीं होना चाहिए क्यों कि यह कोई लक्जरी आर्टिकल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई इसके बगैर जिन्दा रह सके। यह वैसी ही जरूरत है जैसे हवा और पानी की एक आदमी को जरूरत होती है। यदि किसी की कमाई दो रुपये या चार रुपये हो तो उसी में उसको खरीद करनी होती है। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग और प्राइस राइज का आज यह हाल है कि चाहे कोई कितनी कमाई क्यों न कर ले, वह अपने आप को नहीं खिला सकता, उसको अपनी पूरी फैमिली के सारे मैम्बरान को एक साथ लेकर चलना होता है, उनकी जरूरयात को पूरा करना है। तब कहीं वह अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है।

इस बिना पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार को इस नजरिये से इस पौलिसी पर नये सिरे से सोचना चाहिए। क्या यह सही नहीं रहेगा कि डिस्टीब्यूशन सिस्टम को अपने हाथ में लिया जाए और मिडिलमैन या दूसरी जितनी करप्ट प्रैक्टिसेज चल रही हैं, व्यापारियों को कन्सेशन मिल रहे हैं, विदिन डिपार्टमेंट काम हो रहे हैं, उनके खसूसी लाइसेंस को खत्म करने के साथ आप एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और एक मसला हल हो जाएगा।

इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जहां आपने देश के आवाम के लिए बीस नुकाती प्रोग्राम बनाया है, बहुत अच्छी बात है, हम सरकार के हर अच्छे कार्यक्रम की खुशामदीद करते आये हैं यदि वह कोई गरीब लोगों के भले के लिए कार्यक्रम बनाये। लेकिन जहां तक आपके बीस नुकाती

प्रोग्राम का सवाल है और लोगों को बेसिक फैसिलिटीज देने का सवाल है, उसमें सरकार किस हद तक कामयाब रही है, उसका जितना प्रोपागेंडा हो रहा है, रकमात खर्च हो रही है, आप देख लीजिए कि कम कीमत पर लोगों को कितना कपड़ा आज तक मुहैया हुआ है, लेकिन प्रोग्राम में जो यकीन दिलाया गया है, उसका बैनिफिट आम लोगों तक कितना पहुंच रहा है। उसकी जिन्दगी की जितनी जरूरयात हैं, कपड़ा, लत्ता, खाने पीने की सारी चीजें, वे किस हद तक उसे मिल रही हैं खुले मार्केट में, वह आप देख लीजिए।

वैसे कागजों में, कमिटमेंटस में और जुबानी हमारी सारी कार्यवाही में हैं लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हो रहा है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां हमारे ऊपर बड़े बड़े व्यापारियों का प्रैशर है, चाहे वे शुगर के व्यापारी हों या कपड़े के या हमारे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हों, जिनका कब्जा जमा हुआ है, मैं यह बात महज कांग्रेस आई हुकमरानों के सिलसिले में ही नहीं कहता, बल्कि सारी पार्टियों के सिलसिले में कहता हूं कि हुकमरान पार्टियां आम तौर पर इलैक्शन के दौरान उनसे कुछ फण्डस हासिल करती हैं, चन्दा वसूल करती हैं और उसका नतीजा बाद में आम लोगों को भुगतना पड़ता है और उसी की वजह से प्राइस राइज भी हो रही है।

जिस ढंग से हमारे यहां हकूमतें बनती हैं, हम इलैक्शन के दौरान बड़े बड़े लोगों, सरमायेदारों, विजिनैसमैन आदि से चन्दा वसूल करते हैं और जिस तरह का हमारा पोलिटिकल सिस्टम बन गया है, उसका खात्मा करने की भी आज बहुत जरूरत है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आप कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल लेकर इस सदन में आयें और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके डिपार्टमेंट के बुनियादी सुधार में, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और फायदा पहुंचाने के लिए आप जो भी काम करेंगे, हम उन तमाम कामों में आपसे किसी तरह दूर नहीं होंगे। शुक्रिया।

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : महोदया, मैं इन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संशोधन विधेयक में भाग लिया, कुछ एक ने लक्ष्य के भीतर टिप्पणियां, आपत्तियां की तथा अधिकांश ने लक्ष्य से परे टिप्पणियां तथा आपत्तियां कीं। मैं सोच रहा था कि बजट चर्चा में मेरे मंत्रालय को न लिये जाने के कारण मेरी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

गत वर्ष जबकि बहुत अधिक सूखे के कारण मेरे लिए इस शताब्दी का सबसे कठिन समय था, मुझे अपने मंत्रालय पर चर्चा करने का मौका मिला था। इस वर्ष जबकि हमारी स्थिति अच्छी है, न तो प्रतिपक्ष मुझे सुनना चाहता है न तो मेरे साथी तथा मंत्री जी इसे चर्चा के लिए सभा में रखा है।

लेकिन इस विधेयक ने मुझे वह अवसर प्रदान किया है अब यदि मैं अपने-आपको बिल्कुल संशोधन विधेयक तक ही सीमित रखना चाहूं तो यह पांच से दस मिनटों में ही समाप्त हो जायेगा, परन्तु सरकार की समग्र खाद्य नीति की जिस प्रकार अलोचना की गई है उसके कारण मुझे पैंतालीस मिनट तक बोलना होगा। सभा जिस पर विचार करना चाहती है उसे अब उसका मौका मिला है।

तीन प्रकार की आलोचनाएं की गई हैं और इस विधेयक से संगत केवल एक ही आलोचना

है। इस प्रकार की आलोचना बहुत ही कम होती है क्योंकि श्री डागा को छोड़ कर अधिकांश सदस्य सिद्धांत रूप से इस विधेयक से सहमत हैं तथा इस संशोधन का समर्थन भी किया है। श्री डागा जिन्होंने उसी उपबंध जो कि महत्वपूर्ण उपबंध है, को चुनौती दी है जिसका प्रतिपक्ष के अन्य सभी सदस्यों ने समर्थन किया है और जिसका केवल मेरे मित्र ने समर्थन नहीं किया।

खैर, यह तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू इस विधेयक से संबंध है तथा खास नीति तथा अन्यों के बारे में है। वे अपमिश्रण तथा अन्य बातों के बारे में जोकि विधेयक की परिधि से परे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले विधेयक के बारे में कहूंगा। इस संशोधन विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है मित्रो, आमतौर पर जब कोई विधेयक संशोधन के लिए सभा में पेश किया जाता है तो उसकी एक आलोचना तो यह होती है कि सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए यह विधेयक बहुत ही अपर्याप्त है। सभा में पेश किये गए हर विधेयक के मामले में ऐसा होता है।

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब सरकार संशोधन विधेयक लाती है तो इसके पिछले अनुभवों तथा कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इसे सभा में पेश किया जाता है। इस मामले में, उदाहरणार्थ, अनिवार्य वस्तु संशोधन विधेयक 1983—ईस अनिवार्य वस्तु अधिनियम में सरकार द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के अनुसार विगत में कई बार संशोधन किया गया है।

अब, हम इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन कर रहे हैं और यह संशोधन अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत है, इसका उद्देश्य यह है कि हमें उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य वस्तुएं सुलभ करवानी चाहिएं तथा उनका मूल्य भी युक्तियुक्त होना चाहिए और ये वस्तुएं भी उन्हें उपलब्ध होनी चाहिएं। हमें यह इस तरह से करना चाहिए कि अनिवार्य वस्तुओं का उचित मूल्य हो तथा वे सुलभ भी हों। धारा 3 को ध्यान में रखते हुए, जब आप वह कार्य करना चाहते हैं, कभी-कभी वह वस्तु सुलभ कराने के आदेश दिये जाते हैं जिसे बाजार से लेना कठिन है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उपबंध के अन्तर्गत जारी किये गए नियंत्रण आदेश, 1970 के अधीन, जुलाई, 1975 में एल्यूमिनियम का धारण मूल्य तथा बिक्री मूल्य की अवधारणा को लागू किया।

हमारे देश में एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली चार कम्पनियां हैं—हिंडालको, इंडालु बाल्को, माल्को। बाल्को जोकि एक सरकारी कम्पनी है, को छोड़कर, अन्य तीनों गैर-सरकार कम्पनियां हैं। इनके मूल्य अलग-अलग हैं।

महोदया, मैं यह सब इस लिए बता रहा हूं क्योंकि अनिवार्य वस्तु अधिनियम के लिए हमारा मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रालय है, अन्यथा यह सब तो इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत है। मैंने उन्हें कहा, कि 'बेहतर यही है कि आप इसे सभा में प्रस्तुत करें ताकि आप यह बता सकें कि यह आदेश क्यों जरूरी है, उनका भुगतान क्यों किया गया।

मैं कह नहीं सकता कि उनका भुगतान क्यों किया जाता है,मैं इस संबंध में तथ्य और आंकड़े दूंगा लेकिन इसका प्रशासनिक मंत्रालय इस्पात मंत्रालय है। मैं इस एल्यूमिनियम नियंत्रण आदेश,

1975 के अन्तर्गत उनकी कठिनाइयां दूर करने जा रहा हूं जिसके अन्तर्गत इन सभी चार कम्पनियों को धारण मूल्य तथा बिक्री मूल्य दिये गये हैं। अब, यदि धारण मूल्य बिक्री मूल्य से कम है तो उस कम्पनी को धारण मूल्य तथा बिक्री मूल्य के अन्तर वाली राशि एल्यूमिनियम विनियमन लेखा निधि में देना जरूरी है। यदि धारण मूल्य बिक्री मूल्य से अधिक है तो वे उस निधि के इस खाते से धन वापस लेने की हकदार हैं।

अब, इस सीमित क्षेत्र को देखते हुए हमारे पास चार कम्पनियां, हिंडालको, इन्डाल, बाल्को, माल्को, हैं। हिंडाल्को जोकि एक बिड़ला समूह की कम्पनी है, का धारण मूल्य 14,365 रु० है। इसका बिक्री मूल्य 15,361 रु० है। अतः, हिंडाल्को को मूल्यों में अन्तर सम्बन्धी यह राशि एल्यूमिनियम निधि लेखा में जमा करानी थी। इसी प्रकार, एक कम्पनी जिसका धारण मूल्य बिक्री मूल्य से कम है, इन मूल्यों के अंतर वाली राशि जमा करानी पड़ती है। इंडाल के साथ भी ऐसा ही है। ये दोनों कम्पनियां जिनका धारण मूल्य कम है राशि जमा करानी है। लेकिन बाल्को तथा माल्को जिसका धारण मूल्य अधिक है धनराशि निकालनी पड़ती है। अब, हिंडाल्को के बारे में सवाल आया है। एक माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि उनकी ओर कितनी राशि है, उनके द्वारा सरकार की कितनी राशि दी जानी है। हिंडाल्को ने यह राशि जमा नहीं कराई। उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने यह मामला रखा। पहले तो न्यायालय ने उसे स्थागन आदेश दे दिया। हमने अपील दायर की। न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं आपको यह राशि देनी होगी। इसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया।

इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ ? सीधा सा प्रश्न है, यद्यपि हमारे पास अनिवार्य वस्तु अधिनियम है जिसके अन्तर्गत मैं उस कम्पनी पर भुगतान न करने के लिए मुकदमा चला सकता हूं, उस पार्टी को जेल में भेजा जा सकता है। पार्टी पर जुर्माना लगा जा सकता या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। लेकिन देय राशि की वसूली के लिए, आप केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए, अब इस अधिनियम में कुछ संशोधन कर रहे हैं।

अब उस राशि की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जानी चाहिए। इस विधेयक का यही उद्देश्य है। इसलिए, मुझे प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। श्री डागा की गलतफहमी हुई है तथा उन्होंने कुछ समझा। इस अधिनियम के अन्तर्गत राशि जमा न करने पर जुर्माना तथा सजा अलग-अलग है। यह एल्यूमिनियम निधि में राशि न देने के बारे में है। इसीलिए, हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि श्री डागा अब इसका समर्थन करेंगे। अब इस संशोधन विधेयक को सभा का सर्वसम्मतः प्राप्त है। मैं सभी माननीय सदस्यों का इसका समर्थन करने के लिए आभारी हूं। केवल यही संगत भाग है।

इसमें ब्याज का केवल एक ही प्रश्न है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। अब इस राशि की वसूली भू-राजस्व के रूप में की जा रही है। हमने कहा है कि यह दोनों ओर से है। यदि, जैसाकि मैंने उपबंध किया है, कभी न्यायालय हमारे विरुद्ध आदेश दे देता है, राशि वापस ले लेता है, तो मुझे ब्याज देना होगा ; मुझे 6% की दर से ब्याज देना होगा।

दूसरी बात, मैं यह कहूंगा कि मन्त्री बनने से पहले सदस्य के रूप में मेरा भी यह मत था, मैंने भी यह सोचा था कि यह दर अधिक होनी चाहिये। बाद में इस सिविल प्रक्रिया संहिता में यह बताया गया जिसके अन्तर्गत न्यायालय यह कहता कि उनको अधिकार है--कि यदि आप ऐसी ब्याज दर निर्धारित करते हैं जिसे वे ठीक नहीं समझते तो यह ब्याज दर कम की जा सकती है। इसलिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा के अन्तर्गत और जांच करवाने की प्रतीक्षा किये बिना, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से सदन में आया हूं। माननीय सदस्यों ने जो कहा है मैं उसे ध्यान में रखूंगा। मैं इसे अवश्य याद रखूंगा।

यही मेरी कठिनाई थी। मैं इसमें और वृद्धि करने पर, कहने पर विचार नहीं कर सका। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : बैंक की ब्याज दर इससे अधिक है।

श्री भागवत झा आजाद : अब इस विधेयक की बात समाप्त हुई। अन्य आलोचना का इस संशोधन विधेयक से सीधा संबंध नहीं है। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने सरकार की समग्र खाद्य नीति के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्हें यह सब कार्य मंत्रणा समिति में उठाया जाना चाहिये था। इससे मुझे मेरे मन्त्रालय पर चर्चा करने का अवसर मिला होता। इस वर्ष हमारा कार्य निष्पाद गत वर्ष जबकि हमें सूखे का सामना करना पड़ा था, की अपेक्षा अच्छा है।

मैं उन्हें भारत सरकार की खाद्य प्रबन्ध समिति के बारे में बता सकता हूं। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम उसके बाद खाद्यान्नों की खरीद, तथा खरीद के बाद उनका उचित भण्डारण, परिवहन, उनकी ढुलाई आदि तथा अन्त में इसे राज्य सरकार को सौंपने का कार्य आता है।

जब से मैंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, मैं सभी राज्य सरकारों जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, पर इस बात के लिए बल देता रहा हूं कि भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न की मात्रा या कोई खाद्यान्न लेने से पहले आप इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। आप इसे अपना उपभोग प्रमाण-पत्र न दें। मात्रा के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम पर नियन्त्रण रखने का यही एक तरीका है।

यदि कोई माननीय सदस्य मुझे इसके बारे में बताते हैं तो भारतीय खाद्य निगम से बात-चीत कर सकता हूं और प्रायः मुझे राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल सहित) के प्रमाण-पत्र से पता चलता है कि मात्रा सही थी तथा इसकी गुणवत्ता उचित औसत गुणवत्ता थी जो कि उपभोग के योग्य थी।

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप जो कुछ मुझे बता रहे हैं आप विभिन्न राज्यों में अपनी सरकारों को भी बोलिये चाहे वे कांग्रेस-आई या गैर-कांग्रेस-आई की सरकारें हों तथा कृपया यह भी देखें कि इसका पालन किया जाये। यही एक तरीका है। जब मेरे द्वारा राज्य सरकारों को खाद्यान्न देने के बाद वहां से यह खाद्यान्न उचित दर की दुकानों पर आता है। वहां, यह

आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। यह राह जरूरी भी है। हम केवल कह सकते हैं, हम केवल उन्हें बता सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं तथा उन्हें मना सकते हैं। इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं। आप भली-भांति जानते हैं कि संविधान के अन्तर्गत हम क्या कर सकते हैं मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मैं जो कह रहा हूं उसका विश्वास करेंगे। मैंने वही किया है जो मैं कह रहा हूं। मैं राज्य सरकारों की हर सम्भव सहायता करने तथा राज्य सरकारों से काम लेने के लिए तैयार हूं परन्तु यह सब संविधान के अनुसार ही।

प्रो० एन० जी० रंगा : यही बात जम्मू तथा कश्मीर पर लागू होती है।

श्री भागवत झा आजाद : हां, यह जम्मू तथा कश्मीर पर भी लागू होती है। यद्यपि जम्मू तथा कश्मीर के माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार ने गेंहूं तथा चावल मांगा था। मैं उन्हें उदारतापूर्वक दे रहा था। यहां तक कि गत वर्ष भी मैंने उनको दिया है जबकि वास्तव में मुझे राशि घटानी चाहिए थी। लेकिन मुझे पता था कि इसको कभी राजनीतिक रूप से बढ़ा-चढ़ा कर कहा जायेगा। इसलिए मैंने राशि में कटौती नहीं की। मैंने कुछ राज्य सरकारों के मामले में इस वर्ष ऐसा ही किया; इस विषय पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : क्या आप पश्चिम बंगाल तथा जम्मू तथा कश्मीर दोनों सरकारों से डरते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं डरता नहीं। मैं उन मित्रों को यह बता रहा हूं जो कि विरोधी दलों की सरकारों द्वारा जो आलोचना की गई है उस पर भावुक हैं, आप स्थिति को समझ सकते हैं। इसलिए, मैंने उनके लिए थोड़ा सा अधिक दिया। इसके लिए कांग्रेस-आई सदस्य मेरी आलोचना कर सकते हैं। जैसाकि मैंने बताया है, पश्चिम बंगाल सरकार में घाटे की व्यवस्था चल रही है। जैसाकि आपने कहा, मैंने कुल खरीद का 20% पश्चिम बंगाल को दे दिया क्योंकि यह घाटे की व्यवस्था वाली सरकार है। अब मैं उनसे इतना ही आशा करता हूं, जैसाकि प्रो० चक्रवर्ती ने बताया, अनाज दिये जाने के बाद, उन्हें स्वयं बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

जब आप मुझसे वितरण प्रणाली के बारे में पूछते हैं तथा समग्र व्यवस्था की असहाय व्यवस्था के रूप में आलोचना करते हैं तो दिये गए तर्क से ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि देश में उचित दर की दुकानें हैं। यह सच है कि उनमें से कुछ दुकानें ही चल रही हों। मैं यह सब नहीं कह सकता। लेकिन यह कहना कि कोई भी दुकान नहीं है यह सच्चाई को बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। देश में 2,97,000 उचित दर की दुकानें हैं। ठीक है, ये सारी की सारी शहरी क्षेत्रों में नहीं हैं। 64,920 उचित दर की दुकानें शहरी क्षेत्रों में हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 2,28,000 दुकाने हैं। इनमें से लगभग एक लाख या 90,000 दुकानें सहकारी क्षेत्र में हैं। अब सवाल यह है कि ये उचित दर की दुकानें—चाहे ये ग्रामीण क्षेत्रों में हैं या शहरी क्षेत्रों में, चाहे ये सहकारी क्षेत्र में हैं या गैर-सहकारी क्षेत्र में-ये सब राज्य सरकारों के सीधी देख-रेख, नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन के अंतर्गत हैं। आप मुझसे यह आशा नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से कुछ करूँ।

लेकिन इसमें एक बात है। जम्मू तथा कश्मीर के माननीय सदस्य या एक अथवा दो और सदस्यों ने जो कहा है, कि उचित दर की दुकानें चाहें कितनी हों, लेकिन मैं जो खाद्यान्न की मात्रा दे रहा हूं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आप अनुमान लगाइये कि 1979 में 17.94 लाख टन की मात्रा थी। 1982 में, यह मात्रा बढ़कर 25.69 लाख टन हो गई। 1977 में 2668 करोड़ रु० के मूल्य के खाद्यान्न का वितरण किया गया। अब इसका मूल्य 5738 करोड़ रु० है यह मात्रा में लगभग 144% तथा मूल्य में 38% है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य का यह दावा नहीं है कि यह सब कुछ लीपा-पोती के लिए है। ऐसा कतई नहीं है। इसमें वृद्धि हुई है। इसने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। यही कुछ चाहिए।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह केवल निरीक्षणालयों के लिए सम्भव नहीं है। आप सतर्कता चाहते हैं। एक ओर आप क्रियान्वयन के लिए भी कहते हैं। आप सरकार से किस तरह का क्रियान्वयन चाहते हैं ? मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह एक प्रणाली है। मैं मान सकता हूं कि इससे भी अच्छी प्रणाली हो सकती है। किन्तु निरीक्षणालय वहां हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उनमें से 50% ईमानदार हैं और 50% बेईमान। किन्तु हम निरीक्षणालयों को देखते हैं। न तो मैं ही और न ही वह इसे करता है। इस देश में सुदृढ़ उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन की जरूरत है।

मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। किन्तु यदि आप इसे सरकारी रूप देना चाहते हैं, जैसा कि कुछ सहकारी समितियां हैं यह भी जन-आंदोलन नहीं होगा। जब माननीय सदस्य ने कहा कि देश में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है। मेरा भी अपना निर्वाचन क्षेत्र है। मैं 3 वर्षों से ही मंत्री हूं। इससे पहले 23 वर्षों तक मैं संसद सदस्य रहा हूं। आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय उपभोक्ता आंदोलन चलाना चाहिए। विधायकों, सांसदों, समाज और उपभोक्ता संगठनों—वे सब शक्तिशाली हैं—को देखना चाहिए कि देश में शक्तिशाली उपभोक्ता आंदोलन हो। कृपया विभाग के निरीक्षकों से आप यह आशा न करें कि वे हर किसी चीज का कार्यभार सम्भालें। मैं इस मुद्दे पर सहमत हूं। किन्तु मैं इस मुद्दे पर सहमत नहीं हूं कि लोगों तक कुछ नहीं पहुंचता और देश में कुछ भी उपलब्ध नहीं है।

काफी संख्या में उचित दर दुकानें हैं। कुछ उचित दर दुकानें ऐसी हो सकती हैं जो ठीक ढंग से कार्य न कर रही हों। किन्तु अधिक संख्या में वे ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं। इसी कारण समाज का निर्धनत्तम वर्ग कमजोर वर्ग अपना गेहूं और चावल लेने में सफल रहा है। इस समय मैं केवल, गेहूं, चावल, और चीनी ही कह सकता हूं। मिट्टी के तेल, कोयला और अन्य वस्तुओं की सप्लाई के बारे में मुझे यह कहना है कि वे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से भेजे जाते हैं। ये सब मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं हैं। उचित दर दुकानों के माध्यम से मुख्यतः सात वस्तुएँ सप्लाई की जानी होती हैं। यह सब वितरण की बात है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने राज्यों में खाद्यान्नों के आबंटन के बारे में कहा है। मैं केवल

यह पूछता हूं :— मुझे सप्लाई कहां से प्राप्त होती है ? क्या धान और गेहूं की खेती के लिए केन्द्रीय सरकार के अपने निश्चित खेत हैं ? हम कहां से प्राप्त करते हैं ? हम पंजाब, हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त करते हैं। जो कुछ भी राज्य फालतू उपज हमें देते हैं, जो कुछ भी मैं खरीदने में सफल रहता हूं, मैं राज्यों को वितरित कर देता हूं। राज्यों की सारी मांग को पूरा करना केन्द्रीय सरकार के लिए असम्भव है क्योंकि हम राज्य की कुल मांग की पूरक मांग ही पूरी कर सकते हैं।

सर्वप्रथम, अति महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकारों को स्वयं प्रयास करने हैं, चाहे वे उत्पादन करें अथवा खरीद करें अथवा भण्डारण करें। दूसरे, बाजार में क्या रह जाता है, बाजार में क्या उपलब्ध है वह मैं खरीदता हूं और इसमें से, बाजार में उपलब्धता देखने के बाद, मैं वितरण करता हूं। मैं यही कुछ करता हूं। यदि इस नीति को ध्यान में रखा जाये तो मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य हमेशा नाराज होंगे, हो सकता है मुझसे असन्तुष्ट भी हों।

पिछले वर्ष, शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा था। मेरे द्वारा मंत्रीपद सम्भालने के बाद बहुत से राज्यों में जिनमें तमिलनाडु शामिल है लगातार 4 बार सूखा पड़ा है और मेरी सबसे पहली मुलाकात तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से हुई थी। उन्हें प्रति माह 5000 टन चावल मिल रहा था और मैंने वर्ष भर के लिए 35,000 टन प्रति माह कोटा बढ़ा दिया। वे केन्द्रीय पूल में नहीं थे। किन्तु उन्होंने आश्वासन दिया कि जब उनके पास फालतू उत्पादन होगा तो वे केन्द्रीय पूल में शामिल हो जायेंगे। इस वर्ष वे अच्छी स्थिति में हैं। किन्तु मुझे अब तक तमिलनाडु से चावल का एक भी दाना नहीं मिला है। मैं आशा करता हूं कि वे अपने वायदे को निभायेंगे क्योंकि उनके वायदे में से मैंने कुछ केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा को देना है। इसलिए, इस वर्ष मैंने तमिलनाडु के नियतन में 10,000 टन की कमी कर दी है यद्यपि मुझे और कमी करनी चाहिए थी। उनके पास उत्तम अवसर हैं, उन्होंने अपने गोदामों में ज्यादा चावल भर लिए हैं। मैंने असम के लिए भी कमी की है जो कि एक कठिनाई वाला राज्य है। मुझे ऐसा करना पड़ा है। यदि मैं ऐसा न करूं तो स्थिति कैसे संभलेगी ? आप केवल एक महीने को देखते हैं किन्तु मुझे तो बारहों महीनों के लिए देखना है।

देश के बाहर से चावल उतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से गेहूं मिल जाता है। मैं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतियोगी मूल्यों पर गेहूं तो खरीद सकता हूं किन्तु चावल नहीं। कुछ थाईलैंड से और कुछ बर्मा से मिल जाता है। मेरी राय में यद्यपि इस वर्ष चावल की खरीद अधिकतम होगी, किन्तु मांग की तुलना में, यह पर्याप्त नहीं है। कभी-कभी केरल और तमिलनाडु के मेरे दोस्त मुझसे तब नाराज हो जाते हैं जब मैं यह कहता हूं कि देश को वही खाना चाहिए जो कुछ वह पैदा करता है। बिहार के लोगों ने अपनी खाने की आदतों में परिवर्तन कर लिया है। पश्चिमी बंगाल को जो कि पूर्णतया चावल उपभोगी राज्य है, कुल आबंटन का आधा चावल और आधा गेहूं दिया जाता है। अन्य राज्यों को भी इस तर्क की अनिवार्यता को स्वीकार करना होगा।

इसलिए मैं यह कहूंगा कि सरकार की खाद्य नीति सफल रही है।

यदि कभी-कभी आप यह पाते हैं कि मैं मांग के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करने में सफल नहीं रहा हूं तो आप कृपया मेरी अच्छी मंशाओं पर शक न करें। कृपया यह हमेशा याद रखें कि खाद्यान्न सप्लाई करने की मेरी क्षमता राज्य सरकारों की खरीद क्षमता और उसे मुझे देने पर निर्भर करती है और मैं, केन्द्र में आपका अभिरक्षक होने के नाते, उन खाद्यान्नों को उन राज्यों को वितरित करता हूं जो सूखे से पीड़ित और स्थायी तौर पर कमी वाले होते हैं।

मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस समय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हूं जबकि देश ने 1490 लाख टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन किया है। इस रिकार्ड उत्पादन के बावजूद, हम खाद्यान्नों के आयात का आश्रय लेते हैं जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हम कोई भी वस्तु विलास सामग्री के रूप में अथवा अन्यों को सहायता पहुंचाने के लिए आयात नहीं करते। सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आयात पर्याप्त सावधानी के उपाय के रूप में किया जाता है क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किए जाने के बावजूद कृषि अधिकतर इन्द्र देवता की कृपा पर निर्भर करती है। इसलिए मैंने सावधानी बरती है।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि खाद्यान्नों का जो आयात हम कर रहे हैं उससे हमारे देश के किसानों के हितों पर किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाद्यान्नों की कमी के प्रति सुरक्षोपाय के लिए पर्याप्त सावधानी के रूप में ही हमें आयात करना पड़ा है।

यह सच है कि खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और वितरण बढ़ गया है। किन्तु इसके बावजूद भी मैं श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती के सुझाव से सहमत नहीं हो सकता कि खाद्यान्नों में थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। भारत सरकार की खाद्य नीति में खरीद, वितरण तथा खाद्यान्नों को खुले बाजार में उपलब्ध कराना शामिल है। राज्य सरकारें भी इसी नीति को अपना रही हैं। ये तीनों मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और इन पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आखिरकार, देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता स्थिर रहेगी चाहे खरीद अथवा वितरण अधिक हो अथवा कम। यदि मैं अधिक खाद्यान्न खरीदता हूं, तो बाजार में वह कम उपलब्ध होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने मिलावट का जिक्र किया है। हमारे पास आवश्यक वस्तु अधिनियम में संक्षिप्त मुकदमे की कार्यवाही और दो वर्ष के कारावास आदि का प्रावधान है।

कुछ अन्य सदस्यों ने परिवहन प्रभारों, क्रियान्वयन और निरीक्षण का भी उल्लेख किया है। मैंने पहले ही इसके बारे में कुछ कहा है। श्री मूल चन्द डागा ने उनका उत्तर दिया है।

दूसरी ओर से श्री आर. एल. पी. वर्मा काफी आलोचना कर रहे थे। किन्तु चूंकि माननीय सदस्य इस समय उपस्थित नहीं हैं इसलिए मैं इसे दोहराऊँगा नहीं और न ही उस कठोर आलोचना से सदन को पुनः अवगत कराऊँगा।

श्री राम प्यारे पनिका ने मार्गनिर्देशों और 2,000 यूनिटों का उल्लेख किया है। हम उन्हें

करने का प्रयास कर रहे हैं। 31 राज्यों में से 15 राज्यों ने 2000 उचित दर दुकानों का क्रियान्वयन किया है। मैं अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा हूं तथा उनसे ऐसा करने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री राजेश पाइलट ने जो इस समय हाजिर नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का उल्लेख किया है। मैंने आंकड़े दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधायें अधिक हैं।

श्री बनारसी दास ने रॉलर आटा मिलों के बारे में कहा था। हम रॉलर आटा मिलों को 208 रु० प्रति क्विंटल के भाव से दे रहे हैं।

खरीद की हमारी किफायती लागत 219 रु० है न कि 260 रु० या उससे अधिक हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 172 रु० प्रति क्विंटल की दर से दे रहे हैं और इस प्रकार इस खाद्य मद पर, जिसमें चावल गेहूं और अन्य मदों जैसी महत्वपूर्ण मदें शामिल हैं, 850 करोड़ रु० की राजसहायता दे रहे हैं।

जहां तक चीनी का संबंध है, माननीय सदस्य मुद्दे से परे हट कर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, "आप दो नीतियाँ क्यों अपना रहे हैं? हर चीज से नियंत्रण हटा दीजिए।" वह चाहते थे कि कमजोर उपभोक्ता पीड़ित हो। सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। हमें आश्वस्त होना होगा। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से तथा मूल्यों में सरकारी समर्थन देते हुए, जो कि 835 करोड़ रु० की राज सहायता के रूप में बैठता है, समाज के कमजोर तथा निर्धन वर्गों को इसे अवश्य उपलब्ध करायेंगे तथा चीनी को 4 रु० के मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं तथा शेष खुले बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं 65% चीनी हम खरीदते हैं और 35% चीनी की बिक्री खुले बाजार में होती है। सरकार को गर्व है कि वह समाज के कमजोर वर्गों को देने में सफल रही है और हम यह नीति जारी रखेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : श्री शास्त्री उस समय यहां नहीं थे। मैंने पहले ही कहा है कि इस मामले में उन राज्य सरकारों को जांच करनी चाहिए जिनका यह प्रशासनिक कार्य है। जब कभी भी जहां-कहीं से भी मुझे शिकायत प्राप्त होती है मैं उसे जांच करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज देता हूं क्योंकि यह हमारे लिए सम्भव नहीं है कि हम काश्मीर से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण देश में देखें कि तमिलनाडु अथवा बिहार में कौन से राशन कार्ड हैं। ये राज्य सरकारों का काम है। माननीय सदस्य विभिन्न विधान मंडलों में अथवा बाहरी मंचों पर अपने दल के माध्यम से इस मामले को उठायें।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने संशोधन विधेयक का समर्थन किया तथा अपने मंत्रालय के कार्यनिष्पादन के बारे में इस सत्र में मुझे बोलने का अवसर मिल सका।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या आप उन खाद्य जोनों को फिर से स्थापित करने का विचार रखते हैं जो पहले विद्यमान थे और जिनको आपने समाप्त कर दिया था ?

श्री भागवत झा आजाद : हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज सम्पूर्ण देश के लिए केवल एक ही जोन है । गेहूं के लिए यह सम्पूर्ण देश भर में है। केवल चावल के लिए एक भ्रान्ति है। चावल में भी लेवी मुक्त चावल सम्पूर्ण देश भर में खुले बाजार में उपलब्ध है । आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन, प्रत्येक राज्य सरकार चावल पर लेवी लगाती हैं। वे या तो मिल से अथवा व्यापारियों से खरीद करती हैं । इसके अतिरिक्त लेवी-मुक्त चावल सम्पूर्ण देश में मुक्त है। जब कोई राज्य सरकार किसी अन्य राज्य सरकार से खरीद करती है, तो उसे हमारी अनुमति लेनी होती है, किन्तु लेवी मुक्त चावल के लिए नहीं क्योंकि, मानलो, तमिलनाडु खरीद करना चाहता है, उड़ीसा चाहता है प० बंगाल चाहता है और केरल भी चाहता है और यदि मैं उन सब को आंध्र प्रदेश से खरीद की अनुमति दे दूं तो मेरे लिए खरीद करना मुश्किल हो जायेगा तथा उन राज्यों द्वारा खरीद किए जाने के बाद राज्य में मूल्य रोकना भी कठिन हो जायेगा । इसलिए, आमतौर पर हम राज्य सरकारों को राज्य सरकार के रूप में बाजार में आने को प्रोत्साहन नहीं देते किन्तु वे लेवी मुक्त चावल मुक्त व्यापार में से खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं । इससे देश में सन्तुलन बनाये रखने में सहायता मिलती है । इसलिए, इस समय हमारी जोनों के पुनः स्थापना की कोई मंशा नहीं है ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : क्या यह सही है कि थोक व्यापारी उदाहरण के लिए कर्नाटक के थोक व्यापारी आंध्र से खरीद कर सकते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक राज्य में लेवी मुक्त चावल है, निजी व्यापारी अथवा कोई अन्य व्यापारी इसे खरीद सकता है । राज्य सरकारों के पास ऐसे आदेश हैं जिनके अधीन वे चावल लेती हैं और यह प्रमाणपत्र दिया जाता है कि वह चावल लेवी का है और दे दिया गया और यह चावल लेवी मुक्त है जिसे कि निजी व्यापारी ले सकते हैं। इसी-लिए मैंने कहा कि सरकार सरकार की खाद्य नीति में खुले बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता, राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद और केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद शामिल हैं ।

श्री विक्रम महाजन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । तमिमलनाडु में कोई भी मुक्त व्यापारी अथवा गैर सरकारी व्यापारी आंध्र प्रदेश से खरीद कर सकता है, किन्तु तमिलनाडु सरकार आन्ध्र प्रदेश से खरीद नहीं कर सकती । क्या यह बात सही है, यदि हाँ, तो ऐसा क्यों है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस मुद्दे को स्पष्ट कर चुका हूं···

सभापति महोदया : मंत्री महोदय पहले ही इसे स्पष्ट कर चुके हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रही हूं···(**व्यवधान**) ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने कहा है 'नहीं' । मैं आपको बताऊंगा कि गैर सरकारी व्यापार और इसमें अन्तर क्यों है । जिस समय राज्य सरकार किसी भी राज्य में प्रवेश करती है, उसे भारतीय

रिजर्व बैंक से धनराशि मिलती है, वह बाजार में भारी पैमाने पर खरीद करती है और वह बाजार से जितनी भी मात्रा में चाहे चावल खरीद सकती है। कितनी भी मात्रा में---20,000 50,000 अथवा 1 लाख टन।

पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और वे सीधी कार्यवाही कर सकते हैं जबकि गैर सरकारी व्यापारी इस प्रकार की प्राथमिकता न मिलने के कारण उतनी खरीद नहीं कर सकते। वे कम मात्रा में खरीद कर सकते हैं और उन्हें माल लाने ले जाने के लिये 'घ' प्राथमिकता प्राप्त होती है। इस प्रकार गैर सरकारी व्यापार और राज्य सरकार के व्यापार में यही अन्तर है। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार का संबंध केवल लेवी चावल से है। उसके बाद गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा चावल देश के किसी भी भाग में ले जाया जा सकता है। राज्य सरकारों को किसी भी बाजार में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति देने से कीमतों में वृद्धि हो जायेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्वक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 6,—

"1983" के स्थान पर "1984" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

(श्री भागवत झा आजाद)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 4,—

"1983" के स्थान पर "1984" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री भागवत झा आजाद)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

"चौतीसवें" **के स्थान पर** "पैंतीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (1)

(श्री भागवत झा आजाद)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

4.50 **म० प०**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री पी० वेंकट सुब्बैया**) : अध्यक्ष महोदया मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

महोदया राज्यों की विधान सभाओं और इस सभा के मामले में यह व्यवस्था करने के लिये पहले ही संशोधन कर दिया गया है कि 2000 ई० स० के बाद जब तक जनगणना की जाती है विधान सभाओं और संसदीय चुनाव क्षेत्र उसी प्रकार बने रहेंगे जैसे की उन्हें 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमित किया गया था। संविधान के विधान सभाओं सम्बन्धी उपबन्ध मिजोरम सहित संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं पर लागू नहीं होते। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के चुनाव क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध किये गये हैं। मिजोरम की विधान सभा का कार्यकाल इस वर्ष मई में समाप्त होना था। मिजोरम में विधान सभा के मौजूदा चुनाव क्षेत्रों को 1971 की जनगणना से पता लगाई गई जनसंख्या के आधार पर 1975 में परिसीमित किया गया था। उसके बाद 1981 में जनगणना की गई थी।

अधिनियम की धारा 43क में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि मिजोरम विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों को नवीनतम जनगणना के आधार पर परिसीमित किया जायेगा। यह भी संभव है यह व्यवस्था मिजोरम विधान सभा के पहले चुनाव के लिये विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के मामले में ही लागू हो।

दूसरी यह धारणा भी संभव है कि मिजोरम विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों को नवीनतम जनगणना अर्थात् 1981 की जनगणना द्वारा पता लगाई गई जनसंख्या के आधार पर अनिवार्य रूप से परिसीमित किया जाय। यह महान सभा मेरे इस विचार से सहमत होगी कि विधान सभा के लिये चुनाव जैसे इतने महत्वपूर्ण मामले में किसी प्रकार की शंकाओं की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये और ऐसे मामलों में हमेशा कानून के अत्यन्त कठोर निर्वचन पर निर्भर करना वांछनीय नहीं होगा। तदनुसार इस मामले को सभी सन्देहों से मुक्त रखने के लिये इस विधेयक का प्रयोजन यह व्याख्यात्मक उपबन्ध करने का है जब तक वर्ष 2000 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिये जाते, तब तक विधान सभा के चुनाव क्षेत्र के परिसीमन से सम्बन्धित भाग-तीन में उल्लिखित नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का आशय 1971 की जनगणना के आंकड़ों से होगा और इस समय तक प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र में विभाजनका पुनर्समायोजन करना आवश्यक नहीं होगा। संघ राज्य क्षेत्रोंके लिये इस समय हम जो कर रहे हैं वह ठीक उसी प्रकार है जैसा कि राज्य विधान सभाओं और इस सभा के लिये किया गया है।

अब जो उपबन्ध किये जा रहे हैं, वे इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे।

अधिनियम की धारा 3 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या उस संघ राज्य क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के समानुपात में होगी। यह धारा मिजोरम पर लागू नहीं होती किन्तु इस अवसर पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जब तक वर्ष 2000 के बाद पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा में अनुसूचित जातियों

अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण 1971 में अभिनिश्चित उनकी जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता रहेगा। मैं यहाँ इस बात का उल्लेख कर दूं कि संविधान में किये गये एक संशोधन द्वारा राज्यों की विधान सभाओं और इस सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व पहले ही 1971 की जनगणना के स्तर पर अवरुद्ध है।

चूंकि मिजोरम की विधान सभा के चुनाव हो चुके हैं, इसलिये अब यह निवेदन है कि विधेयक के खण्ड 3 को भूतलक्षी प्रभाव दिया जाये ताकि किसी भी प्रकार के सन्देह को दूर किया जा सके और इस विधेयक में औपचारिक रूप से मान्यता देने का भी प्रावधान है। महोदया, यह विधेयक संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने के लिये है जैसे कि संविधान में राज्य की विधान सभाओं और लोक सभा के लिये बनाये जा चुके हैं।

महोदया, इस विधेयक का दूसरे सदन में आमतौर से स्वागत किया गया था। मैं आशा करता हूं कि इस सभा के सभी वर्गों के द्वारा भी इस विधेयक का स्वागत किया जायेगा। मैं विचारार्थ एवं स्वीकृति के लिये इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत करता हूं।

धन्यवाद !

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदया, मन्त्री महोदय ने अपनी परिचायक टिप्पणियों को यह कह कर समाप्त किया है कि अन्य सदन के सभी वर्गों द्वारा इस विधेयक का स्वागत किया गया है। जिन्तु जब दूसरे सदन के रिकार्डों का अध्ययन करने पर मैंने जाना कि ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार से मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि वे इसे समय पर क्यों नहीं ला सके और इसमें विलम्ब क्यों हुआ ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमें अपने संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में नये सिरे से नहीं सोचना चाहिए। इस सभा में यह मांग की गई थी कि दिल्ली की विधान सभा होनी चाहिए और श्री वेंकटसुब्बैया ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था और जिन कारणों से उन्होंने इसे अस्वीकार किया था, वे सन्तोषजनक नहीं थे।

मेरे विचार से सरकार को इस बात पर नये सिरे से विचार करना चाहिए कि क्या लोकतान्त्रिक व्यवस्था में हम ऐसे संघ राज्य क्षेत्र रख सकते हैं जिन्हें विधान सभा बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त न हो। जब विधान सभा की यह मांग इस सभा में रखी गई थी, तो सत्तारूढ़ दल द्वारा इसका समर्थन किया गया था। दिल्ली के चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया था।

4.58 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, उनके चुनाव वायदों में एक वायदा यह भी था कि दिल्ली की विधान सभा होगी। उनके चुनाव घोषणा-पत्र में यह लिखा हुआ है।

यदि आप अपना वायदा पूरा नहीं करते, और उस बात को पूरा नहीं करते जिसे आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में दिया हुआ है, तो जनता का राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा-पत्रों पर से विश्वास उठ जायेगा और इसलिये मैं समझता हूं कि सत्तारूढ़ दल को जनता को दिये हुये अपने इस वायदे को अब तो अवश्य पूरा कर देना चाहिये।

महोदय पिछले वर्ष मैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में था। वहां की आबादी दो लाख से अधिक हो गई है और जनता की सभी वर्गों द्वारा यही मांग की जा रही है कि वहाँ विधान सभा होनी चाहिए, प्रजातंत्र में जनता को अपने क्षेत्र का प्रशासन चलाने का आधारभूत अधिकार दिए बिना जनता को अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं। बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु को जो अधिकार प्राप्त हैं वही अधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनता को प्राप्त होने चाहिए।

5.00 म० प०

दिल्ली से किसी विशिष्ट क्षेत्र का शासन चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में नहीं जान सकते। जूता पहनने वाला ही जानता है कि वह कहां उसे काट रहा है। प्रजातन्त्र का आधार-भूत सिद्धांत यही है। अण्डमान निकोबार द्वीप तथा इसी संदर्भ में अन्य संघ-राज्य-क्षेत्रों को भी विधान सभा दी जानी चाहिए? मेरा खयाल है कि मन्त्री महोदय अत्यन्त विचारशील हैं। मैंने उन्हें सदा ही सोच-विचार कर कार्य करने वाला पाया है। जब भी वे बोलते हैं मैं उनकी बात बड़े ध्यान से सुनता हूं। मेरा उनसे अनुरोध है वे इस पर जरा विचार करें और वहां की जनता की आवाज का, सभी जगह के संघ-राज्य क्षेत्रों की जनता की आवाज का सम्मान करें। वे इन शक्तियों की मांग करते हैं क्योंकि उनकी राय है कि इस समय उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। वे उपेक्षित महसूस करते हैं हालांकि वे भारत के नागरिक हैं फिर भी उनसे भिन्न व्यवहार किया जाता है और लगभग सौतेला व्यवहार ही किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार अच्छी सरकार है, किन्तु फिर भी यदि तर्क के लिए ही कहा जाए कि यह सरकार अच्छी सरकार है, तो भी कोई अच्छी सरकार स्वायत्त-शासी निकाय का विकल्प नहीं है। यही प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। मैं यह नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार का प्रशासन अच्छा है। अतः तब तो यह और भी आवश्यक हो गया है कि बुरी सरकार स्वायत्तशासी निकाय से प्रति-स्थापित किया जाए। अतः मेरा ख्याल है कि न्याय की यही मांग है कि संघ राज्य-क्षेत्रों की जनता को भी समान अधिकार दिए जाएं। इन मांगों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। क्योंकि इस विधेयक पर बहस हो चुकी है और इसमें देर भी हो गई है इत्यादि। मेरा खयाल है कि माननीय मन्त्री इस बहस के बारे में उत्तर देते हुए दिल्ली, अण्डमान और निकोबार तथा अन्य संघ-राज्य-क्षेत्रों के बारे में मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका भी उत्तर देंगे। धन्यवाद!

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, जो मंत्री जी की मंशा थी वह तो उन्होंने पूरी कर ली, मिजोरम में चुनाव भी हो गये और 1971 का सेन्सस भी लागू कर लिया। मेरे साथी कह रहे थे पता नहीं चुनाव पहले होगये और विधेयक पीछे बनेगा। कुछ रीट्रोस्पक्टिव परिणामों के साथ इसको लागू करना चाहते हैं। खैर चलिये।

कुछ मुद्दे हैं, केन्द्र शासित प्रदेश कोई भी हो संविधान बनाने वालों की मंशा थी कि कुछ जगहों के बारे में खास तवज्जह दी जाय और इसीलिए यूनियन टैरिटरीज रखी गई थीं कि उनके हितों के बारे में ज्यादा सोचें। लेकिन कभी-कभी ऐसा होने लगा कि हमने जहां यूनियन टैरीटरीज बनायी बहुत ज्यादा गले लगाने की बात कहीं गई। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि आपने यूनियन टैरिटरीज ऐक्ट के अन्तर्गत जो अधिकार प्राप्त किये उनका कभी-कभी दुरुपयोग करने की भी कोशिश की गई।

आर्टिकिल 356 के अनुसार यदि किसी राज्य की स्थिति ऐसी हो और वहां की व्यवस्था खराब हो रही हो तो राज्यपाल सिफारिश करते हैं कि फलानी राज्य सरकार ठीक नहीं है, उस पर कोई कार्यवाही की जाय और केन्द्रीय सरकार उन सिफारिशों को सदन के सामने भी लाती है, लोकतंत्र प्रणाली के अन्दर सदन को विश्वास में लिया जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ थीं। लेकिन यूनियन टैरिटरीज ऐक्ट के अंतर्गत ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। यह ऐक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत है, इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है कि सदन के सामने कोई बात कही जाय या राज्यपाल कोई सिफारिश करे। कुछ ऐसे इलाकों की यूनियन टैरिटरीज हैं, जैसे अंडमान निकोबार मैं गया हूं वहां के लोग बड़े शिक्षित हैं लोकतंत्र के प्रति उनमें चेतना है। लेकिन ऐसी जहां जागरूकता आयी है वहां लोगों को लोकतंत्र प्रणाली के अधिकार प्रदान करने में क्यों विलम्ब होता है, यह एक प्रश्न है।

हमारे साथी दिल्ली के सम्बन्ध में कह रहे थे कि लम्बे समय से यह बात आती रही है कि दिल्ली के लोगों को कम-से-कम एक फुलफ्लैज्ड असेम्बली का अधिकार मिलना चाहिये। आप खुद भी कहते हैं कि वह फुलफ्लैज्ड है, कुछ ही अधिकार हमने ले रखे है, बाकी कार्य दिल्ली के जन-प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होता है। फुल-फ्लैज्ड के संबंध में हो सकता है कि पिछले कुछ खट्टे-मीठे अनुभव हों, लेकिन उन पर ही सारा भविष्य निर्भर नहीं करता इस मामले में और भी एक्स-पैरीमेंट करने चाहिएँ।

मेरे साथी अंडमान निकोबार के बारे में कुछ बातें कह रहे थे, मैं उनसे सहमति नहीं रखूंगा। यह मान लिया जाये कि अंडमान-निकोबार में ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन दिल्ली की है। मैं स्वयं अंडमान-निकोबार में कम्पबैल-बे तक गया था। वहाँ की स्थिति ऐसी हो सकती है कि दिल्ली का केन्द्रीय शासन उनके लिए फायदेमन्द हो, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, जहां लोगों में जागरूकता है और जहां आपके समक्ष राज्य चलाने वाली बात है। इस अधिकार से दिल्ली को वंचित रखने का कोई तर्क मुझे समझ में नहीं आता। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर रोशनी डालने का प्रयास करें। जो यूनियन टैरेंटरीज एक्ट, 1963 है, इसके कहां तक सदुपयोग और दुरुपयोग की बात है, यह शंका पैदा करता है।

मेरा कहना यह भी है कि इस बिल में क्यों नहीं एक और संशोधन लाया जाए। उसमें इतना जरूर कर देना चाहिए कि सदन को विश्वास में लिया जाए। यदि कहीं इस प्रकार की बात राज्य सरकार के खिलाफ पैदा होती है तो कम-से-कम इस सदन के समक्ष वह बात आए और सदन उस पर विचार करे, क्योंकि यह सदन सर्वोच्च सत्ता है और जन-प्रतिनिधित्व का एक शीशा है जिसमें लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस लोकतंत्र प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए अगर आप ज्यादा कुछ न कर सकें तो इस एक्ट में यह संशोधन जरूर लायें जिससे इस सदन में इस तरह की बातों पर विचार हो सके।

मान लीजिये कि आपकी सरकार न हो, हो सकता है कि कल अपोजिशन वाले सत्ता में आ जावे तो कहीं कोई भी ऐसे कानून का गलत इस्तेमाल न करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, गर्वनमेंट के यूनियन टेरेटरीज (अमैंडमेंट) बिल, 1984 का मैं समर्थन करता हूं।

इसमें मिजोरम के चुनाव में परिसीमन, डी-लिमिटेशन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गई है, उसका अभिप्राय: केवल यही है कि चुनाव के पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। आपने इसमें प्रावधान किया है कि इसको रिट्रौस्पैक्टिव इफैक्ट से मान लिया जाये, इसलिये ऐसी कोई खास बात नहीं है। जब आपने ऐसा कानून पहले पास कर दिया कि 191 की सैन्सेज को डी-लिमिटेशन के लिये माना जायेगा और तब तक कोई इस प्रकार का परिसीमन या डी-लिमिटेशन नहीं होगा, तो इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। मगर सरकार को इस सम्बन्ध में यह सावधानी निश्चित तरीके से बरतनी चाहिये थी कि इस कानून को पहले ले आती ताकि विरोधी भाइयों को आज जो कहने का मौका मिल गया, वह न मिलता।

इन्होंने संघ राज्य क्षेत्र में खासतौर से असेम्बलीज बनाने की बात भी कही है। मैं उस राय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि दिल्ली की यूनियन टैरेटरी का भी प्रश्न है, जहां पर सैंट्रल गवर्नमेंट का भी हैड-क्वार्टर है और दिल्ली में अलग से प्रान्तीय सरकार कायम हो जाये तो निश्चित रूप से कन्फिलिक्टींग चीज पैदा हो जायेगी। इसलिये दिल्ली में असेम्बली बनाने का कोई औचित्य नहीं है। केवल इतना ही है कि दिल्ली को जिस प्रकार की जन-सुविधाओं की आवश्यकता है, वह मैट्रोपोलिटन काउंसिल के द्वारा दी गई हैं। उनको स्वायत्तता और व्यवस्थाओं के बारे में विशेष तौर से जिक्र है। इसलिए इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। अंडमान निकोबार में एडवाइजरी बॉडी बनी हुई है, उसको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उस एडवाइजरी कमेटी को काउन्सिल में परिवर्तित कर दें और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था कर दें, ताकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक प्रकार से चल सके।

यदि आप इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से लागू करेंगे, तो वहां की कठिनाइयां दूर होंगी। अभी राजेश जी जिक्र कर रहे हैं, हमें भी वहां जाकर स्थिति को देखने का मौका मिला है। जिससे

मालूम पड़ता है कि बहुत सी चीजों में कठिनाई आ जाती है, सरकार के अधिकारी लोग पूरे तरीके से दिलचस्पी नहीं लेते हैं। खासतौर से खाद्यान्नों के मामले में मैं कहना चाहता हूं। खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होते हैं। लैंड रिफार्म्स के संबंध में बहुत सारी व्यवस्थायें नहीं हैं।

जो व्यवस्था सरकार कर सकती है और उनको सरकारी अधिकारी समय पर नहीं करते हैं, इस लिए जनता के प्रतिनिधि अगर वहां पर हैं, चुनाव के जरिए से काउन्सिल के द्वारा, नामिनेशन के द्वारा ऐसे लोग नोमिनेट हों जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के गवर्नर को वहां की कठिनाइयों के बारे में बराबर सूचित करते रहें, तो कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। आवागमन के साधन वहां पर हैं नहीं, जहां तभी वहां उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में अगर वहां का लोकल आदमी बैठे तो निश्चित तरीके से वहां की कठिनाइयों के संबंध में विशेष तौर से तवज्जह दे सकता है। इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामलाल राही (मिसरिस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को देखा है, संभवतः माननीय सदस्यों ने धारा 3(5) और धारा 43 के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन धारा 3(2) के संशोधन के बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं दिए हैं। मैंने इस बिल के उद्देश्यों को भी पढ़ा है। धारा 3 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वही महान तत्व है। इसमें आरक्षण का सवाल है। सन् 1971 में जनगणना हो चुकी है, सन् 1981 में भी जनगणना हो गई है। 1971 की जनगणना में नया परिसीमन नहीं कर सके, 1981 में नहीं हुआ और 2000 से पहले आप कहीं भी देश में विधान सभा को और लोकसभा के क्षेत्र में परिसीमन नहीं करने जा रहे हैं। इसी तरीके से संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत जो स्टेट आते हैं, वहां भी आप करने की स्थिति में नहीं है। एक छोटे से स्टेट में चुनाव भी करा लिए हैं इससे पूर्व कुछ नहीं कर पाए, अब आप संशोधन ला रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने देश में कानून काफी बना लिए हैं। एक-एक बात का कानून है, लेकिन उस कानून पर अमल होता है या नहीं, आप का प्रशासनतन्त्र उस कानून को देखता है या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इस देश में कानून को तभी देखा जाता है, जब कोई चीज आकर बिगड़ जाती है। जब कानूनी सीमायें टूट जाती हैं। ऐसी ही हालत हमारे देश में परिसीमन की है। परिसीमन की सीमा टूट गई है। जो पहले विधान सभा का क्षेत्र एक लाख का था, आज वह दो लाख से ऊपर हो गया है। लेकिन आप परिसीमन नहीं कर पा रहे हैं।

मैं कहता हूं—यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कानून को बदलो. संशोधन करो; कह दो कि अब विधान सभा का क्षेत्र दो लाख का होगा, उसमें दो लाख मतदाता होंगे। एक तरफ तो आपने मतदान को मूल-अधिकार में शामिल किया है, लेकिन दूसरी तरफ न मालूम कितने लोग ऐसे हैं जो हर बार मतदान से बंचित रह जाते हैं, मतदाता सूची में उनके नाम नहीं हैं और जानबूझ कर आप उनको मतदाता सूची में शामिल नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आप परिसीरन नहीं कर पा रहे हैं तथा मतदाताओं की संस्था बढ़ती चली जा रही है। अपने सेल्फ-इन्टरेस्ट में सरकार अपनी

गलती के कारण कानून को बार-बार बदले...यह बात समझ में नहीं आती है। यदि जनहित के कारण बदले तब तो बात समझ में आती है, लेकिन इस तरह के संशोधन लाते जाइये, इससे जनहित नहीं हो रहा है।

मेरा मंत्री जी से निवेदन है—परिसीमन के बारे में आपको सोचना चाहिये। यदि आप ऐसा समझते हैं कि परिसीमन करेंगे तो लोक सभा में या विधान सभायें उतनी जगह नहीं हैं—जहां सब को एकोमोडेट किया जा सकेगा, सदस्यों की संख्या दुगनी हो जायगी—तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मतदाताओं की सीमा संख्या बदल दीजिये, जहां पहले एक लाख मतदाताओं पर सदस्य चुना जाता था, उसको दो लाख कर दीजिये, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह का कानूनी पहलू बनाइये जिससे लोगों का कानून में विश्वास बना रहे। आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है—जिससे लोगों का धीरे-धीरे कानून के प्रति विश्वास उठ रहा है। इसलिये दो तीन चीजों की तरफ आप को ध्यान देना पड़ेगा।

सबसे पहला तो शेडयूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण का सवाल है। उनकी संख्या पहले से बढ़ी है। किसी भी प्रदेश की विधान सभा या लोक सभा में उनकी जितनी सीटें, आरक्षित हैं, यदि जनगणना करायेंगे तो मेरा ऐसा अनुमान है कि उनके लिये कम से कम 10-15 परसेन्ट सीटें बढ़ानी पड़ेगी। मैं यदि यह आशंका करूं या देश के शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आने वाले लोग इस बात की आशंका करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सीटें बढ़ जायंगी, इस डर से सरकार परिसीमन नहीं करा रही है। सरकारी सेवाओं में जहाँ-जहाँ आरक्षण है, जिन-जिन जगहों पर आरक्षण है—आप अभी तक उनको पूरा नहीं करा पाये हैं। 1980 में जब मैं यहां आया था, उस समय आरक्षण का काल बढ़ाने का संशोधन आया था और मैं ने उस समय उसका विरोध किया था।

मैं जातिगत आरक्षण का विरोधी हूं और वह तर्क मैं दे चुका हूं, लिखकर भी दे चुका हूं, क्योंकि जिस समय आरक्षण किया गया था उस समय इन जातियों की 99 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिये दूसरों पर आश्रित थी। दूसरों के खेत-खलिहानों में काम करके अपना पेट पालती थी, यहां तक कि उनके पास रहने के लिये भी जगह नहीं थी, दूसरों के घरों में उनको रहना पड़ता था। जब उनके लिये आरक्षण किया गया, तो वह औचित्यपूर्ण भी था, लेकिन आज आरक्षण की इतनी जोरदार मांग हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तरह-तरह की जातियां सामने आ गई हैं और वे सब आरक्षण की मांग कर रही हैं, एक तरह से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। आरक्षण हुए 36 साल हो गये हैं, सम्भवतः 1952 में आरक्षण हुआ था। मैं भी शेडयूब्ड कास्ट का हूं और आरक्षण में आता हूं, लेकिन मेरे ही गांव में जो मेरा हल-जोतने वाला है, वह भी शेडयूल्ड कास्ट का है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरे पास 45-50 बीघे जमीन थी, मैं एम० पी० बनकर यहां आ गया; कहने का तात्पर्य जिसके पास साधन था, वह आगे बढ़ गया लेकिन जो दूसरे साधनों पर जीवित था, उसकी दशा में परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें न समाजिक परिवर्तन हुआ है, न राजनीतिक परिवर्तन हुआ और न आर्थिक परिवर्तन हुआ है। जातिगत आरक्षण न हो और पुवर्टी और पावर्टी पर वेस्ड आरक्षण हो। आज हम पर एक चार्ज लगाया जाता है शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए आम तौर पर कहा जाता है कि हम तो सरकारी दामाद हैं जबकि हमको पूरा आरक्षण नहीं मिलता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के तमाम शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की तरफ से यह आवाज उठे कि जातिगत आरक्षण बन्द हो और उन्हें इस चार्ज से मुक्त होना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब जातिगत आधार पर आरक्षण न होकर पुवर्टी की बेस पर आरक्षण होगा, तो 90 प्रतिशत लोग इस देश के एक झण्डे के नीचे आ जाएंगे और चन्द लोग जो ऐयाशी कर रहे हैं मोज मार रहे हैं चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो और चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा सकेंगे। जब ऐसा होगा, तब सही रूप में कानून का पालन इस देश में होगा और सही रूप में लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ मिल सकेगा अन्यथा यह न्याय मिलना संभव नहीं है। कानून आप बनाते जाइए, कानून का रूप बदलते जाइए और फिर उस कानून को तोड़ते जाइए, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा।

आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन एक अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण पर विस्तार से बहस हो क्योंकि अब कई तरह के आरक्षण की मांग हो रही है। वैकवर्ड क्लासेज के आरक्षण की बात चली है। आज यहां सदन में वैकवर्ड क्लासेज के आरक्षण की बात मैं कहने लगूं तो मैं यह कहूंगा कि आज देश में बहुत से ऐसे बैकवर्ड लोग हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिला है। नाई, कुम्हार, कहार, मल्लाह, धीमर, मुराई, गुडिया वैकवर्ड हैं। इसी तरह से काछी बैकवर्ड है और डूम वैकवर्ड हैं और इनको आरक्षण नहीं मिला है। आज इस लोक सभा में कोई मुराई सदस्य नहीं है।

कितने काछी और कितने डोम इस सदन में सदस्य हैं। मैं आप को बताऊं कि उत्तर प्रदेश में यही सवाल उठा था कि बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए आरक्षण होना चाहिए, सर्विसेज में और दूसरी जगहों पर और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने उस समय वहां पर एक वेकवर्ड कमीशन बना दिया था और कह था कि यह जरूर होना चाहिए लेकिन यह भी कहा था कि आरक्षण उनका होना चाहिए जो एक्चु-अली वेकवर्ड हों और उनका न हो, जिनके पास साधन हों, जो साधन सम्पन्न हों, जो आराम से रोटी खाते हों और जिनकी रोजी-रोटी के साधन हों, जिनके पास कल-कारखाने हैं।

इस तरह से ऐसे लोगों का आरक्षण होना चाहिए और वोट के लालच में जो साधन सम्पन्न हैं, उनका आरक्षण नहीं होना चाहिए। इससे इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार आएगा और आज जो व्यवस्था चल रही है, उसको चकनाचूर करना चाहिए और उसको तोड़ना चाहिए। इसके कारण आप आज क्या देख रहे हैं। आज असम में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, मिजोरम, नागालैंड में क्या हो रहा है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और जातिगत भावना को समाप्त करने के लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक है। हम हिन्दुस्तानी समाज बनाने की बात करें और एक ऐसा समाज बने, जिसमें घृणा और द्वेष न हो। अब तक जो उसके शिकार होते रहे हैं, उससे हम बचें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री रामलाल राही के प्रश्न से

शुरूआत करूंगा। उन्होंने अत्यन्त प्रशंसनीय और जैसा कि आपने कहा अत्यन्त गरिमामय भावनाएं पेश की हैं। उन्होंने कहा है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। मैं तो यही समझ सका हूं और उन्होंने कहा कि पूरे देश को एक समान माना जाए।

वर्ष 1980 में जब हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करने के लिए हमने संसद के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है ताकि आरक्षण को दस वर्ष और बढ़ाया जा सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश वर्गों के इस बहुमत के कारण ही ऐसा किया गया था कि आरक्षण कुछ और समय के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि जनता का वह दलित वर्ग जो रूढ़ियों से उपेक्षित रहा है राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ सके। अत. जनता के एक बड़े वर्गों ने जो विचार व्यक्त किये उसके अनुसार सरकार ने यह कदम उठाया है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि 1981 की जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमिन क्यों न किया जाए ? जैसा कि मैंने अपने पिछले भाषण में कहा था; हमने 1971 की जनगणना को निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का आधार चुना है और 2000 के बाद जब जनगणना होगी तभी इसमें परिवर्तन किया जाएगा।

अब श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रशंसात्मक शब्द कहने के कारण मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने विलम्ब की चर्चा की थी, मैं अपने भाषण में कह चुका हूं कि जहां तक मिजोरम का सम्बन्ध है जब पहली बार परिसीमिन किया गया था, तो कुछ अस्पष्टता बनी रह गई थी। वर्ष 1975 में जब संघ-राज्य-क्षेत्र के लिए पहली बार चुनाव आयोजित किया गया था तो उसे पहले निर्वाचन के लिए परिसीमन ही माना जा सकता है। बाद के चुनाव के लिए अद्यतन जनगणना के आधार पर ही परिसीमन होना चाहिए।

अत: जहां तक निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है हमने संविधान में संशोधन कर लिया है, और हमने सन् 2000 तक की आबादी का चयन किया है और 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय और विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का चयन किया गया है। अत: हमने सोचा कि इस बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए तथा संघ राज्य क्षेत्र और विधान सभाएं संविधान में किए गए संशोधन के कार्यान्वियन के अनुरूप होनी चाहिए। वे चाहें तो यह पूछ सकते हैं कि फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? वे अत्यन्त बुद्धिमान और सुविज्ञ प्रोफेसर हैं ना ? उस अस्पष्टता को हटाने के लिए जिससे जनता में किसी प्रकार संदेह न रह जाए हमने यह स्पष्टीकरण दिया है और धारा विशेष में समुचित संशोधन कर दिया है। विलम्ब तो हुआ ही है इसे हम मंजूर करते हैं। किन्तु कभी न करने से तो देर होना बेहतर है। हम इसे भूतलक्षी प्रभाव दे रहे हैं और हमने इसे दोनों सभाओं में अनुमोदन के लिए पेश किया है।

हालांकि वर्तमान विचार-विमर्श के साथ इसकी संगति नहीं बैठती है फिर उन्होंने यह भी पूछा कि दिल्ली की विधान सभा या उसे राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, उन्होंने यह भी कहा कि हमारे ही सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था, आप पीछे क्यों हट गए ? समय-समय पर यह मुद्दा उठाया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने अण्डमान का भी जिक्र किया था।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : वहाँ तक सफर करने में काफी समय लगेगा। सबसे पहले हम दिल्ली की बात करें तो बेहतर होगा। इस सभा में अनेक बार यह बताया गया है कि दिल्ली की विधान सभा न होने के क्या कारण हैं। यह देश की राजधानी है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार किया था उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया था; उनकी यही राय थी कि जहां राष्ट्रीय संसद हो वहां विधान सभा का गठन समुचित नहीं होगा। वस्तुतः दिल्ली का प्रतिनिधित्व तो है ही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए दिल्ली से चुने जाने वाले सदस्य संसद में हैं, वे हमारे सदस्य हैं। अतः लोकसभा और राज्य सभा दोनों में ही प्रतिनिधित्व की दृष्टि से और शिकायतें करने के लिए दिल्ली का मन्च तो है ही।

अतः दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो निकाय-महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम भी हैं। केवल इसी देश में ही नहीं वरन् अनेक देशों अफ्रीका आदि यहां तक कि वाशिंगटन डी. सी. जी. कोलम्बिया जिले में है कोई अलग से सभा के प्रतिविधिया सीमेंट नही हैं। तो जहां कहीं राष्ट्र की राजधानी होती है वहां अलग से विधान सभा नहीं होती है। यही रचना होती है। अतः हमारा विचार है कि इस मामले में विचार करने पर चूंकि दिल्ली का लोकसभा और राज्य सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और उनके लिए महानगर परिषद् और नगर निगम हैं जो जनता की नागरिक आश्यकताएं पूरी करेगा तथा जिन समस्याओं पर उन्हें ध्यान दिलाना हो तो लोकसभा और राज्य सभा का मंच है ही।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह जिनके बारे में माननीय सदस्य ने चर्चा की है, हमने हाल ही में प्रदेश में काउंसिल गठित की है। यह प्रदेश काउंसिल अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कालिज के माध्यम से चुनी जाती है। यह एक प्रकार से नामित निकाय है और यह कुल मिलाकर विधान सभा के रूप में ही काम करता है और दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश काउंसिल के काउंसलर हैं जो हमारे मंत्रियों की भांति ही काम करते हैं। यह प्रदेश काउंसिल विधान सभा के रूप में काम करती है और सिफारिश करती है। प्रदेश काउंसिल और उसके काउंसलरों द्वारा जो कि मंत्रियों की ही तरह काम करते हैं—जो भी प्रस्तुत किया जाएगा उस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। इन्हें अनेक कदम और विभाग सौंपे गए हैं और इसे काम करते हुए अभी केवल तीन वर्ष ही हुए हैं। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रयोग को बिना किसी पूर्वाग्रह के आजमाएंगे। मेरे माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे मैंने पूरी तरह से ना मंजूर नहीं किया है। हम इसे आजमाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो 5.30 बजे से हमें आधे घटे की चर्चा शुरू करनी है। हम इस विधेयक को पूरा कर कुछ मिनटों बाद उसे शुरू करेंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : एक अन्य माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र के राष्ट्रपति शासन में अंतर क्यों हैं। राज्यों को नितांत भिन्न रूप में संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः प्रशासन चलाया जाता है चार मामलों में तो पृथक-पृथक विधान सभाएं भी

हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम के अनुसार प्रशासक की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा के विघटन के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है संविधान के अंतर्गत नहीं। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम में प्रशासक की रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखने हेतु कोई उपबंध नहीं है।

कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। श्री ब्यास ने भी यही कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए अलग से विधानसभा होनी चाहिए। इस संबंध में यह कहना भी संगत होगा कि इस विधेयक में हमने देश के अन्य भाग के स्तर तक संघ-राज्य क्षेत्रों को लाने के लिए सर्वाधिक सहायता की व्यवस्था की है। वस्तुतः पांडिचेरी की अपनी पहचान है, गोआ, दमन और दीव की भी अपनी अलग पहचान है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री की यह हार्दिक इच्छा थी कि भारत में शामिल होने वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यक्तित्व और मिश्रित संस्कृति बनी रही। अतः तदनुरूप योजना परिव्यय बढ़ता ही गया है, वस्तुत छठी पंचवर्षीय योजना में 99,227 लाख रुपए दिए गए हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजनायें और कुल परिव्यय में 65, 406 लाख रुपये था जबकि छठी योजना परिव्यय 1,64,633 लाख रुपए ही है। अतः जहां तक आर्थिक, सामाजिक और वैधानिक सुविधाओं का सम्बन्ध है संघ राज्य क्षेत्रों को सर्वाधिक सहायता दी जा रही है। मैं मिजोरम की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में शामिल होना चाहा है। वे क्षेत्रीयवाद से राष्ट्रवाद की ओर आ गए हैं। इस निर्वाचन में जो उन्होंने अपनी राय जाहिर की है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड वार चर्चा आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति

62वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आपकी अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का बासठवाँ प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

आधे घंटे की चर्चा

भारतीयों के प्रवेश पर ब्रिटेन द्वारा लगाई गई पाबन्दियां

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इतिहास की त्रासदी है कि इग्लैंड, जहां के लोग जाति भेद की समाप्ति के लिए लड़े तथा जिन्होंने आजादी की भावना पूरे विश्व में पैदा की, उसी देश में जाति भेद चोरी छिपे पनप रहा है। आजकल यूरोपियन देशों में मेरा मतलब सभी समाजवादी देशों से नहीं है लेकिन किसी भी विचारधारा के शेष सभी देशों की व्यवस्था में जातिवाद की भावना आ गई है।

फ्रांस में भी कम्यूनिस्ट पार्टी पेरिस के उपनगरों में काले लोगों के बसने के विरुद्ध थी। किसी समय में उन देशों को अलग-थलग कर दिया जाता था जो जाति भेद अपनाते थे। लेकिन आज यूरोप की व्यवस्था में भी, जो कि आधुनिक सभ्यता का केन्द्र माना जाता है जाति भेद आ गया है। आप जानते हैं कि इग्लैंड में लागू प्रवासी कानूनों की इग्लैंड की चर्चा द्वारा निंदा की गई थी तथा यूरोपियन मानव अधिकार आयोग ने भी इसकी निंदा की थी। परन्तु चोरी छिपे अब भी वही कानून लागू हैं। आप जानते हैं कि एक ओर एक प्रक्रिया छापी जाती है तथा दूसरी ओर गुप्त अनुदेश दिए जाते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रकाशित प्रक्रिया में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिन्हें गुप्त अनुदेशों के माध्यम से दिया नहीं जाता। जब यह मामला गृह मंत्री के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रकाशित प्रक्रिया में परिवर्तन करके उसे उस गुप्त अनुदेश के अनुरूप बनाया जाएगा जिसके अनुसार प्रवासी को व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके अपने सम्बन्धियों से बातचीत करने का तथा उच्च आयुक्त से टेलिफोन पर बात करने का अधिकार नहीं दिया जाता। अब यह अधिकार नहीं दिया जाएगा।

हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार भारतीय लोगों को—न केवल भारतीय बल्कि इस उप महाद्वीप के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है।

तथा उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है । अब इग्लैंड द्वारा एक और बहाना बनाया जा रहा है। दो प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही हैं। एक तो प्रकाशित प्रक्रिया है तथा दूसरी अप्रकाशित प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यदि प्रकाशित प्रक्रिया ही सब पर लागू की जाए तो इग्लैंड के आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में रहने वाले लोग इसके परिणाम स्वरूप परेशान होंगे । इसलिए वे इन अनुदेशों को गुप्त रखना चाहते हैं। परन्तु वह अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुए और यह बात सबको मालूम हो गई है। यूरोपीयन ह्यूमन राइटस कमीशन इस बात पर ध्यान देता रहा है । अतः प्रवास कानून में कुछ आपत्तिजनक बातों में सुधार कर लिया गया है तथा कुछ परिवर्तन किए गए हैं ।

जहां तक भारतीय लोगों का सम्बन्ध है ऐसे 33 प्रतिशत व्यक्तियों को इग्लेंड में प्रवेश नहीं करने दिया गया जिनकी पत्नियां वहां ही बसी हुई हैं। ऐसा किस प्रकार हो रहा है। यह प्रकाशित प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं गुप्त अनुदेशों के अनुसार हो रहा है। अब प्रवास अधिकारियों को अधिक शक्तियां दी जा रही हैं । निम्नतम स्तर पर भी उन्हें स्वविवेकाधिकार प्राप्त हैं। वह यह कहते हैं कि विवाह के पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं । अतः यह उनका विवेकाधिकार है। इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं । उन्हें कोई अवसर नहीं दिया जाता है। जो नजरबंद हैं उन्हें भी कोई अवसर नहीं दिया जाता । विदेश मंत्री के उत्तर से मालूम होता है कि भारत के 1400 लोग नजरबंद हैं और उनमें से किसी को भी व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने का अवसर नहीं दिया जाता ।

अतः यह एक गम्भीर समस्या है । हम दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं और यदि भारत सरकार सतर्क नहीं होती तो जातिवाद यूरोप के कुछ देशों में आ जाएगा ।

समस्या यह है कि हमारी विवाह व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा रहा । प्रवासी कानूनों के अनुसार जब तक पति और पत्नी पहले न मिले हों, विवाह मान्य नहीं होगा । इसका मतलब यह है कि एशिया की रीति के अनुसार तय किए गए विवाह को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः यह हमारी व्यवस्था तथा संस्कृति के लिए एक चुनौती है तथा इस पर विचार किया जाना चाहिए ।

अपनी बात से मैं यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा कड़ी जांच की जानी चाहिए। जहां तक मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर का सम्बन्ध है वह यह कहते हैं कि उन्हें गुप्त अनुदेशों के बारे में कोई जानकारी नहीं है । लेकिन बाद में गुप्त अनुदेशों के बारे में बता दिया गया था । इग्लैंड के गृह मंत्री ने भी यह स्वीकर किया है कि इस प्रकार के अनुदेश मौजूद हैं । सिविल लिबर्टीज आरगेनाइजेशन के सचिव को लिखे गए पत्र में गृह मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे अनुदेश हैं लेकिन वह यह कहते हैं कि गुप्त अनुदेशों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा अपितु प्रकाशित प्रक्रिया को गुप्त अनुदेशों के अनुरूप बनाने के लिए उसमें परिवर्तन किया जाएगा। इसका मतलब है कि जहां तक उस देश में प्रवासी लोगों के साथ अन्याय तथा अमानवीय बर्ताव का संबंध है वह वैसा ही रहेगा । यह खतरे की निशानी है।

अतः मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या यह मामला इग्लैंड की सरकार के साथ यूरोपियन ह्यूमन राईटस कमीशन के साथ तथा हाल ही में हुए राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में उठाया गया

है? यह बात केवल यहां तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए ईग्लैंड में प्रनासियों को परेशान किया जाता है बल्कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम जातिभेद के विरुद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वह जातिवादी शक्तियां ईग्लैंड में हों अथवा अमेरिका या फ्रांस में। यह समस्या की जड़ है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ईग्लैंड स्थित अपने उच्च आयोग से कोई जानकारी प्राप्त की है अथवा यह मामला ईग्लैंड की सरकार के साथ उठाया है कि वहां यह गुप्त अनुदेश क्यों हैं, वहां भारतीयों को परेशान क्यों किया जा रहा है तथा क्या वह प्रवासी कानूनों की यूरोप के मानवीय अधिकारों की प्रथा के अनुरूप बनाने के लिए उनमें कोई परिवर्तन करने वाले हैं?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सदन को बताया है तथा हमें जो जानकारी मिली है उसमें कुछ अन्तर है हमें उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशतता जिन्हें हवाई अड्डे से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई अथवा हवाई अड्डे तक ही नहीं जाने दिया गया इतनी अधिक नहीं है कि चिंताजनक हो। वास्तव में यह संख्या बहुत कम है इसलिए ऐसा मालूम नहीं होता कि भारत अथवा एशिया से आने वाले लोगों के लिए प्रवेश की कोई गम्भीर समस्या है यह संख्या 0·5 प्रतिशत से भी कम है। मैं नहीं कहता कि यह संख्या बिल्कुल सही है। यह संख्या 1973 में 425 से 1982 में 1043 के बीच रही। जैसा कि मैंने पहले ही सदन को सूचित किया है इस संख्या में वृद्धि हुई है और हमने इस पर ध्यान दिया है।

इसलिए हमने इस आशय के उपाय किए हैं कि हमारा उच्च आयोग प्रवास अधिकारियों से निरंतर सम्पर्क बनाए रखे। वह हवाई अड्डे पर जाते हैं तथा यह देखते हैं कि भारत से आने वाले किसी यात्री को प्रवेश के लिए कोई कठिनाई तो नहीं हो रहीं और जब भी कठिनाई होती है इस मामले को यथास्थिति शीघ्र प्रवास अधिकारियों अथवा गृह मंत्रालय के साथ उठाया जाता है। इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि लंदन में हमारे उच्च आयोग को जो करना चाहिए वह कर रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया एक अन्य मामला पतियों पत्नियों अथवा मगेतरों के बारे में है। यह सही है कि पुरुषों के मामले में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन ईग्लैंड में रहने वाली स्त्रियों में से यह अधिकार केवल ब्रिटिश नागरिकों को ही प्राप्त है कि वह अपने पति अथवा मंगेतर को वहां ला सकती हैं यदि प्रवास अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि विवाह केवल ईग्लैंड में प्रवेश के लिए ही नहीं किया गया और पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तथा पहले मिल चुके हैं। इन उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि पहले कानून का उल्लंघन होता रहा है और क्योंकि ऐसे मामले उनके ध्यान में लाए गए हैं उन्हें यह अधिकार है कि इस कानून के अन्तर्गत अधिकारी को संतुष्ट करना पड़ेगा कि विवाह का मामला झूठा नहीं है।

ऐसा आम तौर पर सभी स्थानों पर किया जाता है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इसकी आड़ में वास्तविक मामलों में अड़चन नहीं पैदा करनी चाहिए। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम यथासम्भव ऐसे मामलों की जांच करते हैं तथा जब भी ऐसे मामले उच्च आयोग के सामने लाए जाते हैं हम सरकार का प्रतिनिधित्व करने में तथा उन व्यक्तियों की सहायता के लिए शीघ्र कार्यवाही करते हैं।

यह एक विदेशी कानून है और जैसे कि हमारे कानूनों पर कोई अन्य देश आपत्ति नहीं कर सकता हमारे लिये भी उनके कानूनों पर आपत्ति करना सम्भव नहीं है। इंग्लैंड के साथ अच्छे संबंधों तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये केवल यही किया जा सकता है कि हम यह देखें कि भारत मे जाने वाले किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और उनके कानूनों का कार्यान्वयन इस प्रकार हो कि वह कठिनाई न उत्पन्न करें। शायद यह प्रश्न उठाने में माननीय सदस्य की भी यही इच्छा थी। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि जो कुछ सम्भव है वह किया जा रहा है। महोदय, मैं स्वयं को प्रश्न के विषय तक ही सीमित रखना चाहता हूं। राष्ट्रीयता अधिनियम जैसी अन्य कई आनुषंगिक बातें हैं। हमने उन पर दोनों सदनों में काफी विचार कर लिया है।

अतः अतारांकित प्रश्न में निहित जो मामला उठाया गया है मैं उसी सीमा तक माननीय सदस्य को यह स्पष्ट आश्वासन देता हूं कि जो कुछ भी संभव है वह पहले ही किया जा रहा है। और यदि उन्हें ऐसी कोई जानकारी है कि जो मैंने बताया है उससे अधिक रद्दगियाँ हुई हैं तो वह उस जानकारी को मुझे भी बताने का कष्ट करें। मैं फिर से देख लूंगा और यदि कोई सुधार की आवश्यकता हुई या उन्हें और जानकारी देने की आवश्यकता हुई तो ऐसा किया जाएगा ?

श्री हरि केश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पूछना है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जबसे यह कानून ब्रिटेन में बना है, तब से भारत सरकार ने उनके साथ इस सम्बन्ध में क्या वार्ता की है ? जैसे कि दुनिया की तमाम दूसरी एजेन्सीज ने इस सवाल को लेकर कुछ आवाज उठाई थी और वहां की सरकार से कहा था कि वह इस तरह की चीजों का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये, परन्तु भारत मूल के बहुत से लोग वहां रहते हैं जिनका आना-जाना वहां रहता है, वहां पर उनके पारिवारिक सम्बन्ध हैं, लेकिन जो वहां नये कानून बन रहे हैं, इससे एक प्रकार की परेशानी तमाम लोगों के साथ आ सकती है।

जिनके सम्बन्ध पहले ही उन लोगों के साथ हैं, जो वहां रहते हैं, इसलिए कम-से-कम उनको आने-जाने की सुविधा रहे इसके लिए भारत सरकार को ब्रिटेन की सरकार से बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी न हो।

हमारे देश के बहुत से लोग वहां जाकर वहां की सरकार की भी एक तरह से मदद करते हैं, बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने जो काम किया है, उससे वहां की सरकार को लाभ मिला है, उस देश को लाभ मिला है। उन लोगों ने वहां की प्रगति में भी योगदान किया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार को हमारे देश के लोगों के साथ नरमी का व्यवहार करना चाहिए। आशा है इस दृष्टि से माननीय मंत्री जी उनसे कोई बात करेंगे और इस प्रकार की कार्यवाही करने की कोशिश की जायेगी। मेरा बहुत संक्षित सा सवाल है, आशा है माननीय मंत्री जी अवश्य इसका उत्तर देंगे।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का जवाब देखा था।

उसमें सरकार द्वारा अनभिज्ञता प्रकट की गई है कि इस प्रकार का कोई गुप्त सर्कूलर ब्रिटेन में प्रचारित किया गया है। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि गुप्त सर्कूलर की जानकारी प्रैस को है, सब लोगों को है कि उसमें क्या है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : किस अखबार में निकला है, थोड़ा बताइए। हम कैसे कह दें कि हमें जानकारी नहीं है। आप इतना तो हम पर भरोसा कीजिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : पैट्रीओट 3 नवम्बर, 1983 और उसके बाद टाइम्स आफ इंडिया 14 फरवरी, 1984—इनमें निकला है कि गुप्त सर्कूलर प्रचारित हुआ है। गुप्त सर्कूलर में क्या है और क्या नहीं है, इसकी जानकारी न भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि उसके अनुसार काम हो रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कोई अखबार यह कहे कि गुप्त सर्कूलर निकला है, तो हमें यह तो मालूम है कि अखबार में निकला है लेकिन क्या निकला है या नहीं, यह नहीं मालूम है। यही उस जवाब में कहा गया है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं यह कहना चाहता था कि जो भारतीय मूल के लोग हैं और एशिया के लोग जो वहां जाते हैं, तो नई नई बाधायें इम्मिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा पैदा की गई है। तो इस संबंध में हमारे दूतावास को छानबीन तो करनी चाहिए थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इम्मिग्रेशन डिपार्टमेंट का इतना कड़ा रुख पहले तो कभी नहीं था। जिसमें कि भारत के लोग वहां जायें तो अपने दूतावास से या अपने लोगों से फोन पर भी संपर्क स्थापित न कर पायें, जिससे कि अपना बचाव का पक्ष प्रस्तुत करने में आसानी हो।

जैसाकि ब्रजमोहन महन्तीजी ने भी चर्चा की है, यूरोपियन कमीशन आन ह्यूमन राइट के अलावा ज्वाइंट कमीशन आफ वैलफेयर आफ इम्मिग्रेन्टस ने इस बात की चर्चा की है कि इम्मिग्रेशन का कानून नहीं है या मंत्री जी ने भी इस बात की चर्चा की है कि फ्रेक मैरिज का बहाना लेकर ब्रिटेन में जो लोग चले जाते थे, उसको रोकने के लिए उन्होंने 1971 में कानून बनाया था। उस कानून का शुरू से तो पालन नहीं कर रहे थे, जैसाकि आपने भी बताया है। तो एकाएक वे क्यों उस कानून का कड़ाई से पालन करने लगे। वास्तव में क्या फेक मरिज का बहाना लेकर लोग वहां जाकर बसने का प्रबन्ध करते थे, "या इम्मिग्रेशन को कर्ब करने के लिए ब्रिटेन ने यह रुख अपनाया। इसकी छानबीन तो वहां के दूतावास को करनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ के गृह विभाग के प्रवक्ता ने कहा है :

> "हम अरेंज्ड मैरिज की परम्परा के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन इस मामले पर इम्मिग्रेशन आफिस द्वारा ही निर्णय किया जाना है।"

मतलब यह कि अरैंज मैरिज वहां का इम्मिग्रेशन आफिस ही डिसाइड करेगा। उसमें निर्णय लेगा कि इसको अरैंज मैरिज कहा जा सकता है या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे वहां के दूतावास ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ऐसे

कितने केश दूतावास के सामने आए हैं और उनका समाधान करने के लिए दूतावास ने क्या प्रयास किया है – यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि 1973 से रद्दगियों की वास्तव की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि इस वृद्धि को कुल संख्या में वृद्धि की दृष्टि से भी देखना है। 1973 में 85460 में से 425 रद्द किए गए थे, 1982 में 2,10,000 में से 1043 रद्द किए गए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि यह प्रतिशत की दृष्टि से लगभग 0.5 है। संख्या में वृद्धि तो हुई है। फिर भी हमने इस मामले को वहाँ के प्राधिकारियों के साथ उठाया है और जहाँ कहीं भी विवाह का यह प्रश्न उठाया गया है, हमने उन्हें बताया है कि हमारे देश में अरेंज्ड मैरिज की परम्परा है।

इसलिए, उन्हें किसी भारतीय मुगल के विवाह को यूरोपीय समाज की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अतः यह भिन्नता बताने से रद्दगियों काफी कम हो गई हैं। लेकिन जहाँ स्पष्टतः जाली विवाह या किसी अधिकारी द्वारा वास्तविक विवाह न समझे जाने वाले विवाह का सम्बन्ध है तो हम यह नहीं कह सकते कि उस मामले में वह अपने विशेषाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। मैं यही सुझाव देता रहा हूं। जब कभी ऐसे मामले हमारे ध्यान में लाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा हम उनके घरेलू कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पता नहीं इस मामले को सभा में लाने के लिए हाल ही में कोई घटना हुई हो।

मैं श्री मोहन्ती तथा अन्य सदस्यों से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि इन मामलों में वृद्धि हुई है जिससे कोई विशेष कठिनाई आ रही हो। करीब एक वर्ष पहले दोनों सदन राष्ट्रीयता अधिनियम के बारे में चिंतित थे। जब यह विधेयक हाउस आफ कामन्स में था तब हमने अभ्यावेदन दिए थे जिससे कुछ संशोधन किए गए थे। दूसरे मामलों में भी जहां कहीं असुविधा हुई है कानूनी तरीके अपनाए गए हैं। जिससे कि वहां के राष्ट्रिक बनने वालों को असुविधा न हो। इस प्रश्न पर मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह इस चर्चा से भिन्न है। अतः जो कुछ किया जाना चाहिए वह सब किया जा रहा है। यदि किसी भी माननीय सदस्य के पास और कोई विशेष जानकारी हो तो मैं भी उसे जानना चाहूंगा।

जहा तक हम जानकारी है इन नियमों के कार्यान्वियन में सख्ती नहीं की गई है।

धन्यवाद।

प्रो० अजित कुमार मेहता : एक बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। क्या हमारे दूतावास ने ऐसे किसी गोपनीय परिपत्र के बारे में जानने का प्रयास किया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमने अतारांकित प्रश्न के उत्तर में पहले ही बताया है कि हमें गोपनीय परिपत्र की जानकारी नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : लेकिन प्रेस में छपने पर।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कृपया बताएं कि कोई सरकार या उच्चायोग या राजदूत यह कैसे पता लगाये कि कोई गुप्त अनुदेश दिया गया है या नहीं। हमारी भरसक कोशिश के बावजूद हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिली। श्री महन्ती ने जो जानकारी दी है, मैंने नोट कर ली है मैं उनसे लेकर इसकी जांच करके देखूंगा कि इस सम्बन्ध में और क्या किया जा सकता है। यदि यह जानकारी अशुद्ध होगी तो मैं उन्हें बता दूंगा। अत: मैंने उठाये गये प्रश्न नोट कर लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कल मई दिवस होने के कारण लोक सभा की बैठक नहीं होगी।

सभा बुधवार, 2 मई, 1984 को 11 बजे पुन:-समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.06 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 2 **मई** 1984/12 **वैशाख**, 1906 **(शक) के** 11 **बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

मुद्रक : आर० आर० गुप्ता प्रेस, 472, पण्डित रामचन्द्र देहलवी मार्ग,
दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।